हिन्दी समाचारपत्र-निर्देशिका

१९५६

संपादक

बंकटलाल ओझा

मूल्य ३)

हिन्दी समाचारपत्र संग्रहालय,

हैदराबाद-२

हिन्दी समाचारपत्र निर्देशिका

१९५६

HINDI PRESS YEAR BOOK

1956

संपादक

बंकटलाल ओझा

प्रकाशक
हिन्दी समाचारपत्र संग्रहालय
पोस्ट बाक्स १०
क़सारहट्टा रोड :: हैदराबाद-२

प्रथम संस्करण
१९५५

सजिल्द ४)
अजिल्द ३)

मुद्रक
कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस
बेगम बाज़ार :: हैदराबाद-२

विषय-सूची

निवेदन

हिन्दी समाचार-पत्र-संग्रहालय हिन्दी समाचारपत्रों के संग्रह और प्रदर्शन के साथ ही उनसे संबंधित ज्ञातव्य सामग्री के प्रकाशन की दिशा में भी सचेष्ट रहा है। १९५० में 'हिंदी समाचारपत्र सूची' (भाग १, १८२६–१९२५) के रूप में हिन्दी समाचारपत्रों के एक शताब्दी के इतिहास की प्रामाणिक रूपरेखा प्रस्तुत की गयी थी। हर्ष की बात है कि हिन्दी जगत् में इसका यथेष्ट स्वागत हुआ। उत्तरप्रदेश सरकार ने भी पुरस्कार प्रदान कर इसे सम्मानित किया। संपादकाचार्य पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी को हिन्दी समाचार-पत्रों का इतिहास तैयार करने में इस पुस्तक से पर्याप्त सहायता मिली, जिसका उल्लेख उन्होंने पुस्तक की भूमिका में किया है। संग्रहालय के प्रथम प्रकाशन का जो मूल्यांकन और स्वागत हिन्दी जगत में हुआ, वह संग्रहालय के लिए गौरव की बात है।

प्रस्तुत पुस्तक संग्रहालय का दूसरा प्रकाशन है। गत १०-१२ वर्षों से हम इसके प्रकाशन के लिए प्रयत्नशील थे, पर एक या दूसरे कारणों से अब तक वह संभव न हो सका। प्रथम बार इसकी पांडुलिपि १९४५ में प्रयाग और १९४७ में दिल्ली के मुद्रणालयों का चक्कर लगा कर लौट आयी। पुनः १९५० में समाचारपत्र-परिचय खंड तैयार कर छपने के लिए दिया जा रहा था, तो कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि साथ में पत्रकारिता से सम्बन्धित लेख, अधिनियम आदि भी रहें। अधिकारी पत्रकारों को इस विषय में लिखा गया, पर इसमें इच्छानुकूल सफलता नहीं मिली। अन्त में हमने स्वयं ही इसकी सारी सामग्री तैयार की। "श्रेयांसि बहुविघ्नानि" के अनुसार अनेक विघ्न-बाधाओं को पार कर यह 'निर्देशिका' आज प्रकाशित हो रही है।

हिंन्दी पत्रों की माँग दिन-दिन बढ़ रही है, और ऐसे परिचयात्मक ग्रंथ के लिए सभी ओर से निरन्तर माँग आती रही है। अगर इसे अनुकूल और यथेष्ट प्रोत्साहन मिला, तो हम इसे प्रति वर्ष प्रकाशित करने का आश्वासन हिन्दी जगत् को दे सकते हैं।

हिन्दी का जन्म जनभाषा के रूप में हुआ था, और आज यह राज-भाषा बन गयी है। कुछ ही वर्षों में अंग्रेज़ी का स्थान पूर्णतः हिन्दी को प्राप्त हो जाएगा। परन्तु साथ ही हिन्दी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आ जाती है। हिन्दी के माध्यम से अन्य विषयों की जानकारी के साथ ही पत्रकारिता से संबंधित ज्ञातव्य सामग्री मिले, यह समय की माँग है। इसी के निमित्त इस निर्देशिका का संपादन, हिन्दी के भावी उत्कर्ष, महत्त्व, प्रभाव और प्रयोग को ध्यान में रख कर किया गया है, जिससे हिन्दी ही नहीं अन्य भारतीय भाषाओं के मुद्रकों, प्रकाशकों और संपादकों के लिए यह पुस्तक सामान्य रूप से उपयोगी हो सके और साथ ही विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी भी इससे लाभ उठा सकें।

मुद्रण, प्रकाशन और संपादन-विषयक लगभग सभी प्रचलित केन्द्रीय अधिनियमों और पत्रकारिता से सम्बन्धित डाक-तार विभाग के नियमो-पनियम का संकलन इसमें विशेष रूप से किया गया है। सरकारी हिन्दी-भाषान्तरों को ज्यों का त्यों न दे कर मूल का ठीक अभिप्राय व्यक्त हो, इस दृष्टि से थोड़े-बहुत संशोधन के साथ दिया गया है। यथासंभव शाब्दिक एकरूपता लाने का प्रयत्न किया गया है। सरकार द्वारा प्रकाशित छपे हिन्दी भाषान्तरों में एक ही अधिनियम में अंग्रेज़ी के एक ही शब्द के एक ही अर्थ में कई हिन्दी पर्यायों का प्रयोग हुआ है। विधि-विषयक पुस्तकों में ऐसी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भ्रामकता पैदा होती है। आशा है, भारत सरकार के विधि-मंत्रालय का हिन्दी-भाषान्तर विभाग भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान देगा। एक ही अधिनियम की अंग्रेज़ी प्रति का मूल्य ।) है तो हिन्दी प्रति का १।) है। ये दोनों ही बातें हिन्दी की व्यावहारिकता को ठेस पहुँचाती हैं।

आज के सभी हिन्दी समाचारपत्रों का यथासंभव प्रामाणिक परिचय इस निर्देशिका में देने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी हमारी साधन-हीनता और हिन्दी पत्र-संचालकों की उदासीनता तथा वस्तुस्थिति की

अनिवार्यता के कारण जो दोष रह गये हैं, वे तो आने वाले समय की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन भूल-चूक से कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसकी ओर ध्यान दिलाने का कष्ट कृपालु पाठक करें।

इस निर्देशिका के प्रस्तुत करने में संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और हैदराबाद सरकार के सूचना विभाग के अधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाचारपत्र संस्थान, भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र समाज, समाचारपत्र संपादक सम्मेलन, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ, पत्र प्रसार परिगणना प्रतिष्ठान, भारतीय विज्ञापन व्यवसायी संघ, कानून प्रेस कानपुर, संचालक भारतीय डाक तार विभाग, आदि से जो सहयोग मिला है, उसके बिना यह कार्य सम्पन्न होना कठिन था।

स्व० महावीरप्रसाद जी श्रीवास्तव (प्रयाग), स्व० प्रो० रंजन, स्व० वृन्दावनविहारी जी मिश्र (सं० 'कल्पना', हैदराबाद) के सहयोग को, जो इस पुस्तक को प्रकाशित देखने के लिए आज इस जगत् में नहीं हैं, इस अवसर पर हम कैसे विस्मरण कर सकते हैं। उनका स्मरण करते हुए हमारा दिल भर आता है। उनकी स्वर्गस्थ आत्मा को इस पुस्तक के रूप में हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है।

इनके अतिरिक्त सर्वश्री श्यामू संन्यासी, प्रकाशचंद्र खोसला, किशोरीलाल नराणीया, जयचन्द जैन और रत्नकुमार जैन 'रत्नेश' (सं० "जैनप्रकाश") के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें इस कार्य में सक्रिय सहयोग दिया।

बंधुवर मुनीन्द्र जी का अत्यन्त ही कृतज्ञ हूँ, जिनकी व्यक्तिगत देखरेख में इस पुस्तक का मुद्रण हुआ। प्रूफ़ आदि के शोधन से ले कर संपादन तक में उनका अमूल्य सहयोग रहा।

श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी (हिन्दी समाचारपत्र संग्रहालय के अध्यक्ष) और भाई जगदीशप्रसाद जी चतुर्वेदी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना धृष्टता करना होगा, क्योंकि यह तो उन्हीं का कार्य है, जिसे हम यहाँ कर रहे हैं।

इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए हैदराबाद के अनन्य हिन्दी-प्रेमी श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त ने २५१) और श्री हरिराम नराणीया ने ५१) की आर्थिक सहायता प्रदान कर हमें प्रोत्साहित किया है। संग्रहालय विशेष रूप में उनका आभारी रहेगा।

यहाँ हम दो शब्द संग्रहालय के भावी कार्यक्रम की रूपरेखा के सम्बन्ध में कहें, तो शायद अप्रासंगिक न होगा।

सन् १९५० से अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आदि पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें, पत्रकारों के चित्र और हस्तलिपियाँ आदि नियमित रूप से संग्रहालय को प्राप्त हो रही हैं। दिन-दिन बढ़ते हुए संग्रह को देखते हुए संग्रहालय को अपने भवन की आवश्यकता है। आशा है, सरकार और उदार धनीमानी सज्जन हिन्दी समाचारपत्रों के इस एकमात्र संग्रहालय की ऐतिहासिक उपयोगिता को देखते हुए संग्रहालय-भवन के निर्माण के लिए सहायता तथा लोहे की अलमारियाँ आदि प्रदान करेंगे। इस समय तो संग्रहालय राजस्थान हिन्दी विद्यालय भवन में उनके अधिकारियों की उदारता से टिका हुआ है।

हिन्दी समाचारपत्र सूची (भाग २) का, जिसमें १९२६ से अब तक के समाचारपत्रों का परिचय रहेगा, संपादन हो रहा है। आशा है, इसकी ऐतिहासिक उपयोगिता, प्रामाणिकता आदि के महत्त्व को समझते हुए हिन्दी पत्रकार पुराने-नये पत्रों की प्रतियाँ तथा अन्य ज्ञातव्य विवरण भेज कर अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे इसका प्रकाशन शीघ्र हो सके और शिकायत का अवसर न रहे।

हिन्दी समाचारपत्रों के इतिहास की सामग्री का भी संकलन और संपादन हो रहा है। इसके निमित्त उन सारे स्थानों का भ्रमण करने का भी विचार है, जहाँ तत्सम्बन्धी सामग्री प्राप्त हो सके। अतः जिनके पास इस सम्बन्ध की जानकारी और सामग्री हो, कृपया सूचित करें, जिससे उनका समुचित उपयोग हो सके।

कार्तिक शुक्ल
प्रतिपदा, २०१२

बंकटलाल ओझा

पत्रों का जन्म और विकास

हिन्दी, संसार की उन इनी-गिनी भाषाओं में से है, जिसका साहित्य और पत्र उस देश में ही नहीं, विदेशों में भी मुद्रित और प्रकाशित होते हैं, हिन्दी को यह गौरव राजभाषा बनने के वर्षों पूर्व ही प्राप्त हो गया था। महात्मा गाँधी ने १९०३ में दक्षिण अफ्रीका से 'इंडियन ओपिनियन' का हिन्दी में भी प्रकाशन किया था। तब से दक्षिण अफ्रीका, फ़ीजी, मारिशस आदि देशों में हिन्दी पत्रों का प्रकाशन हो रहा है। भारत में आज लगभग ६९६० दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि पत्र सभी भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, जिनमें २५% हिन्दी के हैं, और शेष सभी भाषाओं के और अंग्रेज़ी के। प्रमुख अंग्रेजी दैनिक पत्रों ने भविष्य की संभावनाओं को लक्ष्य में रख कर अपने पत्रों के हिन्दी संस्करण भी चालू कर दिये हैं, जिससे अंग्रेज़ी पत्रों का महत्त्व व प्रचार घटने पर हिन्दी पत्र उनका स्थान ले सकें। कई अंग्रेज़ी पत्रों के हिन्दी संस्करण अंग्रेज़ी से भी अधिक प्रचारित बताये जाते हैं। उदाहरणार्थ प्रयाग का अंग्रेज़ी दैनिक 'लीडर' १५ हज़ार प्रकाशित होता है और उसी का हिन्दी संस्करण 'भारत' २० हज़ार। इनके साप्ताहिक संस्करण भी क्रमशः १५ और २० हज़ार हैं।

पत्रों के पाठक : विदेशों में पत्रों के ग्राहक अधिक हैं। यथा, प्रति हज़ार व्यक्ति पर पत्रों के ग्राहक इंग्लैंड में ६१२, स्वीडन में ४९०, आस्ट्रेलिया में ४५५, लक्समबर्ग में ४५२, नार्वे में ४०३, डेनमार्क में ३८६, न्यूज़ीलैंड में ३७४, जापान में ३५८, अमेरिका में ३५६, रूस में १६१ और भारत में ८ और पाकिस्तान में २ हैं। न्यूयार्क शहर में ही, जिसकी आबादी ७० लाख है, ६६ दैनिक पत्र निकलते हैं और उनकी ग्राहक-संख्या ६० लाख है अर्थात् १० आदमियों में ९ आदमी पत्र ख़रीदते हैं। किन्तु भारत में ख़रीदार कम हैं, मगर माँग कर पत्र पढ़ने के शौकीन बहुत हैं। पत्र ख़रीद कर पढ़ना फ़िज़ूलख़र्ची समझी जाती है। एक हिन्दी मासिक 'कल्याण' ही ऐसा है, जिसकी ग्राहक-संख्या एक लाख बीस हज़ार है।

संसार का प्रथम पत्र : ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में एशिया को अग्रणी होने का गौरव प्राप्त है। मुद्रणकला और पत्रकार-कला के क्षेत्र में भी वह अग्रणी रहा। चीन का एकमात्र पत्र सतत १५०० वर्ष तक प्रकाशित हो कर सन् १९१३ में राज्य-क्रान्ति की लपेट में आ कर बन्द हो गया। यह संसार का प्रथम और सुदीर्घजीवी पत्र था। पत्रकार-कला की जननी मुद्रणकला का वास्तविक उत्कर्ष तो यूरोप में ही हुआ, जहाँ गेटनबर्ग ने जर्मनी के मेंझ नामक गाँव में सन् १४४० में पहला मुद्रणालय खोला था। यूरोप में प्रथम पत्र हालैंड से सन् १५२६ में प्रकाशित हुआ। बाद में जर्मनी से सन् १६१० में, इंगलैंड से सन् १६२२ में, अमेरिका से सन् १६९० में, रूस से सन् १७०३ में और फ्रांस से सन् १७३७ में पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ।

भारत में प्रथम मुद्रणालय : भारत में आधुनिक मुद्रण-कला का आगमन ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा सन् १५५० में हुआ। प्रथम मुद्रणालय गोवा में खुला और सन् १५५७ में रोमन अक्षरों और पुर्तगाली-भाषा में वहाँ से प्रथम पुस्तक छप कर निकली। यहाँ से सन् १६५५ में देवनागरी लिपि में मराठी की प्रथम पुस्तक 'सेंट पिटरचें चरित्र' छपी थी। श्री भीमजी पारेख प्रथम भारतीय थे, जिनका उद्देश्य बंबई में सन् १६७४ में देव-नागरी मुद्रणालय खोल कर हिन्दू धर्म-ग्रन्थ प्रकाशित कर सर्वसाधारण के लिए सुलभ करना था।

भारत का प्रथम पत्र : कलकत्ता में पहला मुद्रणालय सन् १७८० में श्री जेम्स आगस्टस हिकी ने स्थापित कर भारत का प्रथम मुद्रित समा-चारपत्र अंग्रेजी भाषा में "हिकीज़ बेंगाल गजट ऑफ़ कैलकटा जनरल ऐडवरटाइज़र" के नाम से २९ जनवरी, सन् १७८० को प्रकाशित किया। श्री हिकी ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए लिखा, "मुझे अपने मन और आत्मा के लिए स्वतंत्रता मोल लेने को अपने शरीर को दास बनाने में प्रसन्नता होती है।" पत्र के नाम के नीचे रहता था, "राजनीतिक और व्यापारिक साप्ताहिक : खुला तो सब के लिए है, पर प्रभावित किसी से नहीं है।" खेद है, श्री हिकी की तत्कालीन कंपनी-सरकार से नहीं पटी और उसे जेल ही नहीं जाना पड़ा, उसका मुद्रणालय भी जब्त हो गया।

उसके बाद कई अंग्रेज़ पत्रकारों को देशनिकाले की सजा दी जाने लगी।

भारतीय भाषा के प्रथम पत्र : भारतीय भाषा में सर्वप्रथम पत्र बंगला में 'दिग्दर्शन' नाम से सन् १८१७ में निकला। बाद के भाषावार प्रथम पत्रों का क्रम इस प्रकार है:—गुजराती 'श्री मुंबईनां समाचार' सन् १८२२; फ़ारसी और उर्दू 'जामे जहाँनुमा' सन् १८२२; हिन्दी 'उदन्त मार्तण्ड' सन् १८२६, मराठी 'दर्पण' सन् १८३२। भारतीय भाषा के निम्न प्राचीन पत्र आज भी निकल रहे हैं:—सन् १८२२ से गुजराती का 'मुंबई समाचार'; १८३१ से गुजराती का 'जामे जमशेद'; सन् १८४२ से मराठी का 'ज्ञानोदय'; सन् १८८२ से तमिळ का 'स्वदेशमित्रन्'; १८९६ से हिन्दी के 'श्री वेंकटेश्वर समाचार' तथा 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'।

प्रारंभिक युग : आज पत्रकार-कला जितनी विकसित दिखाई देती है, प्रारंभ में नहीं थी। टाइप, काग़ज़ और स्याही बनाने से ले कर संयोजन (कम्पोज़) करने व छापने तक का काम संपादक को करना पड़ता था। विज्ञापकों का नितान्त अभाव था। ग्राहकों की यह हालत थी कि घर-घर जा कर पत्र पढ़ कर सुनाना पड़ता था, क्योंकि वे सब कालम एक साथ मिला कर पढ़ते थे और फिर शिकायत करते थे कि कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें पत्र ख़रीद कर! वार्षिक मूल्य भी साल-भर बाद ही वसूल किया जाता था। भारतीय भाषाओं के पत्रों पर सरकार की कोप-दृष्टि थी। पत्रों को बड़ी-बड़ी जमानतें देनी पड़ती थीं तथा पत्रकारों को जेल की सजा भुगतनी पड़ती थी।

पत्रों की निर्भीकता : सन् १८७८ में देशी भाषा समाचारपत्र अधिनियम (वरनाक्युलर प्रेस एक्ट) जारी किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा के पत्रों की निर्भीकता, विशेष कर 'अमृत बाज़ार पत्रिका' का सदा के लिए अन्त करना था। मगर 'पत्रिका' ने तो क़ानून लागू होने के एक दिन पूर्व ही रातों-रात बंगला से अंग्रेज़ी अपना ली। राजा राममोहन राय आदि ने इस क़ानून का डट कर विरोध किया, मगर उनकी कुछ न चली और उन्हें अपने पत्र बंद करने पड़े। फिर भी इस प्रकार वैधानिक संघर्ष का श्रीगणेश हो गया और अन्त में इस क़ानून को सन् १८८१ में रद्द करना पड़ा। शासकों के प्रति भारतीय भाषा के पत्रों की

यह प्रथम विजय थी।

पौराणिक पत्रकार : हमारे देश में पौराणिक काल में भी पत्रकार थे। महर्षि नारद पत्रकारों के आदि पुरुष माने जाते हैं, उस समय समाचार पहुँचा कर समाचारपत्रों की आवश्यकता पूर्ति किया करते थे। पत्रकार के रूप में वे स्थल-मार्ग को ठुकरा कर आकाश-मार्ग से भ्रमण किया करते थे। विश्व में उन लोगों की कीर्ति-गाथा सुनाया करते थे, जो अपनी वीरता, धीरता, आत्म-त्याग और धर्म के लिए अपने आपको बलिदान कर देते थे। महाभारत-युद्ध में तो संजय की 'रिपोर्टिंग' अद्वितीय है। संत, कवि, भाट, चारण आदि भी पत्रकारों की श्रेणी में ही आते हैं। उस समय मुद्रणकला सुलभ न थी, अतः काव्यमय समाचारों का आदान-प्रदान होता था, जो जल्दी ही लोगों को कंठस्थ हो जाता था और एक मुख से दूसरे मुख पहुँचता रहता था। मुगलकाल में दिल्ली से 'अखबाराते दरबारे मुअल्ला' तथा पूना से निकलने वाला 'पुणें अखबार' तो प्रसिद्ध ही हैं, जो हाथ से लिख कर प्रचारित होते थे।

अ-हिंदी पत्रकार : हिंदी पत्रों के विकास में अहिंदी भाषी सज्जनों का यथेष्ट योग रहा है। राजा राममोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गाँधी, स्वामी श्रद्धानंद, सर्वश्री माधवराव सप्रे, अमृतलाल चक्रवर्ती, महादेव देसाई, किशोरीलाल मश्रुवाला, लक्ष्मण नारायण गर्दे, बाबूराव विष्णु पराडकर, सिद्धनाथ माधव आगरकर, एम० सत्यनारायण, अवधनंदन, काका कालेलकर, आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी, क्षितिमोहन मित्र, रामानंद चटर्जी, चिंतामणि घोष, रा० र० खाडिलकर आदि ने हिंदी पत्रकार-कला का मानदंड काफ़ी ऊँचा उठाया।

हिंदी के महारथी : हिंदी-भाषी विद्वानों में सर्वश्री जुगलकिशोर शुक्ल, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालमुकुंद गुप्त, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, गणेशशंकर विद्यार्थी, रामदास गौड, मदनमोहन मालवीय, डा० राजेन्द्र प्रसाद, पुरुषोत्तमदास टंडन, कृष्णकांत मालवीय, किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, बालमुकुंद भट्ट, गोपालराम गहमरी, रामरखसिंह सहगल, पद्मसिंह शर्मा, स्वामी भवानीदयाल संन्यासी, महादेवप्रसाद सेठ, बाबू शिवप्रसाद गुप्त,

सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास, शिवनारायण मिश्र, आदि की सतत साधना के परिणाम-स्वरूप हिंदी-पत्रों की इतनी उन्नति हुई । आज तो प्रायः सभी विषयों के पत्र निकलते हैं । बच्चों से ले कर बूढ़ों तक और बालिकाओं से ले कर महिलाओं तक की सामान्य रुचि के पत्र हैं । योग-दर्शन, समाज-शास्त्र, विज्ञान, उद्योग-व्यापार, संगीत, कृषि, ज्योतिष, मनोविज्ञान से ले कर शुद्ध साहित्यिक पत्र भी हैं । इस प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी के पत्र विश्व की अन्य आधुनिकतम भाषाओं के पत्रों की दौड़ में भाग लेने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

"पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा है । पत्र एक महान् शक्ति है । परंतु जैसे अनियंत्रित जल-प्रवाह खेती को नष्ट कर देता है, वैसे ही अनियंत्रित लेखनी विनाश का कारण होती है । यदि पत्रकार स्वयं अपने आप को नियंत्रित करें, तो उपयोगी हैं । बाहरी नियंत्रण से तो नियंत्रण न रहना ही अच्छा है । यदि मेरा विचार ठीक है तो संसार में कितने पत्र इस कसौटी पर कसे जा सकते हैं ?"

—महात्मा गाँधी

"मानव-स्वभाव के अध्ययन के लिए मैंने अपने पत्रों का उपयोग किया । संपादक और पाठकों के बीच विशुद्ध आत्मीय संबंध स्थापित करना मेरा उद्देश्य था । मेरे पास पाठकों के बहुत पत्र आते थे । उन पत्रों के रूप में समाज की अंतरात्मा ही मानो मुझसे विचार-विनियम करती थी, जिससे एक पत्रकार के उत्तरदायित्व का मुझे ज्ञान हुआ और समाज पर मेरा प्रभाव स्थापित हो गया इसी से आगामी आन्दोलन सुलभ, प्रभावशाली और दुर्दम्य बन सके ।"

—महात्मा गाँधी

समाचारपत्र-संस्थाएँ

अन्तर्राष्ट्रीय समाचारपत्र संस्थान (International Press Institute, Munstergasse 8, Zurich 1. Switzerland)

'अमेरिकन सोसाइटी ऑफ़ न्यूज़पेपर एडिटर्स' सन् १९४९ से ही संसार के संपादकों में परस्पर सहयोग व संपर्क के निमित्त 'अन्तर्राष्ट्रीय समाचारपत्र-संस्थान' की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थी। अक्तूबर १९५० में इसके लिए संपादकों की बैठक में एक संगठन-समिति बनायी गयी थी। इस बैठक में भारत के श्री एम० चलपति राव ('नेशनल हेरल्ड' के संपादक) भी उपस्थित थे। अन्तर्राष्ट्रीय समाचारपत्र-संस्थान के उद्देश्य, संक्षेप में, निम्न प्रकार हैं:

१. समाचारपत्र-स्वातंत्र्य की रक्षा और उसका विकास। समाचारपत्र-स्वातंत्र्य का अर्थ है, अबाध समाचार-संकलन, स्वतंत्र मत-प्रकाशन, निर्बाध समाचारपत्र-प्रकाशन।

२. संपादकों और उनके द्वारा जनता को एक दूसरे को समझने में सफलता-प्राप्ति।

३. विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रतापूर्वक सत्य और संतुलित समाचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।

४. पत्रकारों की वृत्ति में सुधार।

इसकी विधिवत् स्थापना मई १९५१ में विश्व के संपादकों की बैठक में हुई। इसका प्रथम अधिवेशन पेरिस में मई १९५२ में हुआ, जिसमें ५१ देशों के १०१ संपादकों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन लंदन में मई १९५३ में हुआ, जिसमें ३० देशों के १२० संपादक उपस्थित थे।

भारत में भी इसकी शाखा है, जिसके अध्यक्ष श्री कस्तूरी श्रीनिवासन ('हिंदू' के संपादक) हैं। अनुसंधान-कार्य के निरीक्षक हैं, श्री बी० के० नरसिंहन् ('हिंदू' मद्रास)।

इसके अतिरिक्त अन्य ३० देशों में भी इसकी शाखाएँ हैं तथा ६८२ सदस्य ४५० पत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साम्यवादी देशों में न तो

कोई इसका सदस्य है न शाखा ही।

प्रथम तीन वर्षों तक इसे फ़ोर्ड और राकफ़ेलर प्रतिष्ठान अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इसका किसी सरकार से संबंध नहीं है।

इसका सदस्य-शुल्क ५० डालर और सहायक सदस्य शुल्क १२ डालर है। जो पत्रकार समाचारपत्र की नीति के निर्धारक नहीं हैं, वे सहायक सदस्य बन सकते हैं, पर इन्हें मताधिकार नहीं है। इसका मासिक मुखपत्र अंग्रेज़ी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं में प्रकाशित होता है।

इसकी ओर से विभिन्न देशों में समाचारपत्रों पर सरकारी नियंत्रण, समाचारपत्र अधिनियमों आदि का अध्ययन, अनुसंधान होता है। अब तक इस संबंध में १. सूचनाओं में वृद्धि, २. रूस से समाचार, ३. समाचारों के अध्ययन का परिणाम, आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अंतिम पुस्तक में भारत के समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विदेशी समाचारों का अध्ययन भी है।

राष्ट्रमंडल समाचारपत्र संघ (Commonwealth Press Union, 154, Fleet Street, London, E. C. 4.) अध्यक्ष : कर्नल जे० जे० अस्टर, संपादक, टाइम्स, लंदन; प्रधान मंत्री : सर हेनरी टर्नर।

भारतीय शाखा के अध्यक्ष : श्री देवदास गाँधी, प्रबंध-संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली।

ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और स्थायित्व के साथ उसके विभिन्न उपनिवेशों में समाचारपत्र अस्तित्व में आये और विकसित होने लगे। इन पत्रों को एक सूत्र में ग्रथित करने और इनकी व्यावसायिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक साम्राज्यव्यापी समाचारपत्र-संगठन की स्थापना दिसंबर, १९०९ में इंग्लैंड के कुछ प्रमुख पत्र संचालकों ने साम्राज्य-समाचारपत्र-संघ (Empire Press Union) के नाम से की। १९५० में इसका वर्तमान नाम रखा। इसके मूल प्रणेता थे सर हैरी ब्रिटैन, जिनका इंग्लैंड के पत्रकार-जगत् में काफ़ी ऊँचा स्थान है और जो पत्र-कारिता में ब्रिटिश साम्राज्य के मुख्य समर्थक हैं। सर हैरी के साथ-साथ श्री सी० पी० स्कॉट, श्री जे० ए० स्पेंडर, लार्ड नार्थक्लिफ़, लार्ड वर्नहाम आदि प्रमुख पत्रकार और पत्रसंचालक इसके संस्थापक सदस्यों में से हैं।

संघ के उद्देश्य इस प्रकार हैं : "समस्त ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्रकाशित होने वाले पत्र और उनसे संबंधित प्रकाशनों एवं व्यक्तियों के हितों की रक्षा, उनके हितों को आगे बढ़ाना, संघ के सदस्यों की पत्र-विषयक सलाह को व्यावहारिक रूप देना, साम्राज्य के विभिन्न उपनिवेशों के सदस्यों की आपसी बैठकें करना संवाद-वितरण-व्यवसाय और दूरमुद्रक की कार्यक्षमता को बढ़ाने एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करना, संवाद-प्राप्ति के व्यय को कम करना और उक्त उद्देश्यों को क्षति पहुँचाने वाले विधि-विधानों का सक्रिय विरोध करना।"

संघ ने न केवल इंग्लैंड अपितु समूचे ब्रिटिश साम्राज्य के पत्रकारों को पार्लियामेंट और वेस्टमिनिस्टर में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए महत्त्व-पूर्ण कार्य किया, जिसके फलस्वरूप वहाँ २० प्रतिनिधि विभिन्न पत्रों की ओर से संवाद-संकलन करते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए दूरमुद्रक और रेडियो से संवाद-ग्रहण करने की सुविधाएँ भी इसी के प्रयत्नों से प्राप्त हुई हैं।

दक्ष पत्रकारों को तैयार करने के लिए एक पत्रकार-विद्यालय की स्थापना के लिए भी यह संघ प्रयत्नशील है। केम्सले न्यूज़पेपर्स लि० का चार पत्रकारों को शिक्षा देने का कार्य संघ के निरीक्षण में ही चल रहा है। एक दूसरी योजना के अंतर्गत अनुभवी और कुशल पत्रकारों एवं संपादकों को एक उपनिवेश से दूसरे उपनिवेश में कुछ समय के लिए भेजा जाता है ताकि स्थानीय लोग उनसे सीख सकें।

निम्न उपनिवेश तथा राष्ट्रमंडलीय देश इसके सदस्य हैं: इंग्लैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़िलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, बेरमुदा, केनिया, जिब्राल्टर, माल्टा, और फ़ीजी।

अब तक संघ की ४४ वार्षिक बैठकें और ७ सम्मेलन हो चुके हैं। आठवें सम्मेलन में पत्र-स्वाधीनता के संबंध में एक अष्टसूत्री प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। "विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल और साम्राज्य की समस्त जनता का बुनियादी अधिकार है।" लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी यह संघ प्रगतिशील नहीं है। अभी

भी इसके कर्णधार साम्राज्यवाद के पोषक हैं। छठे सम्मेलन में जब भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने यह प्रश्न उठाया कि चूँकि यह संगठन व्यावसायिक है, अतः राष्ट्रमंडल के सभी पत्रों को बिना किसी राजनैतिक मत्त-मतान्तर की बाधा के, इसका सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए तो सर हैरी ने इसका ज़ोरों से विरोध करते हुए कहा था, कि "संघ की स्थापना ही साम्राज्य के हितों और एकता की रक्षा के लिए की गयी है, इसलिए जो पत्र ब्रिटिश-साम्राज्य के विरोधी हैं, उन्हें इसका सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

जमैका, फ़ीजी, माल्टा आदि के देशी भाषा के और स्वतंत्र पत्रों के ख़िलाफ़ वहाँ की सरकारों ने जो दमनकारी कार्रवाइयाँ कीं, उनके संबंध में भी संघ ने आवश्यक कदम नहीं उठाये।

भारतीय पत्रकार संघ (Indian Journalists Association) २६९ बी, बहू बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता; अध्यक्ष : श्री मणीन्द्रनारायण राय, मंत्री : श्री धीरेन्द्रनाथ दास गुप्ता।

हमारे देश की पत्रकार-संस्थाओं में यह संघ प्राचीनतम होने के साथ-साथ अग्रणी भी है। यह संघ १८ जून १९२२ को प्रसिद्ध मज़दूर-नेता और 'अमृत बाज़ार पत्रिका' के उप-संपादक श्री मृणालकांति बसु के प्रयत्नों से स्थापित हुआ था। इसके विकास में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उस समय इसके उद्देश्य थे—पत्रकारों में परस्पर भ्रातृ-भाव उत्पन्न करना, उनके हितों की रक्षा व पत्रकारिता का मानदंड ऊँचा उठाना तथा देशोन्नति में यथासंभव ठोस योग देना।

संघ के कुछ महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य इस प्रकार हैं:—

कांग्रेस के असहयोग-आन्दोलन के समय जब देशभक्त संपादकों और मुद्रकों पर नित्य नये राजद्रोहात्मक अभियोग लगा कर उन्हें जेल भेजा जा रहा था, समाचारपत्रों को चेतावनी दी जा रही थी, भारी-भारी जमानतें माँगी जा रही थीं, ऐसे अवसर पर संघ ने समाचारपत्रों की स्वतंत्रता का अपहरण करने वाले इन दमनकारी क़ानूनों का प्रचंड विरोध किया था।

संघ के तत्त्वावधान में दो अखिल भारतीय सम्मेलन हुए। प्रथम

सम्मेलन जनवरी १९२९ में 'इंडियन डेली मेल' के संपादक श्री नटराजन् और दूसरा अगस्त १९३५ में 'लीडर' संपादक श्री सी० वाई० चिंतामणि के सभापतित्व में हुआ। इन सम्मेलनों में समाचारपत्रों के न्यायसंगत अधिकारों की रक्षा, विशेषाधिकार अधिनियम तथा अन्य दमनकारी प्रतिक्रियावादी क़ानून पर, जो समाचारपत्रों के लिए घातक थे, वादविवाद हुआ और इनका विरोध किया गया। १ मई १९३० को 'माडर्न रिव्यू' के संपादक श्री रामानंद चट्टोपाध्याय के सभापतित्व में एक सभा की गयी थी, जिसमें समाचारपत्रों से प्रार्थना की गयी थी कि वे विशेषाधिकार अधिनियम के विरोध में अपने पत्रों का प्रकाशन स्थगित रखें, जब तक कि सरकार इसे वापस न ले ले या संपादकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बैठ कर इस पर अन्य कोई निर्णय न करे। इस प्रस्ताव के अनुसार बंगाल के प्रमुख पत्रों ने तीन सप्ताह तक अपना प्रकाशन स्थगित रखा था। २० मार्च १९२९ को प्रसिद्ध मेरठ-षड्यंत्र-केस में इसके मंत्री श्री किशोरीलाल घोष गिरफ़्तार कर लिये गये और संघ के कार्यालय की तलाशी भी हुई। महत्त्व के काग़ज-पत्र और पुस्तकें आदि पुलिस उठा ले गयी।

सन् १९३६ में संघ ने संशोधित विधान स्वीकृत कर अपने उद्देश्यों की अभिवृद्धि के साथ-साथ कार्यक्षेत्र भी बढ़ाया। प्रथम बार श्रमजीवी पत्रकारों की हित-रक्षा के लिए न्यूनतम वेतन व कार्य के घंटे आदि निश्चित करने में योग दिया। उनकी सुख-सुविधाओं के लिए आवाज ही नहीं उठायी, सक्रिय कार्य भी किया, जो कि आज भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ कर रहा है। १९४६ में समाचारपत्र-कर्मचारी-सहकार-समिति भी स्थापित की जो उनके कल्याण के लिए अनुकरणीय कार्य कर रही है।

संघ की ओर से निम्न पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ :—

१ न्यूज़पेपर टर्मिनोलोजी,

२ न्यूज़ रेकार्डर,

३ प्रेस एंड इट्स प्रोब्लेम्स,

इसके अतिरिक्त गत महायुद्ध-काल में समस्त भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेज़ी शब्दों के पर्यायों में

एकरूपता लाने का प्रयत्न भी किया था। इन शब्दों का समावेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित और डा० सत्यप्रकाश द्वारा संपादित 'समाचारपत्र शब्दकोश' के दूसरे संस्करण में किया गया है।

गत तीन-चार वर्षों से संघ कलकत्ता के विभिन्न अस्पतालों में बीमार श्रमजीवी पत्रकारों की समुचित चिकित्सा के लिए पलंगों की व्यवस्था करने के लिए संलग्न है। २१,७००) की लागत से दो पलंगों की व्यवस्था हो गयी है। एक जादव क्षय अस्पताल में और दूसरा आर० सी० कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है। इस कार्य में कलकत्ता के व्यवसायियों का आर्थिक सहयोग मिला है। जुलाई १९५३ में कलकत्ता के पत्रकारों के साथ पुलिस ने जो अशोभनीय व्यवहार किया था, उसके विरोध में समाचारपत्रों की एक दिन की हड़ताल का नेतृत्व करने का श्रेय संघ को है। राज्य सरकार को भी जाँच-आयोग की नियुक्ति के लिए संघ ने अपने प्रभाव का उपयोग कर प्रेरित किया। इस समय यह संघ भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ से संबद्ध है और उसकी कार्य-समिति में इसके चार सदस्य हैं।

हिंदी समाचारपत्र संग्रहालय, कसारहट्टा रोड, पो.बा. १०, हैदराबाद-२, अध्यक्ष : श्री बनारसीदास चतुर्वेदी एम० पी०, मंत्री : श्री बंकटलाल ओझा।

हिंदी पत्रकारकला के क्षेत्र में गत १२५ वर्षों की प्रगति के विधिवत् अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के हेतु इस संस्था की स्थापना १९३५ में हिंदी समाचारपत्र-प्रदर्शनी के नाम से हुई थी। १९४९ के हैदराबाद हिंदी साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर इसके विशाल संग्रह को हिंदी-सेवियों ने एक स्थायी संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। इसके उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:—

१. हिंदी समाचारपत्रों का संग्रह और प्रदर्शन, प्रचार व प्रसार;

२. हिंदी पत्रकारकला के इतिहास का संकलन और प्रकाशन;

३. हिंदी पत्रकारों की जीवन-संबंधी सामग्री, हस्तलिपि और चित्रों आदि का संग्रह और प्रदर्शन।

अब तक लगभग ३००० पत्रों के प्रथमांक, विशेषांक तथा अंतिमांक संगृहीत हो चुके हैं।

संग्रहालय में नियमित रूप से भेंट आने वाले देश-विदेश के पत्रों की सजिल्द फाइलें रखने का समुचित प्रबंध है।

पत्रकारकला संबंधी अलभ्य पुस्तकों का भी अच्छा संग्रह है।

संग्रहालय की ओर से समाचारपत्रों के विस्तृत और प्रामाणिक इतिहास का संकलन, संपादन और संशोधन हो रहा है, जो १०"×७।।" आकार के लगभग २००० पृष्ठों में प्रकाशित होगा। इसके प्रथम चरण के रूप में हिंदी समाचारपत्र सूची भाग १ (१८२६–१९२५) को हिंदी पत्रकार जगत् के सम्मुख विचारार्थ और संशोधनार्थ रखा गया। फलस्वरूप अनेक महत्त्वपूर्ण संशोधन, सुझाव और अलभ्य सामग्री प्राप्त हुई। इस प्रकाशन को उत्तर प्रदेशीय सरकार ने ५००) के पुरस्कार से सम्मानित किया है। दूसरे भाग का संपादन चल रहा है। इसमें १९२६ से अब तक के पत्रों का विवरण रहेगा।

भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र समाज (Indian & Eastern Newspaper Society) पो० बा० ६९; २७, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली। अध्यक्ष : श्री सी. आर. श्रीनिवासन।

भारत, बर्मा और श्रीलंका के समाचारपत्रों के विकास तथा उनके व्यापारिक हितों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय संगठन के रूप में इस समाज की स्थापना १४ समाचारपत्रों द्वारा फरवरी १९३९ में हुई। इसने अल्पकाल में ही अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य तत्परता से सम्पन्न किये। समाचारपत्र उत्पादन के क्षेत्र में अनेक लाभकारी और नवीन प्रक्रियाओं का समावेश कर उनके उत्थान में योग दिया। युद्धारंभ के अवसर पर इसका अस्तित्व समाचारपत्रों के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुआ। क्योंकि युद्ध के कारण अनेक विकट समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं थीं, विशेषकर विदेशों से अखबारी कागज मँगाने की समस्या। इस विषय में समाज ने अथक प्रयत्न किया और अपने सदस्यों को अखबारी कागज मँगा कर देने में उसे सफलता प्राप्त हुई।

भारतीय समाचारपत्रों के विकास और उत्थान में समाज की गौरवशाली देन है:—

१. प्रेसट्रस्ट ऑफ़ इंडिया, और

२. आडिट ब्यूरो ऑफ़ सरक्युलेशन की स्थापना,

ये दोनों संगठन समाज के वर्षों के सतत् प्रयास के फल हैं । इसी प्रकार विज्ञापन-कर को रद्द कराने में भी समाज को आशातीत सफलता प्राप्त हुई।

भारतीय विज्ञापन-व्यवसाय को स्थिर बनाने और उसमें फैली हुई बुराइयों को दूर करने में भी समाज को बहुत हद तक सफलता प्राप्त हुई। भारतीय विज्ञापन व्यवसायी संघ आदि के सहयोग से विज्ञापन-व्यवसायियों और समाचारपत्रों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने में भी इस समाज को सफलता मिली है ।

अखिल भारतीय समाचारपत्र संपादक-सम्मेलन (All India Newspaper Editors Conference) ५०-५१ थियेटर केम्यूनिकेशन बिल्डिंग कनाट प्लैस, नई दिल्ली–१ । अध्यक्ष : श्री ए० डी० मणि, मंत्री : श्री डॉ० आर० मनकेकर ।

१९४० में तत्कालीन भारत सरकार ने महात्मा गाँधी द्वारा संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन के समाचारों पर कठोर प्रतिबंध (सेंसर) लगा दिया था । इससे उत्पन्न विषम परिस्थिति को दूर करने और समाचारपत्रों के हित-संरक्षण के लिए अखिल भारतीय समाचार-पत्रों के संपादकों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र समाज के तत्कालीन अध्यक्ष श्री देवदास गाँधी के प्रयत्नों से 'हिन्दू' के संपादक श्री कस्तूरी श्रीनिवासन् के सभापतित्व में हुआ । इसमें ५० से अधिक समाचारपत्र-संपादकों ने भाग लिया । महात्मा गाँधी के निजी सचिव और हरिजन-पत्रों के संपादक श्री महादेव देसाई ने भी इसकी प्रारंभिक कार्रवाई में भाग लिया था और अपने भाषण के बाद कुछ नीति-संबंधी मतभेद के कारण उठ कर चले गये थे। इस सम्मेलन के फलस्वरूप अखिल भारतीय समाचारपत्र-संपादक-सम्मेलन की स्थापना १९४० में हुई और इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री कस्तूरी श्रीनिवासन् निर्वाचित हुए । भारत सरकार ने भी पत्र संपादकों के इस संगठन का स्वागत किया । सरकार और पत्र संपादकों के बीच परस्पर सहयोगात्मक समझौते की बातचीत चली। भारत सरकार और अनेक प्रान्तीय सरकारों की स्वीकृति से सभी प्रान्तों में समाचारपत्र सलाहकार समितियों (Press

Advisory Committees) की स्थापना की योजना बनी। प्रान्तीय सरकारों को समाचारपत्र-संबंधी सभी मामलों में सलाह देना इन समितियों का कर्तव्य था। भारत सुरक्षा अधिनियम और अन्य अनेक आपतकालीन अधिनियमों द्वारा सरकार के अनधिकार हस्तक्षेप से समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को इन समितियों ने सफलता के साथ पूर्ण किया।

भारतीय संविधान में प्रदत्त विचार स्वातंत्र्य के प्रकटीकरण के मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने का सम्मेलन ने अपने जून १९५१ के विशेषाधिवेशन में विरोध प्रकट किया और निश्चय किया कि समाचारपत्र सलाहकार समितियों के कार्य को स्थगित कर दिया जाए। इस निश्चय में मार्च १९५२ की स्थायी समिति ने यह परिवर्तन किया कि इन समितियों के कार्य को पुनः उचित परिवर्तन के साथ चालू किया जाए।

सम्मेलन की स्थायी समिति में २८ सदस्य होते हैं। जिनमें २१ का चुनाव खुले अधिवेशन में होता है और ७ सदस्यों को अध्यक्ष मनोनीत करता है। यह समिति ही कार्य-समिति का कार्य भी करती है। अब तक इसके अध्यक्ष-पद को निम्न लिखित व्यक्तियों ने सुशोभित किया है—

१. श्री कस्तूरी श्रीनिवासन्, संपादक 'हिंदू' १९४०–४३;

२. श्री सैयद अबदुल्ला ब्रेलवी, संपादक 'बंबई क्रॉनिकल' १९४३-४५;

३. श्री तुषारकांति घोष, संपादक 'अमृत बाज़ार पत्रिका', १९४५–४७;

४. श्री देवदास गाँधी, संपादक 'हिन्दुस्तान टाइम्स', १९४७–४९;

५. श्री सी० आर० श्रीनिवासन्, संपादक, 'स्वशेमित्रन्' १९४९-५१;

६. श्री देशबंधु गुप्त, संपादक, 'इंडियन न्यूज़ क्रॉनिकल', १९५१–५२;

७. श्री ए० डी० मणि, संपादक 'हितवाद', ११५२ से अब तक।

अखिल भारतीय हिन्दी-पत्रकार-संघ : अध्यक्ष : श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, एम. पी., १२३, नार्थ एवन्यु, नई दिल्ली।

अन्य पत्रकार संस्थाओं की तरह इसका अस्तित्व भी युद्धजन्य समस्याओं के निराकरण के लिए ही हुआ। प्रथम अधिवेशन दिल्ली

में २६, २७ जनवरी १९४१ को 'विश्वमित्र'-संचालक श्री मूलचन्द अग्रवाल के सभापतित्व में हुआ, जिसमें पत्रों पर सरकारी प्रतिबंध, अख़बारी काग़ज़, विज्ञापन, समाचारपत्र-सलाहकार-समिति-प्रणाली आदि पर प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। सन् १९४२ में दूसरा अधिवेशन भी दिल्ली में ही हुआ, जिसमें पत्रकारों का न्यूनतम वेतन ४०) निर्धारित किया गया।

तीसरा अधिवेशन सन् १९४३ में कलकत्ता में हुआ। इसमें न्यूनतम वेतन तथा पत्रकार-सहायता-सेवा-कोष आदि के प्रश्नों पर संचालकों और श्रमजीवी पत्रकारों के बीच तनाव पैदा हो गया। प्रोवीडेंट फंड, मँहगाई भत्ता आदि पर प्रस्ताव स्वीकृत हुए। पत्रकारों का न्यूनतम वेतन भी ४०) से ५०) कर दिया गया। पत्रकारों की आर्थिक जाँच के लिए एक समिति बनायी गयी, जिसमें पत्र-संचालक और श्रमजीवी पत्रकार दोनों थे। इस समिति के एक सदस्य श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी ने लाहोर, दिल्ली, झाँसी, कानपुर, प्रयाग, लखनऊ, काशी, गोरखपुर, पटना आदि स्थानों की यात्रा की तथा पत्र-व्यवहार द्वारा कलकत्ता, बंबई, वर्धा आदि क्षेत्रों के पत्रकारों की स्थिति ज्ञात की। समिति ने अपना सर्व सम्मत प्रतिवेदन संघ के चौथे अधिवेशन, जो कानपुर सन् १९४४ में हुआ, पेश किया। पत्रकारों की आर्थिक स्थिति से संबंधित यह प्रथम प्रतिवेदन था। खेद है कि कानपुर अधिवेशन में इस प्रतिवेदन पर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय न हो सका। संचालकों और श्रमजीवियों का अनुपात संघ की कार्य-समिति में समान हो गया। संचालक संघ की प्रवृत्ति से उदासीन रहे और पत्रकार आर्थिक कठिनाइयों के कारण पराधीन थे, भाग नहीं ले सके और इस कारण संघ का कार्य ठप्प हो गया।

पाँचवाँ अधिवेशन मथुरा में सन् १९४५ के दिसंबर में पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के सभापतित्व में हुआ। यहाँ से संघ विशुद्ध श्रमजीवी पत्रकारों का संगठन बन गया। संघ के विधान में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन कर उसे जनतंत्रात्मक बनाया गया। देश-भर में फैले हुए स्थानीय और प्रान्तीय हिन्दी-पत्रकार-संघों का संगठन कर उन्हें इससे सम्बद्ध किया गया। इसके अध्यक्ष-पद को उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त श्री श्रीकृष्ण

दत्त पालीवाल और प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने भी सुशोभित किया है। भारतीय श्रमजीवी-पत्रकार-महासंघ के नये संघठन में इसके कार्यकर्ताओं के संलग्न हो जाने से इसका कार्य आजकल ठंडा-सा है।

भारतीय भाषा-समाचारपत्र-संघ (Indian Languages News Paper Association) अध्यक्ष : श्री ए० आर० भट्ट : प्र० मंत्री : श्री रतिलाल एम० शाह, श्री वी० के० साठे, जन्मभूमि भवन, घोगा स्ट्रीट, बंबई–१।

भारतीय भाषाओं के पत्रों के प्रति अंग्रेज़ी सरकार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार तो सर्व विदित ही है, इसी उपेक्षापूर्ण वृत्ति को दूर करने के निमित्त यह संघ भारतीय भाषाओं के पत्रों के हित-संरक्षण और उचित प्रतिनिधित्व के लिए सन् १९४१ में स्थापित हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष गुजराती 'जन्मभूमि' के तत्कालीन संपादक श्री अमृतलाल दलपतभाई सेठ थे।

महायुद्ध में अख़बारी काग़ज़ के अकाल से सभी समाचारपत्रों, विशेष कर भारतीय भाषाओं के पत्रों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न खड़ा हो गया था। ऐसे समय संघ ने भारत-सरकार के पास प्रभावशाली प्रतिनिधित्व कर अपने सदस्यों के लिए २५०० हज़ार टन अख़बारी काग़ज़ का कोटा प्राप्त किया। अख़बारी काग़ज़-नियंत्रण-अधिनियम से उत्पन्न समस्या पर भी सरकार को ठोस सुझाव दिये, जिससे छोटे-छोटे पत्रों के प्रति न्यायसंगत व्यवहार हो सका।

अनेक समितियों, आयोगों और सम्मेलनों आदि में इसके प्रतिनिधि भारत-सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अख़बारी काग़ज़-सलाहकार-समिति में संघ का प्रतिनिधित्व है। समाचारपत्र-आयोग के एक सदस्य संघ के अध्यक्ष श्री ए० आर० भट्ट थे।

जब देवनागरी लिपि में तार नहीं लिये जाते थे, तब भारतीय भाषाओं के पत्रों के लिए उनकी भाषा के तार रोमन लिपि में लेने की व्यवस्था भी संघ ने सरकार से करायी थी।

बंबई-राज्य में मासिक पत्रों पर बिक्री-कर था, उसे रद्द कराने में संघ ने प्रशंसनीय कार्य किया। भारतीय समाचारपत्र-सहकार-समिति

लि० का, जो समाचारपत्रों को अखबारी कागज़ देनेवाली संस्था है, जन्मदाता भी यही संघ है।

भारतीय समाचारपत्र सहकारिता-समाज लि० (Indian Newspaper Co-operative Society Ltd.), जन्मभूमि भवन, घोगा स्ट्रीट, बंबई—१; अध्यक्ष : श्री ए० आर० भट्ट, मंत्री : श्री रतिलाल एम० शाह।

भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को विदेशों से अखबारी कागज़ आयात करके देने वाली, सहकारिता के ढंग पर संगठित, यह इस देश की एकमात्र संस्था है। इसके सदस्यों में देश की सभी भाषाओं के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि, अधिकांश में छोटे-छोटे पत्र हैं। इसकी स्वीकृत पूंजी २,००,०००) है, जो १००) के २००० हिस्सों में विभाजित है।

भारतीय श्रमजीवी-पत्रकार महासंघ (Indian Federation of Working Journalists) १५, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली-१, अध्यक्ष : श्री एम० चलपतिराव, महामंत्री : श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी।

भारतीय पत्र-जगत् में व्यावसायिकता के प्रवेश ने पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार के रूप में संगठित होने के लिए बाध्य किया। कई वर्षों तक देश के पत्रकारों में इसकी चर्चा होती रही। हिन्दी-पत्रकार-जगत् में इस आन्दोलन का सूत्रपात पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने किया और "विशालभारत" तथा "मधुकर" द्वारा इस ओर लोकमत को आकर्षित किया। उत्तर-प्रदेशीय पत्रकार-संघ तो विशुद्ध श्रमजीवी पत्रकार संघ के रूप में अपने जन्म-काल १९४२ से ही कार्य करता आ रहा है। इसके प्रथम अध्यक्ष भी चतुर्वेदी जी ही थे और सहकारी थे श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी।

दिल्ली पत्रकार-संघ के आमंत्रण पर श्रमजीवी पत्रकारों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में २८ अक्टूबर, १९५० को हुआ। इसमें २३ प्रान्तीय और स्थानीय पत्रकार-संघों ने भाग लिया था। स्वागताध्यक्ष राणा जंगबहादुर सिंह (सं० 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया', दिल्ली) और सभापति श्री एम० चलपतिराव (सं० 'नेशनल हेरल्ड', लखनऊ) थे। दोनों ने अपने भाषणों में पत्रकारों की वर्तमान असंगठित अवस्था पर खेद प्रकट करते हुए श्रमजीवी पत्रकारों के संगठन पर

ज़ोर दिया था।

इस सम्मेलन में २३ प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिनमें श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की स्थापना का प्रस्ताव मुख्य था। विधान आदि बनाने के लिए प्रारूप-समिति निर्मित करने का अधिकार सभापति को दिया गया। प्रस्तावित महासंघ के निम्न उद्देश्य स्वीकृत हुए :—

(क) पत्रकार-वृत्ति की प्रामाणिकता और प्रतिष्ठा की रक्षा करना;

(ख) श्रमजीवी पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके कल्याणकारी कार्यों को उन्नत करना;

(ग) पत्रकारिता-संबंधी सभी प्रश्नों पर श्रमजीवी पत्रकारों का दृष्टिकोण केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्मुख प्रभावशाली ढंग से रखना;

(घ) संसार के श्रमजीवी पत्रकारों से सम्पर्क स्थापित करना;

(ङ) समाचारपत्र-स्वातंत्र्य की रक्षा करना।

संचालकों से श्रमजीवी पत्रकारों को आवश्यक सुविधाएँ देने, और सरकार से श्रमजीवी पत्रकारों की दशा की जाँच करने व उनके संबंध में क़ानून बनाने, और समाचारपत्र-अधिनियम, तथा समाचारपत्रों की स्वाधीनता का अपहरण करनेवाले अन्य क़ानूनों तथा आदेशों को हटाने की माँग की गयी। पत्रकारों की शिक्षा, वजीफ़े आदि के लिए भी सुझाव दिये गये। समाचारपत्र-सलाहकार-समितियों में श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधित्व की माँग की गयी तथा पत्रकारों को रक्षित निधि (प्रोवीडेंट फंड) विधेयक में स्थान देने, रविवार को छुट्टी रखने व संवाददाताओं के अधिकारीकरण में पत्रकार-संगठनों की राय को मान्यता देने की माँग भी की गयी।

दूसरा विशेष अधिवेशन बंबई में १६ अप्रैल, १९५१ को हुआ। इसमें ५० प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिन्होंने सर्वसम्मति से श्रमजीवी-संघ (Trade Union) का सिद्धान्त और विधान स्वीकृत किया। इसका मुख्य अंश इस प्रकार है:

नाम: इसका नाम भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ (Indian Federation of Working Journalists) होगा।

संगठनः इसमें प्रत्येक राज्य या प्रादेशिक संगठन, जो श्रमजीव-संघ की भाँति रजिस्टर्ड हो संबद्ध हो सकेगा। प्रत्येक संघ को अपने प्रति सदस्य २) महासंघ को देना होगा।

सदस्य : प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकार, जो किसी समाचारपत्र या समाचार-संग्रह-संगठन में कार्य करता है; प्रूफ़ रीडर, व्यंग्य-चित्रकार, छविकार (फोटोग्राफ़र), जो ऐसे किसी संगठन में कर्मचारी है तथा स्वतंत्र लेखक व संवाददाता जिसके जीवन-यापन का मुख्य साधन पत्रकारिता है, संबद्ध संगठनों का साधारण सदस्य हो सकता है। उसकी आयु २१ वर्ष होनी चाहिए और उसने कहीं १ वर्ष पत्रकार की भाँति कार्य किया हो। जो व्यक्ति किसी समाचारपत्र का संचालक, स्वामी या स्वामित्व-प्राप्त प्रबंध-संपादक है, वह इस संगठन का सदस्य नहीं बन सकता। पत्रकारों की किसी सहयोगी संस्था में उन पत्रकारों के लिए जो वहाँ कर्मचारी की भाँति काम भी करते हैं स्वामित्व के हितों का रखना सदस्यता के लिए अवैध न होगा।

प्रधान कार्यालय: महासंघ का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में होगा।

प्रतिनिधि: प्रत्येक संघ अपने प्रति दस सदस्यों पर एक के हिसाब से अपने प्रतिनिधि वार्षिक सम्मेलन में भेज सकेगा।

संघीय कार्यकारिणी समितिः प्रति १०० सदस्य पर एक प्रतिनिधि संबद्ध संघों द्वारा चुना जाएगा। इसमें पाँच सदस्य प्रतिनिधियों में से तथा पाँच अध्यक्ष की इच्छानुसार सम्मलित किये जाएँगे।

अध्यक्षः अध्यक्ष का निर्वाचन संबद्ध संघों के सदस्य करेंगे।

कार्य समितिः दैनंदिन कार्य में अध्यक्ष की सहायता के लिए १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति होगी, जिसकी नियुक्ति वह करेगा। इस समिति में दो उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, दो मंत्री तथा एक कोषाध्यक्ष होंगे।

प्रमाणीकरण (Credential) समिति : संघीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित पाँच सदस्यों की यह समिति सदस्यता-संबंधी विवादों पर विचार करेगी।

तीसरा अधिवेशन १२ अप्रैल, १९५२ को कलकत्ता में हुआ।

श्री एम० चलपतिराव पुनः अध्यक्ष चुने गये । एक १४ सूत्री प्रस्ताव द्वारा प्रथम अधिवेशन में स्वीकृत समाचारपत्र उद्योग की जाँच के लिए आयोग की माँग को पुनः दोहराया गया तथा जाँच के लिए संबंधित विषयों के सुझाव भी दिये गये ।

चौथा अधिवेशन २६ मई, १९५३ को त्रिवेन्द्रम में हुआ, जिसका उद्घाटन त्रिवांकुर-कोचीन के राजप्रमुख ने किया । श्री एम० चलपति राव अध्यक्ष-पद के लिए पुनः निर्वाचित हुए ।

'इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स, प्राग' का निमंत्रण महासंघ को उससे संवद्ध होने के लिए प्राप्त हुआ था, और इसी प्रकार 'प्रेपेरेटरी कमेटी ऑफ़ दी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ़ जर्नलिस्ट्स' का, जो ब्रेसल्स में ४ मई १९५२ में अधिवेशन हुआ था, निमंत्रण मिला । मगर महासंघ ने परस्पर-विरोधि नीति के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया ।

क़ानूनी सलाहकार समिति : १९५१ से पत्रकारों और उनके संघों को निःशुल्क क़ानूनी सलाह प्रदान कर आपत्काल में उनकी सराहनीय सेवा कर रही है ।

समाचारपत्र आयोग: महासंघ के प्रतिनिधि के रूप में इसके अध्यक्ष श्री एम० चलपतिराव भी समाचारपत्र आयोग के एक सदस्य थे ।

पाँचवां अधिवेशन ३१ अक्टूबर, १९५४ में बंबई में श्री एम० चल-पतिराव की अध्यक्षता में हुआ । बंबई के प्रधान न्यायाधीश श्री एम० सी० छागला ने उद्घाटन किया । पत्र-आयोग की सिफारिशों को अविलंब लागू करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।

भारतीय पत्रकार संघ-ग्रेट ब्रिटेन (Indian Journalists Association of Great Britain, Salisbury Square House, Salisbury Square, Fleet Street, London, E. C. 4.) इंग्लैंड में भारतीय पत्रकारों की संस्था, स्थापना : १९४७, वार्षिक शुल्क २ पौंड, सहायक शुल्क १ पौंड ; अध्यक्ष : डा० ताराचन्द बसु ; मंत्री : श्री रमेश संघवी ; हिन्दी पत्रों के लंदन-प्रतिनिधि : 'अमृत पत्रिका' श्री चन्द्रन थारुर ; 'नवराष्ट्र' और 'आज' श्री ओमप्रकाश ; सन्मार्ग श्री एस० ए० गोरीसरीया ।

भारत में समाचार-वितरण-व्यवसाय

क्रमिक विकास : आधुनिक समाचार-वितरण-व्यवसाय का कार्य भारत में सर्वप्रथम रायटर ने १८६६ में अपना कार्यालय बंबई में खोल कर आरंभ किया था। उसका पहला ग्राहक कोलंबो का "सीलोन आब्जर्वर" था। तब श्रीलंका भारत का ही एक अंग था। उस समय यूरोप से तार की दर प्रति शब्द एक पौंड (लगभग १३)-१४)) थी। अतः यहाँ के पत्रों के लिए यह विशेष उपयोगी नहीं था।

बीसवीं सदी के प्रारंभ में प्रयाग का 'पायनियर' ही एक मात्र ऐसा पत्र था जिसके संवाददाताओं का जाल सारे देश में था। इन संवाददाताओं में श्री हावर्ड हेन्समेन ने अच्छी सफलता प्राप्त की थी। 'पायनियर' के बढ़ते हुए प्रभाव से प्रभावित हो कर "स्टेट्समैन" ने श्री इवरर्ड कोट्स और "इग्लिशमेन" ने श्री एडवर्ड बक—बाद में सर—को अपना संवाददाता नियुक्त किया था। वे अपने पत्रों के अतिरिक्त लन्दन के पत्रों और समाचार-व्यवसायियों और साथ-साथ प्रान्तीय सरकारों को भी समाचार बेचा करते थे। अतः दोनों ने मिल कर इंडियन न्यूज़ एजेन्सी (आई० एन० ए०) की स्थापना की।

दूसरी ओर श्री क्षितीशचन्द्र राय ने भी, जो कि "इंडियन डेली न्यूज़" के श्री डलस के सहकारी और भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में आधा दर्जन भारतीय पत्रों के संवाददाता थे—अपने पत्रों को सस्ते में समाचार भेजने के लिए असोशिएटेड प्रेस ऑफ़ अमेरिका के ढंग पर एक छोटी-सी न्यूज़ सर्विस चालू की। इन दोनों में भयंकर प्रतियोगिता चली, जिससे तंग आ कर श्री कोट्स और श्री राय ने इसी में अपना कल्याण समझा कि दोनों को मिला कर एक शक्तिशाली और सुसंगठित न्यूज़ एजेन्सी स्थापित की जाए। तदनुसार १९१० में कलकत्ता में असोशिएटेड प्रेस ऑफ़ इंडिया (अ० प्रे० इं०) का जन्म हुआ। श्री कोट्स कुछ दिनों तक आई० एन० ए० के नाम से सरकारों को समाचार वितरण करते रहे और अन्त में अ० प्रे० इं० ने पूरा

कार्य सँभाल लिया। आगे चल कर श्री कोट्स और श्री राय में भागीदारी और नियंत्रण व संचालन को ले कर मतभेद हो गया। श्री राय ने अलग हो कर 'इंडियन प्रेस ब्यूरो' की स्थापना की। इसमें उन्हें सभी राष्ट्रीय पत्रों का सहयोग मिला। श्री राय की सफलता को देख कर श्री कोट्स घबरा गये और उन्होंने श्री राय की शर्तें स्वीकार कर लीं। श्री राय ने इं० प्रे० ब्यू० को भंग कर सारे संगठन को पुनः अ० प्रे० इं० में मिला दिया। तार विभाग अपने यहाँ रजिस्टर्ड पत्रों के ही "मूल्य बाकी" के तार भेजने की सुविधाएँ देता था। समाचार-समितियों के लिए यह सुविधा श्री राय के प्रयत्नों से मिली। श्री राय अ० प्रे० इं० के प्रबंध-संचालक और श्री उषानाथ सेन—बाद में सर—प्रधान संपादक थे। १९३१ में श्री राय के स्वर्गवास पर दोनों पद श्री सेन ने सँभाल लिये। १९१९ में श्री कोट्स का हिस्सा रायटर ने ख़रीद लिया। एक या दूसरे कारणों से अ० प्रे० इं० का नाम के लिए स्वतंत्र अस्तित्व था, वास्तव में अ० प्रे० इं० रायटर में समा गया था। लन्दन के विदेश विभाग द्वारा संकलित समाचार "ब्रिटिश ओफिशियल वायरलेस" के नाम से नाममात्र के मूल्य पर भारत के समाचारपत्रों को रायटर—अ० प्रे० इं० द्वारा वितरित किये जाने लगे। अ० प्रे० इं० ने भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन को कुचलने में सरकार को पर्याप्त सहयोग दिया।

राष्ट्रीय समाचार-वितरण के लिए प्रयत्न : (फ्री प्रेस ऑफ़ इंडिया) समाचारपत्रों के प्रभाव को देख कर देशभक्त चुप नहीं बैठे रहे और उन्होंने भी कांग्रेस न्यूज़ सर्विस चालू की, परन्तु वह अधिक दिन चल न सकी। १९२३ में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, श्रीमती एनी बेसन्ट, सेठ घनश्यामदास बिड़ला, सर फ़िरोज शेठना, श्री बालचन्द हीराचन्द आदि के सहयोग से "रंगून मेल" के संपादक श्री एस० सदानन्द ने, जो अ० प्रे० इं० में ४ वर्ष तक कार्य कर चुके थे, 'फ्री प्रेस ऑफ़ इंडिया' नामक समाचार-समिति स्थापित की। यह १९३३ तक काम करती रही। साइमन कमीशन जब १९२८-२९ में भारत का दौरा कर रहा था तो श्री सदानन्द भी इसके साथ-साथ रहते थे। वे कमीशन की सार्वजनिक बैठकों

के समाचार बड़ी निर्भयता के साथ भेजा करते थे, जिससे अंग्रज़ी-सरकार परेशान हो उठी और गुप्त रहस्योद्‌घाटन के अभियोग पर कमीशन की सार्वजनिक बैठकों में उनका प्रवेश रोक दिया । फ्री प्रेस ऑफ़ इंडिया ने १९३२ में लन्दन के एक्सचेंज टेलीग्राफ़, सेन्ट्रल न्यूज़ तथा ब्रिटिश युनाइटेड प्रेस से विदेशी समाचारों के विनिमय के लिए वहाँ कार्यालय खोल कर भारत में आने वाले विदेशी समाचारों पर रायटर के एकाधिकार को चुनौती दी थी, जिसे ब्रिटिश सरकार कब सहन कर सकती थी ! १९३३ में यह सरकारी दमन का शिकार हो गयी । १९४५ में इसका कार्य पुन: आरंभ हुआ । विश्व के छह बड़े-बड़े नगरों में इसके संवाददाता नियुक्त किये गये । अब इसका कार्य फ्री प्रेस समाचार-पत्र समूह तक ही सीमित है । नवंबर १९४८ से न्यूयार्क इसका प्रधान कार्यालय है ।

फ्री प्रेस ऑफ़ इंडिया के बाद विदेशी समाचार-वितरण पर रायटर का एकाधिकार पुन: स्थापित हो गया, जो १९४२ तक रहा । उसी वर्ष महायुद्ध के कारण अमरीकी सैनिकों का पदार्पण भारत में हुआ । उनके साथ-साथ अमरीकी पत्रकार भी आये । 'असोशिएटेड प्रेस आफ़ अमेरिका' और 'युनाइटेड प्रेस ऑफ़ अमेरिका' ने अपने-अपने कार्यालय भारत में खोले और यहाँ के पत्रों को विदेशी समाचार देने लगे । अ० प्रे० अ० ने तो अपनी दूरमुद्रक प्रणाली के लिए अनेक प्रयत्न किये, मगर उसे आज्ञा नहीं मिली । अत: उसने अपना कारोबार समेट लिया । अब केवल यहाँ के प्रमुख-प्रमुख नगरों में उसके विशेष संवाददाता समाचार-संकलन कर अमेरिका भेजते हैं । यु० प्रे० अ० अब अपने समाचार 'टाइम्स आफ़ इंडिया' को देता है और बदले में भारतीय समाचार उससे लेता है ।

भारत के स्वाधीन होने के बाद यु० प्रे० इं० की दूरमुद्रक प्रणाली १९४८ में चालू हो गयी । ब्रिटिश रायटर के भारतीय दत्तक-पुत्र अ० प्रे० इं० का अंत भारतीय तथा पूर्वीय समाचारपत्र समाज के प्रयत्नों से हो गया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया ने जून १९४८ में उसका स्थान ग्रहण किया ।

हिंदुस्तान समाचार लि० की देवनागरी दूरमुद्रक-प्रणाली ४ जुलाई,

१९५४ को प्रथम बार दिल्ली और पटना के बीच चालू हुई ।

यह है भारत में आधुनिक समाचार वितरण-व्यवसाय का संक्षिप्त इतिवृत्त ।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (Press Trust of India), ३५७, डा० दादाभाई नौरोजी रोड, बंबई—१ ।

भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र-समाज के प्रयत्नों से भारत की स्वतंत्रता के बाद रायटर और उसका भारतीय संस्करण असोशिएटेड प्रेस ऑफ़ इंडिया के भारतीय समाचार-वितरण-व्यवसाय को भारतीय पत्रों ने ख़रीद लिया, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया की स्थापना की । इसके हिस्सेदार पत्र ही हैं, और प्रत्येक हिस्सा १००) का है, तथा कोई भी २५०००) से अधिक के हिस्से नहीं ख़रीद सकता । ऐसे हिस्सेदार को ५ से अधिक मत देने का अधिकार नहीं है । यह एक सेवा-वृत्ति वाला संगठन है । इसका लाभ हिस्सेदारों में न बँट कर केवल इसकी उन्नति में ही व्यय होता है ।

१९४८ में इसने रायटर के साथ समझौता कर साझेदारी की थी कि रायटर विश्व समाचार-समितियों का एक संघ होगा, और इसमें भारत, आस्ट्रेलिया आदि स्वायत्त इकाइयाँ समान हैसियत से सम्मलित होंगी । इस समझौते की तीन मुख्य बातें इस प्रकार थीं :—

१. काहिरा से सिंगापुर तक के क्षेत्र में समाचार-संकलन पर प्रेस ट्रस्ट की निर्णायक आवाज़ होगी;

२. भारत और पूर्व के देशों में समाचार देने के लिए एक स्वतंत्र भारतीय संवाद-समिति हो;

३. रायटर विश्व-संगठन में प्रेस ट्रस्ट की प्रभावशाली आवाज़ हो ।

यह समझौता अक्रियान्वित रहा । १९५२ में रायटर का प्रतिनिधि-मंडल भारत आया, और नये प्रस्ताव रखे, जिनके अंतर्गत प्रेस ट्रस्ट की लंदन-बैठक पर और भारतीय क्षेत्र पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो जाता । प्रेस ट्रस्ट ने इसे अस्वीकृत कर दिया । नये समझौते से प्रेस ट्रस्ट रायटर का साझेदार नहीं रहा, और २०,००० पौंड की वार्षिक बचत भी हो गयी है, जिससे प्रेस ट्रस्ट अपनी विदेशी संवाद-समिति विकसित कर

सकता है। रायटर के संकलित समाचारों पर अब प्रेस ट्रस्ट का नाम नहीं जाता।

संयुक्त राष्ट्र-संघ और कोरिया में प्रेस ट्रस्ट के संवाददाताओं के द्वारा भेजे गए समाचारों ने काफ़ी नाम पाया है। जापान तथा अन्य पूर्वी देशों को भारतीय समाचार बेचने के प्रयत्न जारी हैं। काहिरा से टोकियो तक के समाचारों के लिए अब प्रेस ट्रस्ट के अपने संवाददाता हैं, और रायटर पर निर्भर नहीं है।

इस समय ५३ नगरों को इसके दूरमुद्रकों द्वारा समाचार मिलते हैं। पत्रों के अतिरिक्त व्यवसायियों को भी बाज़ार-भाव और व्यापारिक समाचार दूरमुद्रक से देता है। १ फ़रवरी १९४९ को इसके कर्मचारियों की संख्या ६७० थी। पर १९५३ में ८७६ हो गयी। सारे देश में, इसके सब से अधिक संवाददाता हैं और विदेशों में भी १७ से अधिक देशों में इसके अपने संवाददाता हैं। पूर्व के कई देशों को प्रेस ट्रस्ट अपने बेतार-प्रेषण-यंत्र से संवाद भेजता है। प्रेस ट्रस्ट का एशिया में, प्रथम और विश्व में चौथा स्थान है।

इसके अध्यक्ष श्री रामनाथ गोयनका का कथन है कि प्रेस ट्रस्ट ग़ैर-दलीय, ग़ैर-राजनीतिक, मुनाफ़ा न कमाने वाली और अविवादास्पद राष्ट्रीय सेवा एवं सम्पदा है, जो ७०००) मासिक के घाटे से चल रहा है।

युनाइटेड प्रेस ऑफ़ इंडिया (United Press of India), ३४, गणेशचन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता—१३।

फ्री प्रेस के बंद हो जाने के बाद, डा० विधानचंद्रराय के, जो तब 'फार्वर्ड' के प्रबंध-संचालक थे, प्रयत्नों से कलकत्ता राष्ट्रीय पत्रों के संपादकों की बैठक में युनाइटेड प्रेस ऑफ़ इंडिया की स्थापना सितंबर १९३३ में हुई, और इसके प्रबंध-संचालक व प्रबंध-संपादक, फ्री प्रेस कलकत्ता शाखा के संपादक श्री विधुभूषणसेन गुप्त बनाये गये। प्रारंभ में इसके १६ ही ग्राहक थे—१० कलकत्ता और ६ लाहौर में। राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण इसका प्रारंभिक-काल अनेक विघ्न-बाधाओं और आर्थिक संकटों के बीच गुज़रा। देश के स्वाधीनता-संग्राम में इसका

महत्त्वपूर्ण योग रहा है। सन् १९४५ से इसने अपनी दूरमुद्रक-प्रणाली के लिए अनेक प्रयत्न किये पर राष्ट्रवादी नीति के कारण सफलता नहीं मिली। देश के स्वतंत्र होने के बाद १९४८ में इसकी दूरमुद्रक-प्रणाली का उद्घाटन डा० राजेन्द्रप्रसाद ने किया। आज सारे देश में इसके संवाददाताओं का जाल बिछा हुआ है, तथा ३२ नगर दूरमुद्रक से संबद्ध हैं। इस समय इसकी ग्राहक-संख्या १५० है। प्रेस ट्रस्ट के बाद भारत की सबसे बड़ी समाचार-वितरण-व्यवसायी संस्था है। यह विदेशी समाचार "एजेंसी फ्रांस प्रेस" से विनिमय कर अपने ग्राहकों को देता है। विदेशों में लंदन, रंगून आदि स्थानों में इसके कार्यालय हैं।

नियर एंड फ़ार ईस्ट न्यूज़ (एशिया) लि० (Near and Far East News (Asia) Ltd.) प्र० का० ७०, फोरबस स्ट्रीट, बंबई–१।

यह एक ब्रिटिश समाचार-वितरण व्यवसायी है, जिसने ग्लोब न्यूज़ एजेंसी का भारत में कार्यभार सँभाल लिया है। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी, मराठी, बंगला, तमिळ और उर्दू में भी यह समाचार देता है। विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की रहन-सहन और कार्य-कलाप पर संतुलित समाचार देना इसकी विशेषता है।

लोक समाचार-समिति (People's Press of India) १५, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली–१, शाखा का० : पो० बा० १०, हैदराबाद–२; प्र० संपादक : श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी; हैदराबाद-प्रतिनिधि : श्री बंकटलाल ओझा।

इसकी स्थापना सन् १९४६ में हुई थी। देशी राज्यों की उत्पीडित जनता की पुकार पत्रों तक पहुँचाना प्रारंभ में इसका मुख्य कार्य रहा। भारतीय स्वाधीनता के संक्रमणकाल में इसने देशी राज्यों की प्रजा की अच्छी सेवा की और विलय के पक्ष में जनमत तैयार किया। सारे देश में इसके संवाददाता हैं। समाचारों के साथ उनकी पृष्ठ-भूमि भी यह देती है। संसदीय, सांस्कृतिक और जन-जीवन-संबंधी समाचार, सामयिक लेख, चित्र आदि हिंदी और अंग्रेजी तथा भारतीय भाषा के पत्रों को देती है।

हिंदुस्तान समाचार लि० प्र० का० : २९, घोगा स्ट्रीट, बंबई–१। प्रबंध संचालक : श्री शिवराम शंकर आप्टे; प्रबंध-संपादक : श्री एन० बी०

लेले; व्यापार-व्यवस्थापक : श्री बालेश्वरप्रसाद अग्रवाल ।

इसकी स्थापना १९४८ में भारतीय भाषाओं के पत्रों को उन्हीं की भाषा में समाचार देने के उद्देश्य से हुई । हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, तेलुगू, मळयाळम और अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में यह समाचार देती है । इसकी देवनागरी दूरमुद्रक-प्रणाली का आरंभ ४ जुलाई, १९५४ में दिल्ली और पटना के बीच हो गया है । निकट भविष्य में अन्य नगरों को भी देवनागरी दूरमुद्रक से संवद्ध करने की योजना है । सारे देश में इसके ४०० से अधिक संवाददाता हैं, तथा ७० ग्राहक हैं । यह एक सेवा-वृत्ति वाली संस्था है, और अर्जित लाभ इसके सदस्यों में वितरण नहीं किया जाता । वह इसके उदेश्यों की पूर्ति के लिए, इसकी प्रगति में ही व्यय होता है । देश में इसकी १३ शाखाएँ हैं, तथा एक नेपाल की राजधानी काठमांडू में है ।

नेशनल प्रेस आँफ़ इंडिया, आर्यनगर, लखनऊ, सं० श्री विजयकुमार मिश्र, हिंदी का पुराना समाचार-व्यवसायी ।

असोशिएटेड न्यूज़ सर्विस, तुरुप बाज़ार, हैदराबाद—१ । सं० श्री सैयद रजाअली । उर्दू और अंग्रेज़ी में स्थानीय समाचार, स्थापना १९४९ ।

माडर्न न्यूज़ सर्विस, निज़ामशाही रोड, हैदराबाद—१ । सं० श्री गणपतराव । उर्दू और अंग्रेज़ी में स्थानीय समाचार ।

युनाइटेड न्यूज़ सर्विस, दीवान देवड़ी, हैदराबाद—२ । सं० श्री श्यामराव जोशी । उर्दू में स्थानीय समाचार ।

दक्कन न्यूज़ सर्विस, सिद्दंबर बाज़ार, हैदराबाद—१ । सं० श्री मिर्ज़ा महमूद बेग । उर्दू में स्थानीय समाचार, स्थापना १९२६ ।

आकाशवाणी-पत्रकारिता : १९३७ में भारत में आकाशवाणी समाचार-सेवा-संगठन की नींव पड़ी । तब दिल्ली से हिंदी और अंग्रेज़ी में ही समाचार प्रसारित होते थे । आज स्वदेश-सेवा में १६ भाषाओं में और विदेश-सेवा में ११ विदेशी भाषाओं में क्रमशः ४३ और २७ समाचार-पत्रिकाएँ प्रसारित होती हैं । अधिकाधिक संख्या में विशेष ढंग की आकाशवाणी-पत्रकारिता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । कुछ नगरों में आकाशवाणी-संवाददाता भी हैं ।

समाचार-संचार के विकास का इतिहास इतना विचित्र है, कि रंगून में हुई घटना का पता दिल्ली से भी पहले लंदन में होता है, क्योंकि सुदूर-पूर्व, मध्य-पूर्व और उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका के समाचार लंदन हो कर भारत आते हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को प्राप्त करने में भारत को कठिनाई होती है। अब समाचार-सेवा को राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अच्छे ढंग से संगठित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर तो संगठन में काफ़ी प्रगति हुई है, प्रादेशिक स्तर का अभी आरम्भ ही है। प्रादेशिक सेवाओं के विकास से पत्रों को बहुत सहायता मिल सकती है, क्योंकि आकाशवाणी अपने निजी संवाददाताओं द्वारा संग्रहीत समाचार पर अपने अधिकार संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। पत्रों द्वारा वह प्रकाशित किया जा सकता है।

समाचार-वितरण-व्यवसायी : संसार में छह समाचार-वितरण-व्यवसायी प्रधान हैं :—तीन अमेरिकी, एक ब्रिटिश, एक फ्रेंच, और एक रूसी। किन्तु इन छहों से संसार की आबादी के कुल ८ प्रतिशत को ही समाचार मिलते हैं, इसमें अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, जापान लेबनान, हांगकांग और बर्लिन भी हैं।

राष्ट्रीय समाचार-वितरण-व्यवसायी आर्थिक कारणों से असफल हो जाते हैं। उनके ऐसे ग्राहक होने चाहिए जो उन्हें कम-से-कम इतनी राशि तो देने को तैयार हों, जितनी, उन्हें समाचार-संचय में व्यय करनी पड़ती है। यदि अपना खर्च पूरा करने के लिए कोई समाचार-वितरण-व्यवसायी किसी सरकार से सहायता लेने को बाध्य होता है, या यदि कोई व्यक्ति निजी रूप से उसकी सहायता करता है, तो लोग उसकी सेवाओं पर संदेह करने लगते हैं। इसलिए यद्यपि अस्थायी रूप से सरकारी सहायता लेना व्यावहारिक हो सकता है, किंतु अंत में केवल वे ही समाचार-वितरण-व्यवसायी बचेंगे जो स्वतंत्र होंगे।

समाचार सेवा की मासिक दरें : भारतीय भाषा के दैनिकों के लिए प्रेस ट्रस्ट अ १८००), ब १०००), स ६००) तथा युनाइटेड प्रेस के अ१ १२००), अ२ ७५०), ब ५००), और ३००)।

समाचारों की भारतीयता

भारत में विदेशी समाचार : 'अन्तर्राष्ट्रीय समाचारपत्र-संस्था' (इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट) ने कुछ राष्ट्रों के पत्रों के समाचार और विचार-सामग्री का अध्ययन कर, अपना ९६ पृष्ठीय प्रतिवेदन प्रकाशित किया है। यह अपने ढंग का प्रथम प्रयास है। इस अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान स्थिति को ज्यों-का-त्यों व्यक्त करना है। इसमें भारत, अमरीका और पश्चिमी यूरोप के आठ राष्ट्रों के पत्रों के अध्ययन का निचोड़ है और इससे पता चलता है कि इन राष्ट्रों के पत्रों में विदेशी समाचारों को क्या स्थान और महत्त्व दिया जाता है। इस अध्ययन की सामग्री संबंधित राष्ट्रों के पत्रकारों, प्रमुख संपादकों तथा विदेशी संवाददाताओं द्वारा प्राप्त की गयी है। भारत में यह कार्य श्री नरसिंहन् (हिंदू, मद्रास) के निरीक्षण में हुआ है। जहाँ तक भारत के पत्रों का संबंध है, इस अध्ययन का कहना है :—

"एक ओर जहाँ पश्चिमी यूरोप के पत्रों में, एक-दो पत्रों को छोड़, भारतीय समाचारों को नाममात्र का स्थान मिलता है—जो समाचार छपते हैं, वे अत्यन्त आवश्यक या महत्वपूर्ण नहीं होते; सनसनीखेज और मामूली समाचार ही बहुधा होते हैं—दूसरी ओर भारत के समाचारपत्रों में राष्ट्रीय और स्थानीय समाचारों की तुलना में विदेशी समाचारों को महत्त्वपूर्ण स्थान मिलता है। जिसका उदाहरण विश्व के किसी अन्य देश के समाचारपत्रों में मिलना संभवतः कठिन है। भारतीय भाषा और अंग्रेज़ी पत्रों में क्रमशः नित्य औसतन ८० और २०० इंच विदेशी समाचार प्रकाशित होते हैं। जो विज्ञापन से बचे स्थान का क्रमशः १२॥ और २२ प्रतिशत है।

"जो विदेशी समाचार प्रकाशित होते हैं, वे बहुधा विदेशी समाचार व्यवसायियों द्वारा प्रेषित और उनके देश की नीति के रंग में रँगे हुए होते हैं। भारतीय संवाददाताओं द्वारा संकलित और प्रेषित समाचार तो बहुत ही कम होते हैं।"

प्रतिवेदन यह स्वीकार करता है कि भारतीय समाचारपत्रों में विदेशी समाचारों की प्रधानता का कारण संपादक की अभिरुचि या विशिष्ट ज्ञान का द्योतक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार-संकलन की उत्तम व्यवस्था का अभाव ही इसका मुख्य कारण है।

"विदेशी समाचारों में भी इंग्लैंड के समाचार सबसे अधिक छपते हैं। यथा, अंग्रेज़ी पत्रों में यूरोप इंग्लैंड सहित २९.७%, अमेरिका १२.२%, अन्तर्राष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि १९.५%, और पश्चिम द्वारा संग्रहीत समाचार ६१.४%, तथा भारतीय पत्रों में क्रमशः १८.३%, १०.७%, २५.१%, और ५४.१%।"

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार : भारतीय समाचार-समितियाँ नित्य औसत समाचार पंक्तियाँ (एक पंक्ति में औसत ९ शब्द) निम्न प्रकार देती हैं:—

विषय	स्थानीय या राज्य	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय
१. राजनैतिक	४११.९	२८७.७	१०७८
२. सांस्कृतिक	१८.४	२२.९	१७
३. सामाजिक व शिक्षण	५०.२	८६.४	२३
४. अर्थ और वाणिज्य	१५७.१	३१८.७	२७४
५. खेल-कूद	१९५.०	२४६.४	३३८
६. विज्ञान और उद्योग,	२७.३	५६.१	२५
७. क़ानूनी, अदालती	१२०.८	५८.२	१३४
८. भाषण और वक्तव्य	२१६.४	२४५.५	२४०
९. व्यक्तिगत	२९.३	८२.६	५६
१०. अन्य विषय	१०५.१	१८७.०	४६
प्रेस ट्रस्ट	१३३५.५	१५३३.५	२२३१
यूनाइटेड प्रेस	४१६.१	७७८.३	६६४

अमेरिका में : अंतर्राष्ट्रीय समाचार की १३५६ पंक्तियों का दैनिक औसत है। वहाँ के अधिकांश दैनिक स्थानीय समाचारों को प्राथमिकता देते हैं, और उसके बाद राष्ट्रीय समाचार बहुत कम देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की तो एकदम उपेक्षा कर देते हैं।

भारतीय समाचार, विदेशी पत्रों में : कालम इंचों में :

बेलजियम	[illegible]
फ्रांस	[illegible]
इटली	२६
निदरलैंड	[illegible]
स्वीडेन	०
स्वीट्जरलैंड	६१
इंग्लैंड	२०
जर्मनी	१७

समाचारों का विभाजन : औसत प्रतिदिन, कालम इंचों में :—

	हिंदी	अंग्रेजी
स्थानीय	४२०	१४७
राष्ट्रीय	२५२	२५२
अंतर्राष्ट्रीय	१०५	१६८

पाठकों की रुचि : नियमित दैनिक व एक साप्ताहिक पढ़ने वाले पाठकों की रुचि इस प्रकार है :—

विषय	देहाती	शहरी
सामयिक	२१	१८
व्यंग-चित्र	१२	१४
अमोद प्रमोद	१४	१५
कहानियाँ	१६	१७
चित्र	१६	१७
महिला व बाल-विभाग	११	११
सामाजिक व बनाव-श्रृंगार	१०	८

पाठक पत्र हाथ में लेते ही सर्वप्रथम क्या देखता है :—

	देहाती	शहरी
स्थानीय	३१	२३
राष्ट्रीय	४४	४२
अंतर्राष्ट्रीय	१०	१०

यंत्र-शास्त्र और वैज्ञानिक पत्रों की कमी : यंत्र-शास्त्र, शिल्प-शास्त्र, इंजीनियरिंग–विज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र आदि तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, जिससे अवगत रहना ज़रूरी है । पर इन विषयों के पत्रों की कमी है । इनकी बड़ी ज़रूरत है । हाँ, दैनिकों के परिशिष्टांक ज़रूर निकलते हैं, जो अनधिकार चेष्टा मात्र हैं । —पत्र आयोग

संसार के समाचारपत्र संबंधी आँकड़े: संयुक्तराष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति-संघ के सर्वेक्षण के अनुसार संसार में अंग्रेज़ी पत्रों की संख्या सबसे अधिक है । यूरोप में, सबसे अधिक, ९२० लाख दैनिक पत्रों की खपत है । सबसे अधिक दैनिक पत्र, उत्तरी अमेरिका में २,२६५ हैं ।

भूमंडलीय आधार पर चीन, उत्तर कोरिया, रूस, अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, और मंगोलिया को छोड़ कर, प्रति एक हज़ार की आबादी पर ८८ दैनिक पत्रों की औसत आती है। अंग्रेज़ी भाषा के दैनिक पत्र ९६०.५ लाख छपते हैं, जो दैनिक खपत का १/३ हैं ।

देवनागरी दूरमुद्रक

"मैं अक्सर हिंदुस्तानी में बोलता हूँ और मेरे भाषणों की रिपोर्ट अंग्रेज़ी में निकलती है। तमाशा यह है कि हिंदी व उर्दू के अखबारों की रिपोर्ट अंग्रेज़ी का अनुवाद होती है। और मैं जो शब्द वाक़ई कहता हूँ वे नहीं होते। इस प्रकार भयंकर उलट-फेर हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में समाचार-वितरण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है। यदि समाचार हिंदुस्तानी में जाने लगें तो उससे भारतीय भाषाओं के पत्रों का स्तर बहुत ऊँचा उठ जाएगा। एक तो उन्हें प्रत्येक बात का अनुवाद न करना पड़ेगा और बहुत-कुछ मूल शब्द ही मिलेंगे। हिंदुस्तान मे, अंग्रेज़ी पत्र चाहे जितने महत्त्वपूर्ण क्यों न हों, और इसमें कोई शक नहीं कि कुछ समय तक उनका बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ रहेगा, पर स्पष्टतः भारतीय पत्रकार-कला का भविष्य भारतीय भाषाओं के पत्रों के ऊपर ही निर्भर है।"

उपर्युक्त शब्द पं० जवाहरलाल नेहरू ने १६ फ़रवरी १९४६ को प्रयाग में अखिल भारतीय समाचारपत्र संपादक सम्मेलन का उद्‌घाटन करते हुए कहे थे, जो देवनागरी दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) की महती आवश्यकता और अभाव को भली भाँति प्रकट करते हैं। देवनागरी दूर-मुद्रक हिंदी ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रों के लिए भी एक वरदान सिद्ध होगा। अंग्रेज़ी की तुलना में किसी भी भारतीय भाषा में हिंदी से सरलता से अनुवाद हो सकता है, तथा इसी प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में। आज भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दों के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, हिंदी के पत्रों में भी एक शब्द के अनेक, और विकृत रूप छपते हैं। नागरी दूरमुद्रक प्रचलित होने से यह अनेकरूपता दूर हो जाएगी, और मनमाने अशुद्ध अनुवाद भी नहीं छपेंगे। अंग्रेज़ी पत्रों की तरह ही भारतीय भाषाओं के पत्रों में ताजे और पूरे समाचार छपेंगे। भारतीय पत्रकारिता एक परिवार के रूप में ग्रथित हो कर विकासोन्मुख होगी। विदेशी समाचारों से छुटकारा

पा कर ठठ देहात के समाचारों को महत्त्व मिलेगा, देवनागरी दूरमुद्रक हमारी भाषा और लिपि में ही परिवर्तन नहीं करेगा, भावनाओं और दृष्टिकोण में भी भारतीयता ला देगा।

हिंदी ही नहीं भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में ४ जुलाई १९५४ युग-परिवर्तनकारी दिवस के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा। इसी दिन देवनागरी दूरमुद्रक प्रणाली का विधिवत् व्यवहार दिल्ली और पटना के बीच आरंभ हुआ। हिंदुस्तान समाचार लि० भी इस प्रणाली को अपना कर इतिहास में अमर हो गया है, और अब उसका भविष्य भी उज्ज्वल है।

देवनागरी दूरमुद्रक के आंदोलन का आरंभ, हिंदी पत्रकार-आंदोलन के साथ ही, १९४० में हुआ। हिंदी-समाचार-समिति की स्थापना के लिए भी काफ़ी विचार-विनिमय हुए। लेकिन युद्धजन्य परिस्थिति, स्वाधीनता-संग्राम आदि के कारण कुछ न हो सका। समाचार-समितियों से माँग की गयी कि वे हिंदी-विभाग खोलें। मगर उनका व्यवसाय एकाधिकार के कारण अंग्रेज़ी सरकार की छत्रछाया में मज़े में चल रहा था, अतः इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सरकार भी इस ओर उदासीन थी और चाहती थी कि किसी प्रकार रोमन लिपि का ही प्रयोग भारतीय भाषाओं के लिए हो। इस संबंध में श्री श्रीप्रकाश ने केंद्रीय धारा-सभा में सरकार का रुख जानने के लिए प्रश्न किया था, जिसके उत्तर में सरकार ने सूचित किया कि यदि रोमन लिपि में समाचार-तार भेजने की माँग की जाए, तो डाक विभाग उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। अतः विवश हो पत्रकार-संस्थाओं ने भारतीय भाषाओं के तार रोमन लिपि में देने की सुविधा माँगी जो उन्हें दी गयी।

युनाइटेड प्रेस ऑफ़ इंडिया को १९४५-४६ में दूरमुद्रक लगाने की स्वीकृति मिलने पर 'हिंदुस्तान' के श्री चंदूलाल चंद्राकर ने उसके प्रबंध-संचालक और संपादक श्री विधुभूषणसेन गुप्त से अनुरोध किया कि नये दूरमुद्रक देवनागरी में बनवाएँ। अखिल भारतीय हिंदी-पत्रकार-संघ के अध्यक्ष की ओर से उन्होंने तुरंत लंदन की क्रीड कंपनी को देवनागरी दूरमुद्रक बनाने को लिखा भी। क्रीड कंपनी ने श्री चंद्राकर से आवश्यक

जानकारी मंगायी और अपनी रुचि दिखायी। युनाइटेड प्रेस ऑफ़ इंडिया के लंदन-स्थित तत्कालीन प्रतिनिधि श्री डी० वी० ताह्मणकर और 'हिंदुस्तान टाइम्स' के लंदन-संवाददाता श्री आनंद ने भी इस कार्य में श्री चंद्राकर के साथ सहयोग किया। यह प्रयत्न उस समय सफल नहीं हुआ। मगर श्री चंद्राकर ने जो मुद्रापटल (की-बोर्ड) की रूपरेखा तैयार की थी, उसी के आधार पर १९५० में भारत सरकार के संवादवहन-विभाग ने अपने जबलपुर कारखाने में, 'क्रीड' के ७ बी० माडल अंग्रेज़ी दूरमुद्रक को, आवश्यक परिवर्तन करके देवनागरी में बदल दिया। इस यंत्र का परीक्षण १९५१ में कांग्रेस के दिल्ली-अधिवेशन में हुआ। फलस्वरूप आवश्यक परिवर्तन के बाद जनवरी १९५३ में कांग्रेस के हैदराबाद-अधिवेशन में इसका सफल प्रयोग हुआ। हैदराबाद में देवनागरी दूरमुद्रक के सर्वप्रथम प्रयोग का गौरव चंद्राकर जी को ही प्राप्त हुआ, जिसके कि वे सर्वथा अधिकारी थे। इस प्रकार विश्व में रोमन लिपि के बाद देवनागरी लिपि में दूसरा दूरमुद्रक बना।

अख़बारी काग़ज़ का उत्पादन

अख़बारी काग़ज़ के लिए हमें विदेशों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। गत महायुद्ध में इसके अकाल के कारण पत्रों का जीवन संकट में पड़ गया था। भारत सरकार ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना में अख़बारी काग़ज़ के उत्पादन को भी स्थान दिया। मध्य-प्रदेश में खंडवा के पास भारत सरकार और मध्य-प्रदेश सरकार के सम्मिलित प्रयत्न से पाँच करोड़ रुपयों की लागत से नेपा मिल्स (नैशनल न्यूज़ प्रिंट ऐंड पेपर मिल्स लि०) के कारखाने में जनवरी, १९५५ से उत्पादन चालू होगा। पहले प्रतिदिन ७० टन काग़ज़ बनेगा। बाद में प्रतिदिन १०० टन का उत्पादन हो जाएगा, और रसायनिक मावा (पल्प) भी कारखाने में ही तैयार होने लगेगा—अभी इस मावे का विदेश से आयात होता है—तब उत्पादन की लागत भी घट जाएगी। ३० हज़ार टन का वार्षिक उत्पादन होगा, जो देश की वार्षिक आवश्यकता, ६० हज़ार टन के आधे की पूर्ति करेगा। उत्तर-प्रदेश और पंजाब की सरकारें भी अख़बारी काग़ज़ के कारखाने स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

देवनागरी-कीलाक्षर-सुधार

हिंदी-जगत् में वर्षों से देवनागरी लिपि-सुधार की काफ़ी चर्चा हो रही है। परंतु वास्तव में देवनागरी लिपि-सुधार की कोई समस्या है ही नहीं। असली समस्या है तेज़ संयोजन (कंपोज़िंग) के लिए अखंड कीलाक्षरों (टाइप) के निर्माण की। इस ओर लोगों का पर्याप्त ध्यान नहीं गया। १९५३ के लखनऊ-सम्मेलन में लिपि-सुधार के नाम पर जो कुछ हुआ, वह संतोषजनक नहीं है। हाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन और महाराष्ट्र साहित्य परिषद् ने १९३६ में काका कालेलकर के सद्प्रयत्नों से देवनागरी अक्षरों की जो एकरूपता स्थिर की थी, उस पर राजकीय मुद्रा ज़रूर लग गयी। ह्रस्व 'इ' की मात्रा का जो रूप 'ि' स्वीकृत हुआ है, वह नया है और सर्वथा अव्यावहारिक तथा कठिनाइयों को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा।

१८–२० वर्षों से प्रचलित 'अ' की बारहखड़ी को, जिसका प्रचार राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति आदि द्वारा अहिंदी प्रांतों में हो रहा है, और जो गुजराती, मराठी में भी प्रचलित है, लखनऊ-सम्मेलन ने अस्वीकार करके एक नयी समस्या खड़ी कर दी।

तेज़ संयोजन की सुलभता को दृष्टि में रख कर देवनागरी-कीलाक्षर-सुधार की दिशा में पहल स्व० लोकमान्य टिळक ने की, जिनका ध्यान इस ओर १९०४ में गया था। तब से महाराष्ट्र में इस पर सतत प्रयोग होते रहे हैं। देवनागरी मोनो कीलाक्षर, विजापुरे-कीलाक्षर क्रमशः श्री शंकर रामचंद्र दाते और श्री गणेश पांडुरंग विजापुरे की देन हैं। मोनो पर तो प्रस्तुत पुस्तक छपी ही है और विजापुरे की बानगी इस प्रकार है :—

राष्ट्रलिपि

" राष्ट्रभाषा हिन्दी स्वीकार करने पर भी कोअी कोअी भाअी रोमन-लिपि स्वीकार करने के लिये कह रहे हैं। क्या वह अधिक वैज्ञानिक है? वैज्ञानिक का मतलब है, लिपिका अुच्चारणके अधिक अनुरूप होना। लेकिन रोमन लिपिके २६ अक्षर हमारे सारे अुच्चारणों को प्रकट नहीं कर सकते। देवनागरी अक्षरोंमें हम अुससे ज्यादा शुद्ध रूपसे किसी भी भाषाको लिख

सकते हैं, और बिना चिन्ह दिये। चिन्ह देने पर रोमनमें जितने पैबन्द लगाये जाते हैं, अुससे कम ही चिन्हों को लगा देवनागरी द्वारा हम दुनिया"

विजापुरे-कीलाक्षर १२ और १४ पाइंट

निर्माता : किर्लोस्कर प्रेस, किर्लोस्करवाडी।

विजापुरे-कीलाक्षर में एक हज़ार 'एम' संयोजन करने में केवल ७३ मिनट लगते हैं, जो अंग्रेज़ी के बराबर है।

कीलाक्षरों में सुधार तो कोई कीलाक्षर-विज्ञ ही कर सकता है। संशोधित कीलाक्षरों में निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए :—

१. डिग्रियाँ न रहें, कीलाक्षर अखंड हों, और एक ही साँचे में ढले हों, खोखला भाग न रहे, जिससे छपाई में मात्रा, रकार, उकार आदि घिस जाएँ या टूट जाएँ, जैसे 'कर्म' का 'कम' न छपने लगे; २. कीलाक्षरों की संख्या कम हो, जिससे मुद्रणालयों में अधिक कीलाक्षरों की जरूरत न रहे और कम कीलाक्षरों में अधिक संयोजन हो सके; ३. केस के हर खाने में एक ही कीलाक्षर रहे, आज की तरह दो से ले कर बारह तक एक ही खाने में रख कर 'खिचड़ी' न करनी पड़े; ४. इतना सब होते हुए भी सुधार ऐसे न हों कि वर्तमान प्रचलित लिपि का रूप-रंग ही बदल जाए।

इन सब के वास्तविक हल के लिए एक केन्द्रीय देवनागरी-कीलाक्षर-अनुसंधान-शाला की आवश्यकता है, जो आधुनिक यंत्रों और उपकरणों आदि से युक्त हो और जहाँ कीलाक्षर-विज्ञ कारीगरों को क्रियात्मक अनुसंधान की पूर्ण सुविधा हो। तभी इस ओर वास्तविक प्रगति हो सकती है। देवनागरी के लिए जो नये यंत्र बनेंगे, वे देवनागरी के अतिरिक्त इसी परिवार की अन्य लिपियों, जैसे, गुजराती, बंगला, तमिळ, तेलुगू, मळयाळम, कन्नड, अरबी, उडिया, असमिया, गुरुमुखी, सिंहली, ब्रह्मी, के लिए भी प्रयुक्त हो सकेंगे।

देवनागरी-कीलाक्षरों के नये रूप : मुद्रण-सौंदर्य व विविधता प्रकट करने के लिए नाना रूपों व आकार-प्रकार के कीलाक्षरों का देवनागरी में अत्यन्त ही अभाव है। यह प्रसन्नता की बात है, कि अब इस ओर कीलाक्षर-निर्माताओं का ध्यान आकर्षित हुआ है।

देवनागरी वसंत कीलाक्षर	देवनागरी पेंटर कीलाक्षर
२४ और १८ पाइन्ट	३६ और २४ पाइन्ट
निर्माता: गुजरात टाइप फाउंडरी, बंबई–४।	निर्माता: लोकसंग्रह टाइप फाउंडरी, पूना–२; चित्रशाला प्रेस, पूना–२।

देवनागरी अक्षर-विन्यास : इस क्षेत्र में हिंदी-जगत् अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उत्तर व पूर्वी प्रदेशों की पत्र-पत्रिकाओं में छपने वाले ब्लाकों में देवनागरी अक्षरों के भोंडे व भद्दे रूपों के ही दर्शन होते हैं। और कहीं-कहीं इन्हें बंगाली बाने में पेश किया जाता है। मसवानपुर (कानपुर) के श्री गौरीशंकर भट्ट ने वर्षों पूर्व देवनागरी अक्षरों के सुन्दर व सुडौल रूप स्थिर किये थे, जिसे आज हम भूल बैठे हैं। बंबई व पूना में देवनागरी अक्षर-विन्यास की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। जिसका अनुसरण हिंदी-जगत् के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

छाया-संयोजन-यंत्र (Photon) : अमेरिका में आविष्कृत यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें कीलाक्षरों का प्रयोग नहीं होता। एक मुद्रालेखन यंत्र (टाइपरायटर) के मुद्रापटल (की-बोर्ड) से विद्युत द्वारा फ़िल्म के निगेटिव पर विभिन्न प्रकार के अक्षरों का फ़ोटो ले लिया जाता है। इस निगेटिव से किसी भी प्रकार का मुद्रणफलक तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रण-व्यय काफ़ी घट जाता है। अमेरिका के 'कार्नेगी प्रतिष्ठान' ने देवनागरी लिपि और चीनी लिपि की पुस्तकें इस नवीन विधि से मुद्रित करने के अनुसंधान के लिए ३०,००० डालर, अर्थात् १,४३,४०० रु० की आर्थिक सहायता दी है। 'ग्राफ़िक आर्ट्स रिसर्च फाउंडेशन इनकारपोरेटेड' में वैज्ञानिक और आविष्कारक, डा० वैनेर बुश के नेतृत्व में, इस अनुसंधान-कार्य में लगे हुए हैं। इसकी सफलता से भारतीय मुद्रणकला में निस्सन्देह नये युग का श्रीगणेश होगा। पुस्तकें और समाचारपत्र सस्ते में सर्वसाधारण को सुलभ होने लगेंगे।

विज्ञापन-कला

विज्ञापन की आय पत्रों के लिए आज दीपक में तेल की तरह है। बहुत ही कम ऐसे पत्र हैं, जिन्हें हम इस दृष्टि से साधन-संपन्न और सफल कह सकते है। हिंदी-पत्रों में विज्ञापन-आय का अकाल है। अंग्रेज़ी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि के पत्रों के संचालक विज्ञापन-कला में दक्ष हैं। बहुत थोड़े से हिंदी पत्र 'पत्र-प्रसार-परिगणना प्रतिष्ठान' (ए० बी० सी०) के सदस्य हैं। अधिकांश पत्रों में विज्ञापन-विभाग के लिए अलग से कोई व्यक्ति नहीं रखा जाता। इस विभाग पर होने वाले व्यय को अपव्यय समझा जाता है। अंग्रेज़ी पत्रों के कार्यालयों से जो हिंदी पत्र निकलते है, वहाँ पर हिंदी पत्र के विज्ञापन का कार्य अंग्रेज़ी पत्र का विज्ञापन-विभाग ही सँभालता है। हिंदी पत्रों का यथेष्ठ प्रचार होने पर भी उनके लिए विज्ञापनों की कमी रहती है, क्योंकि विज्ञापकों को इस ओर प्रेरित करने का वे विशेष प्रयत्न नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ, 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' (नई दिल्ली) देखा जा सकता है, जिसका प्रसार हिंदी साप्ताहिकों में 'धर्मयुग' के बाद सबसे अधिक है। पर विज्ञापन की दृष्टि से कंगाल है। ४० प्र० श० स्थान विज्ञापन के लिए मान्य है। पर अब ५वें वर्ष की समाप्ति पर कहीं २० प्र० श० विज्ञापन उसमें रहता है। विज्ञापन की आय न रहने से बार-बार मूल्य-वृद्धि करनी पड़ती है, और ग्राहक टूट जाते हैं।

हाँ, हिंदी पत्रों में जादूई अंगूठी, महात्मा जी का चमत्कार, काया-कल्प, संतानदा, धनवान बनाने वाली पुस्तकों, महाशक्तियोग आदि के विज्ञापन ज़रूर दिखाई देते हैं, जो प्रायः ग्राहकों को ठगने वाले होते हैं।

पत्रों के, परिवर्तन में छपने वाले, विज्ञापन भी आजकल विशेष मात्रा में छपने लगे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से दोनों पत्रों के लिए भार-स्वरूप हैं। हाँ, विज्ञापन की पृष्ठ-संख्या इस प्रकार ज़रूर बढ़ जाती है।

इस संबंध में समाचारपत्र-आयोग का कहना है : "विज्ञापन-व्यवसायी भारतीय भाषा के पत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते और उनमें

विज्ञापन देने के महत्त्व को कम ही आँका जाता है। इनकी एक प्रति के अनेक पाठक होते हैं। इस दृष्टि से इनका प्रभाव अत्यधिक है। सुन्दरतम व आकर्षक रूप से विज्ञापनों को छापने की ओर भारतीय भाषा के पत्रों को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने पत्र में विज्ञापन देने की उपयोगिता को प्रकट करने के लिए विज्ञापकों के सम्मुख पर्याप्त साहित्य रखना चाहिए, जिससे वे उसकी उपयोगिता, महत्त्व व प्रभाव को समझ सकें तथा परीक्षण कर सकें।"

विज्ञापन की आय के तुलनात्मक आँकड़े :—अंग्रेज़ी और हिंदी के दैनिक पत्रों की विज्ञापन-आय एक प्रति का वार्षिक औसत क्रमशः ४७) और १४) हैं।

	अंग्रेज़ी	भारतीय भाषा
पत्र	१५	१८
प्रसार-संख्या	५,४५,०००	५,५७,०००
विज्ञापन की आय)	२,६५,२३,०००)	८७,२३,०००)

एक ही शहर के अंग्रेज़ी और भारतीय भाषा के पत्र की आय :—

पत्र	३	३
प्रसार-संख्या	१,७७,०००	१,८३,०००
विज्ञापन की आय	९१,८६,०००)	३०,९८,०००)

इस प्रकार हिंदी पत्रों के लिए विज्ञापन का विस्तृत-क्षेत्र खुला पड़ा है। आवश्यकता है, उस ओर उचित रूप से ध्यान देने की। तभी आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर हो कर हिंदी पत्र जीवित रह सकते हैं।

पत्र-प्रसार-परिगणना-प्रतिष्ठान (Audit Bureau of Circulations Ltd.) भारत हाउस, पहला माला, अपोलो स्ट्रीट, बंबई—१; अध्यक्ष : श्री जे० एन० रिस्ट; मंत्री : श्री डी० के० थडाणी।

दिसंबर १९४७ में 'भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र समाज' ने पत्र-प्रसार-परिगणना-प्रतिष्ठान की स्थापना का विचार किया और इसके निमित्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक उपसमिति बनायी, जिसमें भारतीय विज्ञापन-व्यवसायी संघ और देशी विज्ञापकों के प्रतिनिधि भी लिये गये। इस प्रकार भारतीय प्रकाशकों, विज्ञापन-

व्यवसायियों तथा विज्ञापकों के सम्मिलित सहयोग से प्रतिष्ठान की स्थापना २८ अप्रैल, १९४८ को बंबई में हुई।

सदस्यता : सदस्यता के तीन वर्ग हैं : प्रकाशक, विज्ञापन-व्यवसायी, और विज्ञापक।

किसी प्रकाशक द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर, कि वह प्रतिष्ठान की सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा और उसका हिसाब जाँचने वाला प्रतिष्ठान के नियमों और आदेशों का पूर्णतया पालन करेगा, परिषद् उसकी सदस्यता स्वीकार करती है। इसके अतिरिक्त प्रकाशक-सदस्यता की एक शर्त यह भी होती है कि यदि परिषद् किसी सदस्य के हिसाब-निरीक्षक के लेखे की जाँच करना चाहे, तो सदस्य को इसके लिए हर प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।

विधान : प्रबंध-परिषद् प्रतिष्ठान के कार्यों का दिग्दर्शन तथा नियंत्रण करती है। इसके आधे सदस्य प्रतिवर्ष बारी-बारी से प्रतिष्ठान के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। प्रयेक चन्दादाता को एक मत प्राप्त है।

परिषद् में प्रकाशकों और विज्ञापन-व्यवसायियों व विज्ञापकों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होती है। प्रति वर्ष इन दोनों दलों से बारी-बारी से अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष को कोई निर्णायक मत प्राप्त नहीं होता।

कार्य-समिति : इसमें अध्यक्ष, अवैतनिक मंत्री और अवैतनिक कोषाध्यक्ष होते हैं, दिन-प्रति-दिन का कार्य-संचालन कार्य-समिति करती है।

प्रतिष्ठान की स्थापना प्रकाशक-सदस्यों की बिक्री का प्रमाणीकरण करने के उद्देश्य से हुई है। इसलिए यह अपने प्रत्येक सदस्य से वार्षिक चन्दा ले कर सेवा करता है। प्रकाशकों के चन्दे की राशि उनके प्रकाशन की श्रेणी व उसके प्रसार, विज्ञापकों से, उनके समाचारपत्र-विज्ञापनों पर होने वाले वार्षिक-व्यय, और विज्ञापन-व्यवसायियों के लिए समाचारपत्रों से उनकी आय पर निर्भर है।

प्रतिष्ठान की न हिस्सागत पूँजी है, न यह लाभ कमाने वाली संस्था है। इसके सदस्यों की जिम्मेवारी मर्यादित है और प्रत्येक सदस्य की देनदारी के प्रति जिम्मेवारी १५) की है।

कार्य-प्रणाली : प्रतिष्ठान मुख्यतया दो दलों की सेवा के लिए बनाया गया है, यथा :

(अ) विज्ञापन-स्थान के ग्राहक, विज्ञापक और विज्ञापन-व्यवसायी;

(आ) विज्ञापन-स्थान के विक्रेता, सब समाचरपत्रों के प्रकाशक जिनमें विज्ञापन प्रकाशित होते हैं।

ग्राहकों और बिक्रेताओं ने सहकारी रूप से प्रसार-संख्या जानने का एक माप-दंड और रीति बनायी है। इसी रीति के अनुसार जाँचे हुए हिसाब को 'ए० बी० सी०' द्वारा जाँचा हुआ लेखा कहते हैं। प्रकाशकों और विज्ञापकों, दोनों को प्रसार की सच्ची संख्या बताने के लिए प्रतिष्ठान सभी प्रकाशनों पर एक ही रीति प्रयुक्त करता है।

प्रतिष्ठान द्वारा हिसाब की जाँच की विशेषता यह है कि बिना किसी रियायत या पक्षपात के सभी को एक ही मापदंड से मापा जाता है। इसलिए केवल पाठकों को पूरे मूल्य पर बेची गयी संख्या ही प्रमाणित की जाती है। प्रचार आदि के लिए अथवा प्रसार बढ़ाने के निमित्त या निःशुल्क भेजी गयी प्रतियों को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। इस प्रकार पत्र के केवल वास्तविक ग्राहकों की संख्या ज्ञात की जाती है।

प्रमाणपत्र : प्रतिष्ठान के प्रमाणपत्र केवल संख्यात्मक होते हैं और प्रामाणिक, समान, पक्षपातरहित, नियमित तथा नवीनतम होते हैं। बिना किसी सम्मति के तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियाँ प्रत्येक प्रकाशक के पास, जिसके प्रकाशन के लिए यह दिया जाता है, और प्रतिष्ठान के पास रहती हैं। प्रतिष्ठान प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियाँ केवल अपने सदस्यों को देता है, और किसी सदस्य को किसी अन्य सदस्य के प्रमाणपत्र का कोई अंश या संपूर्ण प्रकाशित करने की आज्ञा नहीं दी जाती। प्रतिष्ठान विज्ञापन-व्यवसायियों तथा विज्ञापकों को लाभ पहुँचाता है; क्योंकि उनको तुलनात्मक अध्ययन के लिए पत्रों की निश्चित विक्रय-संख्या का पता लग जाता है, जिसका वे विज्ञापन देते समय उपयोग कर सकते हैं। प्रकाशकों को यह लाभ होता है कि उनके पत्र के प्रसार की ठीक संख्या विज्ञापकों तक पहुँचती है, जिससे उनके विज्ञापन-स्थान के विक्रय में वृद्धि होती है। प्रमाणपत्र प्रत्येक छह महीने के बाद —१ जनवरी से ३०

जून और १ जुलाई से ३१ दिसंबर तक—जारी किये जाते हैं। इससे पत्र की प्रगति का भी अनुमान किया जा सकता है।

सदस्यता से लाभ : विज्ञापकों को अपने विज्ञापनों को अधिक-से-अधिक जनता तक पहुँचाने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता; क्योंकि प्रतिष्ठान उन्हें पत्रों के विषय में सब प्रकार की जानकारी देता है, जिससे उनके धन व समय का अपव्यय नहीं होता। विज्ञापक पत्रों में अपने विज्ञापन प्राय: विज्ञापन-व्यवसायियों द्वारा देते हैं। अत: विज्ञापन-व्यवसायियों को अपने ग्राहकों को पत्र की लोकप्रियता का विश्वास दिलाने के लिए अधिक परेशानी उठानी नहीं पड़ती। प्रकाशकों को विज्ञापन-स्थान बेचने में यथेष्ट सहायता मिलती है। इस प्रकार पत्र-प्रसार-परिगणना-प्रतिष्ठान की स्थापना से सभी को लाभ पहुँचा है। इंग्लैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा आदि देशों में इस प्रकार की संस्थाएँ बड़ी सफलता के साथ कार्य कर रही हैं। भारतीय प्रतिष्ठान ने भी अपने सात वर्ष के अल्पकाल में आशातीत प्रगति की है और इसके सदस्यों में प्रकाशक, विज्ञापन-व्यवसायी तथा विज्ञापक हैं।

समाचारपत्र-आयोग की जाँच में भी इस प्रतिष्ठान ने यथेष्ट सहयोग प्रदान कर, उनकी जाँच के कार्य को बहुत कुछ सरल कर दिया था।

भारतीय विज्ञापन-व्यवसायी संघ (Advertising Agencies of India) चौथी माला, किताब महल, १९२, हार्नबी रोड, बंबई–१; अध्यक्ष : श्री इ० जे० फिल्डेन (जे० वाल्टर थॉम्सन कं० (इ०) लि० बंबई–१); मंत्री : श्री ए० गोदीवाला।

भारतीय और विदेशी विज्ञापन-व्यवसायियों के नेतृत्त्व में इस संघ का जन्म १९४५ में हुआ। इसके उद्देश्य हैं :–विज्ञापन व प्रचार के व्यवसाय के स्तर को सभी संभव उपायों द्वारा विकसित और उन्नत करना, आदर्श उद्योग के रूप में इस व्यवसाय के विकास के लिए प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान करना, व्यापार-व्यवसाय के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विज्ञापन-व्यवसायियों व विज्ञापकों में व्यावसायिक प्रामाणिकता को प्रोत्साहित कर सद्भावना उत्पन्न करना।

देश-विदेश की समानधर्मी संस्थाओं से संघ का संपर्क है। 'भारतीय

तथा पूर्वी समाचारपत्र समाज' और इस संघ के संयुक्त तत्त्वावधान में दो क्षेत्रीय संयुक्त स्थायी समितियाँ भी बनी हैं, जो परस्पर हित की सामान्य समस्याओं को सुलझाने में योग दे कर सद्भावना में वृद्धि कर रही हैं।

प्रतिमास किसी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित कर विविध विषयों पर भाषण का भी आयोजन किया जाता है।

कलकत्ता में १९४९ में एक अनौपचारिक सम्मेलन किया गया था। अब एक अखिल भारतीय सम्मेलन के आयोजन का विचार है।

उत्साही नवयुवकों व नवयुवतियों को विज्ञापन-व्यवसाय का प्रशिक्षण देने की योजना भी संघ के विचाराधीन है।

भारतीय विज्ञापक-समाज (Indian Society of Advertisers) पो० बा० १९३, बंबई–१; अध्यक्ष : श्री ए० डी० सराफ़।

समाचारपत्रों और विज्ञापन-व्यवसायियों का हित-संरक्षण और प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएँ तो थीं, पर विज्ञापनदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई संस्था नहीं थी। इस अभाव की पूर्ति का श्रेय फोस्टर एंड कंपनी के श्री फ्रेडरिक एडनम को है, जो १९४९ से ही इसकी स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। २३ अप्रैल १९५१ को इसकी स्थापना बंबई में २५ सदस्यों द्वारा हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री पी० जी० रोज (बर्माशैल) निर्वाचित हुए। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं : विज्ञापक के हितों की रक्षा करना; अप्रभावशाली और अपव्ययी विज्ञापनों से बचाना; मितव्ययी दृष्टिकोण से विज्ञापकों को विज्ञापन-विषयक परामर्श देना, मार्गदर्शन करना; बोध-चिह्न और व्यापार-चिह्न आदि क़ानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व कर उचित कार्रवाई करना; सरकार, समाचारपत्रों और विज्ञापन-व्यवसायियों की संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना।

डाक द्वारा प्रचारार्थ भेजी जाने वाली सामग्री पर वर्तमान डाक की दरों में कमी के लिए भी यह समाज प्रयत्नशील है और एक ज्ञापन भी इस संबंध में केन्द्रीय डाक-तार-विभाग को दिया है। विज्ञापन-कर का इसने प्रचंड विरोध किया, जिसके फल-स्वरूप सरकार ने इसे वापस ले लिया। कलकत्ता कारपोरेशन विज्ञापन-पटों पर कर लगाने वाला था, उसका सफल विरोध भी इसने किया।

इसकी ओर से श्री आर० वी० लिडन ने मिलान के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापक संघ के सम्मेलन में भाग लिया और एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापक महासंघ की स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन किया। ब्रिटेन आदि की समानधर्मी संस्थाओं तथा भारत की 'भारत तथा पूर्वी समाचारपत्र समाज' और 'भारतीय विज्ञापन व्यवसायी संघ' आदि से भी इसका सम्पर्क है।

इस समय इसकी सदस्य-संख्या ३८ है और इनमें भारत के चोटी के देशी और विदेशी विज्ञापक हैं। इसकी ओर से मासिक पत्रिका भी सदस्यों में वितरित की जाती है। पत्र-आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत तथा पूर्वी समाचारपत्र-समाज और वि० व्य० संघ के साथ मिल कर विज्ञापन परिषद् की स्थापना के लिए भी यह समाज प्रयत्नशील है।

पत्र बन्द होने के कारण : १. पत्रोद्योग में प्रोत्साहन का अभाव; २. यथेष्ट धन की कमी; और ३. सुयोग्य प्रबंध का अभाव।

नये पत्र की कठिनाइयाँ : अभी भारत में पत्रों की और भी ज़रूरत है, पर इसमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं :—१. नया पत्र चलाने के लिए प्रारंभ में अधिक पूँजिगत व्यय की आवश्यकता; २. आर्थिक सहायता का अभाव; ३. आर्थिक दृष्टि से सुदृढ पत्रों की प्रतियोगिता; ४. क्रय-शक्ति की कमी।

उत्पादन-खर्च : ९ अंग्रेजी पत्र ४,०२,००० प्रतियाँ तथा २१ भारतीय भाषाओं के पत्र ४, २२, ००० प्रतियों पर :—

	अंग्रेजी	भारतीय भाषाएँ
संवाद-सेवाएँ	१०%	६%
संपादकीय	१०	७
कच्चा-माल कागज़, स्याही आदि	३२	४५
संयोजन-कंपोज़िंग-व छपाई	१८	१५
वितरण	९	९
प्रबंध	९	५
ऊपरी खर्च	८	८
छीज	४	५

—पत्र-आयोग

मुद्रणालय तथा पुस्तकों का निबंधन अधिनियम, १८६७

(The Press and Registration of Books Act, 1867)

१८६७ की अधिनियम-सं० २५ (२२वीं मार्च, १८६७)

मुद्रणालयों तथा समाचारपत्रों के नियमन, तथा भारत में मुद्रित पुस्तकों के परिरक्षण तथा ऐसी पुस्तकों के निबंधन के लिए अधिनियम।

(जैसा कि वह प्रथम जून, १९५१ तक शोधित, वर्धित, हुआ)

प्रस्तावना : चूंकि मुद्रणालयों तथा समाचारपत्रों के नियमन, भारत में मुद्रित या शिला (लिथो) पर छपी प्रत्येक पुस्तक की प्रतियों का परिरक्षण और ऐसी पुस्तकों के निबंधन की व्यवस्था कार्य-साधक है; अतः अब विधि बनायी जाती है :—

भाग–१ प्राथमिक

१. परिभाषा-खण्ड : जब तक कि इस अधिनियम में कोई चीज़ विषय तथा प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में,—

"पुस्तक"—"पुस्तक" में किसी भी भाषा में लिखा प्रत्येक ग्रंथ, ग्रंथ का भाग या खंड, लघुपुस्तिका तथा पत्रिका तथा संगीत, भू-चित्र, मानचित्र या योजना का अलग मुद्रित या शिला-मुद्रित प्रत्येक पन्ना सम्मिलित है।

"भारत" से तात्पर्य है, जम्मू तथा काश्मीर-रहित शेष भारत का देश।

"सम्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री पर नियंत्रण रखता है।

"मैजिस्ट्रेट" से तात्पर्य है, एक मैजिस्ट्रेट के पूर्ण अधिकारों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति, जिसमें पुलिस के मैजिस्ट्रेट का भी समावेश है।

"समाचारपत्र" से तात्पर्य है, सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचारों पर टीका-टिप्पणी देने वाली मुद्रित नियतकालिक कोई भी कृति या पत्रिका।

२. रद्द।

भाग–२ मुद्रणालय तथा समाचारपत्र

३. पुस्तकों तथा पत्रों पर मुद्रित होने वाले विवरण : भारत के

भीतर मुद्रित प्रत्येक पुस्तक या पत्र पर सुवाच्य रूप में उसके मुद्रक का नाम तथा मुद्रण का स्थान, (यदि वह पुस्तक या पत्र प्रकाशित होगा तो) प्रकाशक का नाम तथा प्रकाशन का स्थान मुद्रित होगा ।

४. **मुद्रणालय रखने वाले (कीपर) की घोषणा :** कोई भी व्यक्ति, जो कि उस मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसके स्थानीय अधिकार-क्षेत्र के भीतर ऐसा मुद्रणालय स्थित है, अधोगत घोषणा तथा उस पर हस्ताक्षर नहीं कर चुका है, पुस्तकें या पत्र छापने के लिए भारत के भीतर किसी भी मुद्रणालय को अपने कब्जे में नहीं रखेगा :—

"मैं.........घोषित करता हूँ कि मैं.........में मुद्रणार्थ एक मुद्रणालय रखता हूँ ।" तथा अंतिम रिक्त स्थान में उस स्थान का सही तथा स्पष्ट वर्णन भरना होगा, जहाँ कि ऐसा मुद्रणालय स्थित हो ।

५. **समाचारपत्रों के प्रकाशन के विषय में नियम :** निम्न नियत किये नियमों के अनुसरण के सिवाय भारत में कोई भी समाचारपत्र प्रकाशित नहीं होगा :-

(१) ऐसे समाचारपत्र की प्रत्येक प्रति पर उस व्यक्ति का नाम रहेगा, जो कि उसका संपादक है, और वह नाम ऐसी प्रति पर उस समाचारपत्र के संपादक के रूप में स्पष्ट रूप में मुद्रित होगा ।

(२) ऐसे प्रत्येक समाचारपत्र का मुद्रक तथा प्रकाशक या व्यक्तिगत रूप में धारा २० के अधीन बनाये नियमों के अनुसरण में इस निमित्त अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, उस ज़िला, प्रेजिडेन्सी या सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसके स्थानीय अधिकार-क्षेत्र के भीतर ऐसा समाचारपत्र-मुद्रित या प्रकाशित होगा, अथवा जहाँ ऐसा मुद्रक या प्रकाशक निवास करता है, प्रस्तुत होगा, तथा अधोगत रूप में घोषणा करेगा तथा घोषणा-पत्र की दो प्रतियों पर हस्ताक्षर करेगा :—

"मैं......घोषित करता हूँ कि......नामक समाचारपत्र का मैं मुद्रक या प्रकाशक अथवा मुद्रक तथा प्रकाशक हूँ, और वह......में मुद्रित होगा या प्रकाशित होगा, (या जैसी कि स्थिति है) मुद्रित तथा प्रकाशित होगा ।"

घोषणा के इस पत्रक में अंतिम रिक्त स्थान में उस मकान का-सही

और स्पष्ट ब्योरा भरा जाएगा, जहाँ पर मुद्रण या प्रकाशन होता है ।

(३) जब कभी मुद्रण या प्रकाशन, का स्थान बदल जाए, तब एक नयी घोषणा अनिवार्य होगी ।

(४) जब कभी वह मुद्रक या प्रकाशक, जो उपर्युक्त घोषणा कर चुका हो, भारत को छोड़ जाए, तब उक्त क्षेत्र के भीतर रहने वाले मुद्रक या प्रकाशक से एक नवीन घोषणा आवश्यक होगी ।

पर ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो कि भारतीय प्राप्तवयस्कता-अधिनियम १८७५ (the Indian Majority Act, 1875) के या किसी ऐसी विधि के, वयस्कता की सम्प्राप्ति के बारे में, जिसके कि वह अधीन है, उपबंधों के अनुसरण में वह वयस्कता (बालिगपन) सम्प्राप्त नहीं कर चुका है, उसको इस धारा द्वारा निर्धारित उक्त घोषणा करने के लिए आज्ञा नहीं दी जाएगी, और न ऐसा व्यक्ति किसी समाचारपत्र का संपादन ही करेगा ।

६. घोषणा की प्रामाणिकता : इस प्रकार पूर्वोक्त रूप में की गयी, तथा हस्ताक्षरित प्रत्येक घोषणा की दोनों मूल प्रतियों में से प्रत्येक प्रति उस मैजिस्ट्रेट के, जिसके कि सामने उक्त घोषणा की जा चुकी होगी, हस्ताक्षरों तथा शासकीय मुद्रा द्वारा प्रमाणित होगी ।

सुरक्षित रखना : उक्त मूल प्रतियों में से एक तो उसी मैजिस्ट्रेट के कार्यालय के लेख्य-संग्रह में सुरक्षित होगी, और दूसरी, जहाँ पर कि उक्त घोषणा की जा चुकी होगी, उस स्थान के उच्चन्यायालय के ज्यूडिकेचर या मूल अधिकार-क्षेत्र की मुख्य दिवानी न्यायालय के लेख्य-संग्रह में सुरक्षित होगी ।

७. घोषणा की कार्यालय-गत प्रति प्रत्यक्षतः साक्षात् गवाही होगी : किसी भी वैध कार्यवाही में, फिर चाहे वह दिवानी-विषयक हो, अथवा फ़ौजदारी-विषयक, ऐसी प्रति की, जो ऐसी घोषणा के संरक्षण के हेतु इस अधिनियम द्वारा अधिकृत किसी भी न्यायालय की मुद्रा द्वारा पूर्वोक्त रूप में प्रमाणीकृत है, अथवा संपादक के रूप में उस समाचारपत्र की प्रति की, जिसमें कि उसका नाम संपादक के रूप में मुद्रित हो, प्रस्तुति उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके कि नाम के हस्ताक्षर ऐसी घोषणा

पर होंगे, अथवा स्थिति अनुसार, जिसका कि नाम ऐसे समाचारपत्र पर मुद्रित होगा, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, इस बात की पर्याप्त गवाही मानी जाएगी कि उक्त व्यक्ति ऐसे प्रत्येक समाचारपत्र के, जिसका कि शीर्षक घोषणा में वर्णित शीर्षक के सानुरूप है, प्रत्येक अंश का मुद्रक या प्रकाशक अथवा मुद्रक और प्रकाशक उक्त शब्दों के अनुसार जैसी कि स्थिति हो, या उक्त व्यक्ति समाचारपत्र के उस प्रकाशन के, जिसकी कि एक प्रति प्रस्तुत हो, प्रत्येक अंश का संपादक था।

८. घोषणा पर हस्ताक्षर कर चुकने तथा तत्पश्चात् मुद्रकों या प्रकाशकों के रूप में विरत हो चुके व्यक्तियों द्वारा नवीन घोषणा : सदैव कोई भी व्यक्ति, जो जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर कर चुका हो, और जो कि तत्पश्चात् ऐसी घोषणा में वर्णित समाचारपत्र का मुद्रक या प्रकाशक न रहा हो, तब वह किसी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो, तथा अधोगत घोषणा करे, और उसकी दो प्रतियों पर हस्ताक्षर करे—

"मैं......घोषित करता हूँ, मैं......नामक समाचारपत्र का मुद्रण या प्रकाशन अथवा मुद्रण तथा प्रकाशन छोड़ चुका हूँ।"

प्रमाणीकरण तथा सुरक्षित रखना : पश्चात्वर्त्ती घोषणा की प्रत्येक मूल प्रति उस मैजिस्ट्रेट के, जिसके कि सामने उक्त पश्चात्वर्त्ती घोषणा की जा चुकी होगी, हस्ताक्षरों तथा मुद्रा द्वारा प्रमाणित होगी, और उक्त घोषणा की एक मूल-प्रति पूर्ववर्त्ती घोषणा की मूल-प्रति के साथ सुरक्षित रखी जाएगी।

प्रतियों का निरीक्षण तथा प्रदाय : पश्चात्वर्त्ती घोषणा की प्रत्येक मूल-प्रति का कार्याध्यक्ष उसके निरीक्षण के लिए प्रार्थना करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक रुपया शुल्क देने पर निरीक्षण की आज्ञा देगा, तथा उक्त पश्चात्वर्त्ती घोषणा की एक प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो रुपया शुल्क देने पर उक्त मूल प्रति का संरक्षण रखने वाली न्यायालय की मुद्रा द्वारा प्रमाणीतकृत प्रति को देगा।

प्रतिलिपि को गवाही में प्रस्तुत करना : उन समस्त परीक्षणों में, जिनमें कि पूर्व घोषणा की पूर्वोक्त रूप में प्रमाणीकृत प्रतिलिपि गवाही

में प्रस्तुत की जा चुकी होगी, तब पश्चात् में की गयी घोषणा की पूर्वोक्त रूप में प्रमाणीकृत प्रतिलिपि को गवाही में प्रस्तुत करना वैध होगा, तथा पूर्व की घोषणा इस बात की गवाही में नहीं मानी जाएगी, कि घोषणा करने वाला पश्चात् में की गयी घोषणा की तारीख के पश्चात् किसी भी समय में उस घोषणा में वर्णित समाचारपत्र का मुद्रक या प्रकाशक था।

८अ. जिस व्यक्ति का नाम अयथार्थ रूप में संपादक के रूप में प्रकाशित हो चुका है, वह मैजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करे : यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी समाचारपत्र की प्रति पर प्रकाशित हो चुका है, यह दावा करता है, कि जिस अंक पर उसका नाम प्रकाशित हो चुका है, वह उसका संपादक नहीं था, तब वह ऐसी जानकारी होने के, कि उसका नाम प्रकाशित हो चुका है, दो सप्ताहों के भीतर किसी जिला, प्रेजीडेन्सी या सबडिवीज़नल मैजिस्ट्रेट के समक्ष यह घोषणा करे, कि उसका नाम उस अंक में बतौर संपादक के अयथार्थ रूप में प्रकाशित हुआ था, और यदि उक्त मैजिस्ट्रेट को ऐसी जाँच करने या कराने के पश्चात्, जिसे करना वह आवश्यक समझता है, संतोष हो जाता है, कि यह घोषणा यथार्थ है, तब वह तदनुसार प्रमाणित करेगा, और ऐसा प्रमाणपत्र देने पर धारा ७ के उपबंध, उक्त समाचारपत्र के उक्त अंक के बारे में उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। किसी भी ऐसे विषय में, जहाँ मैजिस्ट्रेट को संतोष हो जाता है, कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारणवश उक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत होने तथा घोषणा करने से रुका हुआ था, तब वह इस धारा द्वारा आज्ञा दे कर अवधि का विस्तार करे।

भाग–३ पुस्तकों का प्रदान

९. अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् मुद्रित पुस्तकों की प्रतियाँ सरकार को निःशुल्क दी जाएँगी : इस अधिनियम के पश्चात् ऐसी संपूर्ण पुस्तक की, जो भारत में मुद्रित या शिला-मुद्रित हुई है, समस्त भू-चित्रों, मुद्रणों या उससे संबंधित खुदे हुए चित्रों सहित और उसकी सर्वोत्तम प्रति के अनुसार तैयार की या रँगी हुई मुद्रित प्रतियाँ बावजूद मुद्रक और प्रकाशक के मध्य में किसी करार के तय होने पर भी (यदि पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी हो) मुद्रक द्वारा ऐसे स्थान या स्थानों पर, तथा

ऐसे पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जिन्हें कि राज्य सरकार शासकीय पत्रिका में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्देशित करे, तथा सरकार को नीचे लिखे अनुसार बिना किसी व्यय के दी जाएगी, अर्थात्—

(अ) किसी भी दशा में, प्रथम बार किसी भी मुद्रणालय से बाहर दिये जाने की तारीख़ के पश्चात् एक सौर (कैलेंडर) मास के भीतर ऐसी एक प्रति, तथा

(इ) ऐसे प्रकाशन के दिन से एक सौर वर्ष के भीतर, यदि राज्य सरकार मुद्रक को ऐसी अन्य प्रतियाँ, जो दो से अधिक नहीं होंगी, देने के लिए माँग करे, तो ऐसी तारीख़ के पश्चात् जब कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा माँग-पत्र मुद्रक को दिया जाए, ऐसी एक अन्य प्रति या दो अन्य प्रतियाँ, जैसा कि राज्य सरकार आदेश दे, एक सौर मास के भीतर दे। इस प्रकार दी जाने वाली प्रतियों का जिल्द किया हुआ, सिला हुआ, टाँकों द्वारा जोड़ा हुआ तथा उन काग़ज़ों में से, जिन पर कि उस पुस्तक की कोई भी प्रति मुद्रित या शिला-मुद्रित हो, उनमें से सर्वोत्तम काग़ज़ पर होना अनिवार्य होगा।

प्रकाशक या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, जो कि मुद्रक को काम पर लगाता है, यह अनिवर्य होगा, कि वह उक्त मास के व्यतीत होने से यथोचित समय पहले, उस मुद्रक को उन सब भू-चित्रों, मुद्रणों तथा खुदे हुए चित्रों को, जो कि उसकी पूर्वोक्त माँगों का पालन करने में आवश्यक हों, पूर्वोक्त रूप में तैयार किये तथा रँगे हुए दे।

इस धारा के पूर्व भाग की कोई भी बात निम्नलिखित बातों पर लागू नहीं होगी—

(१) किसी पुस्तक के किसी दूसरे या पश्चात्वर्त्ती संस्करण से, कि जिस संस्करण में या तो शब्द मुद्रण में अथवा उस पुस्तक के भू-चित्रों में, पुस्तकों के ठप्पों में या पुस्तक के अन्य खुदे हुए चित्रों में कोई वृद्धि या परिवर्तन नहीं किये गये हों, और जिस पुस्तक के प्रथम या उस संस्करण से पूर्व के किसी संस्करण की प्रति इस अधिनियम के अधीन प्रदान की जा चुकी हो, या

(२) इस अधिनियम की धारा ५ में नियत किये नियमों की सानुरूपता में प्रकाशित कोई भी समाचारपत्र।

१०. धारा ९ के अंतर्गत प्रदत्त पुस्तकों के लिए रसीद : ऊपर कही अन्तिम धारा के अंतर्गत, जिसको कि किसी पुस्तक की एक प्रति प्रदान की गयी है, वह पदाधिकारी उसके बदले में तत्संबंधी मुद्रक को एक लिखित रसीद देगा।

११. धारा ९ के अंतर्गत दी गयी प्रतियों का निबटारा : इस अधिनियम की धारा ९ के प्रथम परिच्छेद के खण्ड (अ) के अनुसरण में प्रदत्त प्रति का वैसे ही निबटारा किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार समय-समय निर्धारण करेगी। उक्त परिच्छेद के खण्ड (इ) के अनुसरण में प्रदत्त कोई भी प्रति या प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की जाएँगी।

११अ. भारत में मुद्रित समाचारपत्र की प्रतियाँ सरकार को निःशुल्क प्रदान की जाएँगी : भारत में प्रत्येक समाचारपत्र का मुद्रक, जैसा कि राज्य सरकार शासकीय पत्रिका में अधिसूचन द्वारा निर्देश दे, ऐसे स्थान पर तथा ऐसे पदाधिकारी को, तथा सरकार के किसी व्यय के बिना ऐसे समाचारपत्र के प्रत्येक अंक की, जैसे ही वह प्रकाशित होता है, दो प्रतियाँ प्रदान करेगा।

भाग—४ दण्ड

१२. धारा ३ के नियम के विरुद्ध मुद्रण के लिए दण्ड : जो कोई भी इस अधिनियम की धारा ३ में रखे नियम की सानुरूपता के सिवाय किसी पुस्तक या पत्र को मुद्रित करेगा, वह किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अपराध-सिद्धि पर अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा, जो दो हजार रुपया से अधिक का नहीं होगा, या सादा कारावास का दण्ड पाएगा, जो छह मास से अधिक का नहीं होगा, अथवा दोनों दण्डों से दण्डित होगा।

१३. धारा ४ द्वारा अपेक्षित घोषणा किये बिना मुद्रणालय रखने के लिए दण्ड : कोई भी व्यक्ति, जैसा कि इस अधिनियम की धारा ४ द्वारा अपेक्षित है, किसी ऐसी घोषणा को किये बिना किसी उपयुक्त मुद्रणालय को अपने कब्जे में रखता है, वह किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अपराध-सिद्धि होने पर, अर्थ-दण्ड से दण्डित

होगा, जो दो हज़ार रुपये से अधिक का नहीं होगा, या सादा कारावास का दण्ड पाएगा, जो छह मास से अधिक का नहीं होगा, अथवा दोनों दण्डों से दण्डित होगा।

१४. मिथ्या वक्तव्य के लिए दण्ड : कोई भी व्यक्ति, जो कि इस अधिनियम की अधिकार-सत्ता के अंतर्गत घोषणा करता हुआ एक मिथ्या वक्तव्य देता है, या जिस वक्तव्य के मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, अथवा विश्वास है, या उसके यथार्थ होने का उसे विश्वास नहीं है, वह किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अपराध-सिद्धि पर अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा, जो कि दो हज़ार रुपये से अधिक का नहीं होगा, तथा कारावास दण्ड पाएगा, जो छह मास से अधिक का नहीं होगा।

१५. नियमों की सानुरूपता के बिना समाचारपत्रों के मुद्रण या प्रकाशन के लिए दण्ड : जो कोई भी इसके पूर्व निश्चित नियमों की सानुरूपता के बिना किसी समाचारपत्र का संपादन, मुद्रण अथवा प्रकाशन करता है, या जो कोई भी यह जानते हुए किसी समाचारपत्र का संपादन, मुद्रण या प्रकाशन करेगा, अथवा किसी से संपादन, मुद्रण या प्रकाशन कराएगा, कि उस समाचारपत्र के संबंध में उक्त नियम ग्रहण नहीं किये जा चुके हैं, वह किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अपराध-सिद्धि पर अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा, जो दो हज़ार रुपया से अधिक का नहीं होगा, या कारावास दण्ड पाएगा, जो छह मास से अधिक का नहीं होगा, अथवा दोनों दण्डों से दण्डित होगा।

१६. पुस्तकें न प्रदान करने या मुद्रक को मानचित्र (नक़्शे) न देने के लिए दंड : यदि किसी ऐसी पुस्तक का, जैसा कि इस अधिनियम की धारा ९ में निर्दिष्ट है, कोई मुद्रक उस धारा के अनुसरण में उसी पुस्तक की प्रतियों को प्रदान करने में उपेक्षा करता है, तो वह ऐसी प्रत्येक त्रुटि के लिए एक धन-राशि, जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगी, उस स्थान पर, जहाँ कि पुस्तक मुद्रित हुई थी, अधिकार-क्षेत्र रखने वाला मैजिस्ट्रेट उस पदाधिकारी के आवेदन पर, जिसको कि ऐसी प्रतियाँ प्रदान की जानी चाहिए थीं, या उस पदाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर, उन परिस्थितियों में उक्त दोष के लिए यथोचित दंड

निश्चित करे, सरकार को दण्ड-रूप में देगा, तथा ऐसे धन के अतिरिक्त उतना धन और भी देगा, जितना कि मैजिस्ट्रेट उन प्रतियों का, जो कि मुद्रक को प्रदान करनी चाहिए थी, मूल्य होना निश्चित करे।

यदि कोई प्रकाशक या किसी ऐसे मुद्रक को काम में लगाने वाला कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम की धारा ९ के द्वितीय परिच्छेद में नियत मानचित्रों (नक़्शों) मुद्रणों या खुदे हुए चित्रों को, जो उस धारा के आदेशों का पालन करने में उसे समर्थ बनाने में आवश्यक हों, देने में उपेक्षा करे, तो ऐसा प्रकाशक या अन्य व्यक्ति ऐसे प्रत्येक दोष के लिए एक धन राशि, जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगी, जिसे कि ऐसा मैजिस्ट्रेट जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, पूर्वोक्त रूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने पर उन परिस्थितियों में ऐसे दोष के लिए यथोचित दंड निश्चित करे, सरकार को दण्ड रूप में देगा, और ऐसे धन के अतिरिक्त उतना धन, जितना कि मैजिस्ट्रेट उन मानचित्रों (नक़्शों), मुद्रणों या खुदे हुए चित्रों का मूल्य होना निश्चित करे, जो कि प्रकाशक या अन्य व्यक्ति को देना चाहिए था, और भी देगा।

१६ अ. सरकार को निःशुल्क दिये जाने वाले समाचारपत्रों की प्रतियाँ प्रदान करने में विफलता के लिए दंड : यदि भारत में प्रकाशित हुए किसी समाचारपत्र का कोई मुद्रक धारा ११अ के परिपालन में उसी समाचारपत्र की प्रतियों को प्रदान करने में उपेक्षा करता है, उस पदाधिकारी की, जिसे कि ऐसी प्रतियाँ प्रदान करनी चाहिए थीं या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो कि उस पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत किया गया हो, शिकायत पर वह किसी मैजिस्ट्रट के सामने, जो कि उस स्थान में, जहाँ पर कि ऐसा समाचारपत्र प्रकाशित हुआ था, अपराध-सिद्धि पर अर्थ-दंड से दंडित होगा, जो कि ऐसे प्रत्येक दोष के लिए पचास रुपये तक हो सकेगा।

१७. जब्तियों की वसूली तथा उनका निबटारा तथा अर्थ-दण्ड की वसूली : धारा १६ के अधीन सरकार को दण्ड-रूप में दी हुई कोई रक़म, ऐसी रक़म को निश्चित करने वाले मैजिस्ट्रेट के या उसके पदानुवर्ती अधिपत्र (वारन्ट) के अधीन तत्समय, लागू दंड्य-विधि-संहिता द्वारा

अधिकृत रूप में तथा भारतीय दंड्य-विधान-संहिता (१८६० का ४५) द्वारा किसी जुर्माना के समाहरण के लिए निर्धारित अवधि के भीतर वसूल की जाए।

भाग—५ पुस्तकों का निबंधन

१८. पुस्तकों के स्मारपत्रों का निबंधन : जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, यहाँ ऐसे कर्यालय में तथा ऐसे पदाधिकारी द्वारा एक पुस्तक रखी जाएगी, जो कि भारत में मुद्रित पुस्तकों का सूचीपत्र कहलाएगा, जिसमें कि ऐसी प्रत्येक पुस्तक का, जो कि इस अधिनियम की धारा ९ के प्रथम परिच्छेद के खंड (अ) के अनुसरण में प्रदान की जा चुकी होंगी, स्मारपत्र (मिमोरेंडम) लिखा जाएगा। ऐसा स्मारपत्र जहाँ तक कि व्यवहार्य हो, अधोगत विवरण (ब्योरे) रखेगा, यथा :—

(१) पुस्तक का शीर्षक तथा उक्त शीर्षक की विषय-सूची, जब कि ऐसा शीर्षक तथा उसकी विषय-सूची अंग्रेजी भाषा में नहीं है, तब ऐसे शीर्षक तथा विषय-सूची का अंग्रेज़ी अनुवाद :

(२) वह भाषा, जिसमें पुस्तक लिखी गयी है :

(३) पुस्तक या पुस्तक के किसी भी अंश के लेखक, अनुवादक या सम्पादक का नाम :

(४) विषय :

(५) मुद्रण तथा प्रकाशन का स्थान :

(६) मुद्रक या मुद्रणालय का नाम तथा प्रकाशक या प्रकाशन-संस्था का नाम :

(७) मुद्रणालय या प्रकाशन से निकलने की तारीख :

(८) पत्र, पन्ने या पृष्ठों की संख्या :

(९) आकार (साईज़) :

(१०) संस्करण की प्रथम, द्वितीय अथवा अन्य संख्या :

(११) संस्करण में जितनी प्रतियाँ मुद्रित हुई हैं, उनकी संख्या :

(१२) पुस्तक मुद्रित हुई या शिला-मुद्रित हुई है :

(१३) मूल्य, जिस पर पुस्तक जनता को बेची जाती है, तथा

(१४) प्रतिलिपि-अधिकार (कॉपीराइट) या ऐसे प्रतिलिपि

अधिकार के मालिक का नाम तथा निवास-स्थान।

धारा ९ के प्रथम परिच्छेद के खंड (अ) के अनुसरण में प्रत्येक पुस्तक की प्रति प्रदान करने के पश्चात् जितना शीघ्र संभव हो, प्रत्येक पुस्तक के विषय में ऐसा स्मारपत्र बनाया तथा निबंधन किया जाएगा।

१९. निबंधन हुए स्मारपत्रों का प्रकाशन : उक्त सूचीपत्र में प्रत्येक त्रिमासिकी की अवधि में निबंधन हुए स्मारपत्र जितना शीघ्र संभव हो सके, ऐसी त्रिमासिकी के अन्त होने के पश्चात् शासकीय पत्रिका में प्रकाशित होगा तथा प्रकाशित हुए स्मारपत्रों की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

भाग—६ विविध

२०. नियम बनाने की अधिकार-सत्ता : राज्य सरकार ऐसे नियम बनाने की, जो कि इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक या वांछनीय हों, और समय-समय पर ऐसे नियमों को विखण्डित, परिवर्तन तथा संवर्धित करने की अधिकार-सत्ता रखेगी।

प्रकाशन : ऐसे सब नियम तथा उनके समस्त विखण्डन तथा परिवर्तन तथा तत्संबंधी किये संवर्धन शासकीय पत्रिका में प्रकाशित होंगे।

२१. अधिनियम के प्रवर्तन से पुस्तकों के किसी वर्ग को मुक्त करने की अधिकार-सत्ता : राज्य-सरकार शासकीय पत्रिका में अधिसूचन द्वारा पुस्तकों या पत्रों की किसी श्रेणी को इस समूचे अधिनियम या इसके किसी भाग अथवा भागों के प्रवर्तन से मुक्त कर सकती है।

पहेली-पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम

इस समय विभिन्न राज्यों के अपने-अपने अधिनियम हैं, जिनके अनुसार पहेली-संचालकों को अपनी राज्य-सरकार को आवश्यक शुल्क दे कर आज्ञापत्र (लाइसेन्स) लेना अनिवार्य है। भारत सरकार इस संबंध में जो नया अधिनियम बनाने का विचार कर रही है, उसके अनुसार इन प्रतियोगिताओं पर पूरा प्रतिबंध नहीं लगेगा, अपितु इस अधिनियम का उद्देश्य समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली इन प्रतियोगिताओं का नियंत्रण और नियमन है। तीन राज्य पूर्ण प्रतिबंध के, और शेष राज्य पुरस्कार की उच्चतम राशि निर्धारित करने के पक्ष में हैं।

पुस्तक-प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालयार्थ) अधिनियम, १९५४
१९५४ की अधिनियम-संख्या २७

The Delivery of Books (Public Libraries) Act, 1954.

राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तक प्रदान करने के लिए अधिनियम।

भारतीय गणराज्य के पाँचवें वर्ष में लोक-सभा द्वारा इसका विधायन, निम्न प्रकार से होगा—

१. **आगम तथा क्षेत्र**—(१) इस अधिनियम का नाम 'पुस्तक-प्रदान' (सार्वजनिक पुस्तकालयार्थ) अधिनियम, १९५४ होगा।

(२) जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर सम्पूर्ण भारत तक इसका विस्तार होगा।

२. **परिभाषाएँ**—इस अधिनियम के अंतर्गत केवल उसी स्थिति में, यदि प्रसंग कोई और न हो—

(अ) "पुस्तक" के अंतर्गत वे सब ग्रंथ, ग्रंथ का अंश व भाग और पुस्तिका, चाहे किसी भी भाषा में हो और संगीत-विषयक प्रत्येक पत्र, मानचित्र, चार्ट अथवा नक़्शा चाहे वह अलग से मुद्रित अथवा शिला-मुद्रित हो, आते हैं, किन्तु उनमें उस समाचारपत्र का समावेश नहीं है, जो मुद्रणालय तथा पुस्तकों का निबंधन अधिनियम १८६७, (१८६७ का २५) के २ रे भाग की किसी धारा के अंतर्गत आता है।

(ब) "सार्वजनिक पुस्तकालयों" का अर्थ है, कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय और वे कोई भी तीन अन्य पुस्तकालय, जो केन्द्रीय सरकार के अधिकृत गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित किये जाएँ।

३. **सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तक-प्रदान**—

(क) यह कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुकूल होगा, किन्तु मुद्रणालय तथा पुस्तकों का निबंधन अधिनियम १८६८ की ९ वीं धारा के आदेशों के प्रतिकूल नहीं होगा। प्रकाशक प्रत्येक पुस्तक, जो इस अधिनियम के क्षेत्र के अंतर्गत प्रकाशित होती

है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी संविदा के होते हुए अपने व्यय पर उसकी एक प्रति कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय और ऐसी एक-एक प्रति अन्य किसी भी तीन पुस्तकालयों को प्रकाशन-तिथि के तीस दिन के अंदर ही भेजेगा।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तकालयों को भेजी हुई प्रति संपूर्ण पुस्तक की वैसी ही प्रति होनी चाहिए जिसमें वे तमाम मानचित्र व चित्र होंगे जो हर पुस्तक में हैं, जो अन्य प्रतियों की ही भाँति उसी रंग और प्रकार से छपी होनी चाहिए और वह सजिल्द, सिली हुई और उत्तम काग़ज पर छपी होनी चाहिए जिस पर कि पुस्तक की प्रत्येक प्रति छपी है।

(ग) अन्य किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय को भेजी हुई प्रति उसी काग़ज़ पर छपी होनी चाहिए जिस पर बिक्री के लिए पुस्तक की सारी प्रतियाँ छपी हैं और उसका वही आकार-प्रकार व दशा होनी चाहिए जो अन्य बिक्री वाली पुस्तकों की है।

(घ) उपविभाग (क) के आदेश पुस्तक के द्वितीय अथवा बाद के उन संस्करणों पर लागू नहीं होंगे जिनमें 'लेटर-प्रेस' अथवा नक्शों में, 'बुक-प्रिंट' व अन्य क़लमकारी में, जो कि पुस्तक के भाग हैं, कोई वृद्धि या परिवर्तन नहीं होगा और जिनका प्रथम संस्करण व उनका पूर्व संस्करण इस अधिनियम के अंतर्गत भेजा जा चुका है।

४. प्रदत्त पुस्तकों के लिए रसीद—सार्वजनिक पुस्तकालय का पदाधिकारी या कोई और अधिकृत व्यक्ति जो उस कार्य के लिए नियुक्त हो जिसे कि धारा ३ के अंतर्गत एक प्रति भेजी गयी है, वह प्रकाशक को उसकी एक रसीद लिख कर देगा।

५. दण्ड—कोई भी प्रकाशक जो इस अधिनियम की किसी भी धारा या नियम का उल्लंघन करेगा उसे पुस्तक के मूल्य तथा ५० रुपये तक का अर्थ-दंड देना पड़ेगा और जिस न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, उसे यह अधिकार होगा कि वह आदेश दे दे, कि अर्थ-दंड की संपूर्ण राशि या उसका एक अंश जो उससे वसूल किया जाएगा, क्षति-पूर्ति के रूप में उस पुस्तकालय को दे दिया जाए जिसे प्रकाशक की ओर से पुस्तक प्रदान की जानी चाहिए थी।

६. अपराधों में हस्तक्षेप—(क) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी दण्डनीय अपराध में कोई भी अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी; केवल उस अवस्था में ही वह हस्तक्षेप करेगी जब कि कोई अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार ने किसी साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा वह अधिकार दिया हो, इस अवहेलना के विरुद्ध अदालत को शिकायत भेजे।

(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये दण्डनीय अपराध का मुकदमा प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत से नीची अदालत नहीं चला सकती।

७. सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अधिनियम का लागू होना—यह अधिनियम उन पुस्तकों पर भी लागू होगा जो सरकार द्वारा अथवा सरकार के अधिकार पर प्रकाशित होंगी, सरकारी उपयोग के लिए प्रकाशित पुस्तकें इनमें अपवाद होंगी।

८. नियम बनाने के अधिकार—केन्द्रीय सरकार अपने अधिकृत गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम की उद्देश्य-पूर्ति के लिए नियम बना सकती है।

हैदराबाद शिशु अधिनियम, १९५१

(Hyderabad Children Act, 1951) : के भाग ८ के अनुसार बाल अपराधियों पर किसी भी न्यायालय में चलने वाले मुकदमे का समाचार, जिसमें उसका नाम, पता, या विद्यालय, या कोई ऐसा विवरण जिससे उसकी पहचान हो सके, या उसका कोई चित्र प्रकाशित करने पर दो मास का कारावास दंड या अर्थ-दंड (५०, तक ?) या दोनों ही दंड दिये जा सकते हैं।

न्यायालय का अपमान अधिनियम, १९५२

(The Contempt of Court Act, 1952) : की विशेषता यह है कि इसमें "न्यायालय अपमान" की परिभाषा ही नहीं है। अपमान हुआ या नहीं, हुआ तो कैसे ? इन सब का निर्णय न्यायाधीश के विवेक पर रखा गया है। अपराध सिद्ध होने पर ६ मास तक का साधारण कारा-वास दंड या २०००) तक का अर्थ-दंड या दोनों ही दिये जा सकते हैं।

समाचारपत्र (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम, १९५१

The Press (Objectionable Matter) Act, 1951

(जैसा कि वह संसद द्वारा २५ मार्च १९५४ तक संशोधित हुआ।)

अपराध करने के लिए उत्तेजनात्मक मुद्रण तथा प्रकाशन तथा अन्य आपत्तिजनक विषय के विरुद्ध व्यवस्था करने के लिए अधिनियम।

अध्याय-१ आरम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :

(१) इस अधिनियम का नाम समाचारपत्र (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम, १९५१ होगा।

(२) यह जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ समस्त भारत को व्याप्त करता है।

(३) यह जैसा कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचन द्वारा शासकीय गज़ट में नियत करे, उस तारीख़ पर लागू हो जायेगा, और उसके प्रारंभ की तारीख़ से **चार वर्ष** की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा।

२. परिभाषायें : जब तक कि प्रसंग अन्यथा अपेक्षा नहीं करता, इस अधिनियम में :–

(अ) "**पुस्तक**" किसी भी भाषा में प्रत्येक ग्रन्थ, ग्रन्थ के भाग या खण्ड, पुस्तिका, पर्णक (leaflet) तथा अलग २ रूप में मुद्रित्त, शिला-मुद्रित, या अन्यथा यान्त्रिक रूप में उत्पादित संगीत, मानचित्र, चार्ट या योजना के प्रत्येक पत्रक (शीट) को सम्मिलित करती है;

(इ) "**संहिता**" (कोड) से अभिप्रेत है, दण्ड प्रक्रिया १८९८ की संहिता;

(उ) "**अधिकार-युक्त प्राधिकारी**" से तात्पर्य है, राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(ऋ) "**प्रलेख**" (दस्तावेज़) किसी रंग-लेपन, खाका खींचना या चित्र लेना, अथवा अन्य दृष्टिगोचर होने वाले निरूपण को भी

सम्मिलित करता है;

(ए) **'समाचारपत्र'** से तात्पर्य है, सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टीका-टिप्पणियाँ देने वाली कोई भी नियतकालिक कृति;

(ऐ) **"समाचारपत्रक"** से तात्पर्य है, सिवाए समाचारपत्र के सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टीका-टिप्पणियाँ देने वाला कोई प्रलेख;

(ओ) **"मुद्रणालय"** से तात्पर्य है किसी मुद्रणालय का, और जिसमें प्रलेखों के मुद्रण अथवा वहुमुद्रण के हेतु या उससे संबंधित प्रयोग में लिये जाने वाले महायंत्र यंत्र, प्रतिलिपिक यंत्र, कीलाक्षर, औज़ार तथा अन्य सामग्रियाँ सम्मिलित हैं;

(औ) **"मुद्रणालय निबंधन अधिनियम"** से तात्पर्य है, मुद्रणालय तथा पुस्तकों का निबंधन अधिनियम १८६७;

(अं) **"सेशन-जज"** कलकत्ता या मद्रास के प्रेसीडेन्सी टाऊनों (नगरों) के संबंध में तात्पर्य है चीफ़-प्रेजीडेन्सी मैजिस्ट्रेट;

(अः) **"अनधिकृत समाचारपत्र"** से तात्पर्य है—

(१) कोई भी ऐसा समाचारपत्र जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन जमानत माँगी जा चुकी है, किंतु अपेक्षित जमानत जमा न की जा चुकी हो; या

(२) कोई भी ऐसा समाचारपत्र जो कि मुद्रणालय-निबंधन अधिनियम की धारा ५ में निर्धारित नियमों की समानुरूपता के बिना प्रकाशित हुआ हो;

(क) **"अनधिकृत समाचारपत्रक"** से तात्पर्य है, कोई भी ऐसा समाचारपत्रक जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन जमानत माँगी जा चुकी हो, किंतु अपेक्षित जमानत जमा न की जा चुकी हो, या ऐसा कोई समाचारपत्रक, जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम न हो;

(ख) **"अ-घोषित मुद्रणालय"** से तात्पर्य है, सिवाय एक ऐसे मुद्रणालय के जिसके संबंध में उस समय पर मुद्रणालय-निबंधन अधिनियम की धारा ४ के अधीन एक वैध घोषणा हो—कोई भी मुद्रणालय;

३. निरूपित आपत्तिजनक विषय : इस अधिनियम में "आपत्तिजनक विषय" से तात्पर्य है, कोई भी ऐसा शब्द, चिह्न या दृष्टिगोचर होने वाला निरूपण जो कि संभवतः—

(१) भारत में या उसके किसी राज्य में विधि द्वारा स्थापित सरकार या किसी क्षेत्र में उसके प्राधिकारी को पलटने या नष्ट करने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को हिंसा या विध्वंस के मार्ग पर चलने के लिए उकसाता या प्रोत्साहित करता है; या

(२) किसी व्यक्ति को हत्या, विध्वंस या किसी हिंसापूर्ण अपराध के लिए उकसाता या प्रोत्साहित करता है; या

(३) किसी व्यक्ति को खाद्य की उपलब्धि (सप्लाई) तथा बटवारा या अन्य आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं में हस्तक्षेप करने के लिए उकसाता या प्रोत्साहित करता है; या

(४) संघ की किसी सशस्त्र सेना के अथवा पुलीस-दल के किसी सदस्य को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से फुसलाता है, अथवा ऐसी सेना या दल में नौकरी करने के लिए, भरती होने के लिए या ऐसी सेना या दल के अनुशासन पर, प्रतिकूल प्रभाव डालता है; या

(५) भारत की जनता के भिन्न-भिन्न वर्गों के मध्य में वैर-भाव या घृणा के भावों को बढ़ाता है; या

(६) जो धमकी या दबाव डालने के लिए अभिप्रेत अतिनिन्दनीय अश्लील, या अशिष्ट या गन्दा है।

स्पष्टीकरण १—सरकार की किसी विधि की या किसी नीति की अथवा प्रशासन-संबंधी कार्रवाई की इस दृष्टि से नापसंदगी (अधिक्षेप) या आलोचना करता हो, ताकि वैध उपायों द्वारा उसका परिवर्तन या प्रतिकार किया जाए, तथा ऐसे विषयों के निर्देशक शब्द, जिनको वहाँ से हटा देना लक्ष्य है, जो कि भारत की जनता के भिन्न-भिन्न वर्गों के मध्य में वैर-भाव या घृणा उत्पन्न कर रहे हों, अथवा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हों, इस धारा के भावार्थों में आपत्तिजनक विषय नहीं माने जाएँगे।

स्पष्टीकरण २–कोई विषय इस अधिनियम के अधीन आपत्तिजनक विषय है या नहीं, यह निर्धारित करने में शब्दों, चिह्नों (इंगितों) या सचित्र निरूपणों का प्रभाव, और न कि समाचारपत्र, या स्थिति अनुसार, समाचारपत्र के प्रकाशक अथवा मुद्रणालय के रक्षक (कीपर) का अभिप्राय, जाँच में रखा जाएगा ।

स्पष्टीकरण ३—"विध्वंस" से तात्पर्य है, महायंत्र (प्लान्ट), गोदामों (स्टाक), पुलों, सड़कों तथा अन्य ऐसी ही चीजों को क्षति या नुकसान पहुँचाना, तथा किसी महायंत्र की उपयोगिता या संवाहन (Communication) की सेवा या साधनों का सोद्देश्य विनाश या उन पर हानिकारक रूप में प्रभाव डालना ।

अध्याय–२ आपत्तिजनक विषय का मुद्रण तथा प्रकाशन

४. कतिपय विषयों में मुद्रणालयों से जमानत की माँग करने के लिए अधिकार-सत्ता : जब कभी अधिकार-युक्त प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में उसके समक्ष की गयी शिकायत पर तथा ऐसे निम्न-निर्देशित रीति से की हुई जाँच पर सेशन-जज को संतोष हो जाए—

(अ) कि उसके अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित कोई मुद्रणालय आपत्तिजनक विषय रखने वाले किसी समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक या अन्य प्रलेख (दस्तावेज़) के मुद्रण या प्रकाशन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हुआ है,

(इ) कि इस धारा के अधीन उक्त मुद्रणालय के रक्षक से जमानत की माँग करने के लिए पर्याप्त आधार हैं,

तब सेशन-जज लिखित आदेश द्वारा उस मुद्रणालय के रक्षक को आदेश की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर, जमानत के रूप में, उतना धन जितना वह उचित समझे या उस धन के बराबर सरकारी ऋणपत्र, जैसा कि जमानत जमा कराने वाला व्यक्ति पसंद करे, जमा कराने के लिए निर्देश दे ।

पर यदि समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेशन-जज को संतोष हो जाए कि उक्त मुकदमे का अभिप्राय चेतावनी द्वारा पूरा हो जाएगा, तब वह जमानत माँगने की बजाय, ऐसी

चेतावनी को अभिलेखित कर दे।

५. **जमानत जब्त करने या अधिक जमानत की माँग करने के लिए अधिकार-सत्ता :** जब कभी अधिकार-युक्त प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में उसके समक्ष की गयी शिकायत पर तथा निम्न-निर्देशित रीति से की हुई जाँच पर सेशन-जज को संतोष हो जाए,

(अ) कि कोई ऐसा मुद्रणालय, जिसके बारे में धारा ४ के अधीन या इस धारा के अधीन कोई जमानत जमा कराने के लिए आदेश हो चुका है, उसके पश्चात् आपत्तिजनक विषय रखने वाले किसी समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक या अन्य प्रलेख के मुद्रण या प्रकाशन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हुआ है,

(इ) कि इस धारा के अधीन आदेश देने के लिए वहाँ पर्याप्त आधार है, तब सेशन-जज लिखित आदेश द्वारा—

(१) ऐसी सारी जमानत को या उसके किसी अंश को, जो कि जमा करायी जा चुकी है, सरकार के पक्ष में ज़ब्त हुई घोषित करेगा; या

(२) उस मुद्रणालय के रक्षक को, आदेश की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर, जितना कि वह उचित मानता हो, उतनी अधिक जमानत जमा कराने के लिए निर्देश देगा; तथा

इन दोनों में किसी भी स्थिति में ऐसा आपत्तिजनक विषय रखने वाले समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक या अन्य प्रलेख की सब प्रतियों को भारत में जहाँ कहीं पर भी वह देखी जाए, सरकार के लिए जब्त घोषित भी कर सकता है।

६. **धारा ४ या धारा ५ के अधीन अपेक्षित जमानत को जमा कराने में विफलता के परिणाम :—**

(१) जहाँ किसी मुद्रणालय के रक्षक से धारा ४ या धारा ५ के अधीन जमानत के रूप में कोई रक़म जमा कराने के लिए माँग की गयी हो, तथा ऐसी जमानत (डिपाज़ेट) स्वीकृत समय के भीतर जमा न करायी गयी हो—

(अ) मुद्रणालय-निबंधन अधिनियम के अधीन उस मुद्रणालय के रक्षक द्वारा की गयी घोषणा रद्द हुई मानी जाएगी।

(इ) मुद्रणालय-निबंधन अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी न तो मुद्रणालय का उक्त रक्षक और न अन्य व्यक्ति उस मुद्रणालय के संबंध में उस अधिनियम के अधीन तब तक किसी मैजिस्ट्रेट के सामने नयी घोषणा करेगा या न ही उसे घोषणा करने दिया जाएगा, जब तक कि वह उतनी रक़म, जितनी धारा ४ या धारा ५, जैसी स्थिति हो, के अधीन उस मुद्रणालय के रक्षक से माँगी गयी थी, अथवा उस रक़म के बराबर सरकारी ऋणपत्र जैसा कि जमा कराने वाला व्यक्ति पसंद करे, मैजिस्ट्रेट के सामने जमा नहीं कराता, तथा

(उ) उक्त मुद्रणालय जब तक कि उक्त जमानत जमा नहीं करा चुकता, किसी समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक या अन्य प्रलेख के मुद्रण या प्रकाशन के लिए प्रयुक्त नहीं होगा।

(२) जहाँ कोई मुद्रणालय उपधारा (१) के खण्ड (उ) के उल्लंघन में प्रयुक्त हुआ हो, कोई मैजिस्ट्रेट अधिकार-युक्त प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त उसके सामने लिखित रूप में की गयी शिकायत पर मुद्रणालय के रक्षक को यह कारण दिखाने के लिए निर्देश दे, कि वह मुद्रणालय सरकार के पक्ष में क्यों न ज़ब्त किया जाए, तथा उस (रक्षक) की सुनवाई कर चुकने के पश्चात् और इस बात से संतुष्ट होने पर कि वहाँ आदेश देने के लिए आधार हैं, वह उस मुद्रणालय या उसके किसी भी भाग को सरकार के पक्ष में ज़ब्त घोषित करे :

पर यदि इस प्रकार ज़ब्त किया मुद्रणालय या उसका कोई भाग ऐसी ज़ब्ती के आदेश की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर बेचा नहीं जाना, और यदि उस मुद्रणालय का रक्षक उपर्युक्त अवधि के भीतर माँग की रक़म

को जमा करा देता है, तब वह मुद्रणालय अथवा उसका अंश, जैसी स्थिति हो, उस मुद्रणालय के रक्षक को वापस लौटा दिया जाएगा।

७. **कतिपय विषयों में समाचारपत्रों तथा समाचारपत्रकों से जमानत की माँग करने के लिए अधिकार-सत्ता :** जब कभी अधिकार-युक्त प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में उसके समक्ष की गयी शिकायत पर तथा निम्न-निर्देशित रीति से की हुई जाँच पर सेशन-जज को संतोष हो जाए—

(अ) कि उसके अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रकाशित कोई समाचारपत्र या समाचारपत्रक, कोई आपत्ति-जनक विषय रखता है, तथा

(इ) इस धारा के अधीन उक्त समाचारपत्र या समाचारपत्रक के प्रकाशक से जमानत की माँग करने के लिए पर्याप्त आधार हैं,

तब सेशन-जज लिखित आदेश द्वारा उस समाचारपत्र या समाचार-पत्रक को आदेश की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर, जमानत के रूप में, उतना धन, जितना वह उचित समझे, या उस धन के बराबर सरकारी ऋण-पत्र, जैसा कि जमानत जमा कराने वाला व्यक्ति पसंद करे, जमा कराने के लिए निर्देश दे।

८. **जमानत जब्त करने या अधिक जमानत की माँग करने के लिए अधिकार-सत्ता :** जब कभी अधिकार-युक्त प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में उसके समक्ष की गयी शिकायत पर तथा निम्न निर्देशित रीति से की हुई जाँच पर सेशन-जज को संतोष हो जाए :—

(अ) कि कोई ऐसा समाचारपत्र या समाचारपत्रक, जिसके बारे में धारा ७ या इस धारा के अधीन कोई जमानत जमा करने के लिए आदेश दिया जा चुका है, उसके पश्चात् कोई आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करता है,

(इ) कि इस धारा के अधीन आदेश देने के लिए वहाँ पर्याप्त आधार हैं, तब सेशन-जज लिखित आदेश द्वारा :—

(१) ऐसी सारी जमानत या उसके किसी अंश को, जो कि जमा

करायी जा चुकी हैं, सरकार के पक्ष में ज़ब्त हुई घोषित करेगा, या

(२) उस समाचारपत्र या समाचारपत्रक के प्रकाशक को आदेश की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर जितना कि वह उचित मानता हो, उतनी अधिक जमानत जमा कराने के लिए निर्देश देगा; तथा

इन दोनों में किसी भी स्थिति में ऐसा आपत्तिजनक विषय रखने वाले समाचारपत्र या समाचारपत्रक की सब प्रतियों को भी भारत में जहाँ कहीं पर भी वह देखी जाए, सरकार ज़ब्त घोषित करे।

९. धारा ७ या धारा ८ के अधीन अपेक्षित जमानत को जमा कराने में विफलता के परिणाम : (१) जहाँ किसी समाचारपत्र के प्रकाशक से धारा ७ या धारा ८ के अधीन जमानत के रूप में कोई रक़म जमा कराने के लिए माँग की गयी हो, तथा ऐसी जमानत स्वीकृत समय के भीतर जमा न करायी गयी हो :—

(अ) मुद्रणालय-निबंधन अधिनियम की धारा ५ के अधीन उस समाचारपत्र के प्रकाशक द्वारा की गयी घोषणा रद्द हुई मानी जाएगी; तथा

(इ) कोई व्यक्ति मुद्रणालय-निबंधन अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसी समाचारपत्र या किसी अन्य समाचारपत्र के रूप में, जो कि सार-रूप में उसी समाचारपत्र के रूप में है, तब तक किसी मैजिस्ट्रेट के सामने नयी घोषणा नहीं करेगा, या न ही उसे करने दिया जाएगा, जब तक कि वह उतनी रक़म जितनी धारा ७ या धारा ८, जैसी स्थिति हो, के अधीन उस समाचारपत्र के प्रकाशक से माँग की गयी थी, अथवा उस रक़म के बराबर सरकारी ऋणपत्र, जैसा कि जमा कराने वाला व्यक्ति पसंद करे, मैजिस्ट्रेट के पास जमा नहीं कराता।

(२) जहाँ धारा ७ या धारा ८ के अधीन किसी समाचारपत्र या समाचारपत्रक के प्रकाशक से किसी जमानत की माँग की गयी हो, कोई भी मुद्रणालय ऐसी जमानत को जमा कराने के लिए

स्वीकृत समय के समाप्त होने के पश्चात् ऐसे समाचारपत्र या समाचारपत्रक के मुद्रण या प्रकाशन के लिए जब तक ऐसी जमानत जमा नहीं करायी जा चुकी हो, बिना सरकार की अनुमति के प्रयुक्त नहीं होगा।

(३) किसी भी मुद्रणालय का रक्षक, जो कि जान-बूझ कर उपधारा २ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास-दंड से अथवा अर्थदंड से अथवा दोनों दंडों से दंडित होगा, और जहाँ ऐसा रक्षक उसी समाचारपत्र या समाचारपत्रक के संबंध में दूसरी बार या लगातार उल्लंघन के लिए दंडित हुआ हो, वहाँ न्यायालय यह निर्देश भी दे सकता है, कि उक्त मुद्रणालय या उसका कोई भाग सरकार के पक्ष में ज़ब्त किया जाए।

परन्तु यदि इस प्रकार ज़ब्त किया मुद्रणालय अथवा उसका कोई भाग ऐसी ज़ब्ती के आदेश की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर बेचा नहीं जाता और यदि उस मुद्रणालय का रक्षक उपर्युक्त अवधि के भीतर माँग की रक़म जमा करा देता है, तब वह मुद्रणालय या उसका भाग जैसी भी स्थिति हो, उस मुद्रणालय के रक्षक को वापस लौटा दिया जाएगा।

१०. जमानत की रक़म : धारा ४ या धारा ५ या धारा ७ या धारा ८ के अधीन किसी मुद्रणालय के रक्षक के द्वारा या समाचारपत्र या समाचारपत्रक के प्रकाशक के द्वारा जमा कराने के लिए माँगी गयी जमानत की रक़म, तद्विषयक परिस्थितियों पर उचित ध्यान रखते हुए निश्चित की जाएगी तथा अत्यधिक नहीं होगी, और किसी भी स्थिति में धारा १६ के अधीन शिकायत में उल्लिखित रक़म से अधिक नहीं होगी।

११. कतिपय प्रकाशनों को ज़ब्त घोषित करने के लिए सरकार की अधिकार-सत्ता : राज्य सरकार उस राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) अथवा स्थिति अनुसार मुख्य विधि-पदाधिकारी (प्रिंसिपल लॉ अफ़सर) अथवा भारत के महान्यायवादी (अटोर्नी जनरल) के प्रमाणपत्र पर, कि किसी समाचारपत्र या समाचारपत्रक, या पुस्तक, या

अन्य प्रलेख का कोई अंक जहाँ कहीं पर भी निकला हो, कोई आपत्तिजनक विषय रखता है, शासकीय प्रपत्र (गज़ट) में अधिसूचन द्वारा आदेश के लिए आधारों को बतलाता हुआ घोषित करे कि उस समाचारपत्र या समाचारपत्रक अथवा ऐसी पुस्तक या प्रलेख के ऐसे अंक की प्रत्येक प्रति सरकार के पक्ष में ज़ब्त हो जाएगी ।

१२. प्रकाशनों के बंडलों को जब कि वे आयात किये गये हों, रोकने के लिए अधिकार-सत्ता :—

(१) मुख्य सीमा-शुल्क-अधिकारी (चीफ़ कस्टम अफ़सर) या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य पदाधिकारी किसी भी ऐसे बंडल को उन प्रदेशों में जिनको यह अधिनियम व्याप्त करता है, जल या थल या आकाश मार्ग से लाया गया हो, जिसके संबंध में वह संदेह रखता हो, कि उसमें आपत्तिजनक विषय रखने वाले समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तकें या अन्य प्रलेख हैं, रोक ले, और उसमें पाये गये किसी भी समाचारपत्र, पुस्तक या अन्य प्रलेख की प्रतियाँ तत्काल ऐसे पदाधिकारी को प्रस्तुत करे, जिसको राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, और जो राज्य-सरकार के निर्देशानुसार उसे निबटाए ।

(२) उपधारा (१) के अधीन की किसी कार्रवाई द्वारा संतप्त कोई भी व्यक्ति पुनर्विचार के लिए उस राज्य-सरकार से प्रार्थना कर सकेगा, और वह राज्य-सरकार उस पर ऐसा आदेश, जिसे कि वह उचित समझती हो, दे दे ।

१३. कतिपय प्रलेखों को डाक द्वारा भेजने पर प्रतिबंध :—

(१) कोई भी ऐसा समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक या अन्य प्रलेख जो कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन ज़ब्त घोषित किया जा चुका हो, तथा कोई भी अनधिकृत समाचारपत्र या अनधिकृत समाचारपत्रक डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा ।

(२) किसी डाकखाना का कोई कार्याध्यक्ष पदाधिकारी अथवा पोस्ट-मास्टर जनरल द्वारा इस निमित्त अधिकृत पदाधिकारी सिवाय पत्र (लेटर) के, किसी भी ऐसी वस्तु को जिसके विषय में वह संदेह

रखता है, कि वह एक ऐसा प्रलेख है, जो कि उपधारा (१) में उल्लिखित है, डाक द्वारा संचरण के मार्ग में रोक ले, और ऐसी समस्त वस्तुओं को, ऐसे पदाधिकारी के हवाले कर दे जिसको कि राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।

(३) जिसके हवाले उपधारा (२) के अधीन कोई वस्तु प्रदान की गयी हो, यदि उस पदाधिकारी को संतोष हो, कि वह वस्तु किसी ऐसे प्रलेख को, जो कि उपधारा (१) में उल्लिखित है. धारण करती है, तो वह ऐसे आदेश दे जो उस वस्तु के विक्रय के लिए हों, और उसकी आमदनी को जैसा कि वह उचित मानता हो, और यदि उसको यह संतोष नहीं होता, तो वह उस वस्तु को वस्तु पाने वाले के पते पर भेजने के लिए उस डाकखाना को वापस लौटा देगा।

१४. अनधिकृत समाचारपत्रों तथा समाचारपत्रकों को हस्तगत करने तथा विनष्ट करने के लिए अधिकार-सत्ता :—

(१) कोई पुलीस पदाधिकारी अथवा राज्य-सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी अनधिकृत समाचारपत्र या अनधिकृत समाचारपत्रक को हस्तगत कर ले।

(२) कोई भी प्रेजीडेन्सी-मैजिस्ट्रेट, ज़िला-मैजिस्ट्रेट, सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिपत्र (वारंट) द्वारा सब-इन्स्पेक्टर से कम न होने वाले पद के किसी भी पुलिस-पदाधिकारी को किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश करने और वहाँ पर तलाशी लेने के लिए, जहाँ पर कि अनधिकृत समाचारपत्रों या समाचारपत्रकों का कोई गोदाम हो, या होने का युक्तियुक्त संदेह हो, अधिकृत करे, और ऐसा पुलीस-पदाधिकारी, ऐसे स्थान में पाये गये किसी भी ऐसे प्रलेख को जो कि उसकी राय में अनधिकृत समाचारपत्र, या समाचारपत्रक हैं, हस्तगत कर ले।

(३) उपधारा (१) के अधीन हस्तगत किये गये सब प्रलेख, जितना शीघ्र संभव हो, प्रेजीडेन्सी-मैजिस्ट्रेट, ज़िला-मैजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल-मैजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किये जाएँगे, और उपधारा (२) के अधीन हस्तगत किये गये समस्त

प्रलेख, जितना शीघ्र संभव हो, उस मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएँगे, जिसने उक्त अधिपत्र निकाला था।

(४) यदि ऐसे मैजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में कोई भी ऐसा प्रलेख अनधिकृत समाचारपत्र या अनधिकृत समाचारपत्रक है, तब वह मैजिस्ट्रेट या न्यायालय उन्हें विनष्ट करवाए, किन्तु यदि ऐसे मैजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में ऐसा कोई भी प्रलेख अनधिकृत समाचारपत्र या अनधिकृत समाचारपत्रक न हो, तब ऐसा मैजिस्ट्रेट या न्यायालय उसे संहिता (कोड) की धारा ५२३, ५२४ तथा ५२५ में निर्देशित रीति से निबटाएगा।

१५. अनधिकृत समाचारपत्रों तथा अनधिकृत समाचारपत्रकों का मुद्रण करने वाले अघोषित मुद्रणालयों को हस्तगत तथा जब्त करने के लिए अधिकार-सत्ता :—

(१) जहाँ प्रेजीडेन्सी मैजिस्ट्रेट या सब-डिवीजनल-मैजिस्ट्रेट यह मानने के लिए कारण रखता हो, कि उसके अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी अघोषित मुद्रणालय से किसी अनधिकृत समाचार-पत्र या समाचारपत्रक का मुद्रण हो रहा है, वहाँ वह सब-इन्स्पेक्टर से कम दर्जा न रखने वाले किसी भी पुलीस-पदाधिकारी को जहाँ पर ऐसा अघोषित मुद्रणालय हो, या वहाँ पर उसके होने का युक्तियुक्त संदेह हो, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने के लिए अधिपत्र द्वारा अधिकृत करे, और यदि वहाँ पर पाया गया कोई मुद्रणालय उसकी राय में अघोषित मुद्रणालय हो, और वह अनधिकृत समाचारपत्र या समाचारपत्रक के मुद्रण के लिए प्रयुक्त होता हो, तब वह ऐसे मुद्रणालय को तथा उस स्थान में पाये गये किसी भी ऐसे प्रलेख को, जो कि उसकी राय में अनधिकृत समाचारपत्र या अनधिकृत समाचारपत्रक हैं, हस्तगत कर ले।

(२) पुलीस-पदाधिकारी उस न्यायालय को जिसने अधिपत्र निकाला था, तत्काल तलाशी का विवरण देगा, और जितना शीघ्र संभव हो सकेगा, जब्त की गयी ऐसी सब संपत्ति उस मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा।

पर यदि जहाँ कोई ऐसा मुद्रणालय जो कि हस्तगत किया जा चुका हो, सुविधापूर्वक अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता, तब पुलीस-पदाधिकारी न्यायालय के सामने उसके केवल ऐसे भाग प्रस्तुत करे, जिन्हें कि वह उचित मानता हो।

(३) यदि ऐसा न्यायालय, ऐसी जाँच के पश्चात् जो कि उसकी राय में आवश्यक प्रतीत हो, यह राय रखता हो कि इस धारा के अधीन हस्तगत किया गया मुद्रणालय अघोषित मुद्रणालय है, जो कि किसी अनधिकृत समाचारपत्र या अनधिकृत समाचारपत्रक के मुद्रण के लिए प्रयुक्त किया गया है, तब वह (न्यायालय) लिखित रूप में आदेश द्वारा उस मुद्रणालय या उसके किसी भी भाग को सरकार के पक्ष में ज़ब्त घोषित करे, परन्तु यदि ऐसी जाँच करने के पश्चात् न्यायालय ऐसी राय न रखता हो, तब वह उस मुद्रणालय को संहिता की धारा ५२३, ५२४ तथा ५२५ में निर्देशित रीति से निबटाएगा।

अध्याय–३ प्रक्रिया : सेशन-जज के सामने जाँच

१६. शिकायत के विषय : इस अधिनियम के अधीन किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध (जो आगे प्रतिपक्षी (रेसपोंडेंट) के रूप में निर्देशित है) सेशन-जज के सामने की गयी प्रत्येक शिकायत उस आपत्तिजनक विषय के बारे में जिसकी शिकायत की गयी हो, बयान या वर्णन करेगा, और जहाँ यह चाहा गया हो, कि प्रतिपक्षी से जमानत की माँग की जानी चाहिए, वहाँ उस जमानत की रक़म का, जो कि उस राज्य-सरकार की राय में माँगी जानी चाहिए, उल्लेख होगा।

१७. नोटिस जारी करना : अधिकारयुक्त प्राधिकारी से किसी शिकायत की प्राप्ति पर, सेशन-जज के प्रतिपक्षी को नोटिस में उल्लिखित तिथि पर प्रस्तुत होने के लिए और कारण दिखाने के लिए बुलावा देता हुआ, जैसा कि तत्संबंधी परिस्थितियों में समुचित हो, कि इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध क्यों न कार्रवाई की जाए, उस (शिकायत) का एक नोटिस जारी करेगा।

१८. जाँचों के लिए प्रक्रिया : (१) जब प्रतिपक्षी धारा १७ के परिपालन में सेशन-जज के सामने प्रस्तुत हो, तब सेशन-जज निर्णय देने के

लिए मुद्दों का निबटारा करेगा, और उक्त शिकायत की जाँच प्रारंभ करेगा, और जैसा कि प्रस्तुत की जाए, ऐसी गवाही (साक्ष्य) लेने के पश्चात् और पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन ऐसे आदेश दे।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी भी जाँच को जितनी जल्दी शक्य हो सके, सिवाय उस गवाही के, संहिता के अधीन मैजिस्ट्रेट द्वारा समन-संबंधी विषयों में परीक्षण करने के लिए निर्धारित रीति से पूर्ण रूप में अभिलेखित करेगा।

१९. **प्रतिपक्षी का प्रस्तुत न होना :** यदि प्रतिपक्षी की प्रस्तुति के लिए नियत दिन या उसके बाद के किसी दिन, जिस दिन के लिए जाँच स्थगित की जाए, उक्त प्रतिपक्षी प्रस्तुत नहीं होता, तब सेशन-जज उक्त शिकायत की सुनवाई करना प्रारंभ करेगा, और ऐसे सब साक्ष्य (गवाही), यदि कोई हो तो, जैसा कि उस शिकायत की सहायता में प्रस्तुत हो सकें, लेगा, और जैसा कि वह उचित समझे इस अधिनियम के अधीन ऐसे आदेश देगा :—

परंतु यदि उक्त प्रतिपक्षी द्वारा दिये प्रार्थना-पत्र पर एक-तरफ़ा (एक्स-पारटी) आदेश की तारीख़ के पन्द्रह दिनों के भीतर सेशन-जज को यह संतोष हो जाए, कि वहाँ पर्याप्त आधार हैं, तब वह उस आदेश को रद्द कर दे, और उस शिकायत के विषय में नयी जाँच करे।

२०. **पंच सदस्य (जूरी) :—**

(१) यदि इस अधिनियम के अधीन सेशन-जज के सामने उक्त प्रतिपक्षी उस मामले की पंच-सदस्यों की सहायता से निर्णीत होने के लिए दावा रखता है, तब उस विषय में आगे आने वाले उपबन्ध लागू होंगे।

(२) ऐसी प्रत्येक पंचायत ऐसे पाँच व्यक्तियों पर अवलम्बित होगी, जो कि उन व्यक्तियों से चुने जाएँगे जो उपधारा (३) के अधीन तैयार की गयी व्यक्तियों की सूची से इस रूप में कार्य करने के लिए बुलाये जाएँगे।

(३) ऐसा पदाधिकारी, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, संहिता की धारा ३१९ और ३२० में निहित सानुकूलता रखते हुए, उस राज्य के भीतर निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों की, जो कि अपने पत्रकारिता के अनुभव के कारण अथवा मुद्रणालयों या समाचारपत्रों के साथ अपने संबंध के कारण या सार्वजनिक कार्यों में अपने अनुभव के कारण पंच के रूप म सेवा देने के योग्य हों, एक सूची तैयार करेगा और उसे अकारादि क्रम में रखेगा।

(४) इस प्रकार तैयार की गयी सूची को वह पदाधिकारी, उसके संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित्त करने के उद्देश्य से, उस रीति से, मौखिक या लिखित रूप में प्रकाशित करेगा जैसा कि वह उचित समझे और अपने द्वारा अंतिम रूप से संशोधित सूची की एक प्रति राज्य के अंतर्गत प्रत्येक सेशन-जज को भेजेगा और वह राज्य के सरकारी गजट में प्रकाशित भी होगी।

(४-अ) इस धारा के अधीन होने वाली किसी भी जाँच में पंच का यह कर्तव्य है कि वह निर्णय करे कि इसके सम्मुख प्रस्तुत कोई समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक अथवा अन्य प्रलेख आपत्तिजनक हैं या नहीं; तथा सेशन-जज का यह कर्तव्य है कि वह निर्णय करे कि जमानत की माँग करने का आदेश देने, अथवा जमा करायी हुई जमानत या उसका कोई अंश सरकार के लिए जब्त करने का निर्देश देने, अथवा और भी जमानत जमा कराने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं।

(५) जहाँ तक संहिता के अध्याय १३ के भाग उ (C), ए (E), ऐ (F) तथा क(K) भागों के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों की सानुरूपता में व्यवहार्य बनाये जा सकते हैं, उक्त भागों के उपबंध इस धारा के अधीन जाँचों पर लागू होंगे।

२१. पंच की सहायता से की गयी जाँच का परिणाम :—

(१) जहाँ पंच की सहायता से की गयी जाँच में सेशन-जज पंच सदस्यों या उनकी बहुसंख्या की राय पर विरोध प्रकट करना आवश्यक नहीं

समझता, वहाँ वह तदनुसार आदेश देगा ।

(२) यदि किसी जाँच में सेशन-जज पंच सदस्यों की सम्मति से विरोध रखता हो, और यह राय रखता हो, कि न्याय की उद्देश्य-पूर्ति के लिए उस विषय को उच्च-न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है, तब वह अपनी सम्मति के आधारों को अभिलेखित करते हुए उस विषय को तदनुसार प्रस्तुत करेगा।

(३) इस प्रकार प्रस्तुत किये गये विषय के व्यवहार में उच्च-न्यायालय इस अधिनियम के अधीन सेशन-जज को प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करे ।

२२. पूर्ववर्ती तथा पश्चात्वर्ती अंकों की ग्राह्यता : किसी भी समाचारपत्र या समाचारपत्रक के संबंध में सेशन-जज के समक्ष किसी जाँच में ऐसे समाचारपत्र या समाचारपत्रक का कोई पूर्ववर्ती अथवा पश्चात्वर्ती अंक ऐसे शब्दों, चिह्नों या सचित्र निरूपणों के जिन पर कि शिकायत की गयी हो, प्रकार या प्रभाव के प्रमाण की सहायता में गवाही में रखे जा सकेंगे ।

उच्च-न्यायालय में अपील तथा प्रार्थनापत्र

२३. सेशन-जज के आदेशों के विरुद्ध उच्च-न्यायालय में अपील : उचित अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा ४, धारा ५, धारा ७ या धारा ८ के अधीन सेशन-जज द्वारा कोई आदेश दिया गया हो, वह ऐसे आदेश की तिथि के साठ दिनों के भीतर उच्च-न्यायालय में एक अपील दायर करे । और ऐसी अपील पर उच्च-न्यायालय, जैसा कि उसे उचित प्रतीत हो, अपील किये गये उस आदेश को पुष्ट करने वाले, बदलने वाले या उसके विपरीत, आदेश दे, और जैसा कि वह आवश्यक समझे, समनुवर्ती या आनुषंगिक आदेश दे ।

२४. जब्ती के आदेशों के विरुद्ध उच्च-न्यायालय में प्रार्थनापत्र : धारा ११ के अधीन राज्य सरकार द्वारा या धारा ६ की उपधारा (२) के, अथवा धारा ९ की उपधारा (३) के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अथवा धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन किसी भी आदेश द्वारा दिये गये किसी जब्ती के आदेश से संतप्त कोई भी व्यक्ति ऐसे

आदेश की तिथि के साठ दिनों के भीतर ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए उच्च-न्यायालय को प्रार्थनापत्र दे, और ऐसे प्रार्थनापत्र पर वह उच्च-न्यायालय, उस राज्य सरकार या मैजिस्ट्रेट के आदेश को बदलने वाले या विरोध करने वाले आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, दे और जैसा कि वह आवश्यक समझे, ऐसा समनुवर्ती या आनुषंगिक आदेश दे।

२५. उच्च-न्यायालय में कार्य-प्रणाली : प्रत्येक उच्च-न्यायालय धारा २१ के अधीन प्रस्तुत विषयों तथा धारा २३ के अधीन अपीलों तथा धारा २४ के अधीन प्रार्थनापत्रों पर ऐसी कार्यवाहियों में व्ययों (खर्चों) तथा उनमें दिये गये आदेशों के प्रवर्तन के संबंध में कार्य-प्रणाली को नियमित बनाने के लिए नियम बनाए, और जब तक ऐसे नियम नहीं बनाये जाते, तब तक निर्देश, अपील तथा पुनर्विचार की कार्यवाहियों में ऐसे उच्च-न्यायालय में प्रचलित प्रणाली, जहाँ तक संभव हो, ऐसे विषयों, अपीलों तथा प्रार्थनापत्रों पर लागू होगी।

अध्याय ४ दण्ड

२६. जमानत जमा कराये बिना मुद्रणालयों को रखने या समाचार-पत्र को प्रकाशित करने के लिए दण्ड :—

(१) जो कोई भी ऐसे मुद्रणालय का रक्षक है जो कि धारा ४ या धारा ५ के अधीन अपेक्षित जमानत जमा कराये बिना किसी समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक या अन्य प्रलेख के मुद्रण या प्रकाशन में प्रयुक्त हुआ हो, वह दो हजार रुपये तक के अर्थ-दंड या छह मास तक के कारावास-दंड से दंडित होगा, या दोनों दण्डों से दण्डित होगा।

(२) जो कोई भी धारा ७ या धारा ८ के अधीन अपेक्षित जमानत जमा कराये बिना किसी समाचारपत्र अथवा समाचार-पत्रक को प्रकाशित करता है, अथवा यह जानते हुए कि ऐसी जमानत जमा नहीं करायी गयी है, ऐसा समाचारपत्र या समाचारपत्रक प्रकाशित करता है, वह दो हजार रुपये तक के अर्थ-दंड या छह मास तक के कारावास दंड से, या

दोनों दंडों से दंडित होगा ।

२७. **अनधिकृत समाचारपत्रों तथा अनधिकृत समाचारपत्रकों को विस्तारित करने के लिए दण्ड :** जो कोई भी किसी अनधिकृत समाचारपत्र या अनधिकृत समाचारपत्रक को यह जानते हुए या इस विश्वास का कारण रखते हुए कि वह एक अनधिकृत समाचारपत्र या अनधिकृत समाचारपत्रक था, बेचता है या बाँटता है अथवा विक्रय करने या बाँटने के लिए अपने पास रखता है, वह छह मास तक के कारावास-दंड या अर्थ-दंड या दोनों दंडों से दंडित होगा ।

अध्याय–५ विविध

२८. **नोटिसों की तामील :** इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक नोटिस संहिता के अधीन समनों की तामील के लिए निर्धारित रीति से तामील होगी :—

पर यदि तामील इस रीति से उचित तत्परता या परिश्रम के प्रयोग द्वारा, प्रभावित नहीं हो सकती, तब तामीलकर्त्ता पदाधिकारी जहाँ कि वह नोटिस किसी मुद्रणालय के रक्षक को निर्देशित किया गया हो, उसकी एक प्रति (नक़ल), जैसा कि मुद्रणालय निबंधन अधिनियम की धारा ४ के अधीन रक्षक की घोषणा में उल्लिखित है, ऐसे स्थान के, जहाँ पर ऐसा मुद्रणालय स्थित है, किसी दृष्टिगोचर होने वाले भाग पर चिपकाएगा, और जहाँ ऐसा नोटिस किसी समाचारपत्र के प्रकाशक को निर्देशित हो, उस मकान या हाता के, जहाँ पर कि ऐसे समाचारपत्र का सम्पादन होता हो, जैसा कि उस अधिनियम की धारा ५ के अधीन प्रकाशक की घोषणा में दिया गया है, किसी दृष्टिगोचर होने वाले भाग पर चिपकाएगा, और ऐसा होने पर वह नोटिस उचित रूप में तामील हो चुका माना जाएगा ।

२९. **कतिपय विषयों में तलाशी अधिपत्र जारी करना :**— (१) जहाँ कोई मुद्रणालय या किसी समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक या अन्य प्रलेख इस अधिनियम के अधीन सरकार के पक्ष में जब्त हुआ घोषित हो गया हो, वह राज्य-सरकार किसी मैजिस्ट्रेट को, सब-इन्स्पेक्टर से कम पद न रखने वाले पुलिस पदाधिकारी को जब्त की जाने के लिए आदे-

शित किसी सम्पत्ति को रोकने के लिए और उस प्रदेश के, जहाँ यह अधिनियम व्याप्त है (निम्नगत), किसी भी मकान या हाता में दाख़िल होने के लिए तथा तलाशी के लिए अधिकृत बनाने वाले अधिपत्र जारी करने का निर्देश दे :—

(अ) जहाँ पर कि कोई ऐसी सम्पत्ति हो या वहाँ पर होने के लिए युक्तियुक्त संदेह हो, या

(इ) जहाँ पर किसी भी ऐसे समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक, या अन्य प्रलेख की कोई प्रति, विक्रय के लिए, बाँटने के लिए, अथवा प्रकाशन या सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखी गयी हो, अथवा उसके वहाँ रखे जाने के लिए युक्तियुक्त संदेह हो ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, जहाँ कोई समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक अथवा अन्य प्रलेख सरकार के पक्ष में ज़ब्त हुआ घोषित हुआ हो, किसी भी पुलिस पदाधिकारी के लिए, जहाँ पर उक्त समाचारपत्र इत्यादि देखा जाए, उसे हस्तगत कर लेना न्याय-संगत होगा ।

३०. तलाशियों का निष्पादन : इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया, प्रत्येक अधिपत्र, जहाँ तक कि वह तलाशी के साथ संबंध रखता है, संहिता के अधीन तलाशी के अधिपत्रों की क्रियान्विति के लिए निर्देशित रीति से कार्यान्वित होगा ।

३१. मुक़दमों को हस्तान्तर करने का अधिकार : जब कभी उच्च-न्यायालय अथवा स्थिति अनुसार केन्द्रीय-सरकार को प्रतीत होता हो, कि इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष जाँच को एक सेशन-जज से किसी दूसरे सेशन-जज को हस्तान्तर (बदलना) करना सुविधाजनक होगा या न्याय की उद्देश्यपूर्ति में उन्नतिकारक होगा, तब ऐसा हस्तान्तर निम्न प्रकार से निर्देशित किया जाए :—

(अ) जहाँ वे दोनों सेशन-जज किसी उच्च-न्यायालय के पुनर्विचार-अधिकारक्षेत्र के अधीन हों, उस उच्च-न्यायालय द्वारा, तथा

(इ) किसी अन्य स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा ।

३२. कतिपय विषयों में जमानत का वापस लौटाना : जहाँ किसी

मुद्रणालय का कोई रक्षक अथवा किसी समाचारपत्र या समाचारपत्रक का प्रकाशक धारा ४ या धारा ५ अथवा धारा ७ या धारा ८ के अधीन माँगी गयी जमानत या अधिक जमानत के रूप में कोई रक़म जमा करा चुका हो, और ऐसी जमानत की तारीख़ से दो वर्षों की अवधि तक इस अधिनियम के अधीन उस मुद्रणालय, समाचारपत्र या समाचारपत्रक के बारे में कोई कार्यवाही न की गयी हो, उस जमानत को जमा कराने वाला व्यक्ति या उसके अधीन दावा रखने वाला कोई व्यक्ति उस मैजिस्ट्रेट को जिसके अधिकार के अन्दर ऐसा मुद्रणालय स्थित हो, अथवा स्थिति अनुसार ऐसा समाचारपत्र या समाचारपत्रक प्रकाशित होता हो, जमा जमानत को वापस लौटाने के लिए प्रार्थना करे, और ऐसा होने पर ऐसी जमानत उक्त मैजिस्ट्रेट के संतोष के लिए उस प्रार्थी के प्रमाण (सबूत) देने पर, ऐसे व्यक्ति को वापस लौटायी जाएगी।

३३. अधिकार-क्षेत्र की रुकावट : समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जाने के लिए अभिप्रेत ज़ब्ती की प्रत्येक घोषणा इस तथ्य का अकाट्य साक्ष्य होगा, कि उस (घोषणा) में निर्देशित ज़ब्ती की जा चुकी है, तथा इस अधिनियम के अधीन की जाने के लिए अभिप्रेत कोई भी कार्यवाही धारा २३ या धारा २४ के अधीन की गयी अपील या प्रार्थना-पत्र पर सिवाय उच्च-न्यायालय के, किसी भी न्यायलय द्वारा प्रश्नास्पद नहीं की जाएगी, और सिवाय जैसा कि इस अधिनियम में निर्देशित हो, कोई भी दीवानी या फौज़दारी कार्यवाही किसी ऐसी चीज़ के लिए जो कि इस अधिनियम के अधीन शुभ निष्ठा में की गयी अथवा करने के लिए अभिप्रेत हो, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध स्थापित (दायर) नहीं की जाएगी।

३४. दोहरे दण्ड पर प्रतिबन्ध : इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी मुद्रणालय का रक्षक अथवा किसी समाचारपत्र या समाचारपत्रक का प्रकाशक, धारा २६ के अधीन यदि ऐसे व्यक्ति पर इसी कार्य या चूक के लिए धारा ४, या धारा ५, या धारा ७, या धारा ८ के अधीन कार्यवाही की जा चुकी हो, अभियुक्त नहीं बनाया जाएगा, और न ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा ४, या धारा ५, या धारा ७,

या धारा ८ के अधीन यदि उसी कार्य या चूक के लिए धारा २६ के अधीन ऐसा व्यक्ति अभियुक्त बनाया जा चुका हो, कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।

३५. इस अधिनियम के अधीन अपराधों का हस्तक्षेप : संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध तथा किसी ऐसे अपराध का अनुत्तेजन हस्तक्षेप तथा जमानत योग्य होगा।

३६. १८६७ ई० के अधिनियम २५ की धारा ४ तथा ८ का संशोधन :—

(अ) धारा ४ में "मैजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर "कोई ज़िला, प्रेजीडेन्सी, या सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट", ये शब्द स्थानापन्न होंगे; तथा

(इ) धारा ८ में "कोई मैजिस्ट्रेट", इन शब्दों के स्थान पर "कोई ज़िला, प्रेज़िडेन्सी, सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट" ये शब्द स्थानापन्न होंगे।

३७. विखण्डन :—(१) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम इसके द्वारा विखण्डित होते हैं।

(२) दूसरी अनुसूची में उल्लिखित किसी प्रान्तीय या राज्य अधिनियम का कोई भी उपबन्ध, जहाँ तक कि वह किसी समाचारपत्र, समाचारपत्रक, पुस्तक अथवा अन्य प्रलेख के मुद्रण, प्रकाशन या बाँट पर कोई प्रतिबन्ध लगाता हो, फिर चाहे ऐसा प्रतिबन्ध उसको पूर्वतः-संवाद-नियंत्रण (precensorship) की व्यवस्था करके या मुद्रक या प्रकाशक से जमानत की माँग करने की व्यवस्था करके या किसी अन्य रीति से हो, प्रभाव-शून्य हो जाएगा।

प्रथम अनुसूची : देखिए धारा ३७ (१), सामान्य अधिनियम

(१) दी इन्डियन स्टेट्स (असंतोष के विरुद्ध रक्षण) ऐक्ट १९२२; (२) दी प्रेस (एमरजेन्सी पावर्स) ऐक्ट १९३१; (३) दी फारेन रीलेशन्स ऐक्ट, १९३२; (४) दी इण्डियन स्टेट्स (प्रोटेक्शन) ऐक्ट, १९३४;

राज्य अधिनियम

(१) दी हैदराबाद प्रेस एन्ड प्रिंटिंग ऐस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट, १३५७ फ०; (२) दी मध्यभारत प्रेस (एमरजेन्सी पावर्स) ऐक्ट १९५०; (३) दी मैसोर प्रेस एन्ड न्यूज़पेपर्स ऐक्ट, १९४०; (४) दी पटियाला एन्ट ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन प्रेस (एमरजेन्सी पावर्स) आर्डिनेन्स, २००६; (५) दी राजस्थान प्रेस कन्ट्रोल आर्डिनेन्स, १९४९।

दूसरी अनुसूची देखिए धारा ३७ (२)

(१) दी आसाम मेन्टीनेन्स ऑफ़ पब्लिक आर्डर ऐक्ट, १९४७; (२) दी बिहार मेन्टीनेन्स ऑफ़ पब्लिक आर्डर ऐक्ट, १९४९; (३) दी बंबई पब्लिक सिक्योरिटी मैजर्स ऐक्ट, १९४७; (४) दी मध्य प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी मैजर्स ऐक्ट, १९५०; (५) दी मद्रास मेन्टीनेन्स आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट, १९४०; (६) दी उड़ीसा मेन्टीनेन्स आफ़ पब्लिक आर्डर ऐक्ट, १९५०; (७) दी वेस्ट बंगाल सिक्योरिटी ऐक्ट, १९५०; (८) दी यूनाइटेड स्टेट्स आफ ग्वालियर, इन्दोर एन्ड मालवा (मध्यभारत) मेन्टीनेन्स आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट, संवत् २००५; (९) दी पटियाला एन्ड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पब्लिक सेफ्टी आर्डिनेन्स, २००६; (१०) दी राजस्थान पब्लिक सिक्योरिटी आर्डिनेन्स, १९४९; (११) दी सौराष्ट्र पब्लिक सेफ्टी मैजर्स आर्डिनेन्स, १९४८; (१२) दी ट्रावनकोर-कोचीन सेफ्टी मैजर्स ऐक्ट, १९५०; (१३) दी भोपाल स्टेट पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट, १९४७।

श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) अधिनियम १९५९

इस अधिनियम के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, श्रमजीवी पत्रकारों पर भी लागू हो गया है। जिससे उन्हें उक्त अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हो गया है। श्रमजीवी पत्रकारों और प्रबंधकों के साथ हुए झगड़ों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरणों के सन्मुख ले जाया जा सकेगा। यह अधिनियम मुख्यतः प्रबंध-विषयक या प्रशासनिक कार्य करने वाले पत्रकारों के लिए लागू नहीं होता। (१) संपादक, अग्रलेख-लेखक, समाचार-संपादक, उपसंपादक, लेख-लेखक, प्रति जाँचक, रिपोर्टर, संवाददाता, व्यंगचित्रकार, छविकार और प्रूफरीडर पर लागू होता है, पर

समाचारपत्र और डाक-तार-विभाग

समाचारपत्रों को डाक तार-विभाग से अनेक रियायतें प्राप्त हैं, जिनके बल पर ही समाचारपत्र इतने सस्ते में पाठकों तक पहुँच पाते हैं।

यहाँ समाचारपत्रों से संबंधित डाक-तार-विभाग के नियम दिये जाते हैं। प्रारंभ की संख्याएँ भारतीय डाक-तार-निर्देशिका के नियम उपनियमों की हैं।

१३ (क) **रविवार को डाक (समाचारपत्र) भेजना** : निवेशित समाचारपत्र या उनके पैकेट को समाचारपत्र-छाँटन-कार्यालय तथा रेल-डाक-सेवा-कार्यालय में रविवार को बिना विलम्ब शुल्क दिये, स्वीकार किया जाता है, इन्हें बिना विलम्ब शुल्क दिये विशेष रूप से खोले गये डाकघरों की पत्र-पेटियों में निश्चित कार्यकाल के अन्दर ही डाल देना चाहिए।

निवेशित समाचारपत्र (राजिस्टर्ड समाचारपत्र)

७४ **परिभाषा** : डाक कार्यालय अधिनियम में उन समाचारपत्रों की जो देशीय डाक में निवेशित हो कर ''निवेशित समाचारपत्र'' के रूप में भेजे जा सकते हैं, यह परिभाषा दी गयी है :—

कोई प्रकाशन, जिसमें पूर्ण रूप से या अधिकतर राजनैतिक या अन्य समाचार या उनसे सम्बन्ध रखने वाले अथवा प्रचलित विषयों पर विज्ञापन सहित या बिना विज्ञापन के लेख हों उसे नीचे दी गयी अवस्थाओं की दृष्टि से समाचारपत्र समझा जाएगा :—

(१) इसके अंक प्रकाशित होते हों और यह २१ दिन से अधिक के अंतर से न प्रकाशित होता हो;

(२) इसके ग्राहकों की एक विश्वस्त सूची हो।

समाचारपत्र के समान उसके अतिरिक्त-अंक या पूरक को जिस पर समाचारपत्र की तारीख दी हुई हो, उसके साथ डाक में ले जाया जाता है और इसे समाचारपत्र का भाग समझा जाता है। इस प्रकार इस अतिरिक्त-अंक या पूरक का विषय पूर्ण रूप से या अधिकतर समाचारपत्र

के समान होना चाहिए और इसके प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर समाचारपत्र का नाम और तारीख भी छपी होनी चाहिए।

टिप्पणी : किसी निवेशित समाचारपत्र को, जिसमें पूरक के समान नीचे लिखे प्रकार का प्रलेख विशेष रूप से रखा गया हो, पुस्तक-पैकेट के समान माना जाना चाहिए।

(१) विज्ञापक की ओर से मुद्रित तथा समाचारपत्र के प्रकाशक के पास वितरण के लिए भेजा गया विज्ञापन-पत्र;

(२) माँग-पत्रक के साथ भेजा गया विज्ञापन-पत्र, आवेदन-पत्र के साथ भेजी गयी नियमावली या कोई प्रस्ताव या किसी प्रकार के पूछ-ताछ के पत्रक;

(३) प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से निजी पत्र के तौर पर लिखा गया-सन्देश-पत्र, जैसे पत्र रूप में उस व्यक्ति के लिए भेजा परिपत्र जिसे वह उस समाचारपत्र जिसके साथ इसे भेजा गया है, अवश्य प्राप्त कर ले।

७५. **डाक-व्यय** : नीचे दी गयी शर्तों (अवस्थाओं) के अनुसार देशीय डाक द्वारा परिवहन के लिए डाक में भेजे गये या भारत से अदन, श्रीलंका नेपाल, पाकिस्तान और पुर्तगाली भारत को भेजे गये निवेशित समाचार-पत्रों पर डाक-व्यय की निम्नलिखित दरें ली जाएँगी :—

तोल में दस तोले तक के समाचारपत्र पर	पाव आना
दस तोले से बीस तोले तक वाले समाचारपत्र पर	आधा आना
अतिरिक्त प्रति बीस तोले या उसके भाग पर	आधा आना

शर्तें (अवस्थाएँ)

(१) (क) समाचारपत्र का डाक-महा-अध्यक्ष (पोस्ट मास्टर जनरल) के कार्यालय में या उस पदाधिकारी द्वारा जो डाक-मण्डल महा-अध्यक्ष के अधिकार का प्रयोग करता है जिसमें कि यह प्रकाशित होता हो निवेशित करना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि इसका निवेशन या पिछले अवसर पर किया गया निवेशन आवश्यकतानुसार उस अवधि की परिसमाप्ति के अतिरिक्त निवेशित कराने के समय तक प्रचलित रहे। उस समाचारपत्र को छोड़ कर जो भारत-सरकार के किसी

आदेश के अनुसार छपता या प्रकाशित होता हो या सरकारी आवश्यकता को पूरा करता हो किसी समाचारपत्र के प्रथम निवेशन का आवेदन-पत्र, प्रधान संचालक द्वारा इस प्रयोजन के लिए निश्चित पत्रक में देना चाहिए। इस आवेदन-पत्र के साथ नीचे लिखे प्रमाण होने चाहिए :—

(—) कम से कम पचास विश्वस्त ग्राहकों के नाम व पतों की सूची और

टिप्पणी : "विश्वस्त ग्राहकों" से उन व्यक्तियों का अभिप्राय है जो ठीक तौर पर व नियमित रूप से शुल्क देते हों।

(=) स्थानीय जिला, प्रान्तीय या उप-विभागीय दण्डाधीश (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) का प्रमाणपत्र जिसके स्थानीय अधिकार-क्षेत्र में समाचारपत्र छपता या प्रकाशित होता हो अथवा जहाँ उस पत्र का छापने वाला या प्रकाशक रहता हो। यथा :—

(क) मुद्रणालय तथा पुस्तकों का निबंधन अधिनियम १८६७ की धारा ५ के अनुसार निर्दिष्ट घोषणा या घोषणाएँ दी गयी हैं, अथवा

(ख) उक्त अधिनियम के अनुसार इस प्रकार की किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस अधिनियम में दी हुई परिभाषा के आधार पर वह प्रकाशन समाचारपत्र नहीं है, या

(≡) पुर्तगाली राज्य के भारत में स्थित राज्य-क्षेत्र में छपने वाले समाचारपत्रों के विषय में, गोआ के भारतीय महाप्रदूत (कौंसल जनरल) का आवेदन-पत्र के समर्थन में, लिखित सिफ़ारिशपत्र।

(ख) पूर्ण डाक-व्यय की पहले अदायगी करनी आवश्यक है।

टिप्पणी : समाचारपत्रों को मूल्य-बाकी से डाक में भेजने की रीति प्रयोग रूप से चालू की गयी है; इसका विशेष-विवरण उस डाक-मण्डल के महा-अध्यक्ष से जिसके यहाँ समाचारपत्र निवेशित किया गया हो, या उस डाक-घर से जहाँ से इसे डाक में भेजा जाता है ज्ञात करना चाहिए।

(ग) समाचारपत्र के पहले या अन्तिम पृष्ठ पर आसानी से पढ़े जाने वाले किसी भी स्थान पर "निवेशित" यह शब्द छपे होने चाहिए; इसके साथ ही वह निवेशित संख्या जो इसे डाक-महा-अध्यक्ष द्वारा या

शर्त (क) में बताये गये किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गयी है—देनी चाहिए।

(घ) समाचारपत्र को इसके मालिक, व्यवस्थापक या प्रकाशक के द्वारा इसके प्रकाशन-स्थान पर सप्ताह के उन दिनों या महीने की उन तारीखों में डाक द्वारा भेजा जा सकता है, जो इस सम्बन्ध में उसने समाचारपत्र को निवेशित करने के प्रार्थना-पत्र भेजते समय लिखी हो या इसके बाद सूचित की हों या इन दिनों या तारीखों में कोई परिवर्तन कराना हो तो उस स्थान के डाकपाल (पोस्टमास्टर) को इस विषय में १५ दिन की स्पष्ट सूचना देनी होगी।

(ङ) समाचारपत्र की प्रत्येक प्रति को या इसकी प्रतियों के बंडल को बिना किसी आवरण के डाक में भेजना चाहिए, या इनको दोनों ओर से खुले आवरण में इस प्रकार लपेटना चाहिए कि इनका सुगमता से निरीक्षण किया जा सके या इनको बिना खुले लिफ़ाफे में रखना चाहिए, परन्तु ऐसा करने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस किसी प्रकार से समाचारपत्र की प्रतियों को डाक में परिवहन के लिए लपेटा या बन्द किया जाए, इनकी निवेशित संख्या जिसकी ओर उप-खण्ड (ग) में संकेत किया गया है आवरण या लिफाफे को हटाये बिना स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

(च) समाचारपत्र के छपने के बाद इस पर या इसके आवरण पर (यदि कोई हो) कोई भी शब्द नहीं छापा जाना चाहिए, न ही इस पर या इसके आवरण पर (यदि कोई हो) प्रेषित व्यक्ति के नाम व पते के अतिरिक्त किसी प्रकार की लिखावट या चिह्न नहीं होना चाहिए। उन पैकेटों के विषय में जिनमें समाचारपत्र की एक से अधिक प्रतियाँ हों, इसमें बन्द की गयी समाचारपत्रों की प्रतियों की संख्या का आवरण पर उल्लेख कर सकते हैं, और यदि इच्छा हो, तो ग्राहक की ग्राहक-संख्या और समाचारपत्र का नाम व पता, या इसके भेजने वाले का नाम व पते के अतिरिक्त यदि समाचारपत्र के किसी स्थान पर इसके असली पाने वाले व्यक्ति का ध्यान दिलाना हो तो इस पर "अंकित प्रति" वाली मोहर या मुद्रा भी लगायी जा सकती हैं। उस अवस्था में

जब कि समाचारपत्र-पैकेट रेलवे स्टेशन की पुस्तक-दुकान को या रेलवे के किसी मार्ग के मान्य कार्यवाहकों को भेजे जाएं तो उन पर "डाक के डिब्बे से सीधा बटवारा किया जाए" यह संकेत लिखा जा सकता है।

(छ) किसी समाचारपत्र के अन्तर्गत या उसके साथ खण्ड ७४ में दी गयी परिभाषा के अनुसार अतिरिक्त संख्या या पूरक के अतिरिक्त कोई कागज़ या वस्तु नहीं होनी चाहिए।

(ज) आवरण के ऊपर निवेशित-संख्या नहीं छापी जानी चाहिए।

(२) प्रथम निवेशन प्रचलित किये जाने वाले वर्ष से पंचांग-वर्ष के ३१ दिसम्बर तक मान्य रह सकेगा। इसके बाद पुन: कराया निवेशन केवल एक पंचांग-वर्ष तक प्रचलित रहेगा।

टिप्पणी : समाचारपत्रों के निवेशन के नवीनीकरण के विषय में आवेदन-पत्र उनके पहले निवेशन के समाप्त होने के एक महीने पूर्व ही भेजे जाएँगे। जब नवीनीकरण के लिए भेजा गया कोई आवेदन-पत्र पिछले निवेशन के समाप्त होने की अवधि वाले पंचांग मास की अन्तिम तारीख के बाद पहुँचा हो, तो उस पर ५) विलम्ब-शुल्क लिया जाएगा। उन समाचारपत्रों के निवेशन जिनके नवीनीकरण के विषय में भेजे गये आवेदन-पत्र, पिछले निवेशन के समाप्त होने की तारीख के एक महीने की अवधि के अन्दर प्राप्त हो जाएँ, उन आवेदन-पत्रों के पहुँचने की तारीख के एक सप्ताह के अन्दर उनसे सम्बन्धित समाचारपत्रों की निवेशन संख्या का नवीनीकरण तभी होगा जब कि इस सम्बन्ध में ५) का निर्धारित विलम्ब शुल्क आवेदन-पत्रों के साथ भेजा जाए। उस अवस्था में जब कि पिछले निवेशन की अवधि नवीनीकरण के पूर्व ही समाप्त हो जाए, समाचारपत्र पर इसके नवीकरणकाल तक पैकेट-दर पर, पूर्व-अदायगी करनी आवश्यक है। उस अवस्था में जब कि नवीनीकरण के सम्बन्ध में भेजा गया आवेदन-पत्र पिछले निवेशन के समाप्त होने की तारीख के पश्चात प्राप्त हो, तो निवेशन के लिए पहली बार भेजे गये आवेदन-पत्र की तरह, इस आवेदन-पत्र के विषय में नये सिरे से पूछ-ताछ करनी आवश्यक है और ऐसी दशाओं में सम्बन्धित समाचारपत्र को नयी निवेशन-संख्या दी जाएगी।

(३) जैसे ही उपखण्ड (१) के धारापद (क) में वर्णित किसी समाचारपत्र का प्रमाणपत्र या सिफ़ारिश साधारण तौर पर उचित अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया जाए या वापिस ले लिया जाए वैसे ही रियायती डाक-व्यय दर के लिए उस समाचारपत्र का निवेशन भी नष्ट हो गया या वापस ले लिया गया समझा जाता है।

स्पष्टीकरण : (१) किसी एक पैकेट में जब एक ही निवेशित समाचारपत्र की दो, या दो से अधिक प्रतियाँ हों तब उस समाचारपत्र के मालिक, व्यवस्थापक या प्रकाशक की इच्छानुसार इस प्रकार के पैकेट पर लिया जाने वाला डाक-व्यय या तो (क) इस खण्ड में वर्णित विशेष दर के अनुसार होगा, और इसकी रक़म का हिसाब समाचारपत्र की प्रत्येक प्रति के भार पर या (ख) पुस्तक पैकेट वाले दर के अनुसार किया जाएगा, परन्तु स्मरण रहे कि पुस्तक पैकेट की शर्तें किसी भी हालत में तोड़ी न जाएँ, या (ग) लिया जाने वाला डाक-व्यय—खण्ड ७५ (क) में दी हुई विशेष दर के अनुसार होगा और ऐसा न होने पर उसमें वर्णित शर्तों का भी ठीक-ठीक पालन करना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण : (२) यह पता लगाने के लिए कि शर्त (घ) का ठीक-ठीक पालन किया जा रहा है, मालिक, व्यवस्थापक या प्रकाशक को चाहिए कि वे अपने समाचारपत्रों को, इस काम के लिए चुनी हुई डाकघर की खिड़की पर या दरवाजे पर या डाक-यातायात कार्यालय में अवश्य पहुँचा दिया करें। प्रत्येक निवेशित समाचारपत्र के भेजने के लिए एक ही डाक-घर चुनना चाहिए, और एक ही समाचारपत्र की अन्य प्रतियों को निवेशित समाचारपत्र की तरह परिवहन के लिए किसी अन्य डाक-घर में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि डाक-महाध्यक्ष की इस सम्बन्ध में विशेष अनुमति प्राप्त न की गयी हो। पत्र-पेटियों (लैटर बक्सों) में डाले गये समाचारपत्रों पर निवेशित समाचारपत्रों के लिए निर्धारित कम डाक-व्यय के दर लागू नहीं होते।

७५ (क) समाचारपत्रों के पैकेट पर डाक-व्यय के दर : (१) समाचारपत्रों के उन पैकेटों पर जिनमें एक ही समाचारपत्र की एक से अधिक प्रतियाँ हों नीचे लिखे डाक-व्यय दर हैं :—

पहले १० तोलों या उनके भाग पर आधा आना

१० तोलों से अधिक प्रति ५ तोलों या उसके भाग पर पाव आना

या यदि पैकेट की प्रत्येक प्रति पृथक्-पृथक् भेजी जाती तो इसमें डाली गयी सब प्रतियों के हिसाब से दी जाने वाली डाक-व्यय की कुल रक़म या उक्त दरों के हिसाब से ली जाने वाली रक़म दोनो में से जो भी कम हो।

(२) इस प्रकार के पैकेट जिनमें निवेशित एक समाचारपत्र की एक ही अंक की एक से अधिक प्रतियाँ हों, तो उनको डाक में भेजने की नीचे लिखी शर्तें हैं :—

(क) प्रत्येक पैकेट में केवल एक ही निवेशित समाचारपत्र की एक ही अंक की प्रतियाँ होना चाहिए और उनकी तारीख भी एक ही होनी चाहिए।

(ख) ऐसे पैकेटों को, उस निवेशित समाचारपत्र की प्रत्येक प्रति के लिए निश्चित दिनों में, एक ही डाक-घर में भेजना चाहिए और गन्तव्य-स्थान के निवेशित समाचारपत्र के "स्थानीय कार्यवाहक" (लोकल एजेन्ट) के पते पर ही उनको भेजना चाहिए।

(ग) पैकेटों को, असली पाने वाले व्यक्ति के घर न पहुँच कर, गन्तव्य स्थान में पाने वाले व्यक्ति को, या उसके मान्य कार्यवाहक को सौंप देना चाहिए।

(घ) निवेशित समाचारपत्र के मालिक, व्यवस्थापक या प्रकाशक को चाहिए कि वह समाचारपत्र के डाक में भेजने वाले कार्यालय को, ऐसे प्रत्येक कार्यवाहक का नाम और पता तथा प्राप्ति-स्थान के डाक-घर या यातायात कार्यालय का नाम अथवा उस रेल के स्टेशन का नाम जहाँ पैकेट का वितरण किया जाता है, सूचित कर दे।

(ङ) समाचारपत्र भेजने वाले कार्यालय को चाहिए कि वह डाक-घर में या अभीष्ट स्थान के डाक-यातायात कार्यालय में या रेल-डाक-सेवा-विभाग में उन स्थानीय कार्यवाहकों के घर व पतों को, जिनके द्वारा समाचारपत्रों का वितरण किया जाता है निवेशित कराने का प्रयत्न करें।

(च) असली पाने वाले व्यक्ति को या उसके कार्यवाहक को

चाहिए कि वह समाचारपत्रों के पैकेट की प्राप्ति डाक-घर, डाक-यातायात कार्यालय की खिड़की से या रेल-डाक-सेवा-डिब्बे से कर ले।

(छ) निवेशित समाचारपत्र की एक से अधिक प्रति वाले पैकेट के प्रेषक को चाहिए कि वह पैकेट के ऊपर "खिड़की से बटवारा किया जाए" ये शब्द अंकित करवाए।

(२) उन स्थानों में जहाँ डाक-पेटी (पोस्ट-बाक्स) की व्यवस्था प्रचलित है, वहाँ साधारण तौर पर डाक-पेटी के सिवाय डाक-घर की खिड़की से कोई वस्तु वितरित नहीं की जाती। विशेष अवस्था में निवेशित समाचारपत्र के इस प्रकार के पैकेट स्थानीय कार्यवाहकों को, डाक-पेटी लेने के लिए विवश किये बिना ही दे दिये जाएँगे।

टिप्पणी : इस प्रकार के पैकेट पर जब अन्तर्गत प्रत्येक प्रति के अनुसार डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी की गयी हो या इसकी पूर्व-अदायगी पुस्तक पैकेट के दर के अनुसार की गयी हो तो प्रेषक अपनी इच्छानुसार समाचारपत्रों के पैकेट पर असली प्राप्त करने वाले व्यक्ति के घर का पूरा-पूरा पता लिख सकता है, जिससे उस पैकेट को उसके घर पहुँचा दिया जाए।

७६ **समाचारपत्र के निवेशन कराने की विधि :** (१) अपने समाचारपत्र का निवेशन कराने की इच्छा रखने वाले किसी समाचारपत्र के मालिक, व्यवस्थापक या प्रकाशक को चाहिए कि वह उस डाक-महा-अध्यक्ष को जिसके मण्डल में वह समाचारपत्र प्रकाशित होता हो, इसके निवेशन के लिए एक आवेदन-पत्र भेजे। फिर उसे आवेदन-पत्र* का छपा पत्रक जिसके अनुसार डाक-घर को आवश्यक सूचना दे दी जाएगी इस पत्रक को भर कर समाचारपत्र की एक प्रति के साथ डाक-महा-अध्यक्ष को भेज देना चाहिए।

समाचारपत्र की प्रति-सहित आवेदन-पत्र को प्राप्त कर डाक-मह-अध्यक्ष को चाहिए कि वह इस बात से अपनी संतुष्टि कर ले कि क्या समाचारपत्र का इन नियमों के अनुसार निवेशन किया जा सकता है। एवं इस सम्बन्ध में उसे उचित पूछ-ताछ भी करनी होगी। आवेदन-पत्र

*इस प्रकार के पत्रक बड़े डाक-घर से मिल सकते हैं।

के स्वीकार किये जाने पर वह अपने डाक-मण्डल के नाम पहले अक्षर के साथ निवेशित संख्या जोड़ देगा तथा उस संख्या को समाचारपत्र पर लगा कर इसकी सूचना समाचारपत्र के मालिक, व्यवस्थापक या प्रकाशक को भी दे देगा। साथ ही समाचारपत्र के निवेशन किये जाने की सूचना तथा इस पर लगायी गयी संख्या की सूचना उस डाक-घर को भी दे दी जाएगी जहाँ से वह समाचारपत्र डाक में भेजा जाना हो।

(२) निवेशित समाचारपत्र की निवेशन-संख्या को नवीकरण कराने की लिखित सूचना पहली निवेशन-संख्या की समाप्ति-समय के एक महीना पूर्व डाक-महा-अध्यक्ष को दे देनी चाहिए। निवेशित-संख्या के नवीकरण के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

टिप्पणी १—यदि किसी समाचारपत्र की निवेशित-संख्या का नवीकरण न कराया या इस संख्या को रद्द कर दिया गया हो तो उस समाचारपत्र को निवेशित समाचारपत्र की तरह डाक-व्यय दे कर उसे डाक में परिवहन के लिये स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी २—पुस्तक पैकेटों पर लगायी गयी शर्तों या दरों के अनुसार समाचारपत्र की एक प्रति या कई प्रतियों को डाक में परिवहन करने पर कोई निषेध नहीं, और यदि, कोई समाचारपत्र जिसे निवेशित समाचारपत्र के समान डाक में परिवहन किया जाना हो इस प्रकार की निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा तो इसे पुस्तक पैकेटों के दर पर, या उनके लिए निश्चित शर्तों के अनुसार ही—डाक में परिवहन किया जा सकेगा।

१७३—(क) **विदेशों के लिए डाक-व्यय** : अदन, श्रीलंका, नेपाल पाकिस्तान, व पुर्तगाली भारत को छोड़ कर विदेशी डाक द्वारा सेवित्त सब देशों व स्थानों में परिवहन के लिए भेजे गये निवेशित समाचारपत्र पर दिया जाने वाला डाक-व्यय प्रत्येक दो औंस के भार पर या उसके भाग पर आधा आना प्रति के हिसाब से है। अदन, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्ताव व पुर्तगाली भारत के लिए डाक-व्यय खंड ७५ में दिया गया है।

४१२ **संवाद-तारों की दरें**—देशीय संवाद तार निम्न दरों पर लिये जाते है :—

श्रेणी	भारत में वितरण के लिए			बरमा और पाकिस्तान में वितरण के लिए			श्रीलंका में वितरण के लिए		
	शब्दों की परिमाण संख्या	परिणाम दर	प्रत्येक पाँच अतिरिक्त शब्द	शब्दों की परिमाण संख्या	परिमाण दर	प्रत्येक पाँच अतिरिक्त शब्द	शब्दों की परिमाण संख्या	परिमाण दर	प्रत्येक पाँच अतिरिक्त शब्द
		रु. आ.	रु. आ.		रु. आ.	रु. आ.		रु. आ.	रु. आ.
तत्काल.	५०	१ ८	० २	४०	२ ८	० ४	३२	१ ८	० २
साधारण.	५०	० १२	० १	४०	१ ४	० २	—	—	—

पता : निशुल्क

अनेक स्थानों को भेजे गये कई पते वाले संवाद-संदेश का शुल्क एकहरे संदेश के बराबर ही लगेगा। लेकिन साथ ही शुल्क-योग्य शब्दों पर, जिनकी संख्या १०० से अधिक न हो, किसी भी संख्या के लिए ५ आना शुल्क और देना होगा। इसके अतिरिक्त पहले को छोड़ कर अन्य गन्तव्य स्थान के लिए प्रत्येक अतिरिक्त २० शब्दों या उसके अंश के लिए एक आना देना होगा। लेकिन इस संबंध में शर्त यह कि यह सभी गन्तव्य स्थानों के पते एक ही वितरक तारघर के सेवा-क्षेत्र के भीतर आते हों। जो देशीय कई पते वाले संवाद-तार जो भारत में ग्रहण और वितरित किये जाते हैं और जिनके पते विभिन्न तारघरों के वितरण-क्षेत्र में आते हैं, उनके शुल्क निम्न प्रकार लिये जाते हैं :—

पहला तारघर : (क) पहले पते के लिए—जो शुल्क उसी श्रेणी और आकार के एकहरे देशीय संवाद तार पर पड़ता है। (ख) अन्य (परवर्ती) पतों के लिए—नकल करने का खर्च निर्धारित दर पर होगा।

दूसरा तारघर : (क) पहले पते के लिए—उसी श्रेणी और आकार के एकहरे देशीय संवाद तार-शुल्क का तीन-चौथाई। (ख) अन्य (परवर्ती) पतों के लिए—नकल करने का खर्च निर्धारित दर पर होगा।

तीसरा तारघर : (क) पहले पते के लिए—उसी श्रेणी और आकार के एकहरे देशीय संवाद तार के शुल्क का आधा। (ख) अन्य (परवर्ती) पतों के लिए—नकल करने का ख़र्च निर्धारित दर पर होगा।

चौथा (और अन्य परवर्ती) तारघर (तारघरों) में (क) पहले पते के लिए—उसी श्रेणी और आकार के एकहरे देशीय संवाद तार शुल्क का एक चौथाई। (ख) अन्य (परवर्ती) पतों के लिए—नकल करने का खर्च निर्धारित दर पर होगा।

संवाद-तार के पते में तार भेजे जाने वाले कार्यालय का नाम, संवाददाता का नाम, और समाचारपत्र या समाचार समिति (यदि आवश्यक हो) का नाम शामिल होता है।

२१ बजे और ८ बजे (सायं ९ बजे और प्रात: ८ बजे के बीच का प्रमाणित समय) के बीच (या रविवारों और तारघरों की छुट्टियों के दिनों, जैसा खंड २ में निर्धारित किया गया है) संवाद-तार साधारण दरों पर तारघर द्वारा स्वीकार नहीं किये जाते।

टिप्पणी १—मद्रास—रंगून मार्ग से होकर बरमा के लिए साधारण संवाद-तार आजकल स्वीकार नहीं किये जाते।

टिप्पणी २—शुल्क जोड़ते समय तारघर का अर्थ वह सभी तारघर होते हैं जो केन्द्रीय तारघर की नि:शुल्क वितरण परिधि के भीतर आते हैं।

टिप्पणी ३—दूसरे, तीसरे और चौथे (तथा परवर्ती) तारघरों के लिए पहले पते के सिलसिले में तीन-चौथाई, आधा और एक-चौथाई, शुल्क जोड़ते समय अतिरिक्त शुल्क क्रमश: अलग जोड़ा जाएगा। आध आना या आध आने से ऊपर का अंश एक आना मान लिया जाएगा और आध आने से कम का अंश छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार हिसाब लगाने से जो शुल्क होगा उसमें प्रत्येक पहले पते के लिए साधारण तार के संबंध में ४ आने और तत्काल के संबंध में ८ आने की पूरी दर से अतिरिक्त शुल्क और जोड़ा जाएगा।

४१३ **शर्तें**—निम्नांकित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी संवाद-तार संवाद-दरों पर स्वीकार किया जाता है :—

(१) यह तार किसी ऐसे समाचारपत्र अथवा समाचार समिति के

पते पर होना चाहिए जिसका नाम डाक और तार के प्रधान संचालक द्वारा निवेशित किया जा चुका है। इस नियम के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट को निवेशित नहीं किया जाएगा।

समाचार समिति के निवेशन कराने के समय और उसके बाद प्रति वर्ष अपने उन विश्वस्त ग्राहकों की सूची डाक और तार के संचालक के पास भेजे, जिनको वह अपने संवाद देती है। समाचारपत्र या समाचार समिति के निवेशन करने के आवेदन-पत्र सरकारी तारघरों से छपे पत्रक ले कर उन पर लिख कर भेजना चाहिए।

(२) इसके पते में उस समाचारपत्र या समाचार समिति का निवेशित नाम और उस शहर का नाम होना चाहिए जहाँ उस समाचारपत्र या समिति निवेशित की गयी है। संवाद-दर पर केवल संवाद-तार पाने के लिए प्रत्येक अधिकार-प्राप्त समाचारपत्र, सामयिक-पत्रिका, समाचार समिति या आकाशवाणी अपने संक्षिप्त पते को निःशुल्क निवेशन करा सकते हैं।

(३) जैसा कि आगे पाँचवीं शर्त में लिखा है, उसे छोड़ कर इस तार में सिर्फ़ वही सूचना होनी चाहिए जिसका स्पष्टतः निवेशित समाचारपत्रों में छपना अभीष्ट है। फिर भी इन तारों में लेख के आरंभ में या अन्त में कोष्ठकों के भीतर तार प्रकाशन के संबंध में सूचनाएँ लिखी जा सकती हैं। जिनका कलेवर तार के १० सशुल्क शब्दों या कुल तार के ५ प्रतिशत शब्दों से जो भी इनमें कम हो, अधिक न होना चाहिए। जिस संवाद को एक समाचार-समिति संवाद-दर पर उपलब्ध करती है और स्पष्ट लिखती है, वह केवल उचित ढंग से निवेशित समाचारपत्रों या अन्य समाचार-समितियों को ही दिया जा सकता है। प्रकाशन से पहले जो संवाद-तार या तो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं, जैसे क्लबों, काफ़े, होटलों या एक्सचेंजों को दिये जाते हैं, उन पर पूरी देशीय दरों से शुल्क लिया जाता है।

(४) यह तार साफ़ अंग्रेज़ी में (जहाँ देवनागरी में तार देने की व्यवस्था हो, वहाँ देवनागरी में भी—सं०) लिखा होना चाहिए, ताकि

प्रेषक कार्यालयों को उसका अर्थ समझ में आ जाए और उसमें गूढ़ भाषा में गूढ़ अर्थ की कोई चीज़ न होनी चाहिए। किसी भी भारतीय भाषा में तार स्वीकार किये जाते हैं। बशर्ते इस प्रकार का जो तार दिया जाता है, उसकी भाषा या तो मूल कार्यालय या गंतव्य के कार्यालय में प्रायः प्रचलित होती है और वह तार रोमन लिपि में लिखा जाता है। संवाद-तारों में साधारण अंग्रेज़ी शब्दों का संक्षेप किया जा सकता है।

एक्सचेंज और बाज़ार-भाव जिनका व्याख्यात्मक लेख साथ में हो या न हो, कम दर पर संवाद-तार में स्वीकार किये जाते हैं। संदेह होने पर मूल कार्यालय प्रेषक से लिखा-पढ़ी करके निश्चय कर सकते हैं कि तार में उल्लिखित अंक वास्तव में एक्सचेंज के भाव हैं या नहीं। प्रेषक को इस बात का प्रमाण देना होगा।

(५) निम्न प्रकार का तार भी हो सकता है :—

(क) जो एक समाचारपत्र या समाचार-समिति द्वारा अपने निवेशित नाम से (उसके प्रकाशन या व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति के पद या नाम से नहीं) अपने संवाददाताओं या नियुक्त व्यक्तियों में से किसी (नाम से या पद से या दोनों प्रकार) के पास वास्तव में उससे मिलने वाले या उससे भेजे गये किसी भी तार के विषय में भेजा जाता है या उससे उपलब्ध होता है; या

(ख) जो समाचारपत्र या समाचार-समिति द्वारा सिर्फ़ अपने निवेशित नाम से संवाद विषयक तार तारघर के एक अधिकारी को भेजा जाता है;

(ग) जो किसी समाचार-समिति द्वारा जिसे इस काम के लिए केंद्रीय सरकार ने उचित अधिकार दे रखा है, भारत में किसी सरकार के एक अधिकारी के पास भेजा जाता है;

(घ) पर इसमें आकाशवाणी पर प्रसारित करने के लिए समाचार हो, और अन्य कोई सामग्री नहीं।

(ङ) जो एक निवेशित समाचार-समिति से, या फिलहाल केंद्रीय सरकार से उचित रीति से अधिकार-प्राप्त अखिल भारतीय आकाशवाणी के एक अधिकारी से इस प्रकार के दूसरे अधिकारी के लिए; या

(८) जो एक निवेशित समाचार समिति से 'ख' भाग के राज्यों की आकाशवाणी-प्रसारण सेवा के अधिकारी के लिए, जिसे ऊपर लिखे संवाद अधिकारी की भाँति फिलहाल अधिकार प्राप्त है, होता है ।

(६) यदि किसी समाचारपत्र या समिति के संवाददाता द्वारा एक संवाद-तार अपने मुख्यालय के कर्मचारी वर्ग के किसी व्यक्ति को उसके नाम या पद या दोनों के पतों पर भेजा जाता है, तो जैसा निजी तारों के बारे में निर्धारित है, उसी हिसाब से गंतव्य स्थान और श्रेणी के अनुसार, पूरी दर पर उसका शुल्क लिया जाएगा ।

(७) जब कभी माँग की जाए, प्रत्येक समाचारपत्र की एक प्रति जिसमें संवाद तार प्रकाशित हुआ है, उस तारघर को दी जानी चाहिए जहाँ से वह संवाद-तार वितरित किया गया था ।

विशेष सूचनाएँ (८) लंबे-लंबे संदेशों को ७५ शब्दों के पृष्ठों में बांट लेना चाहिए । सभी पृष्ठों पर क्रमानुसार संख्या डालनी चाहिए और अंतिम पृष्ठ को छोड़ कर सभी पृष्ठों के अंत में विशेष सूचना लिखी होनी चाहिए—'आगे देखिए' या एम. टी. एफ. । अंतिम पृष्ठ पर "संदेश समाप्त" इस प्रकार की एक विशेष सूचना लिखी होनी चाहिए । इन विशेष सूचनाओं में प्रत्येक को एक शब्द समझ उसके अनुसार शुल्क लगता है । प्रेषक का नाम प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर की ओर लिखा होना चाहिए और प्रत्येक पृष्ठ का अंतिम शब्द आगामी पृष्ठ के ऊपर के सिरे पर दोहराया जाना चाहिए । विभिन्न पृष्ठों को प्रेषित करने के बीच का समय एक घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए । यदि यह बीच का समय इससे अधिक हो जाता है तो देर से प्रेषित होने वाले पृष्ठों को नया संदेश माना जाएगा और उसी प्रकार उन पर शुल्क लिया जाएगा । एक से अधिक समाचारपत्र या समाचार-समिति के पते पर भेजे जाने वाले तारों में पतों की पूरी सूची केवल पहले पृष्ठ के साथ होनी चाहिए और बाद के क्रम-बद्ध पृष्ठों में से प्रत्येक को सभी समाचारपत्रों और समाचार समितियों के लिए भेजा समझा जाएगा ।

टिप्पणी—यथासंभव इतना साफ़ लिखने की आवश्यकता पर विशेषतया ध्यान खींचा जाता है कि वह पढ़ा जा सके और सुझाव दिया जाता

है कि जहाँ कहीं संभव हो हस्तलिपि स्याही से लिखी जाए, पेंसिल से नहीं।

(९) जब संवाद-संदेश एक से अधिक कार्यालयों के पतों पर है तो, जब संभव हो तब लेख की प्रतिलिपियाँ पर्याप्त संख्या में तार-घर को दी जानी चाहिए, जिससे वे प्रत्येक कार्यालय को साथ-साथ भेजी जा सकें। इस प्रकार की कितनी प्रतियाँ भेजनी चाहिए इस बारे में संदेश भेजने वाले तारघर से सूचना पहले ही उपलब्ध की जा सकती है।

(१०) यदि संवाद-संदेश एक हजार से अधिक शब्दों का भेजना हो, तो इसकी सूचना यथासंभव पहले दे देनी चाहिए। यह सूचना उस तारघर को दी जानी चाहिए, जहाँ से संदेश भेजा जाएगा। इस सूचना के साथ निम्न विवरण भी भेजना चाहिए—

(-) वह संभावित समय जिसके आस-पास वे संदेश तारघर को प्रेषित कर दिये जाएँगे; (=) संदेश के आकार (लंबाई) का अनुमान; और (≡) पते।

संवाद-तारों में, जहाँ प्रेषक को, विशेष कर लंबे-लंबे संदेशों में प्रायः विराम चिह्न पर निर्भर होना पड़ता है, पूर्ण विराम निःशुल्क भेजे जाते हैं, लेकिन अन्य विराम चिह्नों के बारे में यह विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता।

संवाद तारों की दरें उन तारों पर लागू होती हैं जो ऊपर लिखी सब शर्तें पूरी करते हैं, और यदि तार विभाग निजी तारों के लिए निर्धारित श्रेणी और गन्तव्य-स्थान के अनुसार पूरी दरों और संवाद-दरों के बीच का अंतर लेने का दावा करे तो उसकी यह माँग तुरंत पूरी की जानी चाहिए।

४१३. (क) **अचिरगामी (फ्लैश) संवाद-तार** : इस श्रेणी के देशीय संवाद-तार, जिन्हें तत्काल (एक्सप्रेस) निजी तारों से भी उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त होती है, किसी प्रमाणित और अधिकार-प्राप्त पत्र-संवाददाता द्वारा भिजवाये जा सकते हैं और ये तार निवेशित समाचार-पत्र या समाचार समिति के पते पर भेजे जा सकते है। इन तारों में अधिक से अधिक ७५ शब्द होते हैं, जिनमें प्रेषक का नाम और पता शामिल नहीं, और इन पर देशीय तत्काल (एक्सप्रेस) तारों की दर के अनुसार शुल्क

लिया जाता है ।

एक दिन में एक पत्र-संवाददाता द्वारा सिर्फ़ दो ही अचिरगामी संवाद-तार, चाहे उनका शुल्क पहले भुगताया गया हो या मूल्य बाकी हो, भेजे जा सकते हैं । इस प्रकार के तार एक से अधिक पतों पर भेजे जा सकते हैं, लेकिन इनका शुल्क वही होगा जो किसी जन-साधारण द्वारा "तत्काल" (एक्सप्रेस) दर पर भेजे गये तार का होता है । शुल्क के बारे में कोई रियायत की संभावना नहीं है ।

अचिरगामी तार उस पाने वाले को टेलीफ़ोन द्वारा भी पहुँचाये जाते हैं, जो इस बारे में स्थानीय तारघर पर हिदायतें निवेशित करा देता है, यदि उस तारघर में टेलीफ़ोन द्वारा तार पहुँचाने की सुविधा हो ।

४१४. मूल्य बाकी के संवाद-तार : संवाद-तार मूल्य बाकी के स्वीकार किये जा सकते हैं, पर इस सुविधा को पाने के इच्छुक समाचारपत्र या समाचार-समिति को चाहिए कि वह डाक और तार के प्रधान संचालक से पहले से ही इस विषय में स्वीकृति प्राप्त कर ले और नकद या सरकारी कागज़ी नोटों या डाक घर के नकद प्रमाण-पत्रों (कैश सर्टीफिकेटों) या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (सर्टीफिकेटों) के रूप में, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, एक धनराशि जमा कर दे—

(‐) यदि हिसाब प्रति महीने साफ़ करना है, तो आठ सप्ताह के व्यवहार संबंधी शुल्क के बराबर की रक़म जमा की जाती है, जिनकी कम-से-कम सीमा ५०) है ।

(=) यदि हिसाब पाक्षिक रूप से साफ़ करना है तो छह सप्ताह के व्यवहार-संबंधी शुल्क के बराबर की रक़म जमा की जाती है, जिसकी कम-से-कम सीमा ५०) है ।

(≡) यदि किसी समय व्यवहार-संबंधी शुल्क जमा धन से बढ़ जाता है तो संबंधित समाचारपत्र या समाचार-समिति से जमा धन में अनुरूप वृद्धि की माँग की जा सकती है ।

इस हिसाब या खाते के चालू रखने का शुल्क, तार जाँच अधिकारी, कलकत्ता द्वारा ऐसे लेखों की निधि ३ प्रतिशत की दर से लगाया जाता है।

इन संदेशों और शुल्कों का हिसाब कलकत्ता के तार जाँच कार्यालय

के जिम्मेवार अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा और हिसाब मिलने की तारीख के एक सप्ताह भीतर ही उनका भुगतान हो जाना चाहिए।

४१५ **रेलवे कार्यालयों पर संवाद-तार :** उन रेलवे प्रशासनों को छोड़ कर जो अपने-अपने रेलवे-क्षेत्र के भीतर संवाद-संदेश भेजने के लिए उस समय उत्सुक हों जब उनके तार रेलवे के काम में न लगे, संवाद-तार-नियम अनुमत्त (लाइसेन्स्ड) तारघरों पर लागू नहीं होते। संवाद-संदेश एक तार-प्रणाली से दूसरी तार-प्रणाली में स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते। फिर भी देशीय संवाद-तार पुर्तगाली सरकारी तारघरों और सभी भारतीय सरकारी तारघरों के बीच स्थानांतरित हो जाते हैं।

४१६ **संवाद तारों का वितरण :** उभय श्रेणी के संवाद तार, चाहे दिन हो या रात-जैसे ही प्राप्त होते हैं, वितरण के लिए भेज दिये जाते हैं।

देवनागरी-तार : देवनागरी-तारों के संबंध में प्रधान संचालक डाक-तार द्वारा निम्न सुविधाओं की घोषणा की गयी है :—

समय : देवनागरी-तार दिन के १० बजे से रात्रि के १० बजे तक भेजे जा सकते हैं।

शब्द-गणना : (१) देवनागरी लिपि में तार-गणना संबंधी कुछ विशेष नियम हैं, जो निम्न लिखित हैं :—

(क) दस अक्षरों पर एक शब्द का तार-भार (टेलीग्राफ़ चार्ज़) लगता है।

(ख) मात्राओं को पृथक् अक्षर नहीं गिना जाता। जैसे ज + ी = जी एक ही अक्षर माना जाएगा।

(ग) अधिक-से-अधिक दस अक्षरों वाले सम्पूर्ण क्रियावाचक शब्द तार-भार के लिए एक शब्द गिना जाता है। जैसे—आरहाहूँ, भेजदियागया, पहुँचादियाजाएगा, एक ही शब्द माना जाएगा। अंग्रेजी-तार के हिसाब से 'हैज़ बीन सेन्ट' आदि तीन शब्द माने जाएँगे।

(घ) विभक्तियों के चिह्न, जैसे, ने, को, के लिए, का, की, के, में, पैं, पर, से आदि पूर्ण शब्दों के साथ मिला कर लिखना चाहिए। जैसे, मोहनको, दिल्लीमें, रामकेलिए, स्टेशनपर आदि। विभक्ति-मिला

शब्द एक ही शब्द गिना जाता है। संधि-युक्त अथवा समास-युक्त शब्द भी एक ही शब्द गिना जाता है। उत्तराभिलाषी, स्नेहाधीन, सन्तोष-जनक, अत्यावश्यक, गृहाभिमुख आदि एक ही शब्द मान जाते हैं।

(च) अर्ध-व्यंजन पृथक अक्षर गिना जाता हैं। संयुक्त व्यंजन, यथा : क्त, ब्ब, द्य आदि दो अक्षर गिने जाते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, र्म, क्र, आदि तार-भार के विचार से दो अक्षर गिने जाते हैं।

(छ) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानसंपादक, सहायकसंपादक आदि एक ही शब्द गिने जाते हैं, यदि उनके अवयवभूत भागों के मध्य में स्थान न छोड़ा गया हो, और उनमें दस से अधिक अक्षर न हों। जैसे जवाहरलालनेहरू एक शब्द गिना जाएगा।

संवाद-टेलीफ़ोन : किसी भी टेलीफ़ोन से समाचारपत्र को संवाद-भेजे जा सकते हैं। इस पर १२।। प्रतिशत की छूट साधारण दर पर है। पर यह आवश्यक है कि समाचारपत्र की टेलीफ़ोन-संख्या संवाद-संदेश के लिए स्थानीय टेलीफ़ोन कार्यालय में निवेशित हो। निवेशन-शुल्क १) है। संवाद-संदेश की वार्ता चालू होने के पूर्व ही संवाद-संदेश (प्रेस-ट्रंक-काल) की सूचना टेलीफ़ोन के कार्यालय को दे देनी चाहिए, जिससे वे वार्तालाप सुन कर यह निश्चित कर सकें की वार्ता संवाद-विषयक ही थी। इस संबंध में टेलीफ़ोन-कार्यालय का निर्णय अकाटच है। संवाद-तार की तरह ही मूल्य बाकी की सुविधा संवाददाताओं को टेलीफ़ोन-संवाद के लिए मिल सकती है।

पत्रकारकला के शिक्षण-केन्द्र

आजकल भारत में पत्रकारकला की शिक्षा का प्रबंध निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में है : पंजाब (दिल्ली), मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, उस्मानिया (हैदराबाद)। इनके अतिरिक्त हिन्दी विश्वविद्यालय (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) की ओर से भी 'संपादनकला विशारद' की परीक्षा ली जाती है। मद्रास का 'हिन्दू' एक छात्रवृति प्रति वर्ष अपने आदि संपादक श्री कस्तुरी रंगा अय्यर की स्मृति में दे कर संवाद-संकलन व संपादकीय विभाग की सर्वांगीण शिक्षा देता है।

पत्र-प्रसार के साधन

रेल से भेजना : रेल से डाक, तेज़ या सवारी गाड़ी से पत्र के पार्सल सामान्य रेल पार्सल की आधी दर में भेजे जाते हैं। कम-से-कम ५ सेर का भाड़ा लिया जाता है, जो पेशगी देना होता है।

हवाई जहाज़ से पत्र भेजना : जिन-जिन नगरों का संबंध हवाई जहाज़ से हो गया है, वहाँ अब पत्र के पार्सल इसी से भेजे जाने लगे हैं। माल भेजने से साधारण भाड़े पर पत्रों के लिए २५%की छूट है। कम-से कम ५ रतल (पौंड) का भाड़ा लगता है। १७″ × २३″ आकार के पत्र की ५ रतल में पृष्ठों के हिसाब से–१२ पृष्ठ:२७ प्रतियाँ; १० पृ०:३३ प्र०; ८ पृ०:४० प्र०; ६ पृ०: ५४ प्र० तथा ४ पृ०:८० प्र० होती हैं।

सड़क परिवहन : जहाँ रेल नहीं है, या उसकी चाल धीमी है, वहाँ पत्रों की छोटी-छोटी पार्सलें नियमित चलने वाली मोटरों से भेजनी चाहिए। यदि स्थानीय पत्र, विशेषरूप से स्थानीय समाचार व सामयिक चर्चाएँ स्थानीय रुचि के अनुकूल दें और नियमित चलनेवाली मोटरों से अपने पत्र समय पर भेजने लगें तो ठेठ देहातों में भी उनके पत्र आसानी से थोड़े समय मे ही पहुँच जाएँगे। इस प्रकार प्रसार का इन्हें नया क्षेत्र मिलेगा, जिससे ये राजधानियों के बड़े-बड़े पत्रों की प्रतियोगिता में खड़े रह सकेंगे, क्योंकि स्थानीय समाचारों को स्थानीय दृष्टि से देना उनके लिए असंभव है। हमें जाँच से पता चला है कि गाँवों में पत्रों की माँग है, पर उन तक पत्र पहुँचते ही नहीं। अतः हम सभी पत्रों के प्रसार-विभाग से अनुरोध करेंगे कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें और अपनी सामर्थ्य-भर सड़क परिवहन-सेवा का लाभ उठाएँ।

—पत्र आयोग

समाचारपत्र-आयोग (PRESS COMMISSION)

भारत में सर्व-प्रथम पत्रकारों की आर्थिक अवस्था की जाँच के लिए अ० भा० हिन्दी पत्रकार संघ ने पहल की, और १९४३ के अपने कलकत्ता-अधिवेशन में एक जाँच समिति नियुक्त की। (देखिए पृ० १४)

उत्तर प्रदेश (तब संयुक्त-प्रान्त) सरकार ने १८ जून १९४७ को संयुक्त-प्रान्तीय समाचारपत्र-उद्योग जाँच-समिति नियुक्त की और जनवरी १९४८ में उसका पुनर्गठन किया। १९४९ के प्रारंभ में उस समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया, जिसे १९५० में प्रकाशित किया गया।

मध्य प्रदेश सरकार ने भी जाँच-समिति नियुक्त की थी, जिसने अपना प्रतिवेदन १९४९ के आरंभ में प्रस्तुत किया। इन दोनों समितियों का क्षेत्र सीमित था। खेद है कि इन प्रातिवेदनों पर दोनों ही सरकारों ने कुछ भी नहीं किया।

केन्द्रीय सरकार ने भी समाचारपत्र-अधिनियम-जाँच-समिति १५ मार्च १९४७ को नियुक्त की थी। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गंगानाथ झा थे। इसने अपना प्रतिवेदन २२ मई १९४८ को प्रस्तुत किया और सरकार ने १२ मई १९५१ को इसकी अनेक सिफारिशें स्वीकार कर लीं।

भारतीय श्रमजीवी-पत्रकार महासंघ जैसी पत्रकार-संस्थाओं की निरंतर माँग के फलस्वरूप राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने १६ मई १९५२ को संसद् का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में समाचारपत्र आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। इसी के अनुसार २३ सितंबर १९५२ को भारत सरकार ने समाचारपत्र-आयोग के सदस्यों के नाम घोषित किये।

१ न्यायमूर्ति श्री जी० एस० राज्याध्यक्ष (अध्यक्ष), २ श्री सी० पी० रामस्वामी अय्यर, ३ आचार्य नरेन्द्र देव, ४ डा० जाकिर हुसैन, ५ डा० वी० के० आर० वी० राव, ६ श्री पी० एच० पटवर्धन, ७ श्री टी० एन० सिंह, श्री जयपाल सिंह, ९ श्री ए० डी० मणि (अनुपस्थिति में

श्री जे० नटराजन्), १० श्री ए० आर० भट्ट, ११ श्री एम० चलपतिराव और मंत्री श्री मुरारीलाल चावला नियुक्त किये गये थे। किन्तु १९ फ़रवरी १९५३ को उनका अचानक स्वर्गवास हो गया। तब श्री एस० गोपालन को मंत्री नियुक्त किया गया। आयोग का विचार-क्षेत्र निम्न प्रकार था:—

(१) बड़े और छोटे सभी पत्रों, मासिकों और समाचारपत्र-व्यवसायियों, लेखवितरकों का नियंत्रण, व्यवस्था, स्वामित्व और आर्थिक ढाँचा;

(२) एकाधिकारों और पत्र-शृंखलाओं का संचालन और उसका वास्तविक समाचारों और निष्पक्ष विचारों के प्रकाशन पर प्रभाव;

(३) कम्पनियों के स्वामित्व, विज्ञापनों के वितरण का प्रभाव और अन्य प्रकार के बाह्य प्रभाव जिससे देश में स्वस्थ पत्रकारिता प्रभावित होती है;

(४) श्रमजीवी पत्रकारों की भर्ती और शिक्षण की विधि, काम की अवस्थाएँ, वेतन की दरें, अवकाश-ग्रहण के लाभ, झगड़ों का निबटारा, आदि अन्य बातें जिनका इस धंधे के ऊँचे स्तर पर प्रभाव पड़ता है;

(५) अखबारी काग़ज़ की पर्याप्तता और पत्रों में उसका वितरण और अखबारी कागज, छपाई एवं यांत्रिक संयोजन के यंत्रों की देश में निर्माण की संभावनाएँ;

(६) उच्च स्तर कायम रखने और सरकार और पत्रों के बीच सम्पर्क रखने के साधन, समाचारपत्र-सलाहकार-समितियों और सम्पादक एवं श्रमजीवी पत्रकार संघों का संचालन;

(७) पत्रों की स्वतंत्रता और उन क़ानून-संशोधनों की वापसी जो इस स्वतंत्रता से मेल नहीं खाते।

लोकसभा में जाँच-आयोग अधिनियम के स्वीकृत हो जाने से लिखित रूप से जानकारी माँगने और जाँच से संबंधित सब काग़ज़-पत्र एवं बहियों को लेने का अधिकार इस आयोग को मिल गया था।

आयोग को १ मार्च १९५३ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था, मगर बाद में यह अवधि ३१ अक्टूबर १९५३ और अन्त में ३१ जुलाई १९५४ कर दी गयी थी। इसकी प्रथम बैठक ११ अक्तूबर १९५२ को नयी दिल्ली में आरंभ हुई। बाद में इसकी १४ बैठकें १५०

दिन तक नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ऊटकमंड और शिमला में हुई। ४१४ व्यक्तियों की साक्षियाँ ली गयीं, जिनमें केन्द्रीय सरकार के मंत्री, प्रान्तों के मुख्यमंत्री और मंत्रिगण भी थे। ज्ञापन आदि के रूप में १० हज़ार पृष्ठों की सामग्री इसे प्राप्त हुई। १००० पृष्ठों में आयोग ने अपना प्रतिवेदन तैयार किया। जिस पर बम्बई में १४ जुलाई १९५४ को आयोग के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किये। आयोग का प्रतिवेदन तीन भागों में–१२९४ पृष्ठों में–प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग में वर्तमान पत्रोद्योग की अपनी जाँच का विस्तृत विवरण और अन्त में सुझाव हैं तथा तीसरे भाग में इसके परिशिष्ट दिये गये हैं। दूसरे भाग में भारतीय पत्रकारिता का इतिहास दिया गया है, जिसे आयोग की ओर से श्री जे० नटराजन् (संपादक 'ट्रिब्यून') ने प्रस्तुत किया है।

इस आयोग पर सरकार के ५,७६,०००) व्यय हुए हैं। आयोग के अन्य महत्त्वपूर्ण सुझावों को विषयानुसार इस निर्देशिका में यथास्थान दिया गया है। भारत सरकार ने इस प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार २५ जुलाई १९५४ को प्रकाशित किया, जो इस प्रकार है:—

प्रतिवेदन

पत्रों की पूँजी, आय और व्यय : भारत में कुल ३३० दैनिक पत्र हैं, जिनकी प्रायः २६ लाख प्रतियाँ नित्य प्रचारित होती हैं। उनमें करीब ७ करोड़ रुपये की पूँजी लगी है और क़रीब ५ करोड़ रुपये ऋण के रूप में लगाये गये हैं। उनकी वार्षिक आय करीब ११ करोड़ रुपये है, जिसमें से करीब ५ करोड़ विज्ञापनों से प्राप्त होता है। वेतन और मजदूरी में ये पत्र करीब ४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष देते हैं, जिसमें से क़रीब ८५ लाख पत्रकारों को मिलता है।

इन पत्रों की आधी से अधिक प्रतियाँ राजधानियों और बड़े नगरों में ही खपती हैं और देहातों में बहुत कम प्रतियाँ पहुँच पाती हैं। ज्यादातर पत्र भी बड़े नगरों से ही निकलते हैं। पत्रों की संख्या और बढ़नी चाहिए और ज़िलों से अधिक पत्र निकलने चाहिए।

पृष्ठों के हिसाब से मूल्य निर्धारित हों : यह निर्धारित कर दिया जाए कि निर्दिष्ट मूल्य पर अधिक-से-अधिक या कम-से-कम कितने

पृष्ठ दिये जा सकते हैं। पत्र को एक सप्ताह में अपने पूरे स्थान का ४०% से अधिक विज्ञापनों को नहीं देना चाहिए। पत्रों के वर्तमान उत्पादन, व्यय और विज्ञापन-आय को ध्यान में रखते हुए 'स्टैंडर्ड' आकार के प्रति पृष्ठ तीन पाई के हिसाब से मूल्य नियत होना चाहिए।

क़ानूनी नियंत्रण : प्रकाशन का विषय केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी में लाया जाए और उचित संशोधनों के साथ उस पर सन् १९५१ का उद्योग (विकास और नियंत्रण) अधिनियम लागू होना चाहिए। इसके साथ ही मूल्य-निर्धारण को लागू करने के लिए भी क़ानून बनाना चाहिए, जिसमें इन बातों की व्यवस्था रहनी चाहिए :—

(क) पत्र-विक्रेताओं का कमीशन २५ और ३३।।% के बीच रहना चाहिए;

(ख) पत्रों में पुरस्कार-प्रतियोगिताओं के प्रवेश-पत्र छपने पर रोक लगायी जाए;

(ग) बिना मूल्य पत्र-वितरण की संख्या और अवधि निर्धारित कर दी जाए;

(घ) बिना-बिकी प्रतियों की वापसी के नियम निर्धारित किये जाएँ;

(ङ) प्रतियों के भेजने के खर्च की मात्रा निश्चित कर दी जाए, जहाँ खर्च नकद दाम के १५% से अधिक पड़े, वहाँ बढ़ती खर्च को विक्रेता या ग्राहक से वसूल किया जाए।

अलग हिसाब : एक ही शृंखला के विभिन्न पत्रों का हिसाब-किताब अलग-अलग रखा जाए, यदि एक ही पत्र के कई संस्करण निकलते हों तो प्रत्येक का हिसाब अलग-अलग रहे। यदि एक शृंखला के कई समूह हों तो प्रत्येक समूह अलग रखा जाए। यदि एक समूह के अंगों को अलग करने में कठिनाई हो तो प्रत्येक अंग की आमदनी और उत्पादन के खर्च का हिसाब अलग रखा जाए।

बड़े पैमाने पर पत्र-संचालन में कुछ ऐसे तरीक़े बर्ते जाते हैं जो अनुचित है। अतः कानून में इन आपत्तिजनक तरीक़ों को रोकने की व्यवस्था रहनी चाहिए।

आपत्तिजनक विज्ञापन : प्रकाशकों का संघ विज्ञापनों को छापने के

बारें में कुछ नियम बनाए, जिनका पालन कड़ाई से हो और विज्ञापक तथा विज्ञापन-व्यवसायियों पर वे लागू हों। धोखेबाज़ी या ठगी के विज्ञापनों को छापने पर जुर्माने और क़ैद की सज़ा की व्यवस्था भी पत्र संबंधी क़ानून में होनी चाहिए।

पत्रों का निबंधन : पत्रों के निबंधन के लिए एक पत्र-रजिस्ट्रार नियुक्त हो जो पत्रोद्योग-संबंधी आँकडों को एकत्र करने के लिए आँकड़ा-संग्रह-अधिनियम के अंतर्गत जिम्मेदार हो। प्रत्येक पत्र के लिए वाध्य होगा कि वह पत्र के आर्थिक ढांचे, कर्मचारी, सामग्री के खर्च, प्रबंध, बिक्री, और स्वामित्व में परिवर्तन आदि का ब्यौरा उक्त अधिकारी को दे। रजिस्ट्रार प्रति वर्ष एक प्रतिवेदन निकालेंगे जिसमें पत्रों के स्वामित्व के हेरफेर और संचालन के ढंग या काम की स्थिति का हाल रहेगा।

अख़बारी काग़ज़ : इस समय करीब ६० हजार टन अखबारी कागज प्रति वर्ष खपता है जो सब का सब बाहर से आता है। मध्य-प्रदेश के कारखाने में करीब १०० टन बन सकेगा और यह महँगा भी होगा अतः एक राजकीय व्यापार निगम स्थापित किया जाए जिसे बाहर से कागज मँगाने का एकाधिकार हो और जो देश में निर्मित अखबारी कागज को भी ले ले और दोनों को ठीक और सममूल्य पर बेचे।

संवाद : इस बात का उद्योग करना चाहिए कि देश में एक से अधिक संवाद-समितियों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण न रहना चाहिए। भारतीय संवाद-समितियाँ ठीक से काम कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि राज्य जो सहायता दे वह एकदम निर्लिप्त हो और सरकार संवाद-समिति के समाचार-संकलन या संचालन कार्य में कोई भी हाथ न रखे।

संवाद-शुल्क : संवादों के वर्तमान शुल्क की दर पर विचार करके ऐसी दर सुझायी है जिससे बड़े और छोटे पत्रों पर बोझ उचित ढंग से पड़े। अखिल भारतीय आकाशवाणी जिस हिसाब से संवादों का शुल्क देता है उसमें भी परिवर्तन हो।

दूरमुद्रक : यंत्रों को लगाने और चलाने की जिम्मेदारी डाक-तार विभाग पर रहनी चाहिए, संवाद-समितियों का बोझ इससे बहुत हल्का

हो जाएगा।

प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया को उसके वर्तमान संगठन के आधार पर सार्वजनिक निगम का रूप दिया जाए और उसका नियंत्रण एक संरक्षक-मंडल के हाथ में हो, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधान न्यायाधीश करें। आयोग ने यूनाइटेड प्रेस का संगठन बदलने का सुझाव तो नहीं दिया, पर इसके प्रबंध को एक संरक्षक-मंडल को सौंपने की राय दी। दोनों समितियों के मंडलों में एक-एक संरक्षक कर्मचारियों की ओर से होना चाहिए।

सरकार और पत्र : संवाददाताओं को प्रमाणीकृत के लिए केन्द्र और राज्यों में पत्रकरों के संगठनों की सलाह से समितियाँ नियुक्त की जाएँ। पत्र-सम्बन्धी कानूनों पर अमल के बारे में सरकार को राय देने के लिए कोई व्यवस्था की ज़रूरत नहीं। आयोग इस प्रकार की सलाहकार-समितियों के बने रहने के विरुद्ध है।

विज्ञापनों का वितरण : सरकारी विज्ञापनों के वितरण के लिए निम्न आधार होने चाहिए:—(१) पत्र की ग्राहक-संख्या और विज्ञापन-छपाई की दर, (२) उक्त विज्ञापन किस श्रेणी के पाठकों के लिए हैं। इस कसौटी पर जितने पत्र खरे उतरें, उन सब में विज्ञापन का बटवारा होना चाहिए। आशा है कि निजी विज्ञापनदाता भी उपर्युक्त आधार पर अपने विज्ञापन देंगे।

विज्ञापन दर : सरकार अपने विज्ञापनों की दर पत्र की कुल ग्राहक-संख्या के हिसाब से न निर्धारित करके उस क्षेत्र में उक्त पत्र की ग्राहक-संख्या के हिसाब से तय करे, जिस क्षेत्र में उक्त विज्ञापन को पहुँचना है। सरकारी विज्ञापनों की दर अलग रहनी चाहिए और उसमें पत्र की भाषा या प्रकाशन के स्थान का विचार न रहना चाहिए। कई पत्रों या कई संस्करणों के लिए सम्मिलित विज्ञापन लेने की पद्धति को तोड़ने में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।

सरकार को यह अधिकार नहीं, कि वह अपने मनमाने पत्रों को विज्ञापन दे, पर अश्लील, झूठी, गालीगलौज़-भरी, हिंसा या उपद्रव भड़काने वाली, राज्य की सुरक्षा को हानि पहुँचाने वाली बातें छापने

वाले पत्रों को सरकारी विज्ञापन से वंचित किया जा सकता है। पर विज्ञापन न देने पर कोई पत्र कानूनी कारवाई नहीं कर सकता। आयोग के दो सदस्यों की राय है कि यदि पत्र कहे तो उसे विज्ञापन न देने का कारण बताया जाना चाहिए। विज्ञापन देने का काम सूचना-विभाग को नहीं सौंपना चाहिए।

पत्रों का स्वामित्व और नियंत्रण : पत्रों के संचालन से सार्वजनिक हित का संबंध है, इसलिए उस पर कुछ नियंत्रण होने चाहिए। समय-समय पर उसके स्वामियों और ऊँचे अधिकारियों के नामों का पूरा ब्योरा छपना चाहिए ताकि पाठक समझ सके कि उसके समाचारों और नीति पर व्यक्तिगत स्वार्थ का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है।

पत्रके स्वामित्व या संचालन के अधिकारों को बहुसंख्यक लोगोंमें इस प्रकार बाँट देना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति पत्र का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए न कर सके। इसका तरीका यह हो सकता है कि पत्र के कर्मचारियों को ही धीमे-धीमे पत्र के हिस्से दे दिये जाएँ। इसका एक उपाय यह भी है कि किसी के स्वामित्व को न छीनते हुए भी पत्र का प्रवन्ध सार्वजनिक संरक्षक-मंडल को सौंप दिया जाए।

पत्र के मूलधन पर ४ % या बैंक-दर से १/२% अधिक, जो भी ज्यादा हो, लाभांश देना चाहिए।

पत्र-परिषद् अपनी वार्षिक समीक्षा के समय यह देखेगी कि कोई पत्र अपने आर्थिक स्वार्थवश नियत मार्ग से विचलित तो नहीं हुआ है।

पाँच वर्ष के बाद पत्र-परिषद् पत्रों के स्वामित्व-संबंधी स्थिति की समीक्षा करेगी और उस संबंध में अपनी राय देगी तथा जरूरी होने पर तथ्यों का पता लगाने के लिए समिति नियुक्त करने की राय देगी।

एकाधिकार और प्रतिद्वंता : जाँच से मालूम हुआ कि प्रायः प्रत्येक जगह एक से अधिक पत्र चलते हैं और पाठकों को पूरी छूट है कि वे अपनी पसंद का पत्र खरीदें। बाहर के बड़े पत्रों के मुकाबले के बावजूद स्थानीय या प्रांतीय पत्र स्थानीय पाठक संख्या का अच्छा भाग प्राप्त कर लेते हैं, साथ ही बाहरी पत्रों की होड़ के कारण वे अपना एकाधिकार नहीं जमा पाते।

इस समय देश में बहुत से ऐसे पत्र समूह हैं जो एक ही स्वामित्व में निकल रहे हैं। आशंका है कि एक स्वामित्व के अंदर आने वाले पत्रों की संख्या बढ़ भी सकती है जिसे आयोग ठीक नहीं समझता।

पत्र-रजिस्ट्रार इस बात पर कड़ी निगाह रखे कि किसी क्षेत्र में किसी का एकाधिकार तो नहीं हो रहा है और यदि ऐसा हो तो वह फ़ौरन इसे पत्र-परिषद् के सामने लाए। परिषद् विचार करेगी कि इससे जनहित को हानि पहुँचती है और एकाधिकार जमाने में अनुचित उपाय बर्ते गये हैं या नहीं, और ज़रूरत होने पर उपयुक्त कारवाई का सुझाव देगी। इस प्रकार की जाँच से और ऐसे मामलों पर जनता की निगाह पड़ेगी और फलतः एकाधिकार के टूटने में मदद मिलेगी।

संपादक

स्थितिमें ह्रास : सम्पादक की स्थिति और स्वतंत्रता में साधारण रूप से ह्रास हुआ है। इसलिए यदि समाचारपत्र को समाज में अपने कर्तव्य को पूरा करना है तो उसमें एक सीमा तक उद्देश्य की एकता होनी चाहिए जो केवल इस प्रकार हो सकती है कि एक ऐसे विशेष व्यक्ति को चरम दायित्व सौंप दिया जाए जो अपनी पत्रकारीय योग्यता और पूरी ईमानदारी के कारण सम्पादक-मंडल का विश्वास-भाजन बन सके।

सम्पादकीय नीति : मालिक के इस अधिकार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह पत्र द्वारा अपने दृष्टिकोण को प्रकाशित कर सकता है, किन्तु जब मालिक अपने सम्पादक का चुनाव करता है तो उसे एक सीमा तक व्यक्तिगत अधिकार भी देना चाहिए जिससे वह अपनी नीति को क्रियान्वित कर सके और नीति के समाज-विरोधी दिशाओं में जाने के प्रयत्न का विरोध कर सके। सम्पादक के चरम दायित्व को स्थायित्व देने और उसकी परिभाषा करने के विचार से आयोग ने सिफ़ारिश की है कि सम्पादक की नियुक्ति अत्यन्त निश्चित शर्तों पर, नियुक्ति-करार अथवा नियुक्ति-पत्र के आधार पर की जानी चाहिए और करार में सम्पादकीय नीति का, उन विषयों के सम्बन्ध में निर्धारण हो जाना चाहिए जो करार से बाहर के हों। यदि नीति के प्रश्न पर मतभेद पैदा हो जाए और उससे नौकरी से पृथक् होने की नौबत आ जाए तो इस

मामले को निबटाने के लिए किसी बाहरी प्राधिकारी को और ज्यादा ठीक तो यह है कि पत्र-परिषद् को सौंप दिया जाना चाहिए ।

समाचार-नीति : समाचार-प्रकाशन के सम्बन्ध में किसी नीति-विशेष का पालन करने या नीति के समर्थन में समाचार में काटछाँट करने का प्रश्न ही न उठना चाहिए । इस सम्बन्ध में सारा दायित्व सम्पादक पर होना चाहिए और मालिक को, किसी समाचार का प्रकाशन रोकने का अधिकार तभी होना चाहिए जब वह समाचार-कानून के विरुद्ध हो ।

नौकरी की सुरक्षा : सम्पादकों के मामले में, नोटिस की अवधि, पहले तीन साल की नौकरी में तीन महीने, और उसके बाद की अवधि के लिए ६ महीने से कम न होना चाहिए। इसके अलावा यदि सम्पादक को अपनी इच्छा के विरुद्ध नौकरी से अलग होना पड़े तो इसके लिए उसकी क्षति-पूर्ति की जानी चाहिए, जिसका निर्णय स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए ।

श्रमजीवी पत्रकार

नौकरी की सुरक्षा : नियुक्त होने पर श्रमजीवी पत्रकार को, मालिक की इच्छानुसार, या तो नियुक्ति-पत्र ('कंट्रैक्ट') मिलना चाहिए (श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा आयोग ने इस प्रकार की है—'वह व्यक्ति जिसकी स्वीकृत वृत्ति तथा जीविका का मुख्य साधन पत्रकारिता है ।')। नौकरी से पृथक् करने के सम्बन्ध में इसमें नोटिस की अवधि भी लिखी होनी चाहिए ।

संयुक्त सम्पादक, सहकारी सम्पादक, अग्रलेख-लेखक, समाचार-सम्पादक और प्रधान उप-सम्पादक जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के मामलों में, जिनकी नौकरी तीन साल से ऊपर की किन्तु पाँच साल से कम की है, नोटिस के लिए तीन महीने की अवधि का सुझाव दिया गया है । और जहाँ नौकरी पाँच साल से ऊपर की है वहाँ यह अवधि चार महीने की रखी गयी है । इसी प्रकार दूसरे श्रमजीवी पत्रकारों के मामले में, जहाँ नौकरी दो साल से अधिक की नहीं वहाँ एक महीने के नोटिस, जहाँ दो साल से अधिक और पाँच साल से कम की है वहाँ दो महीने की नोटिस और जहाँ पाँच साल से अधिक किन्तु दस साल से कम की है

वहाँ तीन महीने की नोटिस और ज्यादा लम्बी नौकरी के लिए चार महीने की नोटिस का सुझाव दिया गया है।

न्यूनतम वेतन : तीसरी श्रेणी के केन्द्रों में, जिनमें एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगर सम्मिलित हैं, १२५) के आधारभूत वेतन के ऊपर २५) का महँगाई या रहन-सहन-व्यय का भत्ता दिया जाए, जिससे कुल वेतन १५०) हो जाए। दूसरी श्रेणी के केन्द्रों में, जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर, किन्तु ७ लाख से कम है, ५०) का महँगाई भत्ता दिया जाए जिससे कुल वेतन १७५) हो जाए। १–ख श्रेणी के केन्द्रों में, जहाँ जनसंख्या ७ लाख से ऊपर है, १२५) के आधारभूत वेतन के ऊपर ५०) का महँगाई भत्ता और २५) का शहर-भत्ता दिया जाए जिससे कुल वेतन २००) हो जाए। १– क श्रेणी के बड़े-बड़े केन्द्रों, जैसे कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में आधारभूत वेतन और महँगाई भत्ता ज्यों-का-त्यों रहेगा, किन्तु शहर-भत्ता ५०) हो जाएगा जिससे कुल वेतन २२५) हो जाएगा। यदि रहन-सहन का व्यय बहुत अधिक बढ़ जाए तो महँगाई भत्ता भी उचित अनुपात से बढ़ जाना चाहिए।

वेतन की ये न्यूनतम दरें सभी श्रमजीवी पत्रकारों के लिए लागू होनी चाहिए, चाहे वे स्नातक (ग्रेजुएट) हों या समान योग्यता वाले पत्रकार, जिनमें विश्वविद्यालय के जे० डी० भी शामिल हैं या, वे लोग जो एक या अधिक पत्रों में पाँच साल तक नौकरी कर चुके हैं जिसमें नौसिखिया-अवधि भी शामिल है। (आयोग के एक सदस्यकी राय है कि जो लोग इस समय पत्रकारिता के व्यवसाय में संलग्न हैं वेतन की ये न्यूनतम दरें उन सब के लिए, बिना भेदभाव के, समान रूप से लागू होनी चाहिए।)

सामाजिक सुरक्षा : नौकरी से निवृत्त होने पर उपलब्ध होने वाले लाभों में रक्षित-निधि और उपदान (ग्रेच्युटी) दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। कोष में कर्मचारी को अपने वेतन का बारहवाँ भाग जमा कराना चाहिए और इतनी ही रक़म मालिक को भी उसमें डालनी चाहिए। इस प्रकार से तीन वर्षों में जो रकम इकट्ठी हो, उसे जीवन-बीमे की

एक प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीदने में लगाना चाहिए, ताकि कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर उसके परिवार के लिए धन की व्यवस्था हो सके।

निवृत्ति या दुराचरण के सिवा अन्य किसी कारण से नौकरी से पृथक् होने पर कर्मचारी को उपदान भी दिया जाना चाहिए। जितने वर्ष उसने काम किया हो, उनमें से प्रति वर्ष के लिए उसे १५ दिन का वेतन उपदान के रूप में दिया जाना चाहिए।

लाभांश (बोनस) : पत्र को हुए सम्पूर्ण लाभ का निश्चय सामान्य रूप में किया जाना चाहिए। करों के भुगतान, मूल्य-ह्रास और लगी हुई पूँजी पर ४ % या बैंक-रेट से १/२% अधिक, जो भी ज्यादा दर ठहरे, उस दर से मुनाफ़े की रकमें निकाल कर—बाक़ी रकम को तीन भागों में बाँट देना चाहिए और इनमें से एक भाग लाभांश के वितरण में खर्च करना चाहिए।

इसी के बराबर का एक भाग उद्योग में फिर लगाने के लिए या भावी घाटे की पूर्ति के लिए रक्षित रखना चाहिए, और बाक़ी रकम हिस्सेदारों में बाँटने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

आम छुट्टियाँ और व्यक्तिगत छुट्टी : पत्रों के लिए आम छुट्टियों की संख्या १० से अधिक न होनी चाहिए। ये दस छुट्टियां स्थानीय आवश्यकताओं की दृष्टि से निश्चित की जा सकती हैं। इसके अलावा, पत्रकारों को साल में १५ दिन की आकस्मिक छुट्टी (केजुअल लीव) और हर ११ महीने के काम के पीछे एक महीने की अर्जित छुट्टी भी प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही, हर एक साल के काम पर उन्हें २० दिन की बीमारी की छुट्टी आधे वेतन पर दी जानी चाहिए। यह छुट्टी अर्द्ध-वेतन से पूर्ण-वेतन वाली छुट्टी में भी बदली जा सकेगी, और ऐसी दशा में छुट्टी आधी ही मिलेगी।

उद्योग के विनियमन के लिए विधान प्रस्तुत किये जाने की भी सिफारिश की गयी है। नोटिस की अवधि, लाभांश, न्यूनतम पारिश्रमिक, छुट्टी, रक्षित-निधि और उपदान से संबंधित व्यवस्थाएँ इसी विधान में सम्मिलित कर ली जानी चाहिए। ये सिफारिशें पहले दैनिक, अर्द्ध-साप्ताहिक

और सप्ताह में तीन बार निकलने वाले समाचारपत्रों पर लागू की जानी चाहिए। बाद में ये, कालान्तर से व्यापारिक रूप में प्रकाशित होने वाले अन्य पत्रों पर भी लागू की जा सकती हैं। न्यूनतम पारिश्रमिक के बारे में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के पत्रों में कर्मचारियों के बीच कोई असमानता न होनी चाहिए।

अन्य बातें : एक पत्रकार के लिए आवश्यक योग्यता, प्रशिक्षण उम्मेदवारी, आदि विषयों पर भी विचार किया गया है। पत्रकारों की भरती और उनकी पदोन्नतिक विषय में भी कई सुझाव हैं।

श्रमिक संगठन : आयोग इस दृष्टिकोण का समादर करता है कि पत्रकारिता एक रचनात्मक-कला है और पत्रकारों को अपने व्यवसाय से संबंधित ऐसी स्वायत्त-सभा-संस्थाओं में संगठित करना चाहिए, जिन पर व्यवसाय का उच्च स्तर कायम रखने का भार हो; किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि श्रमिक-संघों का विरोध होना चाहिए। अपनी वर्तमान दशाओं के सुधार के लिए, श्रमजीवी पत्रकार श्रमिक-संघों (ट्रेड-युनियन्स) के रूप में अपने को संगठित करने की आवश्यकता का अनुभव कर सकते हैं। आयोग नहीं समझता कि उनके ऐसा करने से उनकी कार्य-क्षमता में कोई बाधा आएगी। किन्तु ऐसे संघों को देश की राजनीतिक संस्थाओं अथवा आन्दोलनों से पृथक् रहना चाहिए।

प्रस्तावित विधान में 'कर्मचारी' शब्द की परिभाषा इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि उसमें श्रमजीवी पत्रकारों के साथ ही, पत्रों के प्रबन्ध-विभाग के लोग भी आ जाएँ।

पत्रोंकी कार्य-प्रणाली : प्रतिष्ठित और जमे हुएँ पत्रों ने पत्रकारिता का ऊँचा स्तर कायम रखा है, उन्होंने सस्ती, सनसनीदार, और व्यक्तिगत बातों को स्थान नहीं दिया है। निश्चय ही पाठकों की अधिकांश संख्या इन्हीं पत्रों की हैं। भारत में ऐसे बहुत-से पत्र हैं, जिन पर कोई भी देश गर्व कर सकता है।

ओछी पत्रकारिता : देश में कुछ ऐसे पत्र भी हैं, जिन्हें 'ओछा' (यलो) कहा जाता है। ये जानबूझ कर और दुर्भावनावश झूठे समाचार देते हैं और तिल का ताड़ बनाते हैं। ये व्यक्तिगत जीवन की ऐसी

बातों को प्रकाशित करते हैं, जिनमें सर्व-साधारण का कोई हित नहीं है। ऐसी बातों का प्रकाशन ये अनुचित फायदा उठाने की नीयत से भी करते हैं, और बिना ऐसी नियत के भी, और कभी किसी आदमी को कष्ट देने या लज्जित करने के उद्देश्य से भी। ओछी पत्रकारी में जनता की रुचि को गंदी बनाने के लिए, अश्लील बातों का प्रकाशन, गाली-गलौज-भरी भाषा का प्रयोग, और ऐसी भाषा का प्रयोग भी शामिल है जो सार्वजनिक शिष्टता के विरुद्ध हो।

पत्र-परिषद् की आवश्यकता : पत्रकारिता के मान को कायम रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसी उद्योग से संबंधित लोगों की एक संस्था बनायी जाए। यह संस्था ऐसे लोगों के विरुद्ध कारवाई करेगी, जो पत्रकारिता के आचार से नीचे गिरेंगे। यह पत्र-परिषद् ऐसे अनुचित लेखों आदि के विषयमें भी कारवाई करेगी जो वैसे कानूनी पकड़ में नहीं आते। यह परिषद् पत्रों के विकास का यत्न करेगी तथा बाहरी दवाव से उनकी रक्षा भी करेगी। प्रभावशाली बनाने के लिए इस परिषद् को अपना काम करने में कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय पत्र-परिषद् की स्थापना क़ानून द्वारा की जानी चाहिए। इसके मुख्य उद्देश्य ये होंगे :

१. पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और अपनी आज़ादी कायम रखने में पत्रों की सहायता करना;
२. अनुचित प्रकार की पत्रकारिता का विरोध करना और सब संभव तरीकों से पत्रकारिता के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप आचार के नियम निर्धारित करना;
३. ऐसी बातों पर ध्यान रखना जिनसे सार्वजनिक हित तथा महत्त्व के समाचारों के मिलने और प्रकाशित होने में बाधा हो;
४. पत्रकारिता के पेशे में लगे सभी व्यक्तियों में जिम्मेदारी और जन-सेवा की भावना वढ़ाना;
५. ऐसी प्रवृत्तियों पर नज़र रखना, जिनसे पत्रों के एक ही व्यक्ति के हाथ में जाने की या एकाधिकार की स्थिति पैदा होती हो, और

यदि आवश्यक हो, तो उसका उपाय बताना;

६. प्रति वर्ष अपने कार्य का विवरण प्रकाशित करना, जिसमें पत्रों की गतिविधि, विकास और अन्य संबंधित बातों का भी हाल हो;

७. पत्र-संस्थान (प्रेस इंस्टीट्यूट) जैसी संस्था स्थापित करके उसके द्वारा पत्रकारों की भरती और प्रशिक्षण आदि की प्रणाली को सुधारना।

पत्र परिषद् में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जिनमें पत्रकारों का विश्वास और आदर हो। अध्यक्ष के अतिरिक्त उसमें २५ सदस्य होने चाहिए। अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश मनोनीत करें और वह ऐसे व्यक्ति हों, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या रह चुके हों। सदस्यों में से १३ या अधिक व्यक्ति पत्रों में काम करने वाले पत्रकार होने चाहिए, जिनमें संपादक भी हों, और अन्य सदस्य पत्रों के मालिकों, विश्वविद्यालयों, साहित्यिक संस्थाओं आदि से लिये जाने चाहिए। पत्रकार ऐसे हों, जिन्हें कम-से-कम १० वर्ष का अनुभव हो।

पत्रकारों को निश्चित आचार का पालन करना चाहिए। आचार के इन नियमों और सिद्धांतों का निरूपण पत्र-परिषद् का एक प्रधान कर्तव्य होगा। आयोग ने भी कुछ सिद्धांत सुझाये हैं।

पत्रकारों को अपने काम को ट्रस्ट या जनहित का कार्य समझना चाहिए और अपने विवरण और आलोचना में सचाई और निष्पक्षता बरतनी चाहिए। ऐसे समाचार देने में संयम से काम लेना चाहिए, जिनसे उत्तेजना हो या हिंसा की संभावना हो। अपने समाचारों की पूरी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए और ग़लती का पता चलने पर उसे अपने से सुधार देना चाहिए। सार्वजनिक प्रश्नों पर व्यक्तिगत विवाद करना पत्रकारी के विरुद्ध है। किसी के निजी जीवन के बारे में अफ़वाह या गप का प्रचार करना भी पत्रकारी के आचार के विरुद्ध है। समाचार या तसवीर लेने में ऐसा काम न करना चाहिए, जिससे किसी को दुःख या अपमान हो।

अख़बारी काग़ज की बिक्री पर १०% शुल्क लगना चाहिए और इसकी आय पत्र-परिषद् तथा उससे संबंधित कामों के ख़र्च में लगानी चाहिए।

संविधान : १९५१ के संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम के कारण जो मुख्य परिवर्तन हुए उनसे इन विषयों के संबंध में प्रतिबन्ध लगाने की अनुज्ञा मिल गयी : (क) अपराध को प्रोत्साहन, (ख) राष्ट्र-सुरक्षा के हित में, और (ग) विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में। आयोग इस बात पर एक राय है कि (क) आवश्यक है। चार सदस्यों की राय है कि (ख) के स्थान पर "सार्वजनिक अव्यवस्था की रोक" कर दिया जाए; अन्य सदस्यों की राय में इन शब्दों का बदलना ठीक नहीं होगा। आयोग के बहुसंख्यक सदस्य ये शब्द "विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में" रखना चाहते हैं, किन्तु उनका सुझाव है कि प्रतिबंध लगाने वाला क़ानून केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाए, जिनमें जानबूझ कर नियमित रूप से असत्य समाचार या तोड़-मरोड़ कर ऐसे समाचार छापे गये हों, जिनसे विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में बाधा पड़ती हो, लेकिन यदा-कदा के वक्तव्यों या सत्य समाचारों के प्रसार पर कोई सजा न दी जाए, चाहे उनका झुकाव विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए ख़तरा पैदा करना हो। चार सदस्यों ने यह आशा प्रकट की है कि जब कभी भविष्य में संविधान में संशोधन होगा, तो सरकार अनुच्छेद १९ (२) में से यह प्रतिबंध रद्द करना स्वीकार कर लेगी। अतः आयोग के बहुसंख्यक सदस्यों की यह राय है कि अनुच्छेद १९ (२) के पहले वाले शब्दों को अपनाने के लिए कोई उचित कारण नहीं है और वे इस अनुच्छेद के वर्तमान संशोधित रूप में कोई परिवर्तन करने का सुझाव नहीं देते।

समाचारपत्र (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम : इस अधिनियम के अन्तर्गत, प्रकाशक और मुद्रणालय-मालिक के साथ-साथ संपादक को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। सदस्यों ने यह आशा प्रकट की है कि जब समाचारपत्र परिषद् स्थापित हो जाएगी तो वह यह व्यवस्था करेगी कि अपराधियों के विरुद्ध उपर्युक्त कारवाई की जाए और सार्वजनिक रूप से उनकी निन्दा की जाए। परिषद् की शक्ति और साख बढ़ने के साथ-

साथ कानूनी कारवाई करने की आवश्यकता कम होती चली जाएगी। बहुसंख्यक सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि इस अधिनियम को फ़रवरी १९५६ के बाद बढ़ाया जाए या नहीं, यह आगामी दो वर्षों में पत्रों के आचरण और पत्र-परिषद् के सुधार-प्रभाव पर निर्भर करेगा। किन्तु चार सदस्यों ने यह मत प्रकट किया है कि इस अधिनियम को फ़रवरी १९५६ से आगे न बढ़ाया जाए।

भारतीय दंड विधान धारा १२४ ए : यह धारा, जो सार्वजनिक शांति को भंग करने की उत्तेजना उत्पन्न करने या उत्तेजना उत्पन्न करने का प्रयत्न करने के बिना, सरकार के विरुद्ध केवल असंतोष या घृणा की भावना पैदा करने या पैदा करने की कोशिश को अपराध ठहराती है, संविधान के अन्तर्गत अवैध है, और साथ ही यह पत्र-स्वतंत्रता के सिद्धान्त के विरुद्ध भी है। इसलिए आयोग ने इस धारा को रद्द करने की सिफ़ारिश की है। हाँ, विदेशी सहायता से या उसके बिना हिंसा द्वारा सरकार बदलने के लिए उत्तेजना उत्पन्न करने को अपराध अवश्य मानना चाहिए और एक नयी धारा १२१ वीं बना कर ऐसा किया जा सकता है।

धारा १५३ ए इस धारा के अवैध घोषित होने की संभावना मौजूद है। अत: इसका उपयोग केवल उन्हीं मामलों में किया जाए, जहाँ सार्वजनिक शांति भंग करने की मंशा या होने वाले हिंसात्मक कार्य की जानकारी हो। इस धारा में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस धारा के अन्तर्गत सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रचार अपराध नहीं माना जाएगा, यदि ऐसे प्रचार से शांति भंग होने की या अपराध फैलने की संभावना न होती हो।

धारा २९५ ए : इस धारा को केवल उन मामलों में लागू करके, जहाँ हिंसापूर्ण कार्य करने की मंशा हो या होने वाले हिंसात्मक कार्य की जानकारी हो, संविधान के अन्तर्गत ले आना चाहिए।

जाब्ता फ़ौजदारी क़ानून ९९ ए और ९९ बी धाराएँ : उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रख कर इन धाराओं में उचित संशोधन कर देने चाहिए।

धारा १४४ : पत्र-क़ानून-जाँच-समिति के इस विचार का समर्थन किया है कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी कानून के बनाने वालों का यह मंशा नहीं था कि इस धारा को पत्रों पर लागू किया जाए। जब इस धारा के अन्तर्गत एक निश्चित संख्या से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की मनाही का कोई आदेश निकाला जाए तो अधिकारियों को इससे पत्रों के संवाददाताओं को मुक्त कर देना चाहिए।

विधान-सभाओं के अधिकार और मानहानि : संसद और विधान सभाएँ, दोनों ही एक क़ानून द्वारा अपने उन अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या कर दें, जो उन्हें मानहानि के संबंध में संविधान के अनुच्छेद १०५ और १९४ के अन्तर्गत प्राप्त हैं। भारतीय दंड-विधान की धारा ४९९ के अपवाद ४ में ये शब्द जोड़ दिये जाएँ—"या संसद की या राज्य विधान सभा की।"

मान-हानि का कानून : आयोग इस सुझाव का समर्थन नहीं करता कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की मान-हानि (डिफ़ेमेशन) हो, तो जुर्म काबिल-दस्तंदाजी (कागनिज़ेबल) माना जाए। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की १९८वीं धारा से एक और (तीसरा) उपबंध इस विषय का जोड़ दिया जाना चाहिए कि जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों से संबंधित आचरण के विरुद्ध दोषारोपण किया जाए और कर्मचारी को उस पर आपत्ति हो, तो उपर्युक्त मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के इस्तागासे पर जिसके अधीन वह कर्मचारी काम करता है, उस जुर्म को काबिल-दस्तंदाजी मान कर कारवाई कर सकेगा। ऐसे इस्तगासे (फौजदारी के दावों) के संबंध में एक प्रशासनिक आदेश भी निकाला जाना चाहिए कि वे ज़िला मजिस्ट्रेट की अदालत में ही दायर किये जा सकेंगे। साथ ही, ज़ाब्ता फौजदारी की २०२ वीं धारा में एक उपबंध और इस अभिप्राय का जोड़ दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार इस्तगासे दायर होने पर, मजिस्ट्रेट खुद उनकी जाँच-पड़ताल करेगा या जाँच-पड़ताल का हुक्म देगा। आयोग के चार सदस्यों का खयाल है कि जाब्ता फ़ौजदारी के १९८ वीं और २०२ वीं धाराओं (दफ़ाओं) में इस प्रकार से संशोधन करना न्यायोचित नहीं है।

आयोग इस संबंध में एकमत है कि मान-हानि-संबंधी क़ानून का संशोधन १९५२ के 'इंग्लिश डिफेमेशन एक्ट' के अनुरूप किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा बिना इरादे से की जाने वाली मान-हानि के विषय में रक्षा की व्यवस्था की गयी है।

पत्रों को प्रभावित करने वाले अन्य कानून: आयोग ने 'प्रेस एन्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ़ बुक्स एक्ट, इंडियन पोस्ट ऑफ़िसेज़ एक्ट,' 'इंडियन टेलीग्राफ एक्ट' और 'सी कस्टम्स एक्ट' में कुछ एक छोटे-मोटे परिवर्तन करने की सिफ़ारिश की है। वह समझता है कि अदालत की मान-हानि के विषय में उच्च न्यायालयों की कारवाई की प्रणाली या प्रथा में कोई परिवर्तन करना ज़रूरी नहीं है।

पत्रों की जिल्दें रखी जाए: राज्य सरकारों को पत्रों की प्रतियाँ प्राप्त होती हैं, पर उनकी जिल्दें रखने का कोई समुचित प्रबंध नहीं है। सभी की पत्रों की जिल्दें सुरक्षित रखी जाएँ।

हिन्दी समाचारपत्र परिचय

संकेत

अं०—अंग्रेजी
आ०—आदिवासी
उ०—उर्दू
उडि०—उडिया
उ०प्र०—उत्तर प्रदेश
क०—कन्नड़
ग०—गढ़वाली
गु०—गुजराती
छ०—छत्तीसगढ़ी
छा०—छात्र
जि०—जिला
त०—तमिळ
ते०—तेलुगु
पं०—पंजाबी या पंजाब
प्र०—प्रकाशक
बं०—बंगला
भो०—भोजपुरी
म०—मराठी
म० प्र०—मध्य-प्रदेश
म० भा०—मध्यभारत
मळ०—मळयाळम
मै०—मैथिल
रा०—राजस्थानी
राज०—राजस्थान
विं० प्र०—विंध्य-प्रदेश
वि०—विदेश
सं०—संपादक या संस्कृत
संथा०—संथाली
सिं०—सिंधी
ह०डा०—हवाई डाक
हिं०—हिन्दी
— —उसी नाम का प्रेस या प्रकाशन संस्था

दैनिक

अधिकारी : काशी ।

अमर उजाला : बेलनगंज, आगरा; सं० डोरीलाल अग्रवाल 'आनन्द'; १९४८ ।

अमृत पत्रिका : १०, एड़मान्सटनरोड, प्रयाग; सं० विद्याभास्कर; प्र० अमृत बाजार पत्रिका; १९५०; २२॥×१७॥, ८; =) ।

अशोक : ४, महारानी रोड, इन्दौर; सं० कृष्णचन्द्र मुद्गल 'निश्शंक'; प्र० रामकृष्ण भार्गव; १९४८; –)॥ ।

आगरा दैनिक व्यापार समाचार : कमर्शियल प्रिं० प्रेस; बेलनगंज, आगरा; सं० भवानीप्रसाद अग्रवाल; १९२७; १५×१०, २; १८);)॥ ।

आज : कबीर चौरा, पो० बा० ७, काशी—१; सं० रा० र० खाडिलकर;

प्र० ज्ञानमंडल लि०; १९२०; २२× १८, ८; ३५); ˉ)॥ ।

आज़ाद : अजमेर ।

आयुष्यमान : कानपुर ।

आर्यावर्त : मज़रुलहक पथ, पटना; सं० श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार; प्र० कामेश्वरप्रसाद सिंह, महाराजाधिराज दरभंगा, न्यूज़पेपर्स एन्ड पब्लिकेशन्स लि०; १९३९; २२॥×१७॥, ८; ३५); ˉ)॥ ।

इन्दौर व्यापार समाचार : इन्दौर ।

इन्दौर समाचार : १३, गेस हाउस रोड, इन्दौर; सं० पुरुषोत्तम विजय, १९४६; १५×१०, २; ˉ) ।

उजाला : कचौरा बाज़ार, आगरा; सं० गणपतिचन्द्र केला; १९४०; २०×१५, ४; २४); ˉ) ।

कमर्शियल डेली रिपोर्ट : सं० शंकरलाल गुप्त; प्र० साहू गणेशीलाल शंकरलाल एण्ड कं०, नवीवाडी, कालबादेवी रोड, बम्बई–२; २५); हि० अं० ।

गांडीव : १८।१, आस भैरो, काशी; सं० डा० भगवानदास अरोडा; १५× १९, ४;)॥ ।

चिनगारी : –प्रेस, काशी ।

चुनौती : कानपुर ।

जनशक्ति : नया बिहार, पटना; सं० गिरिजाकुमार सिन्हा; प्र० गंगाधरदास; १९४८; २५), ˉ) ।

जयभूमि : मनीहारों का रास्ता, जयपुर; सं० गुलाबचन्द काला; १५),)॥ ।

जागती ज्योत : जयपुर; सं० जुगलकिशोर राँगा ।

जागरण : ३६२, सिविल लाइन्स, झाँसी; सं० राजेन्द्र गुप्त; १९४२; २२॥×१७॥, ४; २५), ˉ);

जागरण : कस्तूरबा गांधी रोड, कानपुर; सं० पूर्णचन्द्र गुप्त; १९४७; २२॥×१७॥, ४; २५), ˉ);

जागरण : वेंकट रोड, रीवा, विं० प्र०; सं० गुरुदेव गुप्त; १९५३; २२॥×१७॥, ४; २५), ˉ) ।

जागरण : श्रम शिविर, स्नेहलतागंज, इन्दौर; सं० ईश्वरचन्द्र जैन; १९५०; २२॥×१७॥, ४; १८), ।

जागृत : ६०, पावर हाउस रोड, जयपुर; सं० करतारसिंह नारंग; १९४७; २४, ˉ) ।

जागृति : २४, बनारस रोड, सलकिया, हावड़ा, (कलकत्ता); सं० जगदीशचन्द्र हिमकर; प्र० डी० सी० धीमान एंड ब्रदर्स लि०; १९३६; २२×१८, ८; ३५), =) ।

ज्वाला : परिवर्तन प्रेस, हाथरस ।

तूफान : इन्दौर ।

दरबार : अजमेर ।

दैनिक पत्रिका : प्रयाग ।

दैनिक व्यापार : कानपुर ।

नई दुनिया : कडावघाट, इन्दौर सं०

राहुल बारपूते; १९४७; २२×१८, ४; -)।

नया भारत : अलीगढ़ ।

नयायुग : कानपुर ।

नया संसार : कुनकुनसिंह लेन, पटना।

नवजीवन : केशरबाग, लखनऊ; सं० सत्यदेव शर्मा; प्र० एसोशियेटेड जर्नल्स लि०; १९४७; २२×१७॥ ४; -)॥।

नवज्योति : केसरगंज, अजमेर; सं० दुर्गाप्रसाद चौधरी, पन्नालाल; १९३६।

नवप्रभात : ९३, साँठा बाज़ार, इन्दौर; सं० शिवप्रतापसिंह; प्र० हिन्दुस्तान जर्नल्स लि०; १९४८; २२॥×१७॥, ४; २४), -);

नवप्रभात : चौक बाज़ार, सं० रामस्वरूप माहेश्वरी; १९५१; २२॥×१७॥ ४; २४), -);

नवप्रभात : जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर; १९४८ २२॥×१७॥ ४; २४), -);

नवप्रभात : भोपाल; २४), -) ;

नवप्रभात : आगरा; २४), -) ।

नवभारत : काटन मार्केट, नागपुर—२; सं० रामगोपाल माहेश्वरी; २०×१५, ४; २५), -);

नवभारत : रानी कोठी, दीक्षितपुरा, जबलपुर; सं० मायाराम सुरजन; १९५०; २०×१५, ४; २५), -) ;

नवभारत : भोपाल; सं० सत्यनारायण श्रीवास्तव ।

नवभारत टाइम्स : १०, दरियागंज, दिल्ली; सं० रामगोपाल विद्यालंकार; प्र० बैनेट कोलमैन एन्ड कं० लि०; १९४७; २२॥×१७॥, ८; -)॥;

नवभारत टाइम्स : पो० बा० २१३, बम्बई—१; सं० हरिशंकर द्विवेदी; १९५०; २२॥×१७॥, ८; -)॥।

नवयुग : जयपुर ।

नवराष्ट्र, राजेन्द्रपथ, पटना-१; सं० देवव्रत शास्त्री; १९४६; २२॥×१७॥, ३२), -)॥ ।

नागरिक : हाथरस; सं० 'विकल'; प्र० नवजीवन उद्योगशाला; १९४७; १७×११, २ ।

निर्भय : हाथरस ।

प्रकाश : हितैषी प्रिं० प्रेस, अलीगढ़; सं० मदनलाल हितैषी ।

प्रकाश डेली मार्केट रिपोर्ट : देवी रोड, निजामाबाद (द०); सं० वासुदेव शर्मा; १९५१; १३॥×८॥, १ ।

प्रताप : गणेशशंकर विद्यार्थी रोड, कानपुर; सं० सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य; प्र० प्रताप ट्रस्ट; १९३२; २०×१५; -)॥ ।

प्रदीप : बुद्धमार्ग, पो० बा० ४३, पटना; सं० आर. एस. शर्मा; प्र० बिहार जर्नल्स लि०; १९४७; २२॥×१७॥, -)॥ ।

प्रभात : संडे टाइम्स प्रेस, मेरठ ।

बदलती दुनिया : महू, म. भा. ।

बनारस : शिवराम प्रेस, काशी; १९५०,

बम्बई डेली व्यापार समाचार : श्री कृष्णदास श्रीराम, पक्का आडतिया, २०, दादी शेठ अग्यारी स्ट्रीट, कालबादेवी रोड, बम्बई-२ ।

बम्बई बिजनेस डेली रिपोर्ट : गोपाल ब्रदर्स एण्ड कंपनी लि०; २०१, हॉर्नबी रोड़, बम्बई-१; १३×८॥, २।

भारत : लीडर प्रेस, प्रयाग; सं० शंकरदयाल श्रीवास्तव; प्र० न्यूजपेपर्स लि०; १९२८; २२×१८, ६; ३७), ―)॥।

भारत भूमि : पिछाडी बोरखी, लश्कर, ग्वालियर; सं० कंवरसिंह; १९५२; १५×१०, ४;)॥।

भारतमित्र : कानपुर ।

मतवाला : —प्रेस, आगरा ।

मध्यभारत प्रकाश : दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर, सं० मायाशंकर वर्मा ।

महाकोशल : महात्मा गाँधी मार्ग, रायपुर, म० प्र०; सं० श्यामचरण शुक्ल, विश्वनाथ वैशम्पायन; १९३४; २२॥×१७॥, ४; २६); ―)।

मारवाडी डेली काटन मार्केट रिपोर्ट : १८, मारवाड़ी बाज़ार, बम्बई–२; सं० रामलाल कन्हैयालाल बियाणी; ४०), ह० डा० ५५)।

मीरां : सिविल लाइन्स, अजमेर; सं० अंबालाल माथुर ।

युगधर्म : रामदास पेठ, नागपुर; सं० कृष्णस्वरूप सक्सेना; प्र० नरकेशरी प्रकाशन लि०; १९४८; २०×१५, ६; ३५); ―)॥।

राजस्थान समाचार : जयपुर; सं० श्यामलाल वर्मा ।

राष्ट्रदूत : हलदियों का रास्ता, जयपुर; सं० युगलकिशोर चतुर्वेदी, हजारीलाल शर्मा; १९५१; २२॥×१७॥, ३०); ―)॥।

राष्ट्रवाणी : पो० बा० ६७, पटना–१; सं० सुरेंद्र मिश्र; प्र० नवशक्ति पब्लिशिंग कं० लि; १९४१; २२॥×१७॥, ४; २९); ―)।

लोकमान्य : १६, हरिसन रोड, कलकत्ता–७; सं० मदनलाल चतुर्वेदी; प्र० रमाशंकर त्रिपाठी; १९३०; २२॥×१७॥, ८; ३०); =);

लोकमान्य : सुभाष रोड़, नागपुर–२ ।

लोकवाणी : सवाई मानसिंह हाईवे, पो० बा० ८, जयपुर; सं० गोपीनाथ गुप्त; प्र० युगान्तर प्रकाशन मंदिर लि०; १९४६; २२॥×१७॥, ४; =)।

लोकसत्ता : अलीगढ़ ।

वर्तमान : सिविल लाइन्स, कानपुर; सं० भगवानदीन त्रिपाठी; प्र० रमाशंकर अवस्थी; १९२०; २०×१५, ६; २५); ―)।

विश्वबंधु : १९८/१, कार्नवालिस स्ट्रीट,

कलकत्ता–६; सं० बी० के० सिंह; १९३९; २२॥×१७॥, ४; –)।

विश्वमित्र : ७४, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता–१३; सं० मातासेवक पाठक; प्र० मूलचन्द्र अग्रवाल, अग्रवाल ब्रदर्स; १९१७; २२॥×१७॥, ८; ३३); =)।

विश्वमित्र : नोबल चेम्बर्स, पारसी बाज़ार स्ट्रीट; बम्बई–१; सं० एस० एल० त्रिपाठी; १९४१; २२॥×१७॥, ८; –)॥।

विश्वमित्र : महात्मा गाँधी रोड, कानपुर; १९४८; –)॥।

विश्वमित्र : कदमकुआँ, पटना; १९४८; –)।

वीर अर्जुन : १९, पंचकुईं रोड, नई दिल्ली; सं० कुमार नरेन्द्र; प्र० प्रताप प्रेस; १९५४; २०×१५, ४।

वीर भारत : लाठी मुहाल, कानपुर; सं० बेनीमाधव वाजपेयी; १९२८; २०×१५, ६; २०), –)।

वीर राजस्थान : लोहिया बाज़ार, ब्यावर (अजमेर); १९४९।

व्यापार समाचार : –प्रेस, हापुड़, (मेरठ); सं० मुकटलाल; १९२६; ३२)।

संजय : लोधीपुरा, इन्दौर।

संदेश : कचहरीघाट, आगरा; सं० बी० सिंह; १९४१; –)।

सन्मार्ग : टाऊन हाल, काशी; सं० गंगाशंकर मिश्र; प्र० धर्मशिक्षा मंडल १९४५; २०×१५, ६; ३०), –)।

सन्मार्ग : १३० सी, चितरंजन एवन्यू, कलकत्ता – ७; सं० गंगाशंकर मिश्र, अनन्त मिश्र; प्र० श्री संदेश लि०; १९५१; २२॥×१७॥, ८; ३५), =)।

सहयोगी : कानपुर।

सांध्य समाचार : कानपुर होटल व रेस्ट्राँ, बिरहाना रोड, कानपुर; प्र० शुक्ल प्रेस; १९४८; २;)॥।

सावधान : मथुरा।

सैनिक : किनारी बाज़ार, आगरा; सं० देवेन्द्र शर्मा; प्र० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, सैनिक ट्रस्ट; १९२५; २०×१५, ६; ३७), –)॥।

सैनिक : मथुरा।

स्वतंत्र भारत : विधान सभा मार्ग, लखनऊ; प्र० पायनियर लि०; १९४७; २२×१८, ४; ३७), –)॥।

स्वाधीन भारत : प्रयाग।

हमारी आवाज़ : जयहिंद प्रेस, पाटनकर बाज़ार, लश्कर, ग्वालियर; =)।

हिन्दी मिलाप : जालंधर; सं० सुदर्शन; मिलाप न्यूजपेपर्स कं०; १९२९; २२॥×१७॥, ४; ३५), –)॥।

हिन्दी मिलाप : पो० बा० १८४ हैदराबाद-१ सं० सुरेन्द्रकुमार; १९५०; २०×१५, ४, २४), –)।

हिन्दुस्तान : पो. बा. ४० ; नई दिल्ली-१ ; सं० मुकुटबिहारी वर्मा; प्र० हिन्दुस्तान टाइम्स लि०; १९३६; २२॥× १७॥, ८-१०; ४०), ~)॥, रविवासरीय ६॥) ।

अर्द्ध साप्ताहिक

ग्राम-संसार : काशीपुरा, काशी; प्र० संसार लि०; १९४७; १०), ~)॥ ।

जन-संदेश : प्रयाग ।

जवान : ओल्ड, सक्रेटरीयट, दिल्ली; सं० केप्टन माखनसिंह; प्र० भारत सरकार; १९३९; ~) ।

जीवन : –प्रेस, लश्कर, ग्वालियर; सं० जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द; प्र० जीवन साहित्य ट्रस्ट ।

ज्योति : रामपुर. उ० प्र०; सं० रामस्वरूप गुप्त, ब्रजराजशरण गुप्त; १५×१०, ४; ~) ।

दीपक : श्री लक्ष्मीनारायण मुद्रणालय, सहारनपुर ।

नव संदेश : प्रयाग ।

मजेदार कहानियाँ : प्रयाग ।

मधुप : प्रयाग ।

राजस्थान : –प्रेस, अजमेर; सं० ऋषिदत्त मेहता; १९११; ≡) ।

संग्राम : शुक्ल प्रेस, उन्नाव, उ० प्र०; सं० विश्वम्भरदयालु त्रिपाठी, प्रभुदयाल शुक्ल; १९४८; १२) =) ।

सोवियत संघ के विचार और समाचार : २५, बाराखंबा रोड; पो० बा० २४१, नई दिल्ली–१; प्र० तास न्यूज एजेंसी; १९४७; १३॥×८॥, २) ।

हिन्दी स्वराज्य : खंडवा; म० प्र०; सं० य० सि० आगरकर; १९३१; =) ।

हिमाचल टाइम्स : दि माल, मसूरी; १९८९; ~); हिं० अं० ।

साप्ताहिक

अंगार : मिर्जापुर ।

अकेला : तिनसुकिया (असम); सं० विश्वनाथ गुप्त, १९४२; १५×१०, ८; ६॥), =) ।

अखंड भारत : देहरादून ।

अखंड भारत : लखनऊ ।

अग्रगामी : कानपुर ।

अग्रदूत : रायपुर, म० प्र०; सं० केशवप्रसाद वर्मा; १९४२; १५×१०; ५) =) ।

अग्रवाल समाचार : धर्मपेठ, नागपुर–१; सं० ग्यारसीलाल अग्रवाल, हरिकिसन अग्रवाल; १९५२; १५×१०, ८; ६), =) ।

अधिकार : सलेमपुर, छपरा (बिहार); सं० हरिशंकर उपाध्याय; १९५३; ३), ~) ।

अधिकारी : –प्रेस, फतेहगढ़; सं० प्रतापनारायण श्रीवास्तव; १९४९; १२॥×१०, ८; ६॥), =) ।

अध्यापक-संसार : परीक्षा-भवन प्रेस,

लखनऊ ।

अनुसंधान : झाँसी ।

अपनाराज : भीलवाड़ा (राज०); सं० बंसीलाल राठी ।

अभय : विद्या प्रेस, एटा ।

अभ्युदय : –प्रेस, प्रयाग; सं० देवदत्त शास्त्री 'विरक्त'; प्र० पद्मकांत मालवीय; १९०७; ११x८॥, ३२; १०), ।) ।

अभ्युदय : अग्रगामी प्रेस, मुरादाबाद ।

अमर खालसा : अलीगढ़ ।

अमरज्योति : बगरूवालों का रास्ता, जयपुर; सं० नारायण चतुर्वेदी एम० एल-ए०; १९४८; १५x१०, १२; ८), =) ।

अराबली : उदयपुर; सं० भवानीशंकर उपाध्याय ।

अरुण : जीलाल स्ट्रीट, मुरादाबाद सं० आर० मिश्रा; प्र० अरुण लि०; १९३३; १५x१०, ।) ।

अरुणोदय : –प्रेस, इटावा, उ० प्र०; सं० भानुदत्त वाजपेयी; १९३५; १०x७॥, ३), ~) ।

अलवर पत्रिका : अलवर प्रेस, अलवर; सं० कैलाशचन्द्र गुप्त; ५),=) ।

अलीगढ़ हेराल्ड : अलीगढ़; १९३९; १५x१०; हि० अं० ।

अवध : –प्रेस, प्रतापगढ़, उ० प्र०; १९३३; १५x१०, ८; ५), =) ।

अशोक : ४, महारानी रोड, इंदौर; सं० कृष्णचन्द्र मुद्गल; प्र० रामकृष्ण भार्गव; १९४६; ११x८॥, १२; ६), =) ।

आगरा साप्ताहिक : –प्रेस, आगरा ।

आगामी कल : जवाहरगंज, खंडवा, म० प्र०; सं० प्रयागचन्द्र शर्मा; १९४२; ६), =) ।

आचार्य : श्री आचार्यपीठ, बरेली, उ० प्र०; सं० स्वामी श्रीराघवाचार्य महाराज ।

आज : पो० बा० ७, काशी–१; सं० रा० र० खाडिलकर, प्र० ज्ञानमंडल लि० ।

आज का संसार : शिलॉंग (असम); हि० अं० आ० ।

आजाद : गंगानगर (राज०); सं० भगवानदत्त शर्मा ।

आजाद मजदूर : जुगसलाई, जमशेदपुर–६; सं० गंगाप्रसाद 'कौशल'; आजाद प्रेस लि०; १९५२; २०x१५, ८; ६), =) ।

आजाद हिन्द : मच्छुआटोली, पटना; सं० धनराय शर्मा; =) ।

आजाद हिन्द : उज्जैन ।

आदर्श : १९८।१, कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता; सं० रघुनाथप्रसाद पांडेय; १९४६; १५x१०, २०; ७), =) ।

आदर्श किसान : छपरा (बिहार) ।

आदि भारत : कानपुर।
आदिवासी : बिहार गवर्नमेंट प्रेस, राँची; सं० राधाकृष्ण; जन संपर्क विभाग, बिहार सरकार; १९४७; ११।×८।।।, १२; १।।),)।। ।
आधुनिक : दतिया, विं० प्र०।
आनन्द :– प्रस, हरिद्वार।
आनन्द प्रचारक :– प्रेस, मथुरा।
आयुष्मान : कानपुर।
आर्य : निकलसन रोड, अंबाला छावनी; सं० भीमसेन विद्यालंकार, मुनीश्वरदेव; प्र० आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब; १९१८; १५×१०, १०; ६), =)।
आर्य जगत : निकट कचहरी, जालंधर शहर; सं० प्रो० रामचन्द्र शर्मा, रामकृष्ण विद्यावाचस्पति; प्र० आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा; १९३९; १५×१०, ८; ६), =), वि० १०)।
आर्य प्रकाश : काकडवाड़ी, बम्बई–४; सं० कुमारी ध० आर्य; प्र० मुंबई प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा; १९०४; १५×१०, ८; ६), =); हि० गु०।
आर्य्य मार्तण्ड : आदर्श नगर, अजमेर; सं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार, डा० सूर्यदेव शर्मा, रमेशचन्द्र शास्त्री; प्र० आर्य साहित्य मंडल लि०; १९२२; १५×१०, १२; ५), =)।
आर्यमित्र : मीरां मार्ग, लखनऊ; सं० भारतेन्द्रनाथ; प्र० आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश; १८९८; १५×१०, १०; ८), ≡)।
आलोक : गीता ग्राउण्ड, सीताबार्डी नागपुर; सं० विश्वम्भर प्रसाद शर्मा; १९४४।
आवाज : देहरादून; सं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, राजेन्द्रकुमार; प्र० चन्द्रावती लखनपाल एम० पी०; १९५८; १५×१०, ८; ६), =)।
आवाज : भरतपुर; सं० द्वारिकाप्रसाद शर्मा।
आवाज :– प्रेस, एटा, उ० प्र०।
आवाज : धनबाद (झरिया) बिहार; सं० ब्रह्मदेवसिंह शर्मा, १९४७; ११×८।।, १२; ७), =)।। ।
इंडस्ट्रीयल गजट : १, मछुआबाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता; सं० राजकिशोर सिंह; १९३२; १३।।×८।। ।
उत्तर बिहार : तिलक मैदान, मुजफ्फरपुर बिहार; सं० नन्दकिशोर सिंह, सिद्धेश साहित्यालंकार; ८), =)।। ।
उत्तराखंड समाचार : देहरादून।
उत्थान : बिजनौर।
उदय : शांतिप्रेस, नरसिंहपुर (म० प्र०) सं० राधेलाल शर्मा 'हिमांशु'; १९४८; १५×१०, १०; ६) =)।
उदय : सिंह प्रेस, १९ बी, नरेन्द्रसेन स्क्वायर, कलकत्ता–९; सं० प्रबोधनारायणसिंह; १९५१; १५×१०,

८; ५), =) ।

उद्गार : युगान्तर प्रेस, मुजफ़्फ़र नगर, उ० प्र० ।

उन्नति : पूना ।

उषा : प्रयाग ।

उषा : पो० बा० २६, गया; प्र० राजेन्द्रप्रसाद अग्रवाल; १९४१; १३×१०, १६; ५), =)॥ ।

उषा काल : ४७०, गेट बाज़ार, जबलपुर; सं० बी० एस० मिश्र; १९४८; =) ।

एशिया : काशी ।

कर्तव्य : इटावा ।

कर्मचारी : इन्दौर ।

कर्मभूमि : भरतपुर; सं० लक्ष्मीनारायण गुप्त, मुकुन्दनारायण ।

कर्मभूमि : –प्रेस, कोटद्वार, गढ़वाल ।

कर्मयुग : स्वाधीन प्रेस, हल्द्वानी (नैनीताल) ।

कर्मयोगी : राष्ट्रीय प्रेस, आजमगढ ।

कर्मवीर : खंडवा, म० प्र०; सं० माखनलाल चतुर्वेदी; १९२६; १३॥×१०, १६; ६), =) ।

कलकी दुनिया : जालोरीगेट, जोधपुर; सं० गणेशचन्द्र जोशी; १९४६; =) ।

कानपुर मार्केट टोन : ४०, मोती भवन, कानपुर ।

कानपुर समाचार : विनोद प्रेस, कानपुर; सं० बी० अवस्थी; १९४७; =) ।

किरण : कासगंज (एटा) ।

किरण : बरेली ।

किसान : खुर्जा ।

किसान : कानपुर ।

किसान : रक़ाबगंज, फ़ैज़ाबाद; १९२०; -)॥ ।

किसान : श्रीकृष्ण प्रेस, काशी; ५) ।

किसान मज़दूर : कानपुर ।

किसान संदेश : कोटा; सं० शिवदयाल राजावत; ५), -)॥ ।

किसान साथी : अलवर; सं० इन्द्रसिंह आज़ाद ।

कुमाऊँ राजपूत : उदयाचल प्रेस, अल्मोडा ।

केसरी : –प्रेस, बाँदा ।

कांग्रेस : भोगीपुरा, आगरा ।

कांग्रेस संदेश : सं० हरिदेव जोशी एम० एल-ए०, विश्वनाथ वामन काले; प्र० राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ।

क्रान्ति : मथुरा ।

क्रान्ति : हिन्डौन; (जि० सवाईमाधोपुर)

क्रान्तिदूत : बीकानेर; सं० रामनारायण शर्मा ।

क्रासवर्ड रेडियण्ट : ६, जगजीत निवास, फ़ीट रोड, माहिम, बम्बई-१६; सं० रामस्वरूप टंडन; १९×९, १०; ४), =); हि० अं० ।

गढ़वाली : देहरादून; सं० श्यामचन्द्र नेगी; १९५४; ११।+८।।।, पृ० ४;

६), =); हिं० ग० ।

गणराज्य : बीकानेर; सं० जे० भाग-रहट्टा ।

गरीब : सीतापुर ।

गरीब : रीवा, वि० प्र० ।

गाँधी : –प्रेस, शाहजहाँपुर ।

गाँधी : काशी ।

गाँव की बात : भरतपुर; सं० महेन्द्र-सिंह ।

गोरखपुर गजट : गोरखपुर ।

गो सेवक : सीकर (राज०) सं० ब्रह्मदत्त शर्मा ।

ग्राम जीवन : जारखी (आगरा); सं० रामस्वरूप भारतीय; प्र० पन्नालाल 'सरल'; १९४८; ५), =) ।

ग्राम वाणी : हिंडौन (जि० सवाई माधोपुर, राज०); सं० रामजीलाल जैन ।

ग्रामवासी : –प्रेस, मिर्जापुर ।

ग्रामसुधार : नारायण प्रेस, मैनपुरी (उ० प्र०) ।

ग्रामसुधार : मोती तबेला, इन्दौर; विकास-विभाग, मध्यभारत शासन; १३।।×९, ८; २),)।। ।

चिनगारी : बिजनौर; सं० बाबूसिंह, मुनीश्वरानन्द त्यागी; १९५०; १५×१०, ८; ६), = ।

चिनगारी : सहारनपुर ।

चित्रपट : २३ दरिया गंज, दिल्ली; सं० सत्येंद्र श्याम ।

चित्रलोक : नामनेर, आगरा; सं० यादवानन्द; १९४९; १०×७।।, ४; ३), –) ।

चेतना : आस भैरव, काशी; सं० राजाराम द्रविड; १९४९; १०) ≡) ।

चेतना : बीसवींसदी प्रिं० प्रेस, मिर्जापुर ।

जगत : प्रयाग ।

जन कांग्रेस : प्रयाग ।

जनक्रान्ति : श्रीगंगानगर, (राज०) ; सं० वी० सी० मुदगल; ६), =) ।

जनक्रान्तियाँ : प्रयाग ।

जन घोष : इटावा ।

जन जीवन : समाज शिक्षा-बोर्ड बिहार, पटना–४; सं० ब्रजकिशोर 'नारायण', जगदीशचंद्र माथुर, डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, डा० विश्वनाथ प्रसाद, शिवपूजनसहाय; प्र० बिहार सरकार; १०×७।।, २४; १।।) ।

जनतंत्र : ओम प्रेस, मैनपुरी ।

जनता : भीलवाडा (राज०); सं० रूपलाल सोमाणी ।

जनता : श्रीगंगानगर (राज०) ; सं० मित्तचन्द्र शर्मा ।

जनताराज : रायबरेली ।

जननाद : काशी ।

जननाद : मुरादाबाद; सं० ओमप्रकाश

गौड; १९४९; १५×१०, ८; ६), =) ।

जनपथ : प्रयाग ।

जनपद : इन्दौर ।

जनमत : बरेली ।

जनमत : शाहजहाँपुर ।

जनमत : इटावा ।

जनमत : काशी

जनमत : जयपुर, सं० श्री नारायण शर्मा ।

जन-युग : २२, कैसरबाग, लखनऊ; सं० रमेश सिन्हा; १९४२; १८×११; ९), ≡) ।

जनवाणी : पो० बा० ३१, कोटा; सं० इन्द्रदत्त 'स्वाधीन'; १९४२; १३॥×८॥, ८; ३), ~) ।

जनवाणी : २, गोराकुंड, इन्दौर; सं० सूर्यनारायण शर्मा; १९४९; १३×१०, १२; ७), =) ।

जनवाणी : ग्रामोद्योग मुद्रणालय, खूर्जा ।

जन विजय : दतिया, विं० प्र० ।

जनशक्ति : गोरखपुर ।

जनशक्ति : इटारसी (म० प्र०); सं० सुकुमार पगारे; १९४७; १५×१०, १२; ४॥), =) ।

जन-संघर्ष : इटारसी (म० प्र०); ५) =) ।

जन संदेश : प्रयाग ।

जन सहयोग : उदयपुर; सं० नन्दकुमार त्रिवेदी ।

जन-सेवक : बूँदी (राजस्थान) ।

जन-सेवक : मर्थना, इटावा ।

जन-सेवक : –प्रेस, लखीमपुर-खेरी (उ० प्र०) ।

जन-सेवक : बुलन्दशहर ।

जनार्दन : मथुरा ।

जयभूमि : –प्रेस, पुरानी बस्ती, जयपुर; गुलाबचन्द काला; ६) =) ।

जयहिन्द : कोटा; सं० हीरालाल जैन; प्र० राजस्थान प्रजा सोशलिस्ट पार्टी; १९४७; १३॥×८॥, ८; ६) =) ।

जयहिन्द : कालपी जालौन ।

जागरण : सहारनपुर; सं० वैद्य शरदकुमार मिश्र 'शरद', वैद्य शिवराम शर्मा 'व्यथित', मदनलाल चोपल्ले; १९५४; ११॥×८॥; ६; ४), ~॥) ।

जागृत : नैनीताल ।

जागृत : ६० पॉवर हाउस रोड, जयपुर; सं० करतार सिंह नारंग ।

जागृत जनता : श्रमजीवी प्रेस, हल्द्वानी (जि० नैनीताल) ।

जैन गजट : मारवाड़ी कटरा, नई सडक, दिल्ली–६; सं० अजितकुमार शास्त्री; प्र० भारतीय दिगम्बर महासभा; १८९५; ५), =) ।

जैन प्रकाश : १३९०, चाँदनी चौक, दिल्ली–६; सं० चुन्नीलाल कामदार, रत्नकुमार जैन 'रत्नेश'; प्र० अ०

श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ़रेन्स; १९१५; १३॥×८॥, १२; ६), =); हिं० गु० ।

जैन भारती : ३, पोर्तुगीज़ चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता ; सं० श्रीचन्द्र रामपुरिया; प्र० जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा; १९५३; १२), ।) ।

जैनमित्र : गाँधी चौक, सूरत; सं० ज्ञानचन्द्र जैन 'स्वतंत्र'; प्र० दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा; १९००; १०×७॥, १२; ६), =) ।

जैनसंदेश : मथुरा; सं० बलभद्र जैन; प्र० भा० दिगम्बर जैन संघ; १९३७; ५), =) ।

ज्वाला : सोजती गेट, जोधपुर; सं० बंशीधर पुरोहित; १५×१०, १२; ८), =);

ज्वाला : मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर ।

टेक्स्टाइल न्यूज़ : तीसरा माला, जय हिन्द इस्टेट विल्डिग नं २, भूलेश्वर बम्बई—२; सं० रमाशंकर पाण्डेय; १९५३; १३×८॥, १६; ६), =)॥ ।

टेक्सटाइल मार्केट रिपोर्ट : १९-२३ विठ्ठोबागली, कालबादेवी रोड, बम्बई २; सं० फूलचन्द साँखला; प्र० शाह मोतीलाल मीठालाल; १९५३; ४॥), -)॥ ।

डिस्ट्रिक्ट गजट : नारायण प्रेस, मैनपुरी; सं० बिहारीलाल गौड; १९३५ ।

डी० सी० एम० गजट : दिल्ली क्लाथ मिल्स लि०, बाडा हिन्दूराव, दिल्ली ।

डेली शुगर मार्केट टोन : कानपुर ।

तरंग : ४/ ३१ सराय गोवर्धन, काशी-१; सं० बेधड़क बनारसी; १०×७॥; ९), ≡) ।

ताजातार : बेलनगंज, आगरा; सं० दयाशंकर शर्मा; १९३९; १५×१०, १२; ६॥), =) ।

तरुण जैन : महावीर प्रेस, सोजती गेट, जोधपुर; सं० श्री वीरभक्त, माणक लाल पोखाड़, शांतीलाल जैन, मोहनलाल चौधरी, पद्मसिंह जैन; १९५३; १३॥×८॥, ६; ६) =) ।

दिग्विजय : —प्रेस, उरई जि० जालौन ।

दिल्लगी : अलीगढ़ ।

दिल्ली व्यापार समाचार : दिल्ली ।

दीपक : लखीमपुर ।

दीपक : अबोहर, पं० ।

दून समाचार : देहरादून; सं० चन्द्रमणि विद्यालंकार; प्र० जिला कांग्रेस कमेटी; १९४८; १५×१०, ४; ३॥), -)॥ ।

देवभूमि : कोटद्वार, (गढ़वाल) ।

देवी सम्पद : झाँसी ।

देशदर्पण : कानपुर ।

देशदूत : कोठी बंशोधर, कटरा, प्रयाग; सं० ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'; प्र०

इंडियन प्रेस (प.) लि०; १९३८; १५×१०, २०; ७॥), =)।
देशबंधु : देहरादून।
देशबंधु : सुलतानपुर।
देशभक्त : पीलीभीत, उ० प्र०।
देशभक्त : मुजफ़्फ़रनगर, उ० प्र०।
देशमित्र : बलिया।
देहात : मुजफ़्फ़रनगर उ० प्र०।
देहाती : गुडकीमंडी, आगरा; सं० रामेश; १९४८; ६), =)।
देहाती : मेरठ।
धरती : तुलाराम चौक, जबलपुर; सं० राधेश्याम अग्रवाल; ९), ≡)।
धरती के लाल : कोटा; बाबूलाल 'इन्दु'; प्रेमप्रकाश व्यास शलभ; १९५४; १३॥×८॥; ४; ५), –)।
धर्मयुग : पो० बा० २१३, बम्बई—१; सं० सत्यकाम विद्यालंकार; प्र० बैनेट कोलमैन एण्ड कं० लि०; १९५०; १५×११, ५६; २८), ।।), वि०३३)।
धर्मवीर : मुरादाबाद।
धर्मक्षेत्र : कुरुक्षेत्र (पंजाब)।
नईराह : इन्दौर; सं० लक्ष्मण खण्डकर; १९५५; १५×१०, ६; –)।
नगर : १। १३६, त्रिपुरा भैरवी काशी; सं० बलदेवराज शर्मा, १९५४; १८×११, २; २), –)।
नयाखून : नागपुर; सं० स्वामी कृष्णानन्द सोख्ता, रामकृष्ण श्रीवास्तव; १५×१०; ७), =)।
नयाज़माना : काशी।
नया ज़माना : गदाधर प्लॉट. अकोला, म० प्र०; सं० चुनीलाल रन्दाद।
नयाजीवन : प्रयाग।
नया भारत : १९, केसरबाग, लखनऊ; सं० बंशीधर मिश्र, एम० एल० ए०, नरेन्द्रसिंह भंडारी; प्र० उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी; ५), =)।
नया मज़दूर : मथुरा।
नया मेवात : अलवर; सं० मुंशीखाँ मेवाती।
नया युग : रेलवे रोड, फर्रुखाबाद; सं० योगेन्द्र शुक्ल; १९४७; १५×१०, १६; ६), =)।
नया राजस्थान : मिर्ज़ा इस्माईल रोड, जयपुर; सं० एच० के० व्यास; १९५४; १८×११, ८; ६), =)।
नया रास्ता : प्रयाग।
नया संघर्ष : सहयोगी प्रेस, कानपुर।
नया संसार : अलवर; सं० एच० एन० जिन्धा।
नया संसार : संसार प्रेस, आगरा।
नया संसार : सब्जी मंडी, मुजफ़्फ़र नगर उ० प्र; सं० वैद्यराज शीतल प्रसाद जैन, सुदर्शन लाल जैन 'सुदर्शन'; १९५०; १५×१७, १२; ६), =)।

नया हिन्दुस्तान : –प्रेस, जगतगंज, काशी, सं० किशोरीरमण, ठाकुर प्रसाद, स्वामीनाथ; ८), =)॥।

नवजीवन : –प्रेस, सूरजपोल, उदयपुर; सं० कनक 'मधुकर'; १९४०; १५×१०, १२; ७), =)।

नवजीवन संदेश : जयपुर; सं० गोपीनाथ गुप्त।

नवज्योति : पो० बा० ७२, अजमेर; १९३६; १५×१०।

नवप्रभात : किशोर भवन, सीताबर्डी नागपुर; सं० नन्दकिशोर; १९४७; =)।

नवभारत : महारथी प्रेस, कुर्ला रोड, अंधेरी, बम्बई।

नवभारत : फैजाबाद।

नवयुग संदेश : भरतपुर; सं० गिरराज प्रसाद तिवारी; १९४५; १५×१०, ८; ६), =)।

नवयुग संदेश : हिंडौन राज०; सं० श्रवणलाल वैद्य।

नवसंदेश : राँका भवन, नागपुर; सं० मदनगोपाल अग्रवाल; १९४७; –); हि० म०।

नवशक्ति : पो० बा० ६७, पटना–१; सं० एम० पी० सिंह; १९३४; १५×१०; ७), =)।

नवीन भारत : कासगंज; सं० शिवनारायण माहेश्वरी; १९३७; १३×८, ४; ४), =)।

नवीन भारत : एटा।

नागरिक : देहरादून।

नागरिक : भार्गव इस्टेट, कानपुर; १९४२; ३), –)॥।

नारद : –प्रेस, छपरा (बिहार); सं० सतीशचन्द्र शर्मा; १०×७॥, ८; ३॥), –)॥।

निराला : आगरा।

निर्भीक : सीटीजन प्रेस, कानपुर।

निष्पक्ष : बस्ती।

पंचज्योति : उन्नाव।

पंचदूत : देवरिया।

पंच मुख : लक्ष्मी प्रेस, बस्ती।

पंचवाणी : कल्याण प्रेस, जौनपुर।

पंचायत : प्रजा प्रेस, बाराबंकी; १९४१।

पंचायतराज : इन्साफ प्रेस, रायबरेली।

पंचायतराज : गजट प्रेस, अलीगढ।

पंचायतराज गजट : बेलनगंज, कचौरा बाजार, आगरा; सं० गणपतिचन्द्र केला; प्र० उजाला प्रेस; १९५१; २०×१५, १२; १०), ≡)।

पंचायत समाचार : लखनऊ।

पंचायतीराज : प्रेमी प्रेस, मेरठ; सं० विश्वम्भरसहाय प्रेमी; १९४७; १५×१०, ८; ६), =)।

पंचायतीराज : बामनिया म० भा०।

पंचायतीराज : पंचायत प्रेस, लहेरिया सराय, (बिहार); सं० कुलानंदन

'नन्दन'; प्र० सर्वोदय प्रकाशन परिषद्।

पथिक : क्लाथ मार्केट, इन्दौर; सं० रामानंद दुबे; १९५१; १०×७॥, ४।

पथिक : रायबरेली।

पब्लिक : –प्रेस, मेरठ।

परमहंस : मोतीलाल नेहरू रोड, प्रयाग; सं० सालिगराम पथिक; प्र० बाबा राघवदास; १९४८।

परिवर्तन : राजपुरा, मिर्जापुर।

परिवर्तन : एडवर्ड प्रि० प्रेस, गाजीपुर; सं० कृपाशंकर, रघुनाथप्रसाद वर्मा 'चंचल'; १९४८; १०×५, ६।

परिवर्तन : बदायूं।

पर्वतीय :– प्रेस, अल्मोडा।

पांचजन्य : सदर बाजार, लखनऊ; सं० गिरीशचन्द्र मिश्र; प्र० राष्ट्र धर्म कार्यालय; १९४८; १५×१०, १६; १०), ≡);

पांचजन्य : रामबाग, इन्दौर।

पालपत्रिका : बिजनौर।

पुकार : अलीगढ।

पुकार : गोरखपुर।

पुकार : जोधपुर; सं० मंगलसिंह गहलौत 'स्वतंत्र'; ५)।

पुकार : हमीरपुर; सं० परमेश्वरी दयाल निगम; १९४१; १३×१०, १२; ४), –)।

प्रकाश : नाथद्वारा, सं० रघुनाथ पालिवाल।

प्रकाश : स्पार्क प्रेस, कदमकुआँ, पटना-३; सं० शंभुनाथ बलियासे 'मुकुल'; ११४७; १५×१०, १६; ९), ≡)।

प्रकाश : जोधपुर; सं० श्याम माथुर।

प्रकाश : वैद्यनाथधाम (देवघर-बिहार); सं० प्रताप साहित्यालंकार; ३॥)।

प्रकाश : नौबस्ता, आगरा; सं० ध्रुव-नारायणसिंह; प्र० सत्य प्रकाशन; ६), =)।

प्रकाश : बिजनौर; सं० देवदत्त 'राकेश', आदित्यप्रकाश रस्तोगी; १९३४; १०×७॥, २०; ४), ≡)।

प्रकाश : जौनपुर।

प्रकाश : अलीगढ़।

प्रकाश : कानपुर।

प्रकाश : सुलतानपुर।

प्रकाश : हरदोई।

प्रगति : जालना मर्चेंट एसोसिएशन लि०, जालना दक्षिण; सं० श्रीधर ना० हुद्दार, रामकृष्ण लाहोटी; १९५४; १३॥×८॥, ६; –)।

प्रगति : प्रयाग।

प्रजा : २६२, चाँदनी चौक, दिल्ली; सं० ब्रजमोहन; प्र० १५×२०, १२; ६), =)।

प्रजाबंधु : श्रीकल्याण प्रेस, सीकर (राज); सं० विश्वनाथ सारस्वत; १९४२; १३×८॥, ६; ४), =)।

प्रजाबंधु : अल्मोडा।

प्रजाबंधु : देहरादून।

प्रजासेवक : –प्रेस, जोधपुर; सं० अचलेश्वरप्रसाद शर्मा; १९४०; १५×१०, १२; ८), =)।

प्रताप : गणेशशंकर विद्यार्थी रोड, कानपुर; सं० युगलकिशोरसिंह; प्र० प्रताप ट्रस्ट; १९१३; ५), =)।

प्रभाकर : –प्रेस, मुँगेर (बिहार); मदनमोहन पाण्डेय; १९३६; १५×१०; ५॥), =)।

प्रभात : १३, साँठा बाजार इन्दौर; प्र० हिन्दुस्तान जर्नल्स लि०;

प्रभात : उज्जैन;

प्रभात : ग्वालियर।

प्रभात : औरंगाबाद, काशी; सं० शीतलप्रसाद, राममनोहर; प्र० प्रभात प्रि० एण्ड पब्लिकेशन्स; १९४९; १०॥×८॥, २४; ८), ≡)।

प्रहरी : सुभद्रानगर, जबलपुर; सं० भवानीप्रसाद तिवारी, रामेश्वर गुरु, नर्मदाप्रसाद सर्राफ़; १९४७; १५×१०, १२; ६), =)।

प्राची : १२, चौरंगी स्क्वायर, कलकत्ता-१; सं० नन्दकुमार पाण्डे; १९५३; १५×१०, २८; १०), ।)।

प्रेम प्रचारक : दयालबाग, आगरा।

प्रेम प्रभाकर : दिल्ली।

फक्कड़ : जवाहर प्रिंटर्स, कानपुर।

फौजी अख़बार : ब्लाक ६, ओल्ड सेक्रेटरियेट, दिल्ली-८; सं० मेजर आर० पी० सदारंगाणी; प्र० रक्षा सचिवालय, भारत सरकार; १९०७; १२॥×२०, २८; १०), ।), वि० १५), भूतपूर्व सैनिकों से ५), अपाहिज सैनिकों से ३)।

बरेली व्यापार समाचार : बरेली।

बलिदान : जोधपुर; सं० 'हितकर'; ८)।

बलिदान : –प्रेस, मैनपुरी; सं० भीमसेन वर्मा; १९४९; १५×१०, ४; ४), =)।

बालार्क : बहराइच।

बिरला मिल पत्रिका : बिरला काटन मिल्स लि०, सब्ज़ीमंडी, दिल्ली।

बुन्देलखंड : -प्रेस, झाँसी।

बुलन्द : बुलन्दशहर।

बेचारा मजदूर : मेरठ।

ब्रजवासी : मथुरा।

भविष्य : मिश्रबंधु प्रेस, स्नेहलतागंज, इन्दौर; सं० हरिकान्त मिश्र; १०×७॥; ≡)।

भाग्योदय : म्यु० चाल नं० ३२४, रूम नं० २, तुलसी पाईप रोड, बम्बई–१३; सं० 'नरेन्द्र'; १९५२; १०×७॥; ४; ≡)।

भारत : ३, लीडर रोड, प्रयाग; सं० शंकरदयाल श्रीवास्तव; प्र० न्यूज़

पेपर्स लि०; १९२८; २२॥×१७॥, ८; ६), =) ।

भारतज्योति : हिसार, पं० ।

भारतमित्र : जयपुर; सं० द्वाराका प्रसाद; हि० सिं० ।

भास्कर : रीवा, विं० प्र० ।

भूदान : काशी ।

भूदान-यज्ञ : मुरारपुर; गया; सं० धीरेन्द्र मजूमदार; १९५४; १५× १०, ८; ३।), ‒)।

भूदान यज्ञ पत्रिका : सर्व सेवा संघ. वर्धा; सं० अन्ना साहब सहस्र बुद्धे ।

मंगल प्रभात : सराफ़ा बाज़ार, लश्कर, ग्वालियर ।

मजदूर आवाज : –प्रेस, दामोदर रोड, साक्ची, जमशेदपुर; सं० गंगाप्रसाद कौशल; प्र० मजदूर पेपर्स लि०; १९४७; १५×१०, १२; ६), =); ।

मजदूर जगत् : कानपुर ।

मजदूर संदेश १६०, स्नेहलतागंज, इन्दौर; सं० ईश्वरचन्द्र जैन; प्र० राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, म० भा० शाखा; १९४६; ११।×८।।।, ६; ४॥), =) ।

मजदूर संसार : महेन्द्रू, पटना–६; सं० अयोध्या प्रसाद 'अचल'; १९४७; १७॥×११; ८), =)॥ ।

मजदूर समाचार : शुभ्रा प्रेस, काशी।

मतवाला : बिसवीं सदी प्रिं० प्रेस, मिर्जापुर ।

मध्य भारत सन्देश : जिवाजी चौक, लश्कर, ग्वालियर; सं० रघुवीरसेवक दीक्षित; प्र० सूचना विभाग, मध्य भारत शासन; १९५०; १२॥×१०; ६), =) ।

मनोरंजन : –प्रेस, ६७, वागलापाडा लेन, सलकिया, हावडा; सं० गिरीशचन्द्र त्रिपाठी; ६), =) ।

मराठा : ५६८, नारायण पेठ, पूना; प्र० केसरी ट्रस्ट, अं० हि० ।

महाकोशल : महात्मा गाँधी मार्ग, रायपुर, म० प्र०; सं० पं० श्यामचरण शुक्ल, विश्वनाथ वैशम्पायन; १९३४; १५×१०, १२; ६), ‒)॥ ।

महावीर : इटावा; सं० ज्ञानचन्द्र जैन; १९५३; १५×१०, ४; ५), =) ।

मातृभूमि : –प्रेस, बाराबंकी ।

मातृभूमि : भरतपुर; सं० रमेशचन्द्र गर्ग, बद्रीप्रसाद ।

मानव पथ : दीवान हाल, दिल्ली; सं० बाल दिवाकर 'हंस'; १९५२; १५×१०, १४; ४), =), वि०८ शि० ।

मानव सन्देश : दिल्ली ।

मानव सेवक : –प्रेस, आजमगढ़ ।

मानस : जनता प्रेस, नैनीताल ।

मिल्लत : दो टाँकी, बम्बई–८; सं० अब्दुलकादर मोमीन; १९४७; १८×१२, ८; ६), =); हि० म० ।

मित्र : आगरा।
मीराँ : सिविल लाइन्स, अजमेर; सं० अम्बालाल; १९३७; १८×११, ४;
मीराँ : सरदारपुरा जोधपुर;
मीराँ : इन्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।
मेरा किसान : प्रयाग।
मेला : –प्रेस शिकोहाबाद,।
मेल मिलाप : –प्रेस, काशी; ४)।
यातायात : सुभाष चौक, इन्दौर।
यातायात सन्देश : खुर्रा महन्तजी नवाई, रामगंज बाज़ार, जयपुर; सं० रामानन्द दुबे; प्र० रामकृष्ण बटवाल; १९५४; १५×१०, ४; ६), =)।
युगनिर्माण : कौंच (जालौन)।
युगभारती : हज़रतगंज, लखनऊ; सं० ब्रह्मदत्त तिवारी 'नागर'; प्रि० साकेत प्रकाशन मंडल; १९५४; १५×१०, ८; ५), =)।
युगवासी : भारतीय प्रेस, एटा; सं० कुँवर बहादुर शर्मा, शिवशंकर प्रसाद मिश्र; प्र० भारतीय प्रकाशन मंडल; १९४५; १५×१०, १२; ३), –)।
युगवाणी : काशी; १५)।
युगवाणी : –प्रेस, देहरादून; सं० प्रो० भगवतीप्रसाद पांथरी, गोमेश्वर कोठियाल, तेजराम भट्ट; ६), =)।
युगसंदेश : रायबरेली।
युगसमाचार : मंडीरामदास, मथुरा; सं० गोकुलदास गौड; १९५३; १५×१०, ४; ३।।), –)।
युगान्तर : –प्रेस, १०६/४३, गाँधी-नगर, कानपुर; सं० रामकुमार शुक्ल; १९४१; १५×१०; ५), =)।
युगान्तर : मुजफ़्फ़रनगर, उ० प्र०।
युगान्तर : बलिया; सं० वैरागी।
युगान्तर : –झरिया (बिहार); सं० मुकुटधारीसिंह, सतीशचन्द्र; १९५०; १५×१०, १२; ८), ≡)।
युवक : अलीगढ़।
युवक : मुजफ़्फ़रनगर, उ० प्र०।
यू० पी० सिख गजट : लखनऊ।
योगी : –प्रेस, पटना; सं० आर० पी० शर्मा; १९३४; १५×१०, २०; ८), ≡)।
रागरंग : भास्कर प्रेस, देहरादून।
राजधानी : टाउनहाल, दिल्ली–६; सं० कँवरकिशोर सेठ; प्र० दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी; १९५०; १५×१०, १०; =)।।; हि० अं०।
राजस्थान : कोटा; सं० ऋषिदत्त मेहता।
राजस्थान : ९-बी, चौरंगी प्लेस, कलकत्ता-१; सं० रघुनाथप्रसाद सिंहानिया; प्र० राजस्थान डेवलपमेंट बोर्ड; १९५४; १३×८।।, ४; ३), –)।
राजस्थान लॉ वीकली : जोधपुर;

सं० धर्मवीर कालिया; २०)।

रामराज्य : ८/३४, आर्यनगर, कानपुर; सं० रामनाथ गुप्त; १९४२; १५×१०, १२; ४), ~)॥।

रामराज्य : छिन्ददाडा, म० प्र०; सं० भगवतप्रसाद शुक्ल; १९५०; ६), =)।

राष्ट्रज्योति : महू, म० भा०।

राष्ट्रसंदेश : पूर्णिया (विहार); सं० रूपलाल, नरेन्द्रप्रसाद 'स्नेही', कमलदेवनारायणसिंह; १३×८॥; ६), =)।

राष्ट्रसंदेश : सीतापुर; सं० अवधेश अवस्थी; प्र० देवीसिंह; १९४५; १५×१०, ४; ४), ~)।

राष्ट्रीय झलक : कानपुर।

राष्ट्रीय मोर्चा : कानपुर।

राष्ट्रीय संदेश : फैजाबाद।

राष्ट्रीय संदेश : सीतापुर।

राष्ट्रीय हलचल : पापुलर प्रेस, कन्नौज; सं० अनीसुल रहमान; १९४०।

रेलवे मज़दूर : कानपुर।

रोहेलखंड समाचार : बरेली।

ललकार : त्रिपोलिया बाज़ार, जोधपुर; सं० शान्तिचन्द्र मेहता; १९४९; १५×१०, ६; ६), =)।

ललकार : बीकानेर; सं० गंगादास कौशिक, वासुदेवप्रसाद विजयवर्गीय; १९४८; १५×१०, ८; ६), =)।

लाल बुझक्कड़ : बलिया; सं० प्रभुनाथ मिश्र; ११॥×९, ८; ३), ~)।

लोक : परीक्षा भवन प्रेस, लखनऊ।

लोकजीवन : जोधपुर; सं० श्यामसुंदर व्यास; ८)।

लोकजीवन : बीकानेर; सं० ईश्वरमल बापना।

लोकजीवन : भीलवाडा।

लोकतंत्र : कैलास प्रिंटर्स, स्किप्टनविला, शिमला; सं० महेशशरण जोहरी 'ललित'; ६)।

लोकमत : ६१, साठा बाज़ार, इन्दौर; सं० लखपतराय बंसल; =)।

लोकमत : इंडस्ट्रीयल एरिया, बीकनेर; सं० अम्बालाल माथुर; १९४८; ७), =)।

लोकमत : हिन्दी प्रेस, उरई (जालौन)।

लोकमत : गाँधी प्रेस, बुलन्दशहर।

लोकमान्य :—प्रेस, गिरगाँव, बम्बई-४।

लोकमित्र : वीर प्रिंटिंग प्रेस, फिरोजाबाद, उ० प्र०; सं० सुरेशचन्द्र 'वीर'; ३),।

लोकराज : जोधपुर; सं० छगनराज चोपासनीवाला; ८)।

लोकराज :—प्रेस, गोशाईंगंज, फैजाबाद।

लोकसेवक : कोटा; सं० अभिन्न हरि।

लोकसेवक : गाज़ीपुर।

वर्तमान : कानपुर सं० भगवानदीन त्रिपाठी; प्र० रमाशंकर अवस्थी; १९२०; ११×८॥।, २८; ।)।

विकास : सहारनपुर; सं० कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'; प्र० विकास लि०।
विकास : –प्रेस, जौनपुर, उ० प्र०।
विकास : प्रयाग।
विकास : –प्रेस प्रतापगढ़ उ० प्र०।
विचार शक्ति : १४१, शिवाजी पार्क, बम्बई - १३; सं० चम्मनलाल खन्ना; १९५१; १०×७॥, ८; ःॅ),।)।
विजय : विद्या प्रेस, एटा।
विजय : ताप्ती विजय प्रि० प्रेस, लाजपतराय रोड, बुरहानपुर, म० प्र०; सं० रंगलाल बाबाजी; १३×१०,६; ५), =)।
विद्यार्थी काँग्रेस : कानपुर।
विंध्य केसरी : सुभाष मार्केट, सागर, म० प्र०; सं० ज्वालाप्रसाद ज्योतिषि; १९४७; १५×१०, ८; ५), =)।
विंध्याचल : छतरपुर, विं० प्र०।
विरक्त : हनुमत प्रेस, अयोध्या।
विवेक : सन्मार्ग प्रेस, काशी।
विश्वकल्याण : पो० बा० ६०२, नई दिल्ली; सं० स्वामी कृष्णानन्द; प्र० विश्वकल्याण मंडल, १/९०, कनाट सरकस; १९५०; १५×७॥।
विश्वकल्याण : मुजफ्फरनगर, उ०प्र०।
विश्वदीपक : १०, कृष्णपुरा; इन्दौर
विश्वबंधु : अलीगढ़।
विश्वबन्धु : सुलतानपुर।
विश्वमित्र : ७४, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता - १३; प्र० मूलचन्द अग्रवाल, अग्रवाल ब्रदर्स; १९१७; ११×८।, ३४; ६), =)।
विस्फोट : अमरभारती यंत्रालय, काशी।
विस्फोट : –प्रेस, आगरा।
वीर केसरी : सहारनपुर।
वीर भारत : जलेसर (एटा)।
वीर सैनिक : भरतपुर; सं० कन्हैयालाल शर्मा, तुलसीराम गर्ग।
वीरेन्द्र : कौंच (जालोन); १९३६; १०×७॥।
वैश्य : कानपुर।
शंखनाद : गोहाटी (असम)।
शंखनाद : विजय फाइन आर्ट प्रेस, कानपुर।
शक्ति : देशभक्त प्रेस, अल्मोडा; १९१९; १५×१०, ८; ६), =)।
शक्ति संदेश :–प्रेस, कनखल, हरिद्वार; सं० योगेन्द्र शास्त्री; १९५१; १५×१०, ८; ८), ।)।
शहीद : नागरी प्रेस, झाँसी।
शुभचिंतक :–प्रेस, कोतवाली बाजार; जबलपुर; सं० बालगोविन्द गुप्त; १९३७; १५×१०, ८; ६) =)।
श्रमजीवी : श्रम विभाग, कानपुर; सं० श्रमायुक्त; प्र० उत्तर प्रदेश सरकार; १९३८; १०×७॥, १६; ३), –)।
श्रमिक : कानपुर।
श्रमिक : काशी।

श्री वेंकटेश्वर समाचार : ३६/४८, खेतवाडी बैंक रोड, ७वीं गली, बम्बई-४; सं० देवेन्द्र शर्मा शास्त्री; प्र० खेमराज श्रीकृष्णदास; १८९६ १५×१०, १२; ५), -)॥।

श्री शंकराचार्य उपदेश : साहित्य मंदिर प्रेस, लखनऊ।

श्वेताम्बर जैन : मोती कटरा, आगरा; सं० जवाहरलाल लोढा; १९४७; ४)।

संघ : मित्रा प्रेस, बरेली।

संघर्ष : लखनऊ, १९३७; १५×१०, १२; ८); ≡)।

संदेश : भारतीय प्रेस, आजमगढ़।

संदेश : काशी।

संदेश : सहारनपुर।

संयुक्त राष्ट्र : डायरेक्टर, युनाइटेड नेशन्स, इन्फरमेशन सेन्टर, नई दिल्ली-१; १३॥×८॥, ४; १)।

संसार : काशीपुरा, काशी—१; प्र० संसार लि० ; १९४३; १५× १०, २०; ८), =)॥।

संसार दीपक : चमन अखलाख प्रेस, इटावा ; सं० ब्रजनन्दलाल; १९२२; =)।

संसार संघ : देहरादून; सं० राजा महेन्द्रप्रताप; ३)।

सत्यप्रकाश : इन्दौर।

सदाकत (हिन्दी) : पुराना तोपखाना-कानपुर; सं० ख्वाजा अब्दुस सलम; १९२५; १५×१०; =)।

सदाशिव : सिलवर प्रि० प्रेस, कानपुर।

सनमती : सागर, म० प्र०; सं० गोपाल पाठक; =)।

सनातन साम्राज्य : झाँसी।

सन्मार्ग : टाउनहाल, काशी; सं० गंगाशंकर मिश्र, कमलाप्रसाद अवस्थी, विश्वनाथ त्रिपाठी; १९४७; ११।× ८।।।, ३२; ७), =)॥।

सन्मार्ग : प्रभात प्रि० प्रेस, मलाड, बम्बई।

सबेरा : भारत प्रेस, इटावा ; सं० श्रीगोविंद पाठक; १९४९; १५×१०, ४; ३), -)।

समता : -प्रि० प्रेस, अल्मोडा।

समय : सेवा प्रेस, जौनपुर।

समाचार : काशी।

समाज : काशी।

समाज जीवन : समाज शिक्षा बोर्ड, बिहार, पटना-४; सं० ब्रजकिशोर 'नारायण'; प्र० बिहार सरकार; १०× ७॥, २४; १॥)।

समाजवाद : कानपुर।

सम्राट : -प्रेस, पहाडीधीरज, दिल्ली; सं० रघुवीरसिंह शास्त्री; १५×१०, ८; ८), =)।

सरकार : खूर्जा।

सर्वोदय : भरतपुर; सं० गौरीशंकर मित्तल।

सहकारी : हमीरपुर ।

सहयोगी : –प्रेस, वाजपेयी भवन, कस्तूरबा गाँधी रोड, कानपुर; सं० विष्णुदत्त शुक्ल; ६॥), =)।

सही राय : भरतपुर; सं० ए० एस० मित्तल ।

साकेत : रमेश मुद्रणालय, अयोध्या ।

साप्ताहिक सिनेतस्वीर : १३५ ए, चितरंजन एवेन्यू (नार्थ ब्लाक), कलकत्ता - ७; सं० रामेश्वरप्रसाद; १९५०; =) ।

साप्ताहिक हिन्दुस्तान : पो० बा० ४०, नई दिल्ली - १; सं० बाँकेबिहारी भटनागर; प्र० हिन्दुस्तान टाइम्स लि०; १९५०; १७॥×११,११३२;१४),।)।

साथी : अलीगढ़ ।

साथी :–प्रेस कानपुर ।

सारथी : धर्मपेठ, एक्सटेन्शन, नागपुर; सं० द्वारकाप्रसाद मिश्र; १९५४; १५×१०, २०; १२), ।)।

सावधान : कानपुर।

सावधान : सरूदारपुरा, जोधपुर; सं० दौलतसिंह; ३), –)।

सावधान : नागरी प्रेस, झाँसी।

सिद्धान्त : गंगातरंग, नगवा, काशी; सं० गंगाशंकर मिश्र; १९४०;४),–)॥।

सीमासंदेश : श्रीगंगानगर राज०; प्र० कमलनयन शर्मा; १९५१ ।

सुगन : दिल्ली ।

सुगर समाचार : मुजफ़्फ़रनगर, उ०प्र०।

सुदर्शन : नाथद्वारा; सं० नरेन्द्रकुमार पालिवाल ।

सुदर्शन : –प्रेस, एटा; सं० रेवतीलाल अग्नीहोत्री, प्यारेलाल सारस्वत; ४), –)॥ ।

सुधारक : इटावा ।

सुधारक : हाथरस ।

सुबराती : संभलपुर (उड़ीसा); सं० लक्ष्मीनारायण मिश्र; प्र० प्रजा-शक्ति प्रकाशन समिति; हि० उडिया।

सुरवीर : दिल्ली ।

सुलतानपुर गजट : सुलतानपुर ।

सूचना : सं० मगनलाल दिनेश; प्र० भोपाल राज्य; १९४८; ५), –)॥ ।

सूर्य : काशी; सं० जानकीशरण त्रिपाठी; १९१८;१५×१०;३),–)॥।

सेनानी : बीकानेर राज०; सं० शंभूदयाल सक्सेना; १८×११, ८; ८) =) ।

सेवक : प्रेमकुटी, सातरोद खुर्द (हिसार); सं० हरदेवसहाय; १९४९; १३×१०, १०; ६), =) ।

सेवक : –प्रेस, मुजफ़्फ़रनगर उ०प्र०; सं० चतरसिंह भटनागर; १५×१०,४; ६), =)।

सेवाग्राम : १, दरियागंज, दिल्ली; सं० ज्ञानेन्द्रप्रसाद जैन; १९५४; १७॥×११, ८; ५), =)।

सैनिक :–प्रेस, किनारी बाज़ार, आगरा; प्र० सैनिक ट्रस्ट; १९२५; १५×१०; ८), ≡)।

स्वतंत्र भारत :–प्रेस, बज़ाजा बाज़ार, अलवर; सं० रामानन्द अग्रवाल; प्र० अलवर कांग्रेस कमेटी; १९४७; १५×१०; ६), =)।

स्वदेश :–प्रेस, आगरा।

स्वराज्य :–प्रेस, बरेली।

हंसा : सवाई मानसिंह रोड, हाईवे, जयपुर; सं० चिरंजीव जोशी; ६), =)।

हमराही : उदयपुर; १९५०।

हमारा गाँव : दिल्ली।

हमारा देश : शामली, मुजफ्फरनगर, उ० प्र०।

हमारा देश : भरतपुर।

हमारा समाज :–प्रेस, मर्थना, इटावा।

हरिजन सेवक : पो० बा० १०५, अहमदाबाद; सं० मगनभाई प्रभुदास गाँधी; प्र० नवजीवन प्रकाशन मंदिर; १९३२; १३॥×८॥, ८; ६), =); वि० १४ शि०।

हरिजन हितैषी : दिल्ली।

हरियाना सन्देश : हिसार।

हलचल : बीकानेर; सं० प्रेमबहादुर सक्सेना।

हलचल : उरई, (जालोन)।

हलचल : –प्रि० वर्क्स, गौंडा, उ० प्र०।

हलचल : बरेली।

हितकारी : मथुरा।

हितचिन्तक : इन्दौर।

हिन्द केसरी : झाँसी।

हिन्दी संसार : सिंह प्रेस, १९ बी, नरेन्द्रसेन लेन, ककलत्ता-९।

हिन्दी सचित्र भारत : ८३, वर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता-१३; स० श्रीनारायण झा; १९५५; ९×५॥, ८८; १२), ।)।

हिन्दी स्क्रीन : न्यूज़पेपर हाउस, सासून डॉक, कोलाबा, बम्बई-५; प्र० एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लि०; १३), ।)।

हिन्दू :–प्रेस, हरिद्वार; सं० हरिश्चन्द्र सिंह भाटी 'संत'; १९३४; १२॥×१०, १२; ५), =)।

हिन्दू विजय : बी १०/९६३, गौली-गुडा, हैदराबाद-१; सं० यशवंतराव जोशी; १९५४; १५×१०, ४; २।=))॥।

हिन्दू संदेश :–प्रेस, सोजती गेट, जोधपुर; सं० खैरातीराम अग्रवाल; १५×१०, ८; ३), –)।

हिमाचल : मुनि की रेती, ऋषिकेश; सं० सत्यप्रसाद रतूड़ी; १९४८; ११×९, ८; ६), =)।

हिमाचल : बरेली।

हिमाचल : जन साहित्य प्रेस, लखनऊ।

हिमाचल केसरी : देहरादून।

हुंकार : न्यू मार्केट, पटना-१; सं०

रामेश्वरदत्त, शुकदेवराय; १९४२; १०×७॥, ३२; ९), ≡)।
हुकूमत :—प्रेस, मुरादाबाद।
ज्ञानशक्ति :—प्रेस, गोरखपुर; सं० योगेश्वर, शिवकुमार शास्त्री; प्र० सर्व शिरोमणी समाज; ३), =)।
ज्ञानोदय : हिसार (पंजाब); सं० मनूदत्त शर्मा; प्र० श्री दरवार कार्यालय; १९४८; १०×७॥, २०; १०)।

पाक्षिक

अगला कदम : बुन्देलखंड प्रेस, झाँसी।
अछूत जनता : प्रयाग।
अजगर : भार्गव भूषण प्रेस, त्रिलोचन, काशी; सं० आहितुण्डक भुजंगराव, जोगदंडराव; १९४७; ३)।
अधिकार : रामसिंहनगर, राज०; सं० उदयकरण 'सुमन'।
अध्यापक जगत् : बम्बई प्रि० काटेज काशी।
अपनी बात : राज प्रि० प्रेस, बिजनौर।
अमेरिकन रिपोर्टर : ५४, क्विन्सवे, नई दिल्ली—१; सं० विलियम बी० किंग; प्र० युनाइटेड स्टेट्स इन्फ़र्मेशन सर्विस; १९५०; १७॥×११, ८।
अर्घ : खूर्जा; सं० राधेश्याम शर्मा, 'प्रगल्भ', डा० डी० एस० प्रकाश, किशोर; १९५२; १०×७॥, ८; ४), ≡)।
अहिंसा : जयपुर; सं० इन्द्रलाल शास्त्री; १९५३; १५×१०, ८; ५), ।)।
आँसू : नाला भैरों, आगरा; ✓)।
आर्थिक समिक्षा : ७, जंतरमंतर रोड, नई दिल्ली—१; सं० श्रीमन्नारायण, हर्षदेव मालवीय; प्र० अ० भा० कांग्रेस कमेटी, आर्थिक राजनैतिक अनुसंधान विभाग; १९५१; १०×७॥, ५), ≡)॥।
आर्य सेवक : गोरेपेठ, नागपुर; सं० इन्द्रदेवसिंह; प्र० मध्यप्र आर्य-प्रतिनिधि सभा; १९०९; ११×९, ८; ३), =)।
आलोक : लाईन बाजार, पूर्णिया (विहार); सं० मदनेश्वर मिश्र; प्र० अर्जुनलाल प्रेस; १९५३; ६॥), ।)।
उजाला : लिटरेसी हाउस, अडलफी, प्रयाग—२; सं० कस्तूरचन्द गुप्त; =)।
उत्तर : १६, चन्द्रमहाल, ठाकुरद्वार, बम्बई—२; सं० वा० आ० प्रभु; प्र० अनुराधा प्रकाशन; १९५१; १०×७॥, ४; ४), ≡)।
उत्तर प्रदेश पंचायतीराज्य : पब्लिकेशन्स ब्यूरो, विधानसभा भवन, लखनऊ; प्र० उत्तर प्रदेश सरकार; १९५१; ११×८॥, १०), ॥)।
उत्तराखंड सन्देश : देहरादून।
ओसवाल : रोशन मोहल्ला, आगरा; सं० मूलचन्द बोहरा; प्र० अ० भा० ओसवाल महासम्मेलन; ४॥), ॥)।

ओसवाल : अजमेर ।

कताई मंडल पत्रिका : अ० भा० चरखा संघ, सेवाग्राम, (वर्धा); सं० कनु गांधी; १९५१; ८॥×५॥; ८; १) ।

कर्मयोग : गीतामंदिर, सिकन्दरा, आगरा; १९४६ ।

कलाकौशल : भारत प्रिं० प्रेस, रायबरेली ।

कहानियाँ : संत प्रकाशन, पटना—३; सं० शकुन्तला, गुरुप्रसाद उप्पल; १९४६: १०×७॥, ४८, ६), ।) ।

खण्डेलवाल जैन हितैच्छु : मदनगंज; किशनगंज (राज०); सं० नेमिचन्द बाकलीवाल; २) ।

खण्डेलवाल जैन हितैच्छु : रंगमहल, इन्दौर; सं० नाथूलाल जैन; प्र० अ० भा० दिगंवर जैन खण्डेलवाल महासभा; १५×१०, १२; ३), =) ।

गांव की बात : मोतीलाल नेहरू रोड, प्रयाग; सं० शालिग्राम पथिक, कृष्णदास; १९४७; ६) ।

गांवसुधार : अवध प्रिं० वर्क्स, लखनऊ।

गोशुभचिन्तक : पो० बा० ५७५, गया; सं० खेदहरण शास्त्री; १९४४; ३), =) ।

ग्रहवाणी : दारागंज, प्रयाग; सं० गिरीजादत्त शुक्ल; १०×७॥; ५), ।)।

ग्रामराज : खेमल (जयपुर); सं० सिद्धराज ढड्ढा ।

ग्रामवासी : प्रयाग ।

ग्रामसेवक : प्रयाग ।

ग्राम हितैषी : मफसलाइट प्रस, प्रयाग।

छात्रलोक : शुक्ल प्रेस, कानपुर ।

जनतंत्र : गोरखपुर ।

जनसन्देश : २०७, कालबादेवी रोड, बम्बई—२; १॥) ।

जन समाज : आनेस्टी प्रेस, अमरावती, म० प्र०; सं० रामरतन सिकची ।

जन सेवक : लंखेरी (बुन्दी, राज०); सं० भंवरलाल शर्मा ।

जनार्दन : सुदर्शन प्रेस, ख़ूर्जा, उ० प्र०।

जमीन की पुकार : भेलसा, म. भा०; सं० ए. एस. भटनागर; प्र० गहन कृषि विभाग, मध्यभारत सरकार; १९५३, १३॥×८॥, ४; १।), —) ।

जागृति : ओरिअन्ट प्रिं० प्रेस, नवीवाडी, बम्बई—२ ।

जैन दर्शन : मुरैना, म. भा. ।

ज्योति : स्वतंत्र भारत प्रेस, आगरा।

टी० आई० टी० पत्रिका : भिवानी, पं० ।

दीपक : सेन्ट्रल प्रेस, प्रयाग.।

देश-दशा : प्रयाग ।

धनयुग : विश्वेश्वरगंज, काशी—१; सं० गोविन्दप्रसाद केजरीवाल; प्र० युगाश्रय प्रेस; १९५१; १०×७॥, ४; ३), =) ।

धनवान : ३, महालक्ष्मी निवास, डी. वी. प्रधानरोड, दादर, बम्बई—१४; सं० हरकिशनलाल कूंडरा; १९५१; ११।×

८, ४; ५J, ।) ।
धूपछांव : कानपुर ।
नया कानून : आगरा ।
नयासंसार : बीकानेर; सं० ललितकुमार 'आज़ाद' ।
नवज्योति : नारायण प्रेस, पिथौरागढ, अल्मोडा ।
नवचित्रपट : ९२, दरियागंज, दिल्ली; सं० सत्येन्द्र श्याम; १९४८; ९), ।=) ।
नवनिर्माण : शान्ति प्रेस, बदायूँ ।
नवनिर्माण : बालार्क प्रेस, बहराइच ।
नागपुर महानगर पालिका वृत्त : महाल, नागपुर; ३); हि० म० ।
नागरिक : नगर सेविका इन्दौर; सं० कमलाकान्त मोदी; १९५३; १५×१०, १६; २J, ⁻J ।
निमाड़ : मंडलेश्वर, सनावद, म० भा०; सं० जगदीश विद्यार्थी; प्र० जडावचन्द जैन; १९५१; १३॥×८॥, ८; २), ⁻)॥ ।
निरालीराय : उरई, उ० प्र० ।
निर्भय : १३, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली-१; सं० रामानन्ददास, पृथ्वीसिंह 'आजाद', इन्द्रनारायण गुर्टू; प्र० भारतीय दलित संघ; ११५५; १५×१०, १२; ५), ≡) ।
निर्माण : चमडिया बाजार, कटिहार (जि० पूर्णिया) बिहार; सं० रामेश्वर प्रसाद मोडिया, सुशीला भंडारी, सीताराम; प्र० मारवाडी सम्मेलन; १९५० ।
निर्माण : रतनगढ़ (राज०); सं० सूर्यप्रकाश शास्त्री ।
निषाद सेवक : गोरखपुर ।
नौरंगमहल : प्रयाग ।
न्यायदूत : राजपूत सभाभवन, जोधपुर; सं० आनन्दसिंह आजवा; १९५२; १५×१०, ४; ५J, =) ।
पंचदूत : सुदर्शन प्रेस, एटा ।
पंचदूत : फतेहपुर, उ० प्र० ।
पंचपरमेश्वर : इंडस्ट्रीयल आर्ट प्रिंटरी; कानपुर ।
पंचपरमेश्वर : लखनऊ ।
पंचलोक : स्टार प्रिं० प्रेस, सहारनपुर ।
पंचवाणी : जमुना प्रिं० वर्क्स, मथुरा ।
पंचसंदेश : परमार्थ प्रेस, शाहजहाँपुर ।
पंच संदेश : सनलाइट प्रेस, मुजफ़्फ़र-नगर, उ० प्र० ।
पंचायत : हुसैनीआलम, हैदराबाद–२; सं० गुरुचरणदास सक्सेना; १९५३; ८॥×५॥, १२; ३), =) ।
पंचायत पत्रिका : युनायटेड प्रेस, देहरादून ।
पंचायतसुधा : हमीरपुर ।
परख : भारत प्रेस, बिजनौर ।
परिवर्तन : अलीगढ़ ।
परिवर्तन : कानपुर ।
पाखंड खंडिनी पताका : काशी ।
पुरस्कार : लंका, काशी–४; सं० वि०

पाण्डेय; १९५२; १०×७॥, १०; ५), ।) ।
पोल-मथुरा : मथुरा ।
प्रकाश : एडवर्ड प्रि० काटेज, गाजीपुर ।
प्रगति : आलमगीरीगंज (बरेली); सं० प्रेमनारायण 'प्रेम', श्यामस्वरूप 'श्याम'; १९५३; १०×७॥, ६; ४), ≡) ।
प्रगति : राजस्थानी प्रगति समाज, तारघर के सामने, सुलतानबाज़ार, हैदराबाद–१; सं० हरिराम मानुधन्या; १९५५; १०×७॥, ८ ।
प्रजामित्र : रामा प्रेस, चम्बा; हरिप्रसाद 'सुमन', विद्याधर विद्यालंकार; ३), =) ।
प्रभा : जोधपुर; सं० बालकृष्ण भेवानी ।
बनारस म्युनिसिपल गजट : काशी ।
बापूजी की देन : फ़ैजाबाद ।
बिहार काँग्रेस : सदाकत आश्रम, पटना; सं० वासुदेवप्रसादसिंह; प्र० बिहार प्रादेशिक काँग्रेस कमेटी; २४; ६॥) ।
बिहार समाचार : जनसम्पर्क विभाग, पटना; सं० नन्दकिशोर तिवारी; प्र० बिहार सरकार; ३२; ५), ।) ।
बुन्देलखंड : झाँसी ।
बुलाकी किराना रिपोर्ट : दिल्ली ।
भाग्यलक्ष्मी : शिवपुरी, लखनऊ; सं० कृष्णकुमार; १९५१; ११×९, ८; ४), ।) ।
मंजिल : रघुनाथपुर (जि० मानभूम–बिहार); सं० मोतीलाल शर्मा 'सुमन'; ६॥≡), ।) ।
मंदिर से : वी० एन० प्रेस, इटावा ।
मज़दूर आवाज़ : ओडियन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली; सं. स्वामीनाथ, बालचन्द्र 'मुजलर'; प्र० दिल्ली प्रेस यूनियन; १९४८; ३), =) ।
मजदूर दुनिया : ३३, सरकार बिल्डिंग्स, साकची, जमशेदपुर; सं० अली अमजद, डा० यू० मिश्रा, केदारदास, चित्तो मुखर्जी, देवशरण; प्र० जमशेदपुर मज़दूर यूनियन; -) ।
मजदूर संदेश : युगवाणी प्रकाशन, जयपुर ।
मजदूर समाज : श्रमिक बन्धु प्रेस, पीलीभीत, उ० प्र० ।
मनरंजन : युगवाणी प्रेस, देहरादून ।
महिला जागरण : भरतपुर दरवाज़ा, मथुरा; सं० ब्र० कृष्णाबाई; ५), ।) ।
मानवपथ : दिल्ली ।
मालव मार्केट रिपोर्ट : मंदसौर, म० भा० ।
मित्र : आवाज प्रेस, एटा ।
यूनियन पत्रिका : जयपुर; सं० गंगानारायण गुप्त, रामशरण ।
रचना : रायबरेली ।
रचना : ५८२/२, बेगम रोड, मेरठ;

सं० आनंदप्रकाश जैन; १९५२; १०×७॥, ८; ३), ।) ।
रत्न : ६९/२, शिवाजी पार्क रोड नं० १, वम्बई—२८; सं० वी० एन० इस्सर; १९५१; ११×९, ४; ५),।)।
रवि : युनाइटेड प्रेस, सहारनपुर ।
रहबर : अजमल प्रेस, जे० जे० अस्पताल के सामने, बम्बई ।
राजनीति : हिन्दुस्तान प्रेस, अलीगढ़ ।
राजस्थानी वीर : पो० बा० ५७५, पूना—२; सं० नारायणदास धूत; १९३४; १५×१०, ८; ५), ।) ।
राजेन्द्र : भटिण्डा, पेप्सू ।
राष्ट्रवाणी : प्रयाग ।
रेलवेमेन्स यूनियन पत्रिका : जयपुर; सं० गंगानारायण गुप्त ।
रेलवे समाचार : नागरी प्रेस, झाँसी ।
रोडवेज : कानपुर ।
लहरी : भारत जीवन प्रेस, काशी ।
लीली : निर्बल के बलराम प्रेस, कानपुर ।
लोकबंधु : प्रबोध प्रेस, काशी ।
वर्तमान : के० ई० एम० रोड, बीकानेर; सं० पद्मनाभ शास्त्री; १९५०; ८॥× ५॥, ३२; ≡) ।
विकल : अलीगढ़ ।
विकास की ओर : प्रभात प्रिं० काटेज, आजमगढ़ ।
विकास मार्ग : बस्ती ।
विचारमाला : ९०—ई, कमलानगर, दिल्ली—६; सं० शिवलाल कपूर; १९५२; ११×९, ८; ३॥), ≡) ।
विद्या (प्रथम खंड) : सीताबर्डी, नागपुर; १९४७; मैट्रिक ।
विद्या (द्वितीय खंड) : सीताबर्डी, नागपुर; १९४७; ६); इंटर ।
विंध्यप्रदेश : सूचना एवं प्रचार विभाग, रीवा, विं० प्र०; प्र० विंध्यप्रदेश सरकार ।
वीर : ललितपुर (झाँसी) ; सं० कामताप्रसाद जैन, परमेष्ठीदास जैन; प्र० भा० दिगम्बर जैन परिषद; १९२३; १५×१०, ८; ५), =) ।
वीरवाणी : वीर प्रेस, मणिहारों का रास्ता, जयपुर; सं० चैनसुखदास; १९४७; १०×७॥, १६; ४), ।) ।
वीरसंदेश : अजमेरा प्रिं० प्रेस, जयपुर; सं० केसरलाल अजमेरा ।
वीरसंदेश : कानपुर ।
शब्दव्यूह : नेशनल प्रेस, शाहजहाँपुर ।
शारदा : अग्रवाल प्रिं० प्रेस, फ़र्रुखाबाद; सं० प्रकाशचन्द्र अग्रवाल; १९५१; १०×७॥, ≡) ।
शिशु सखा : दिल्ली ।
शोषित संग्राम : साथी प्रेस, लखनऊ ।
संगीत केसरी : कला-भवन, भोपवाडी, बम्बई; सं० प्रो० यशवंतराव ।
सत्यवादी : नवजीवन प्रेस, इटावा;

सं० दयाचन्द्र जैन; १९४१; ८॥।x ५॥, २४; २), ─)।

समस्या : सियागंज, इन्दौर; सं० जैनेन्द्रकुमार जैन; १९५३; १०x७॥, १०; २), ─)॥।

सम्मति : साहित्य मंदिर प्रेस, लखनऊ।

सरोवर : सिंधू प्रि० प्रेस, ११८, आडाबाज़ार, इन्दौर; १९५१; १०x ७॥, ४; =)।

सलाहकार : ३४ ए, दादाभाई चाल, सूर्य सिनेमा के पीछे, परेल, बम्बई—१२; सं० 'विद्यार्थी'; १९५१; १०x ७॥, ६; ३), ≡)।

सारंग : ऑल इंडिया रेडियो, करजन रोड, नई दिल्ली; सं० एच० एस० मारडेकर; १९३५; ११x८; ७), ।─)।

सुधानिधि : ३, सम्मेलन मार्ग, प्रयाग; सं० शिवदत्त शुक्ल, योगीन्द्रचन्द्र शुक्ल; प्र० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल; १९०९; ७॥x५, ५)।

सूझबूझ : १८, गोविन्द बनर्जी लेन, सलकिया, हावडा; सं० बद्रीनाथ शर्मा; प्र० विश्वनाथ शर्मा; १९५१; १०x ७॥, ८; ४), ≡)।

सेवक : १०, एम. एल. ए. क्वाटर्स, हैदरगुडा हैदराबाद-१; सं.विजयकुमार; प्र० जे० एम० त्यागराज; १९५३; १०x७॥, २४; ४), ।); हिं० तै०।

सेवाश्रम : दिल्ली।

सेवासमाज : ओसवाल सेवासमाज, ५७, जैन पार्क बम्बई—२७।

सोवियत भूमि : पो० बा० २४१, नई दिल्ली—१; सं० ग० रफ़ीमोव; प्र० तास न्यूज़ एजेन्सी; १९४९; १०x ७॥, २॥), =)।

स्वाधीन : झाँसी।

हमारा पथ : कलकत्ता :

हलचल : कृष्णा प्रि० प्रेस, मथुरा।

हलचल : अमरोहा, उ० प्र०; सं० अमरनाथ अग्रवाल, यतीशचन्द्र जैन; प्र० लाजवन्ती प्रकाशन; १९५२; १५x१०, ८; ५), ।)।

हिंसाविरोध : जमनाबाई बिल्डिग, माणक चौक, अहमदाबाद; सं० बुधाभाई म० शाह 'हंस'; प्र० हिंसा विरोधक संघ; १९५२; १।), =)।

होनहार : विद्या मंदिर चौक, लखनऊ; सं० तेजनारायण टंडन; १९४४; ८॥।x५॥, ३२; ३) =)॥।

क्षत्राणी : क्षत्राणी सेवासदन, जोधपुर; सं० रामपाली भाटी 'प्रभाकर'; १९४८; ५)।

मासिक

अंगुर के गुच्छे : प्रयाग।

अखण्ड ज्योति : —प्रेस, घीयामंडी, मथुरा; सं० आचार्य श्रीराम शर्मा, प्रो० रामचरण महेन्द्र; १९४०; १०x७॥, २८; २॥), ।)।

अग्निशिखा : चाईबासा, (सिंहभूमि); सं० शंकरलाल खीरवाल 'शंकर', विन्ध्येश्वरीप्रसाद गुप्त 'बिन्दी'; १९५२; १०×७॥; ४), ।=)।

अग्रदूत : जयपुर; सं० रामस्वरूप।

अग्रवाल : २४, क्लाईव स्क्वेयर, नई दिल्ली; सं० भद्रसेन गुप्त; १०×७॥, ३६; ४), ।=)।

अग्रवाल : –प्रेस, अलीगढ़।

अग्रवाल पत्रिका : हाथरस; सं० मोहनलाल गर्ग, गंगाशरण अग्रवाल; ५), ॥)।

अग्रवाल लोहिया हितैषी : लोहामंडी, आगरा; सं० कुमुद विद्यालंकार, सोहनलाल गुप्त; १९४१; १०×७॥, २४।

अग्रवाल सन्देश : २१, बूलानाला, काशी; सं० परमेश्वरीलाल गुप्त, १९४१; १०×७॥, २०; ३), ।)।

अग्रवाल सन्देश : पूरन भवन, देहली दरवाज़ा, अलीगढ़; सं० महेन्द्र अग्रवाल, प्र० अग्रवाल नवयुवक मंडल; १९५३; १०×७॥, २०; ३), ।-)।

अजन्ता : हिन्दी भवन, नामपल्ली रोड, हैदराबाद–१; सं० वंशीधर विद्यालंकार; प्र० हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा; १९४९; १०×७॥, ८०; ९), १)।

अतीत : –महल, हाथरस; सं० देवीदास शर्मा; १९४७; १०॥×५; ८०; ६), ॥=)।

अध्यापक : बुलन्दशहर।

अध्यापक : वन्देमातरम् प्रेस, प्रयाग।

अनुभूत योगमाला : बरालोकपुर, (इटावा); सं० विश्वेश्वरदयालु वैद्यराज; प्र० हरिहर प्रेस; १९२३; १०×७॥, ३२; ४), ।=)।

अनेकान्त : १, दरियागंज, दिल्ली; सं० जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर', छोटेलाल जैन, जयभगवान जैन, धर्मदेव जैतली, परमानन्द शास्त्री; प्र० वीरसेवा मंदिर; १९३८; १०×७॥, ३२; ६), ॥)।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार : प्रयाग।

अपनादेश : प्रयाग।

अपनाराज : भीलवाडा।

अप्सरा : भारतीय प्रेस, एटा; सं० बलवीरसिंह रंग, शिवशंकरप्रसाद मिश्र; १०×७॥, ५६; ४) ।=)।

अप्सरा : काशी।

अभिनय : ३५, बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता; सं० विश्वनाथ बूवना, रणधीर; ६)।

अभिनव मध्यभारत : इन्दौर।

अमर कहानी : रंगमहल कार्यालय, लाहोरीगेट, दिल्ली–६; सं० ओ३मप्रकाश गुप्ता; १९४९; ७×५, ८०; ३), ।)।

अमर ज्योति : ११/३०९, सूटरगंज, कानपुर; सं० सूर्यवंश मिश्र, ललित श्रीवास्तव, राधेकृष्ण, भँवरलाल; प्र० हरिवंश मिश्र; १९४८; १०×७॥, ३६; ६), ॥=) ।

अमर ज्योति : दिल्ली ।

अमर ज्योति : हिसार ।

अमर मैगजीन : कानपुर ।

अमोघ उपन्यास माला : प्रयाग ।

अमृत : बी. एम. दास रोड, पटना–४; सं० नगेन्द्रनारायणसिंह; प्र० हरिजन सेवक संघ बिहार; १९५१; १०×६।, ५०; ५), ॥) ।

अयोध्यावासी पंच : काशी ।

अरुण : जीलाल स्ट्रीट, मुरादाबाद; सं० पृथ्वीराज मिश्र, दिनेशचन्द्र पाण्डे; प्र० अरुण लि०; १९३३; १०×७॥, ५०; ३), ।) ।

अरुण : बिरिहाना, लखनऊ; सं० शिवसिंह सरोज, कृष्णकुमार द्विवेदी; प्र० अनुपम प्रकाशन कुटीर; ४४; ।) ।

अरुणोदय : उन्नाव ।

अरुणोदय : भावना क्षितिज, रामनगर, आलमबाग, लखनऊ; सं० कमलप्रसाद अवस्थी 'अशोक', प्रो० मदनलाल 'मधु', प्रिं० शकुन्तला अग्रवाल, कु० प्रेमा रस्तोगी; १९४९; १०×७॥, १६; २॥), ।) ।

अरोडावंश सखा : पीपलिया बाजार, ब्यावर; सं० मिश्रीलाल अरोडा 'संत'; १९३८; १०×७॥; २) ≡) ।

अलका : प्रयाग ।

अवन्तिका : नयाटोला, पो० बा० ४८; पटना–४; सं० लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु'; प्र० श्री अजन्ता प्रेस लि०; १९५२; १०×७॥, १०८; १०), १) ।

अशोक : मोरीगेट, दिल्ली; सं० सुधीर भारद्वाज; ६) ।

अहिंसावाणी : पो० अलीगंज, (जि. एटा) सं० कामताप्रसाद जैन, प्र० विश्व जैन मिशन; १९५१; १०×७॥, २२; ४॥), ।=) ।

आँचल : ३, डिप्टीगंज, सदर बाजार, दिल्ली; सं० कु० स्वर्णलता रेखा; १९४९, ७॥×५, ६४; ४), ।⁻) ।

आँधी : कानपुर ।

आँधी : काशीपुरा, काशी–१; प्र० संसार लि०; ५), ॥) ।

आग : बिजनौर ।

आचार्य धन्वन्तरी : आयुर्वेद व यूनानी तिब्बी कालेज, दिल्ली; १०×७॥; २॥), ।) ।

आजकल : पब्लिकेशन डिविजन, ओल्ड सेक्रेटरीयट, दिल्ली–८; सं० बनारसीदास चतुर्वेदी, नगेन्द्र, शशिधर सिन्हा, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, देवेन्द्र सत्यार्थी; प्र० भारत सरकार; १९४५; ११।×८।।।; ६), ॥ ।

आत्म-धर्म : अनेकान्त मुद्रणालय, मोटा आँकडिया (सौराष्ट्र); सं० कानजी स्वामी, रामजी माणेकचन्द दोशी; ३), ।-) ।

आत्मानन्द : –जैन ट्रेक्ट सोसाइटी, अम्बाला शहर; १९३०; १०×७॥ ।

आदर्श चिकित्सक : माडर्न रेमिडीज प्रेस, कानपुर ।

आदेश : मेरठ ।

आनन्द : तारा यंत्रालय, काशी ।

आनन्द संदेश : गुना. म० भा० ।

आपका स्वास्थ्य : बनारस–१; सं० डा० शरत्कुमार चौधरी, डा० कोशलपति तिवारी, डा० शिवनाथ खन्ना, डा० सुरेन्द्रनाथ गुप्त, डा० भानुशंकर मेहता; प्र० इंडियन मेडिकल असोसिएशन; १९५३; १०×७॥; ७२; ६), ॥) ।

आयुर्वेद : आनन्द प्रेस, हरिद्वार ।

आयुर्वेद गौरव : ६०, पाथुरिया घाट स्ट्रीट, कलकत्ता–६; सं० प्रकाशचन्द्र गुप्त, माधवप्रसाद शास्त्री; १९५३; १०×७॥ ३२; ३), ।) ।

आयुर्वेद चमत्कार : प्रयाग ।

आयुर्वेद चिकित्सक : लाखा भवन, पुरानी चरिहाई, जबलपुर; सं० चन्द्रशेखर जैन; प्र० आयुर्वेद चिकित्सक संघ; ४) ।

आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका : ९०/८, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–१; सं० कैलाशचन्द्र अग्रवाल, एस० बटराज; प्र० अ० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन; ९॥×६॥ ४०; ५), ॥); हि० सं० ।

आयुर्वेद मार्केट रिपोर्ट : जी० टी० रोड, अमृतसर; सं० वैद्य अमृतपाल; प्र० जैन पवित्र केसर स्टोर्स; १९५२; ८॥×५॥; ४) ।

आयुर्वेद वाणी : भारद्वाज आयुर्वेदिक फार्मेसी, विजयगढ़, अलीगढ़; सं० हरिप्रकाश भारद्वाज; १९४९; १०×७॥; ३२; ५॥), ॥) ।

आयुर्वेद विज्ञान : पंजाब आयुर्वेद फार्मेसी, अकाली मार्केट, अमृतसर; सं० स्वामी हरिशरणानन्द; १९५३; १०×७॥, २२; ३), ।-) ।

आयुर्वेद समाचार : अशोक आयुर्वेदिक फार्मेसी, बाजार वकरवाना, अमृतसर; सं० कविराज वेदप्रकाश अग्रवाल; प्र० १९४८; १०×७॥; १६; ३), ।-) ।

आयुर्वेद सेवक : नई शुक्रवारी, नागपुर; सं० गुलराज शर्मा, शिवकरण छंगाणी; १९४८; १०×७॥ ।

आरसी : ११३।११६, स्वरूपनगर, कानपुर; सं० लीलाप्रकाश; १९५२; १०×७॥, ६०; ४), ।=); बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, पाक, पारिवारिक ।

आराधना : गाजीपुर ।

आरोग्य : गोरखपुर (उ० प्र०); सं० विट्ठलदास मोदी; प्र० आरोग्य मंदिर; १९४७; ११×८।। २४; ५), ।≡), प्राकृतिक चिकित्सा।

आरोग्य : मथुरा।

आरोग्य जीवन : आनन्द कुटीर, ऋषिकेश, हरिद्वार; सं० स्वामी सत्यानन्द; प्र० योग-वेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय; ३।।)।

आर्डनेन्स मजदूर जगत : कानपुर।

आर्य्य महिला : जगतगंज, काशी छावनी; सं० आत्माप्रसादसिंह; प्र० आर्य्य महिला हितकारिणी महापरिषद्, भारतधर्म महामंडल; १९१९; १०×७।।; ५), ।।)।

आर्यशक्ति : आर्य समाज, बोराबाजार, बम्बई—१; सं० आचार्य रुद्रमित्र शास्त्री, सुधीन्द्र वर्मा, सत्यपाल शर्मा, विद्यावती शर्मा, अनिलादेवी; प्र० आर्य प्रकाशन मंदिर; १९५३; १०×७।।, २०; ३), ।)।

आर्यावर्त : लालकुआँ, दिल्ली; १०×७।।; ४), ।=)।

आलाप : अवधबिहारी भवन, सब्जी-मंडी, कानपुर।

आलोक : भारतवासी प्रेस, दारागंज, प्रयाग; सं० प्रतापनारायण चतुर्वेदी; १०×७।।; ३२; २।), ≡)।

आशा : —प्रकाशन, घासमंडी, जोधपुर; सं० के० के० दीपक।

आशा : साधना प्रकाशन मंदिर, प्रयाग।

आश्रम पत्रिका : मेरठ प्रिं० वर्क्स, मेरठ।

आश्रम सन्देश : हरिजन आश्रम प्रयाग; सं० रामकिशोरलाल नन्द-क्योलियार; १९५४; ३), ।−); हिं० अं०।

इंडियन म्यूजिक : १८; फ़ायर ब्रिग्रेड़ लेन, नई दिल्ली—१; ४), ।=); हिं० उ० अं०।

इस्लामी साहित्य : दालमंडी, काशी; सं० अबू मोहम्मद इमामुद्दीन राम-

नगरी; १९४७; ७।।×५, ६४; ५), ।।) ।

ईश्वर प्राप्ति : अमृतसर ।

उजाला : जमात-ए-इस्लामी, रामपुर; सं० एम० ए० आर्य; १०×७।।, ३२; ३), ।) ।

उत्थान : २, हेवेट रोड, लखनऊ; सं० सूरियादीन; ६), ।।) ।

उद्यम (हिन्दी) : धर्मपेठ, नागपुर; सं० वि० ना० वाडेगाँवकर; १९४४; १०×७।।, ५२; ७) ।।) ।

उद्योग भारती : १६१/१, हरिसन रोड, कलकत्ता—७; सं० कमलाप्रसाद श्रीवास्तव; १९५०; १०×७।।; ६०; ६), ।।) ।

उद्योग व्यापार पत्रिका : व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली; प्र० भारत सरकार; १९५३; ११।×८।।।, ९६; ६), ।।

उपमा : प्रयाग ।

उषा : भोज प्रकाशन, धार, म० भा०; सं० आनन्दकुमार; १९५२; ११।×८।।।, ६४; ४), ।=) ।

ऐजूकेशन : पो० बा० ६३, लखनऊ; ५); ।।) ।

ओमर वैश्य हितैषी : महोबा, उ० प्र०: सं० लक्ष्मीनारायण 'कमलेश'; प्र० अ० भा० ओमर वैश्य महासभा; १९३४; १०×७।।; २) ।

ओसवाल : रोशन मोहल्ला, आगरा; सं० मिश्रीलाल बोकडिया भामंडलदेव; प्र० अ० भा० ओसवाल महासम्मेलन; १९३४; १०×७।।, २०; ४।।), ≡) ।

औदीच्य बंधु : अलीगढ़; सं० प्र० अ० भा० औदीच्य महासभा; १९२९, १०×७।।, २), ।) ।

कछवाहा क्षत्रिय नवजीवन : बराही टोला, इटावा, उ० प्र०; सं० देवीसिंह वर्मा, प्र० सूर्यवंशी अ० भा० कछवाहा क्षत्रिय महासभा; १९२७; १०×७।।, २४; ३), ।-) ।

कथानिका : बिहार प्रेस, दरिया प्रेस, पटना—४; सं० रामाधारसिंह, शान्तिप्रिय, शत्रुघ्न राजीपुरी, देवेन्द्र; ३) ।

कन्नौज समाचार : बेनीराम मूलचन्द कोठी नं० ३२, कन्नौज; सं० अनीसुलरहमान; १०×६।। १२; १।।), ।।) ।

कन्या : मन्दसौर म० भा०; सं० केशवप्रकाश 'विद्यार्थी', शान्तिकुमार 'यतीन्द्र' एम० ए०; प्र० मालव प्रेस, १९४०; ८×६।।, २४; ३) ।

कबीर संदेश : सतरिख (जि० बाराबंकी); सं० उदयशंकर शास्त्री; २), ≡) ।

कमल : वकीलपुरा, दिल्ली; सं० चन्द्रशेखर शर्मा, कमलेश भारतीय; १९४६; १०×७।।, ७०; ६), ।।),

वि० १८ शि० ।

कमला : पो० बा० ३८५, कानपुर; रामेश्वर संगीत, आरती विनोद, कला सं० सिद्धेश्वर अवस्थी; १४/७७, माल रोड, १९५२; ७॥×५, ९२; ४॥), ।=) ।

कमैन्ट : ४०३३, खाटीपारा, आगरा; सं० ओ० डी० छाना; ११×९, ८; ।) ।

कर्णधार : पी० एन्ड ओ० प्रिंटिंग, निकलशन रोड: दिल्ली बाबूलाल निपाद, चुन्नीलाल रायकवार, रामप्यारी रायकवार; भोखाराम कश्यप; १९४९; १०×७॥, ४; २), =) ।

कर्णधार : बुन्देलखंड प्रेस, खत्रयान, झाँसी; सं० कालकाप्रसाद रायकवार; १९४६; १०×७॥, १२; ३), ।) ।

कला : दारागंज, प्रयाग; प्र० माला कार्यालय ।

कलाकार : ३२/ए, गंज स्ट्रीट, मेरठ छावनी ।

कल्पना : ७, दरियागंज, दिल्ली; बच्चन श्रीवास्तव; १९५०; ५०; ॥) । सिने और साहित्य,

कल्पना : ६७, जीरो रोड, प्रयाग; कैलाश 'कल्पित'; संतोषकुमारी सक्सेना; १९४९; १०×६॥, ६४; ४); ॥) ।

कल्पना : ५१६, सुलतान बाजार, हैदराबाद–१; डा० आर्येन्द्र शर्मा, मधुसूदन चतुर्वेदी, बद्रीविशाल पित्ती, मुनीन्द्र, (कला) जगदीश मित्तल; प्र० मधुसूदन चतुर्वेदी; १९५०; १०×७॥, ७४; ११), १) ।

कल्पराज : २४७, मल्हारगंज, इन्दौर; सं० महेन्द्र बाकलीवाल; १९५२; १०×७॥, =) ।

कल्पवृक्ष : उज्जैन; प्र० अध्यात्म-मंडल; १९२२; १०×६॥, ३२; २॥), ।=) ।

कल्याण : गीता प्रेस, गोरखपुर; हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी एम० ए० शास्त्री; गोविन्द भवन ट्रस्ट; १९२७; १०×७॥, ६४; ७॥), ।≡) । वि० १५ शि० ।

कल्याण भाग माला : कल्याण औषधालय, बाह, (आगरा) उ० प्र०; सं० चिरंजीलाल ।

कल्याणी : कानपुर ।

कवीश्वर : सहयोगी प्रेस, कानपुर ।

कहानी : पो० बा० २४, प्रयाग–१; श्रीपतराय, श्यामूसंन्यासी, भैरवप्रसाद गुप्त; सरस्वती प्रेस, ५, सरदार पटेल मार्ग; १९५४; १०×७॥, ८०; ५॥), ।=) ।

काँग्रेस समाचार : इन्दौर ।

काँग्रेस टाइम्स : दिल्ली ।

कादम्बरी : मिर्जापुर ।

कान्यकुब्ज : २, हुसेनगंज, लखनऊ; सं० रमाशंकर मिश्र 'श्रीपति'; प्र० कान्यकुब्ज प्रतिनिधि सभा; १९०५; १०×७॥, २६; ५), ॥) ।

कायस्थ : दरियागंज, दिल्ली; सं० ए० सी० बहादुर; १०×७॥; ४), ।=) ।

काशी गुरुकुल पत्रिका : चिनगारी प्रेस, काशी ।

किशोर : बाँकीपुर, पटना—४; सं० बालकृष्ण उपाध्याय, रघुवंश पांडेय, देवकुमार मिश्र; प्र० बालशिक्षा-समिति; १९३८; १०×७॥, ४०; ४), ।=) ।

किशोर भारती : १९, शिवचरणलाल रोड, प्रयाग; सं० शत्रुघ्न भार्गव; १९४९; ८॥×५॥, ४), ।=) ।

किसमिस : नवराष्ट्र प्रिन्टर्स, कानपुर ।

किसान की चिट्ठी : सहारनपुर ।

किसान जगत् : १४/९० सी०, कनाट सरकस, नई दिल्ली; सं० वी० आर० पंढी; ।-) ।

किसानी समाचार : नागपुर; सं० रा० अ० रामैया, लक्ष्मीनारायण मालवीय; प्र० मध्यप्रदेश कृषि-विभाग; १९४८; १०×७॥, ४६; ३), ।) ।

कुटुम्ब सहायक : इन्दौर ।

कुमार : दीतवारिया, इन्दौर; सं० चौबेजी; ५) ।

कुमार : कोठी दमदमा, मुरादाबाद; सं० रघुवरदयालु आर्य, सतीशकुमार आर्य; प्र० उ० प्र० आर्य कुमार परिषद्; १९५४; १०×७॥, २०; २),=) ।

कुम्भाकार : प्रबोध प्रेस, काशी ।

कुर्मी क्षत्रिय प्रभाकर : नेशनल प्रेस, काशी ।

कुशवाहा क्षत्रिय बंधु : हितैषी प्रिंटिंग वर्क्स, नीचीबाग, काशी; सं० जे० पी० चौधरी, रामसागरसिंह; १०×७॥, २) ।

कुशवाहा क्षत्रिय मित्र : काशी; ३) ।

कुसुम : अजमेर ।

कृषक : घाट रोड, धर्मपेठ, नागपुर—२; सं० माणिकचन्द्र बोन्द्रिया, लक्ष्मणसिंह मंडलोई; १९४६; ११×८॥, ७), ॥=) ।

कृषि और पशुपालन : संचालक, कृषि सूचना विभाग, छोटा छतर मंजिल, लखनऊ; सं० डी० एस० चौधरी; प्र० उत्तरप्रदेश सरकार; ८), ॥=) ।

कृषि संसार : बिजनौर; ६), ।॥) ।

केसरवानी सन्देश : देशसेवा प्रेस, प्रयाग ।

कोकिला : प्रयाग ।

कोली राजपूत : करेली, राजपूत बाज़ार, अजमेर; सं० मोहनकुमार, नाथूसिंह तंवर; प्र० अ० भा० कोली राजपूत महासभा; १९४०; १०×७॥, २०; २॥) ।

कोयल : चौक, प्रयाग—३; सं० बनवारी

तिवारी; प्र० जासूसमहल कार्यालय; ७॥×५, १२८; ६॥), ॥–) ।

क्रान्ति : कोठीमेम, बाडा हिन्दूराव, दिल्ली; सं० शैलेन्द्रकुमार पाठक, यतीन्द्र; १९४८; १०×७॥, ४८; ५), ।=) ।

खंडेलवाल जगत् : अलवर (राज०); सं० कृष्णचन्द्र खंडेलवाल; १९४०; १०×७॥, ३२; २), ≡) ।

खंडेलवाल जागृति : जयपुर; सं० जगनप्रसाद खंडेलवाल; प्र० खंडेलवाल महासभा ।

खंडेलवाल महासभा बंधु : आगरा ।

खरौवा जैन हितैषी : भिंड, म० भा०; सं० प्रभुदयाल जैन; प्र० रतनसेन जैन; १०×७॥, २४; ३), ।) ।

खत्री हितैषी : सरस्वती सदन, चौपटिया, लखनऊ; सं० गौरीशंकर टंडन, लक्ष्मीनारायण टंडन; प्र० खत्री उपकारिणी सभा; १९३७; १०×७॥, १६; ३), ।) ।

खाताबही : जौहरी बाज़ार, पो० बा० ४८, जयपुर; सं० रापगोपाल जे० पुरोहित; ८) ।

खिलौना : लश्कर, ग्वालियर ।

खिलौना : पो० बा० ६६, आर्य समाज भवन, जमशेदपुर; सं० कुमुद; १९५१; ८॥×५॥, ३८; ३), ।) ।

खेतल की मेडिकल रिपोर्ट : मुदर्सा रोड, काश्मीरी गेट, दिल्ली–६; सं० डा० कुन्दनलाल खेतल; १८×११, ४।

खेती : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली; प्र० भारत सरकार; ६), ॥) ।

गल्प भारती : ८, इंडियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता–१३; सं० काशीनाथ; १०×७॥, ६६; ४॥), ।=) ।

गहोई वैश्य बंधु : कोंच (जालौन) ।

गांधी : –प्रेस, अगस्त्यकुंड काशी; सं० के. एस. सुन्दरम्; प्र० गांधी गरीब संघ; १९४८; ७॥×५, ९४; ३), ।) ।

गाँव : बुद्धमार्ग; पटना–१; सं० जगदीशप्रसाद श्रमिक; प्र० बिहार को-ऑपरेटिव फेडरेशन; १९३७; १०×७॥, ३२; ५), ॥) ।

गाँव की ओर : सुलतानपुर ।

गाँवकी बात : डीग (भरतपुर); सं० मुकुन्दनारायण ।

गायत्री : गायत्री मंदिर, हाथरस; सं० विश्वबन्धु; १९५५; ७॥×५, ४), ।=) ।

गीताधर्म : साक्षी विनायक, काशी; सं० स्वामी हरिहरानन्द मंडलेश्वर; १९३६; १०×७॥, ३३; ६।), ।); हि० गु० ।

गुदगुदी : प्रयाग ।

गुरुकुल पत्रिका : कांगडी, (हरिद्वार); सं० सुखदेव दर्शनवाचस्पति, रमेश

वेदी आयुर्वेदालंकार; प्र० गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय; १९४९; १०×७॥, ४८; ४), ।=), वि. ६) ।

गुलदस्ता : ३९३८, पीपलमंडी, आगरा; सं० बूलचन्द पी. राजपाल; १९५१; ७।×५॥, १२०; १०), १) ।

गृहिणी : गांधी ग्राउंड, सीताबर्डी, नागपुर; सं० विश्वम्भरप्रसाद शर्मा; प्र० नवयुग प्रकाशन; १९४८; १०×७॥, ३८; ६), ॥) ।

गोग्रास : १४९, सराफ बाजार बम्बई–२ ।

गोदावरी : गाडीपुरा, नान्देड, (हैदराबाद); सं० लक्ष्मणाचार्य, श्यामलाल राठोर; प्र० स्वामी लक्ष्मणाचार्य; १९५३; १०×७॥, ३०; ४), ।=) ।

गोपुकार : ३०, गंजीपुरा, जबलपुर; सं० वैद्यराज पं० हृदयप्रकाश भारद्वाज; १०×७॥, ३), ।) ।

गोरक्षक : कानपुर; सं० रामजीलाल मोर्दा ।

गोरक्षण : रामनगर, काशी; सं० महेशदत्त शर्मा, श्रीनारायणसिंह; प्र० गोरक्षण साहित्य मंदिर; १९५३; १०×७॥, ३२; २॥), ।-) ।

गोसम्वर्धन : केन्द्रीय गोसम्वर्धन परिषद, नई दिल्ली; सं० हरवंशसिंह; ९), ।॥) ।

गौडसन्देश : रातानाडा, जोधपुर; सं० माधवप्रसाद शास्त्री, अयोध्याप्रसाद गौड; प्र० हरमोहन गौड; १९५२; १०×७॥, ४२; ५), ॥) ।

गौतम : १, पार्क रोड, इन्दौर ।

गौतमसखा : रघुनाथजी का बड़ा मन्दिर, ब्यावर (अजमेर); सं० जगदीशप्रसाद त्रिपाठी; प्र० युवक संघ; १९४१; १०×७॥, २०; ३), ।-) ।

गौरव : राष्ट्रहितैषी कार्यालय, हाथरस; सं० भगवानसिंह 'विपल'; १९४७; १०×७॥, ४८; ४), ।=) ।

ग्रंथालय : दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रंथालय दिल्ली; सं० मुरारीलाल नागर; १९४८ ।

ग्रंथालय : निजाम कालेज, हैदराबाद–१; सं० कृष्ण मुकुन्द उजलंबकर; प्र० हैदराबाद ग्रंथालय संघ; १९५५; १०×६।; ३), ।); हि० अं० ।

ग्रामदूत : मातृभूमि प्रेस, बाराबंकी ।

ग्रामपत्रिका : शान्ति प्रेस पौड़ी, गढ़वाल ।

ग्रामराज्य : मतवाला प्रेस, आगरा ।

ग्रामराज्य : जयपुर; सं० सिद्धराज ढड्ढा ।

ग्रामराज्य : बीकानेर; सं० जानकीलाल बगरहट्टा ।

ग्रामविकास : ५५, सी, 'सी' स्कीम, सरोजिनी मार्ग जयपुर; सं० मिलाप-

चन्द डंडिया; प्र० जयपुर जिला बोर्ड; १०×७॥, ४४; ४), ।=) ।

ग्रामविकास : प्रेमी प्रेस, मेरठ ।

ग्रामसेवक : कदम कुआँ, पटना ३; सं० परमेश्वरीसिंह; ६) ।

ग्रामोत्थान : हिन्दी भवन मुद्रणालय, कालपी (जालौन) ।

ग्रामोत्थान पत्रिका : संगरिया (बीकानेर); सं० मानफूलसिंह ।

ग्रामोदय : विकास प्रेस, प्रतापगढ़ उ०-प्र० ।

ग्रामोदय : भरतपुर; सं० रघुनाथप्रसाद 'कौशलेस', डा० गोपाललाल शर्मा; १९५३; १०×७॥, ४४; ६), ॥) ।

ग्रामोद्योग पत्रिका : वर्धा; सं० आचार्य जे. सी. कुमारप्पा; प्र० अ. भा. सर्व सेवा संघ, ग्रामोद्योग विभाग; १९३७; १३॥×८॥; २), ≡) ।

ग्राम्य जीवन : बापूतीर्थ, नचाप (सारन) विहार; सं० पाण्डेय जगन्नाथप्रसाद सिंह, राधेश; प्र० ग्रामसेवक साहित्य मंडल प्रकाशन; १९५२; ८॥।×५॥, २६; ३), ।-) ।

घूँघट : रोहतक ।

चंडी : कटरा, प्रयाग; सं० ठाकुरदत्त मिश्र; प्र० शाक्त सम्मेलन; १९४३; १०×७॥; ३), ।=) ।

चतुरश्रेणी वैश्य सन्देश : निर्भय प्रेस, हाथरस ।

चतुरश्रेणी : मथुरा ।

चतुर्वेदी : आगरा ।

चतुर्वेदी : लखनऊ ।

चन्दामामा : मद्रास—२६; सं० चक्रपाणी, वैरागी; प्र० चन्दामामा पब्लिकेशन्स; १९४९; ८॥×६॥।, ६०; ४), ।=) ।

चपला : ३४, कनाट सरकस, नई दिल्ली—१; सं० आशुतोष; १९५५; ४), ।) ।

चमचम : कला प्रेस, प्रयाग; सं० विश्वप्रकाश; १०×७॥, २८; २), ≡) ।

चरक : पटियाला आयुर्वेदिक फार्मेसी; सरहिन्द, पेप्सु; सं० दलिपचन्द्र आयुर्वेदालंकार; १०×७॥; ३), ।) ।

चरित्र निर्माण : विज्ञान प्रेस, ऋषिकेश (देहरादून); सं० देवेन्द्र विशारद, चन्द्रप्रकाश सक्सेना, सत्यमित्र ब्रह्मचारी; १९५३; १०×७॥, ४२; ६।), ॥-) ।

चलचित्र : ५६, बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता; सं० आर० एस. शर्मा, सुभाष राँका; प्र० शंकरलाल माहेश्वरी, भारतीय प्रकाशन गृह; १९४८; १०×८॥, ४८; १०), १) ।

चाक क्षत्रिय : कानपुर ।

चान्दनी : अशोक आर्ट प्रेस, प्रयाग ।

चिकित्सालोक : हीरापुर, कबीर चौरा, काशी; डा० अयोध्यानाथ पाण्डेय;

३), ।-) ।

चिकित्सा विज्ञान : लक्ष्मी आयुर्वेदिक फार्मेसी; रावतपाडा, आगरा; सं० मनमोहन शर्मा; ३) ।

चिनगारी : –प्रेस काशी; ६।≈) ।

चित्रगुप्त : जनसेवक प्रेस, मथुरा ।

चित्रप्रकाश : कूँचा बैजनाथ, चाँदनी चौक, दिल्ली–६; सं० करुणाशंकर, सतपाल शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा 'मंजुल'; १०×७।। ।

चित्रभारती : २६७ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता–५; सं० कलाकार 'सूरज', (कला) वीरेन दे; १९५५; ११×८।।।, ५०; १) ।

चित्ररेखा : काशी ।

चित्रलेखा : दिल्ली ।

चित्रा : ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता–७; सं० शिवनारायण शर्मा; प्र० जनवाणी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स लि०; १९४९; ९।।।×६।।, ८४; ३), ।) ।

चुन्नू मुन्नू : पो० बा० ४८, पटना–४; सं० जयनाथ मिश्र, गोवर्द्धनप्रसाद 'सदय'; प्र० श्री अजन्ता प्रेस लि०; १९५०; ८।।×६।।।; ४), ।≈) ।

चेतना : प्रयाग ।

चौरसिया ब्राह्मण : रेवाडी सं० प्रह्लाददत्त शर्मा ।

छत्तीसगढ़ी : ४५५/३, सदर बाजार, रायपुर, म० प्र०; प्र० छत्तीसगढ़ी शोध संस्थान; १९५५; ४), ।≈) ।

छाया : हेमिल्टन रोड, जार्ज टाऊन, प्रयाग; सं० शालिग्राम वर्मा; प्र० सरस्वती प्रकाशन मंदिर; १९४२; १०×७।।,३६; ३), ।) ।

छायालोक : जोधपुर; २।।) ।

छात्र : काशी ।

छात्रबंधु : ४२, बलरामदे स्ट्रीट, कलकत्ता–६; ३), ।) ।

छात्रबंधु : दादरी (बुलन्दशहर); ४।।) ।

छात्रहितैषी : पानदरीबा, प्रयाग; सं० दामोदरस्वरूप गुप्त; प्र० विश्वविद्यालय परीक्षा बुकडिपो; १०×७।।, ३), ।) ।

जनजागृति : जयपुर ।

जननी : प्रयाग; देवीदत्त शास्त्री 'विरक्त'; प्र० कृष्णकुमारी मिश्र; १९४५; १०×७।।, ६४; ४।।) ।

जनवाणी : पानदरीबा, लखनऊ; सं० आचार्य नरेन्द्रदेव; प्र० जन साहित्य मंडल; १९४६; १०×७।।, ८२; ८), ।।।) ।

जनशिक्षण : विद्याभवन सोसायटी, उदयपुर; सं० कालूलाल श्रीमाली; १९३६; १०×७।।, ३२; ५), ।≡) ।

जनसखा : सहारनपुर; सं० 'अविचल'; १९५१; १०×७।।, १२; २।।), ।) ।

जनसेवक : प्रयाग ।

जनसेवक : छत्ता बाज़ार, मथुरा; सं०. श्यामलाल 'प्रभाकर', गोपीलाल शर्मा, छेदालाल जौहरी, कृष्णस्वरूप भारद्वाज; प्र० उ० प्र० पटवारी एशोसिएशन; १९४८; १०×७॥, ५०; ४॥), ।=) ।

जय आयुर्वेद : मोती चौक, जोधपुर; सं० कविराज माधवप्रसाद आयुर्वेदाचार्य; प्र० वैद्य गौरीशंकर व्यास; १९५१; १०×७॥; ५), ॥) ।

जयभारती : पो०बा० ५५८, पुणें—२; सं० मु० डांगरे; प्र० महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति; १९४७; ८॥×५॥; २) ।

जयहिन्दी : मुरादाबाद ।

जांगिड़ ब्राह्मण : हैदरकुली, दिल्ली; सं० प्रो० तुलसीराम शर्मा एम. ए., श्यामसुन्दर शर्मा; १९१३; १०×७॥; ४), ।=), म० २) ।

जागृति : संचालक, लोक-सम्पर्क विभाग, शिमला; सं० प्रो० दीपचन्द वर्मा, प्राणनाथ सेठ, पुरुषोत्तम; प्र० पंजाब सरकार; १९५४; १०×७॥, ५०; ।) ।

जाट जगत् : राजामंडी, आगरा; सं० ठा० देशराज; १०×७॥ ।

जासूस : रंगमहल कार्यालय, लाहोरी गेट, दिल्ली—६; सं० महेन्द्र; ७) ।

जासूस : साधना प्रेस, प्रयाग ।

जासूस घर : पो० बा० १, प्रयाग; प्र० सजनी प्रेस; ४) ।

जासूसी दुनियाँ : प्रयाग—६; ७॥×५ ६), ॥–) ।

जासूस महल : चौक, प्रयाग—३; सं० बी० एल० तिवारी; ७। ×५, १२८; ६॥), ॥–) ।

जिनवाणी : त्रिपोलिया बाज़ार, जोधपुर; सं० चंपालाल कर्णावत, शशिकान्त झा, मीट्ठालाल मुरडीया; प्र० सम्यक् ज्ञान प्रचारक मंडल; १९४३; १०×७॥, ३२; ५), ॥) ।

जिन्दगी और व्यापार : जमालपुर, (मुँगेर); सं० राजेन्द्रप्रसाद ।

जिला पंचायत पत्रिका : आजमगढ़ ।

जीजी : प्रयाग ।

जीवन का पानी : जाब प्रेस, कानपुर ।

जीवन जागृति : उदयपुर ।

जीवनपथ : मोगा, (पं०) ।

जीवन प्रभा : आगरा; सं० भूदेव झा; १९४१; ।) ।

जीवन सखा : प्राकृतिक स्वास्थ्य गृह, लूकरगंज, प्रयाग; सं० बालेश्वरसिंह; १९३६; १०×७॥, २८; ५), ॥) ।

जीवन साहित्य : सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सरकस, नई दिल्ली—१; सं० हरिभाऊ उपाध्याय, यशपाल जैन; १९४०; १०×७॥, ३८; ४), ।=) ।

जे० के० पत्रिका : कमला टावर,

कानपुर; सं० अजित अवस्थी; प्र० जे० के० इंडस्ट्रीज़; १९३८; ११।×८।।।; २), ≡)।

जैन उद्योग : ३५५, गंज जामुन मार्ग, नागपुर; सं० बी० सी० जैन; प्र० जैन उद्योग समिति; १९४८; ३)।

जैनजगत् : वर्धा; सं० रिषभदास राँका-अगरचन्द नाहटा, धीरजलाल धनजी-भाईशाह, जमनालाल जैन, शंकर जैन; प्र० भारत जैन महामंडल; १९४७; १०×७।।, ३२; ४), ।=)।

जैन भारती : २०१, हरिसन रोड, कलकत्ता—७; सं० श्रीचन्द्र रामपुरिया; प्र० जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा; ८।।×६।; ४), ।।)।

जैन महिलादर्श : गाँधी चौक, सूरत; सं० ब्रजबालादेवी; प्र० अ० भा० दिगम्बर जैन महिला परिषद्; १९२२; १०×७।।, ३२; ४)।

जैन संदेश : आगरा।

जैसवाल जैन : श्रीगोपाल प्रेस, हाथरस।

जैसवाल वंधु : निराला प्रेस, आगरा; १९५३।

ज्योति : पो० बा० ६६, आगरा; सं० बी० भाटिया; १९५०; १०×७।।, ४; २), ≈)।

ज्योतिष विज्ञान : कनाट रोड, महू; म० भा०; सं० मूलचन्द शर्मा, ज्योतिषाचार्य; १९४७; १०×७।।; ६), ।।।)।

ज्योतिष समाचार : रेवाड़ी; सं० प्रह्लाददत्त शर्मा; १९२८; १३।।।×१०।, ४; २)।

ज्योत्सना : कदमकुआँ, पटना—३; सं० शिवेन्द्रनारायण; १९४७; ८), ।।।)।

झलक : ब्यावर (अजमेर)।

झाँसी डाक : डाक तार विभाग कर्मचारी संघ, झाँसी; सं० सम्पतलाल, सुन्दरलाल, भगवतीप्रसाद व्याकुल; १९५४; १०×७।।, ६; १), ‐)।।।

झाड़ू : सहर्षा (बिहार); सं० गोपालकृष्ण मल्लिक, नवरंगप्रसाद जायसवाल; प्र० लहटन चौधरी एम० एल० ए०; १९५२; १०×६।।; ५), ।।)।

तरुण : ३४ ए, रतू सरकार लेन, कलकत्ता; सं० रवीन्द्रसिंह भंडारी; प्र० तरुण संघ; १९४९; १०×७।।, ५२; ५), ।।)।

तरुण : प्रयाग—२; सं० कृष्णानन्द प्रसाद; १९३९; १०×७।।; ३), ।‐)।

तरुण जैन : नवयुवक प्रेस, कमर्शियल बिल्डिंग, कलकत्ता; सं० भँवरलाल सिंघी, चान्दमल भूतोडिया।

ताड-गुड खबर : ताड गुड विभाग, कृषि सचिवालय, नई दिल्ली; प्र० भारत सरकार; १९४९; १०×७।।, ३२।

ताज : आगरा।

तारण बंधु : रामलाल पाण्डेय जैन, इटारसी, म० प्र०; सं० बाबूलाल; १९४३; १०×७॥, २०; २॥), ।=)।

तारणा जैन पत्रिका : ललितपुर, (झांसी)।

तारा : ५९५, दरीबा, दिल्ली—६; सं० वीरेन्द्र त्रिपाठी; प्र० शान्ति पब्लिकेशन्स; १९४८; ८॥×५।, ४२; २), ।)।

तालीम-ओ-तरक्की : दिल्ली।

तिथि : प्रयाग।

तितली : प्रयाग।

तिरंगा : प्रयाग।

तैलिक प्रभाकर : बाँकीपुर, पटना; ३), ।-)।

त्यागी बंधु : (मासिक पत्र), हरिद्वार; सं० बाबूराम त्यागी; ४), ।=)।

डाकिया : १७३, चतुरयाना, झाँसी; सं० घमण्डीलाल खैबरिया; प्र० जिला पोस्टमैन यूनियन; १९४९; १०×७॥, ८; २), ।)।

डिटेक्टिव : माडर्न प्रेस, अलीगढ़।

दक्खिनी हिन्द : फ़ोर्ट सेन्ट जार्ज, मद्रास; सं० रामानन्द शर्मा; प्र० डायरेक्टर आफ इन्फ़र्मेशन एण्ड पब्लिसिटी; १९४७; १०×७॥, ४०; ४); ।=)।

दधीच : थांवला (अजमेर); सं० रामचन्द्र शास्त्री; १९४०; ६।।।×४।, २०; २॥), ।)।

दधीमति : जोधपुर; सं० वैद्य अंबालाल जोशी।

दया : प्रेमाश्रम, काशी; सं० माताप्रसाद मिश्र; १०×७।।, ४; ।।-),)।।।

दल समाचार : ७, जंतरमंतर रोड, नई दिल्ली; प्र० हिन्दुस्तानी सेवादल, अ० भा० कांग्रेस कमेटी, ९×५।।, १।।),=)।

दशमेश : ७४/७७, धनकुट्टी, कानपुर; सं० महीपसिंह; १९५०; १०×७॥, ५६; ५), ॥)।

दक्षिण भारत : -हिन्दी प्रचार सभा, त्यागरायनगर, मद्रास; सं० मो० सत्यनारायण; १९५२; १०×६।, ९०; ६), ॥=)।

दक्षिण भारती : मारवाड़ी प्रेस लि०, अफ़ज़लगंज, हैदराबाद—१; सं० छबिनाथराय; प्र० बालकृष्ण लाहोटी 'कृष्ण'; १९५१; ८।।।×५॥, ७२; ६), ॥)।

दादू सेवक : –प्रेस, पीतलियों का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर।

दिगम्बर जैन : गांधी चौक, सूरत; सं० ज्ञानचन्द्र जैन 'स्वतंत्र'; प्र० गुजरात दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा; १९०८; ९।।।×६॥, २४; ३), ।); हि० गु०।

दीदी : –प्रेस प्रयाग—२; सं० यशोवती तिवारी, श्रीनाथसिंह; प्र० प्रेमलतादेवी;

१९४०; १०×७॥, ५६; ६), ॥) ।

दीपक : प्रयाग ।

दीपशिखा : स्वराज्य पथ, मेरठ; सं० रामगोपाल बंसल; ८।×५॥, ३६; १॥), =)

दीपशिखा : हापुड़ ।

देवदूत : आगरा ।

देशबंधु : –पुस्तकालय, मथुरा; सं० कृष्णदत्त वाजपेयी, बैजनाथ दानी, भगवतशरण चतुर्वेदी, गो० कृष्णचन्द्राचार्य; १९५२; १०×७॥, ३७; ४), ।=) ।

देशभक्त : भोपाल; ३) ।

धन्वंतरी : विजयगढ़ (जि० अलीगढ़); १९२५; १०×७॥, ४२; ५।), ॥) ।

धरती : काशी ।

धर्मग्रंथ माला : प्रयाग ।

धर्मज्योति : काशी ।

धर्मदूत : सारनाथ, काशी; सं० भिक्षु धर्मरक्षित; १९३५; १०×७॥, २४; २), ≡) ।

धर्मपथ : राज प्रिन्टर्स, कानपुर ।

धर्मसंदेश : नेशनल प्रेस, बनारस; सं० रवि वर्मा; प्र० थियोसोफिकल सोसाइटी; १९३६; २), ≡) ।

धारा : –प्रकाशन, पटना–३ ।

धीमान ब्राह्मण : दिल्ली; सं० ऋषिदेव शास्त्री; प्र० अ० भ० धीमान ब्राह्मण महासभा; १९५०; १०×७॥, २०; ५), ॥) ।

नई किताबें : १९०;, खेतवाड़ी मेन रोड, बम्बई–४; प्र० पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लि०; १९५३ ।

नई तालीम : सेवाग्राम (वर्धा); सं० आशादेवी, मार्जरी साइक्स; प्र० हिन्दुस्तानी तालीमी संघ; १९३९; १०×७॥, ३२; ३), ।) ।

नई दिशा : ज्ञान मंदिर, नीमच, म० भा०; सं० शिवनारायण गौड; १९५२; १०×७॥, ४८; ५). ॥), छा० ३) ।

नई धारा : अशोक प्रेस, महेन्द्रू, पटना–६; सं० रामवृक्ष बेनीपुरी, उदयराजसिंह; प्र० राजा राधिकारमणसिंह; १९५०; ९×५॥, ९६; ८), ।॥) ।

नई मंजरी : प्रयाग ।

नई शिक्षा : तहवीलदारों का रास्ता, जयपुर; सं० रघुवीर चतुर्वेदी; ६) ।

नन्दिनी : सदाकत आश्रम, पटना; सं० धर्मपालसिंह; प्र० बिहार राज्य गोशाला पिंजरापोल संघ; १९४७; ९×५॥, १४; २), =) ।

नन्ही दुनिया : भास्कर प्रेस, देहरादून ।

नया जासूस : पो० बा० १५१९, मद्रास –१; सं० डी० एस० राय; प्र० कुबेरा एण्टरप्राइसेस लि०; १९५५; १०×७॥, ६४; ६), ॥) ।

नया जीवन : सहारनपुर; सं० कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'; प्र० विकास

लि०; १९४०; १०×६।।, ६४; ५), ।।) ।
नयाचीन : ४७/२११, रामापुरा, काशी; सं० मनोरमा सैटिन, त्रिभुवननाथ; १०×७।।, ३०; ३), ।) ।
नया जैन : अजमेर ।
नया देहाती : लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, अमीनाबाद, लखनऊ ।
नया पथ : २२, कैसरबाग़, लखनऊ; सं० शिव शर्मा; १९५३; १०×७।।, ४८; ६), ।।) ।
नया ब्राह्मण : कानपुर ।
नया समाज : ३३, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता—१; सं० मोहनसिंह सेंगर; प्र० नया समाज ट्रस्ट; १९४८; १७×७।।, ८०; ८), ।।।) ।
नया साहित्य : काशी ।
नया साहित्य : जीरो रोड, प्रयाग ।
नया साहित्य : माडल टाउन लुधियाना, (पंजाब); सं० शकुन्तलादेवी अग्रवाल; १९५१; १०×७।।; १।।), =) ।
नया हिन्द : १४५, मुट्ठीगंज प्रयाग—३; सं० ताराचन्द, भगवानदीन, सैयद महमूद, बिशम्भरनाथ, सुन्दरलाल, सुरेश रामभाई, मुजीब रिजवी; प्र० हिन्दुस्तानी कलचर सोसायटी; १९४६; ११×८।।, ६६; ६), ।।); हिं०उ० ।
नयी जिन्दगी : ९१, विवेकानन्द रोड, कलकत्ता—६; सं० मनोहर मालवीय, सावित्री सहाय, सूर्यदेव उपाध्याय; १९४९; ८।।।×५।।, ५६; ३), ।=) ।
नये विज्ञापन : ७३३९, आलमगंज, आगरा; सं० रावी, रामगोपालसिंह; १९५४; १०×७।।, २), ≡) ।
नवनिर्माण : ५८, गोराकुंड, इन्दौर; सं० सरोजरानी भाटिया, शिखरचन्द; १९४३; १०×७।।, ४; १), ‒) ।
नर्सिंग जनरल : आगरा ।
नवचित्रपट : दिल्ली ।
नवजीवन : मुरादाबाद ।
नवज्योति : प्रयाग ।
नवनीत : ३४१, तारदेव, बम्बई—७; सं० रतनलाल जोशी, रमेश सिन्हा, ज्ञानचन्द्र; प्र० श्रीगोपाल नेवटिया, हरिप्रसाद नेवटिया; १९५२; ७।×५।।, १२४; १०), १) ।
नवप्रभात : हिन्द प्रेस, बरेली ।
नवयुग संदेश : प्रयाग ।
नवयुवक : जनरलगंज, कानपुर; सं० राधामोहन गुप्त, गुरुप्रसाद रस्तोगी, लक्ष्मीनारायण मिश्र; प्र० ओमर वैश्य नवयुवक संघ; १९४९; १०×७।।, ४२; ४), ।=) ।
नवयुवक : प्रयाग ।
नवराष्ट्र : जालन्धर ।
नव-समाज : शिव प्रिंटिंग प्रेस; पिपरिया (म० प्र०); सं० नन्दलाल कोडवानी; १९५३; १०×७।।, १२;

१॥), ≈) ।
नाई ब्राह्मण : राष्ट्रदूत प्रेस, लखनऊ ।
नागिन : चिनगारी प्रकाशन, काशी ।
नाम महात्म्य : श्री भगवान भजनाश्रम, वृन्दावन (मथुरा); सं० गौर गोपाल मानसिंहका; १९३८; १०×७॥, ४६; २≡), ।) ।
नारी : कमच्छा, काशी; सं० हरदेवी मलकानी, विजयलक्ष्मी पंडित, सावित्री दुलारेलाल, कमला त्रिवेणीशंकर, मोहिनी यादव; १९४८; १०×७॥, ६४; ८), ।॥) ।
नारी : मानसिंह हाई वे रोड, जयपुर; सं० प्रकाशवती सिन्हा; १९५३; ८×६॥, ५४; ५), ॥) ।
नारी : पृथ्वीपुर, पटना–३; सं० प्रतिभा ।
निरामय : –कुटीर सोनपुर, सारन, बिहार; सं० सारंग शास्त्री; ४) ।
निर्भय : अतीत महल, हाथरस ।
निर्माण : निर्माण भवन, विष्णुपुरी, अलीगढ़; सं० जगदीशप्रसाद, रोशनलाल सुरीवाल, जगदीशकुमार सुधाकर; १९५३; १०×७॥, २४; १), ≡) ।
निर्माण : १५, म्युनिसिपल रोड, देहरादून; सं० अनूपसिंह जिला नियोजन अधिकारी, वेदभूषण वेदालंकर; प्र० जिला सूचनाधिकारी; १९५३; १५×१०, ६ ।
निर्माण : गंगाफाइन आर्ट प्रेस, हरदोई, उ० प्र० ।
निषाद बंधु : काशी ।
निषाद वाणी : आर्यकुमार रोड पटना–४; सं० वीरसेन; ५॥) ।
नोक झोंक : २७५६, हास्पीटल रोड, आगरा; सं० केदारनाथ भट्ट, कुलदीप, रामेश्वरनाथ तिवारी, रामचन्द्र चेट्टी, भगवतशरण चतुर्वेदी; प्र० राजनाथ अग्रवाल; १९३७; १०×७॥, ४०; ४), ।=) ।
नौजवान : खजांची रोड, पटना–४; सं० कृष्णचन्द्र चौधरी, तेजनारायण झा, वीरेन्द्र सिनहा, कन्हैया; १९५३; १०×७॥, ३२; ३), ।) ।
न्याय : कानपुर ।
न्याय : १६८२, नई सडक, दिल्ली; सं० के० सी० जे० सत्यवादी; प्र० हिन्दी ला प्रिन्टर्ज एंड पब्लिशर्ज लि०; १९५०; १०×७॥, ४८; ८), ।॥) ।
न्यायबोध (हिन्दी) **:** सेन्ट्रल लॉ हाउस, तिलक रोड, नागपुर–२; सं० एन० वी० चान्दूरकर, आर० एच० नलगुंडवार, एम० एस० पिंपले, बिहारीलाल गुप्त, एम० एस० मेढ़ेकर; १९४७; १०×७॥, ४०; १०), १॥) ।
पंकज : आगरा ।
पंच परमेश्वर : फैजाबाद ।
पंच पुष्प : फर्रुखाबाद ।

पंचप्रकाश : कैलास प्रिंटिंग वर्क्स, गोन्डा, उ० प्र० ।

पंचायत : ग्रामपंचायत विभाग, स्टेशन रोड, जयपुर; सं० इन्द्रनारायण पाण्डेय, रावत सारस्वत; प्र० राजस्थान सरकार; १९५४; १०×७॥, ४२; ६), ॥) ।

पंचायत : युगान्तर प्रेस, मोतीहारी, (बिहार); सं० चन्द्रदेवनारायण; ४), ।=) ।

पंचायत आर्गन : रिक्लेमेशन विभाग, उ० प्र० लखनऊ; सं० रा० ब० चौधरी, रिसालसिंह; १९४२; १०×७॥, १६ ।

पंचायत मार्ग : कांकरोली, राजस्थान; सं० सोहनप्रकाश पगारिया; १९५२; १०×७॥, २३; ९) ।

पंचायत राज : बुलन्दशहर ।

पंचायत सन्देश : नेशनल हाल, कदमकुआँ, पटना—३; सं० विनोदानन्द झा, परमानन्द दोषी; प्र० बिहार राज्य पंचायत परिषद्; १९५५; ४), ।=) ।

पक्का सी० आई० डी० : सजनी प्रेस, २४८, बाई का बाग, प्रयाग; प्र० प्यारेलाल 'आवारा'; ४॥), ।=) ।

पढ़ोजी : लोधी रोड, नई दिल्ली ।

पपीहा : सिवनी, म० प्र०; सं० डा० अनन्तराम दुबे 'प्रभात'; १९५०; १०×७॥; ४॥), ।=) ।

परमार्थ : —प्रेस, शाहजहाँपुर; सं० स्वामी सदानन्द सरस्वती; प्र० मुमुक्षु आश्रम; ५॥) ।

परवारबंधु : कटनी; सं० जगमोहनदास जैन, धन्यकुमार जैन; १९३९; १०×७.।; २).।) ।

परिवार : दिल्ली ।

परिवार सखा : सैनिक प्रेस, आगरा ।

पर्वतीय जन : दिल्ली ।

पशु सेवक : ३२-ए०, गार्डेन रोड, आगरा छावनी; सं० सूर्य वर्मा; प्र० सेठ अचलसिंह एम० एल० ए०, अ० भा० पशु रक्षा सम्मेलन; १९४७; १०×७॥, २८; ५) ॥); हि० अं० ।

पहेली : अशोक प्रेस, मेरठ ।

पत्रिका : एफ० ए० ओ० रीजनल इन्फरमेशन आफिस, १२, थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, नई दिल्ली—१; प्र० संयुक्तराष्ट्र खाद्य व कृषि संस्था; १९५२; ११×८॥।, ४ ।

पागल : १२, वाटरलू स्ट्रीट, कलकत्ता; सं० फोजदारशाह; ७) ।

पाटल : मोहन प्रेस, कदमकुआँ, पटना—३; सं० रामदयाल पांडेय; प्र० मोहनलाल बिश्नोई; १९५२; १०×७॥, ७६; ५॥), ॥) ।

पाटीदार लोक : बघाना (नीमच); सं० कन्हैयालाल बोहरा 'मधुबन', रामेश्वर पाटीदार; प्र० पाटीदार

युवक मंडल; १९५२; १०×७॥, २०; ५) ।

पारीक : तहवीलदारों का रास्ता, जयपुर; सं० रूपनारायण पांडेय, नन्दकिशोर पारीक; १०×७॥, ३२; ५), ॥) ।

पाल क्षत्रिय मित्र : ४३६, मीरपुर छावनी, कानपुर; सं० गंगाप्रसाद पाल; प्र० अ० भा० पाल क्षत्रिय महासभा; १९१३; १०×७॥, ३) ।

पालीवाल जैन : आगरा ।

पालीवाल संदेश : भैरों बाजार, आगरा; सं० हरिदत्त पालीवाल 'निर्भय'; प्र० पालीवाल संघ; १०×७॥, १२; ३), ।) ।

पुलिस पत्रिका : गृह विभाग, नागपुर, प्र० मध्य प्रदेश सरकार ।

पुरस्कार विजेता : ७०, मुकेरीपुरा, इन्दौर; सं० राजमल जैन; १९५१; ११×९; २), ≡) ।

पुष्पध बंधु : पुष्पध ब्रह्मभूषण प्रेस, मुरादाबाद ।

पुस्तक व्यवसायी पत्रिका : कृष्णापन्त निवास, २०४, चर्नी रोड, बम्बई–४; सं० सदानन्द जी भटकल; प्र० बॉम्बे बुकसेलर्स एसोसिएशन लि०; १९५०; २), ≡); हि० अं० ।

पुस्तकालय : बिहार राज्य पुस्तकालय संघ, पटना–१ ।

पुस्तकालय संदेश : पो० पटना विश्वविद्यालय, पटना–५; सं० श्रीकृष्ण खंडेलवाल, योगेन्द्रप्रसाद विद्यार्थी; प्र० लहटन चौधरी एम० एल० ए०; १९५२; ९॥×६॥, २२; ३), ।) ।

पूनम : उर्दू बाजार, दिल्ली; १९५३; १०×७॥, ८; ≡) ।

पूर्व की ज्योति : फांसी बाज़ार, गोहाटी, असम; छगनलाल जैन, दीनदयाल त्रिवेदी; १९५०; १०×७॥, ३६; ६), ॥) ।

प्रकाश : काशी ।

प्रकाश : –प्रिं० प्रेस १३७, चहारबाग, जालंधर; सं० एल० सी० हितैषी अलावलपुरी; १९५१; १०×७॥, ३६; ५) ।

प्रकाश : डूमांडा (अजमेर); सं० मेवादास; ३॥) ।

प्रकाश : लखनऊ प्रिं० हाउस, अमीनाबाद, लखनऊ; प्र० कहानीकार कार्यालय; १९४९; ३॥), ।) ।

प्रकाशन समाचार : ८, फ़ैज बाज़ार, दिल्ली–७; सं० ओंप्रकाश, ५५–ए, महात्मा गाँधी मार्ग, प्रयाग; प्र० राजकमल प्रकाशन लि०; १९५३; १०×७॥, ३६; २॥), ।) ।

प्रकृति : गोल बिल्डिंग, फालके बाजार, लश्कर, ग्वालियर; सं० पृथ्वीनाथ शर्मा, विष्णु शिवराम साठे, प्र० प्राकृ-

तिक चिकित्सालय; १०×७॥, २०; ४), ।=) ।

प्रगति : सूचना तथा प्रकाशन विभाग; नागपुर; प्र० मध्यप्रदेश शासन; १९४७; १०×७॥, ४८; ६), ॥) ।

प्रगति पथ : उदयपुर, सं० किशन त्रिवेदी ।

प्रजामित्र : –प्रेस, प्रयाग ।

प्रतिभा : वर्धा रोड, नागपुर–१; सं० नरेन्द्र विद्यावाचस्पति, आदित्यकुमार अग्निहोत्री; प्र० प्रतिभा प्रकाशन लि०; १०×७॥, ८०; ९), ।।।) ।

प्रतिभा सीरिज : प्रयाग ।

प्रतियोगिता स्वप्न : ८१, बडा सराफा, इन्दौर; सं० सी० एल० जोशी, कृष्णकुमार पालीवाल; १९५१; १०×७॥, ४; =) ।

प्रतिष्ठान : सीतामढ़ी (मुजफ्फरपुर), बिहार; सं० जयकिशोरनारायणसिंह, राजेन्द्रप्रसादसिंह, उपेन्द्रनारायण झा 'आज़ाद'; १९५४; १०×७॥, १६; ४), ।=) ।

प्रदर्शक : २७, क्रीसन्ट बिल्डिंग, कोलावा काजवे, बम्बई–१; सं० गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव; प्र० इन्फरमेशन इंडिया पब्लिकेशन्स; १९५२; ११×९, ६; २), ≡) ।

प्रबुद्ध मानव : ७०७, बुधवारपेठ, पूना–२; सं० मनोहर; १९४९; ७॥×६॥, ३८; ४॥), ।-) ।

प्रभाकर : पटना–३; सं० कमलकान्त विशारद, रामयाद 'चंचल', काशीनाथप्रसाद; १९४७; १०×७॥, २०; ३), ।-) ।

प्रभात : आदर्श बन्दी गृह, लखनऊ; सं० डा० अ० स० राज; प्र० उत्तर प्रदेश सरकार ।

प्रभाती : वाह; आगरा; सं० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश'; प्र० हिन्दी साहित्य सभा; १९५४; ७) ।

प्रभाती : भट्टाचार्य रोड, पटना–१; सं० हरेन्द्रदेवनारायण, दिनेशप्रसादसिंह; १९५५; ५), ॥) ।

प्रभात : नवरतनहाट, पूर्णियां, बिहार; सं० सीतारामदास ।

प्रवासी : –भवन, आदर्शनगर, अजमेर; १९४७; १०×७॥, ५४; १०), १) ।

प्रवाह : राजस्थान भवन, पो० बा० ३२, अकोला, म० प्र०; सं० शिवचन्द्र नागर; प्र० ब्रिजलाल बियाणी, हिन्द प्रकाशन; १९४८; ९×५॥, ११२; ६), ॥) ।

प्रसाद : ६५/२०९, बडी पियरी, काशी; सं० कृष्णदेवप्रसाद गौड, 'बेढब बनारसी'; प्र० प्रसाद परिषद्, काशी; १९५४; ८॥।×५॥; ६), ॥) ।

प्रसाद : भारत प्रेस, लखनऊ ।

प्राकृतिक जीवन : १९, शिवाजी मार्ग,

लखनऊ; सं० डा० खुशीराम दिलकश प्र० प्राकृतिक चिकित्सा मंदिर; १९४८; ९×६॥, २६;४), ।=) ।

प्राणाचार्य : –भवन लि०; विजयगढ़ (अलीगढ़); सं० बांकेलाल गुप्त; १९४८; १०×७॥, ५२; ४।), ।=) ।

प्रारब्ध : पो० बा० ३५२, इतवारी, नागपुर–२; १९५२; १०॥) ।

प्रार्थना : कानपुर ।

प्रेम : विकास प्रेस, जौनपुर ।

प्रेम : प्रयाग ।

प्रेम : मथुरा ।

प्रेम कहानियाँ : इंडियन प्रिं० वर्क्स, ७ ए/२३, डब्लू० ई० ए०, करोलबाग, नई दिल्ली–५; सं० नारायणदास-कुमार; ७॥×५, ८०; ॥) ।

प्रेम संदेश : प्रेमधाम, वृन्दावन; सं० 'नम्र'; प्र० प्रेम महामंडल; १९४२; १०×७॥, २८; २।-), ।) ।

प्रेरणा : १, मिनर्वा बिल्डिंग, जोधपुर; सं० देवनारायण व्यास; १९५३; ९॥×६॥, ८४; १०), १) ।

फाँकियाँ : पटना–५; सं० शिवेन्द्र ।

फुलवारी : कासिम जान स्ट्रीट, दिल्ली–६; ८॥×८॥, ६२; ।-) ।

बंधु : अजमेर ।

बच्चों का औषधालय : प्रयाग ।

बच्चों का खेल-खिलौना : खरार (अम्बाला) ।

बरनबाल चन्द्रिका : श्री सीताराम प्रेस, काशी; ४) ।

बल पौरुष : ४/२, राममोहनराय रोड, कलकत्ता; सं० डा० सदानन्द त्यागी; १९४९; ८॥×५॥, ३२; १५), १) ।

बहार : तीर्थराज प्रेस, प्रयाग ।

बांदा पंच : केसरी प्रेस, बांदा, उ०प्र० ।

बाघल संदेश : आगरा ।

बाडी रावत बंधु : कानपुर ।

बापूराज पत्रिका : गोपाल आश्रम, गेंवली (भिलंग) गढ़वाल; सं० मीरांबहन; प्र० पशुलोक, ऋषिकेश; १९५२ ।

बारहसैनी : शान्ति प्रेस, अलीगढ़; सं० भद्रगुप्त, बाबूलाल 'अनिक'; प्र० वैश्य बारहसैनी महासभा; १९२०; १०×७॥; २) ≡) ।

बारहसैनी : एटा ।

बारी मित्र : १३०, अलोपीबाग, प्रयाग; सं० जे० एल० बारी; १९४९ ।

बालक : गोविन्द मित्र रोड, बाँकीपुर, पटना–४; सं० श्रीरामलोचनशरण बिहारी, श्रीसीताशरणसिंह; प्र० पुस्तक भंडार; १९२६; ८×६॥, ७०; ४), ।=) ।

बालक : ८ वीं गाँधीनगर, जयपुर; सं० जगमोहनलाल, भंवरलाल, कुमारी प्रकाशवती, कु० लता; १९५५;

४), ।=) ।

बालकथा : १२५, गिरगाँव रोड, बम्बई–४; सं० मोहना; प्र० हरिशंकर; १९४९; ७॥×६, ३२; ४), ।=) ।

बालगोपाल : दिल्ली ।

बालगोपाल : काटन मार्केट, नागपुर –२; १९५४; ४॥), ।=) ।

बालगोपाल : श्रीकृष्ण प्रेस, दीवान मोहल्ला, नौजरकटरा, पटना; सं० हरनारायणप्रसाद सक्सेना 'हरि'; १९५४; ३२; ३), ।) ।

बालबोध : कटरा, प्रयाग; सं० श्रीनाथ-सिंह; प्र० दीदी कार्यालय; १९४७; १०×७॥, ३२; ४॥), ।=) ।

बालभारती : पब्लिकेशन्स डिविजन, ओल्ड सेक्रेटरीयट, दिल्ली–८; सं० प्रयागनारायण त्रिपाठी; प्र० भारत सरकार; १९४८; ११×८॥।; ४), ।=) ।

बालभारती : २६९, कर्नलगंज, प्रयाग; सं० राजू दादा; १९४८; १०×७॥, ३६; ४), ।=), वि० ६) ।

बालविनोद : २३५५, तेलीवाडा, दिल्ली; सं० दीपचन्द जैन; १९५४; ८॥×५॥, २६; ३), ।) ।

बालविनोद : लखनऊ ।

बालसखा : इंडिया प्रेस (पब्लि०)लि०, प्रयाग; सं० लल्लीप्रसाद पाण्डेय; १९१६; १०×७॥, ३२; ४), ।=) ।

बालसेवा : गाँधीनगर, कानपुर; सं० लोकेश्वरनाथ सक्सेना 'बालमित्र', 'अशोक'; प्र० बालसेवा सदन; १९४८; १०×६।, ३२; ३), ।–) ।

बिजली : –चिनगारी प्रकाशन, काशी ।

बुद्धधारा : देहरादून ।

बेकार सखा : शिकोहाबाद, उ० प्र०; सं० कालीचरण गुप्त; १९३२; ८॥×५॥, ३४; ४), ।=) ।

ब्राह्मण : ५७/९०, काहूकोठी, कानपुर; सं० देवीप्रसाद अवस्थी 'मुनीश'; १९५४; १०×७॥, ४८; ५), ॥) ।

ब्राह्मण समाचार : सहारनपुर ।

ब्राह्मण सेवक : बुलन्दशहर ।

भक्त भारत : चार सम्प्रदाय आश्रम, वृन्दावन (मथुरा); सं० रामराव शास्त्री, ब्रजभूषण मिश्र; १९४९; १०×७॥, ४), ।) ।

भटनागर समाचार : अग्रगामी प्रेस, मुरादाबाद ।

भयंकर जासूस : देशसेवा प्रेस, प्रयाग ।

भयंकर भेदिया : देशसेवा प्रेस, प्रयाग ।

भविष्य : दिल्ली ।

भविष्य दर्पण : ११९, कटरा स्ट्रीट, मैनपुरी; सं० राजाराम जैन; प्र० जैन ज्योतिष ब्यूरो; १९४८; ८॥।×५॥, ८; ५), ॥) ।

भविष्य दीपक : ९०, रामबाग, इन्दौर, सं० प्रो० महादेव गणेश दाते; प्र०

सौ० मनोरमाबाई दाते; १९४९; १०×७॥, १४; ३॥), ।=) ।

भव्य भारत : सहारनपुर; सं० पद्म-प्रकाश 'संतोष'; १९५४; १), =) ।

भाईबहन : जौहरीबाजार, जयपुर; सं० रतनलाल जोशी; प्र० लोकभारती; १९४६; ८×६॥, ३२; ५), ।=) ।

भाग्योदय : गोलबाजार, जबलपुर; सं० टी० कृष्णास्वामी; १९४७; १०×७॥, २४; ३), ।) ।

भानूदय : मिशन प्रेस, जबलपुर; सं० पी० डी० सुखानन्द, जोनाथनराय; १९२७; १) ।

भानूदय : महू, म० भा० ।

भारत : हिमाचल प्रदेश सामुदायिक विकास योजना, शिमला ।

भारतजननी : ५४, हिवेट रोड, प्रयाग; सं० कालिकाप्रसाद, शान्ति; १९४५; ॥) ।

भारत ज्योति : दिल्ली ।

भारतसेवक : ९, थिएटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, कनाट सरकस, नई दिल्ली–१; सं० पद्मकान्त त्रिपाठी; प्र० भारतसेवक समाज; १९५४; ११॥।×८॥।, ३२; ॥) ।

भारत स्नेह वर्धिनी : पो० बा० ५६६, पूना; सं० मीरा सन्त; १९४७; हि०अं० ।

भारती : बड़ा बाज़ार, कटिहार, (पूर्णिया) बिहार; सं० शिवनाथ बचन, सूरज; प्र० कटिहार पुस्तकालय; १९५२; ३×५॥; ३), ।=) ।

भारती : पो० बा० २६८, कानपुर; सं० विट्ठल शर्मा चतुर्वेदी, बालकृष्ण बल्दवा; १९५४; ५), ॥) ।

भारती : नवप्रभात प्रेस, ग्वालियर; सं० हरिहरनिवास द्विवेदी; १९५४; ८॥।×५॥, १००; ८), ॥।) ।

भारती : भारती भवन, गोपालजीका रास्ता, जयपुर; १०×७॥, ३), ।) ।

भारती : ५०, खुशहाल पर्वत, प्रयाग; सं० रामेश्वर भट्ट; प्र० जगन्नाथ-प्रसाद मालवीय; १९४७; १०×७॥, ५८; ६॥=), ।=) ।

भारती : विद्यापीठ प्रेस, फारजेट स्ट्रीट, बम्बई–२६; प्र० बम्बई हिन्दी विद्यापीठ; १०×७॥, ८; ॥=), =) ।

भारतीय : प्रयाग ।

भारतीय विद्या पत्रिका : भारतीय विद्याभवन, बम्बई–७ ।

भारतेन्दु : काशी ।

भावसार केसरी : सुसनेर, म० भा०; सं० श्रीरामदास सोलंकी; प्र० भावसार महासभा; १९४८; ८॥×६॥।; २॥), ।) ।

भावीरुख : राममंदिर भवन, कालबादेवी रोड, बम्बई–२; सं० बिहारीलाल शर्मा; १०॥) ।

भूगोल : –प्रेस, जमुना रोड, प्रयाग;

सं० रामनारायण मिश्र; १९२४; १०×७॥, २४; ३), ।) ।

भेदिया : २६/२, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट, कलकत्ता ७; सं० रामकृष्ण शर्मा; ६), ॥) ।

भोजपुरी : आरा; सं० रघुवंशनारायणसिंह; प्र० बाल हिन्दी पुस्तकालय; १९५२; १०×७॥, ४०; ५), ॥); भो०।

मंगलज्योति : स्वतंत्रभारत प्रेस, आगरा ।

मंगल प्रभात : हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा; सं० काका कालेलकर; १९५०; १०×६।, ३२; ३), ।–) ।

मंगला : अरविन्द कुटीर, नई बस्ती, नागपूर–१; सं० साहित्यालंकार श्री अशोक, नीरजा, रविकान्त मिश्र; प्र० प्रतिभा प्रेस लि०; १९५३; १२), १) ।

मंजरी : टावर प्रेस, ६२–बी, हेवेट रोड, प्रयाग; सं; 'सागर'; १९४८; १०×७॥, ६४; ५॥), ॥) ।

मंजूषा : काशी ।

मंदिर : वृज कृष्णआश्रम, पो० रामचन्द्रपुर, आद्रा (मानभूमि); सं० असीमानन्द सरस्वती; ॥) ।

मजदूर जगत् : श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली; सं० इन्द्रनारायण गुर्टू; प्र० भारत सरकार; १९५१; ११॥×८॥।; १२) ।

मजदूर नवजीवन : अजमेर ।

मजदूर समाचार : सिविल लाइन्स, कानपुर; सं० अर्जुन अरोडा; प्र० कानपुर प्रेस सिंडीकेट; ६) ।

मधुप जासूस : आर्ट प्रिंटर्स, प्रयाग ।

मधुवन : फेयर फील्ड बंगला, हजारीबाग, (विहार); सं० कृपानारायणसिंह; १९५३; ९×५॥, ६४; ४॥), ।=) ।

मध्यभारत चेम्बर आफ कामर्स : धर्म मंदिर रोड, लश्कर, ग्वालियर ।

मनमोहन : मित्र प्रकाशन लि०; प्रयाग–३; सं० सत्यव्रत, आलोक मित्र; १९४९; १०×७॥, ५६; ३॥), ।–) ।

मनोनीत बंधु : प्रयाग ।

मनोनीत समाचार पत्रिका : प्रयाग ।

मनोरमा : मित्र प्रकाशन लि०; प्रयाग–३; सं० क्षितीन्द्रमोहन मित्र, हरिदयाल चतुर्वेदी; १०×७॥, ६४; ३), ।–) ।

मनोविज्ञान : ६१/२५, सिद्धगिरी, काशी; सं० प्रो० लालजीराम शुक्ल, प्रो० रमापति शुक्ल, प्रणवीरसिंह चौधरी, रमेशचन्द्र शुक्ल; प्र० काशी मनोविज्ञान शाला; ११५१; ९॥×६॥, २४; ४), ।=) ।

मनोहर कहानियाँ : मित्र प्रकाशन लि., प्रयाग–३; सं० क्षितीन्द्रमोहन मित्र; १९४०; १०×७॥, १२०; ४॥), ।=) ।

मन्सूबे : नजीबाबाद; २।) ≡) ।

मरुवाणी : राजस्थान भाषा प्रचार सभा, 'सी' स्कीम, जयपुर; सं० रावत सारस्वत; प्र० चन्द्रसिंह; १९५३; १०), १); रा० ।

मस्ताना जोगी : जंगपुरा, नई दिल्ली –१२; सं० चेतनकुमार भटनागर; प्र० चावला 'शलभ'; १९४८; १०×७।।, ८०; ४), ।=) ।

महाशक्ति : ५/५३, त्रिपुरा भैरवी, काशी; सं० वासुदेव मेहरोत्रा, शिवनारायण उपाध्याय, बलदेवराज शर्मा 'उपवन', १९४७; १०×७।।; ४), ।=) ।

महिला : ३, न्यू जगन्नाथघाट रोड, कलकत्ता ।

महिला जागृति : अलवर; सं० सुशीला भारती, प्रभाकर, कुंजबिहारीलाल; ६) ।

महाजन : परवतसर, राज०; सं० रामेश्वरलाल मंत्री; १९५४; १३×८।।, १२; ३), ।–) ।

महाभारत : सुलतानिया (पाचोर) म० भा०; सं० ब्रजेश; प्र० मध्यमालव प्रकाशन मंदिर; १९५१; १०×७।।, २४; १), ।।) ।

माता : श्री मातृकेन्द्र गाजियाबाद; सं० श्रीमोहन स्वामी, राजेन्द्रप्रकाश गुप्त, श्रीकृष्ण मोहन, श्रीकृष्णदत्त शर्मा; ४) ।=) ।

मातृभूमि : लखनऊ ।

माथुर वैश्य-हितैषी : कलक्टरगंज, कानपुर; सं० श्यामसुन्दरलाल गुप्त, आशाराम गुप्त; प्र० रामचरण गुप्त; १९३८; १०×७।।, २४; २), ≡) ।

माथुर हितैषी : कस्तूरबा गाँधी रोड, कानपुर; सं० विश्वम्भरनाथ चतुर्वेदी; प्र० माथुर चतुर्वेदी समाज; १९३२; १०×७।। ।

मानव : कृष्ण निकेतन, नौबस्ता, आगरा; सं० मुकटबिहारीलाल शुक्ल; प्र० मानवसेवी मंडल; १९५३; १०×७।।; ४), ।=) ।

मानव : १०, लोअर चितपुर रोड, कलकत्ता–७ ।

मानव : मानवाश्रम दुर्गापुरा, जयपुर; सं० मोतीलाल शर्मा, भारद्वाज ।

मानवता : –प्रकाशन अकोला, म० प्र०; सं० राधादेवी गोयनका; १९४८; १०×६।, ५०; ६), ।।) ।

मानवधर्म : दिल्ली ।

मानस मणि : रामवन (सतना) म० प्र०; सं० तरुणेन्दुशेखर तिवारी, रामकुमार पांडेय, इक़बालबहादुर देवसरे; प्र० मानस संघ; १९४१; १० ×७।।, ३२; ३) ।

मानस हंस : मानस मंदिर, हाथरस; सं० दामोदरप्रसाद उपमन्यु; ५), ।।) ।

माया : मित्र प्रकाशन लि०; प्रयाग–

३; सं० क्षितीन्द्रमोहन मिश्र; १९२९; १०×७॥, ९८; ४॥), ।=) ।

मारुती संजीवन : मारुति भवन, गोहद (म० भा०); सं० रा० बा० 'हृदयस्थ'; १९५०; १०×७॥, १२; ३), ।), वि० ५), (उपहार सहित) ।

मार्तण्ड : प्रयाग ।

मुँगेर : जिला बोर्ड, मुँगेर; सं० जंगबहादुर शास्त्री ।

मुद्रणप्रकाश : ७१४, बुधवारपेठ, पूना–२; सं० यशवन्त जोशी, क० ला० मुनोत, बं० वि० गोरे; प्र० पुणें प्रेस ओनर्स असोशिएशन; १९४०; १०×७॥, २८; ६), ॥=); हि० म० ।

मुन्ना मुन्नी : मोहन प्रेस कदमकुआँ, पटना–३; सं० मोहनलाल बिश्नोई, विमलादेवी; १९५३; ८×६॥, ४०; २), ≡) ।

मुसकान : लल्ला प्रेस, प्रयाग ।

मेगज़ीन : इन्साफ प्रेस, बरेली ।

मैथिलबंधु : अजमेर; सं० रघुनाथप्रसाद मिश्र पुरोहित, लक्ष्मीपतिसिंह; १९३५; १०×७॥, १४; ४) ।

मोनो नाइट मंडली समाचार पत्रिका : धमतरी, म० प्र०; सं० ओ० पी० लाल; प्र० मोनोनाइट चर्च; १९४९; ७॥×५, १६; १) ।

मोहिनी : जगत बिल्डिंग, दिल्ली; सं० मनमोहिनी; ५॥) ।

मोहिनी : कटरा, प्रयाग ।

म्युनिसिपल गजट : प्रयाग ।

यज्ञसेनी वैश्य बंधु : राजपूत प्रेस, आगरा ।

युगचेतना : विद्या मंदिर, चौक, लखनऊ; सं० डा० देवराज, कमलापति मिश्र, डा० प्रेमशंकर, प्रतापनारायण टंडन, तेजनारायण टंडन; १९५५; १०×६।; ८), ।।।) ।

युगछाया : १०९२, धर्मपुरा, दिल्ली; सं० सम्पतलाल पुरोहित; १९४७; ८।×५॥, ८०; ६), ॥) ।

युगधर्म : प्रयाग; सं० नन्दगोपालसिंह सहगल; १९५१; १०×७॥, ६४; ६॥), ॥=) ।

युगधारा : बेतिया कोठी, काशीपुरा; काशी–१; प्र० संसार लि०; १९४७; १०×७॥, ६४; ५), ॥) ।

युगपथिक : लश्कर, ग्वालियर ।

युगभारती : हजरतगंज लखनऊ; १९५५; ५), ॥) ।

युगवाणी : आजाद भारत प्रेस, आगरा ।

युगारम्भ : साठिया कुआँ, जबलपुर; सं० व्योहार राजेन्द्रसिंह; प्र० साहित्य प्रेस; १९४७; ८॥×५, ६४; ६), ॥) ।

युवक : ३, विजयनगर कालोनी, आगरा; सं० प्रेमदत्त पालीवाल; १९५१; १०×७॥, ४२; ४), ।–) ।

यूगोस्लाव समाचार : यूगोस्लाव दूतावास, १०, सुन्दरनगर, नई दिल्ली; १९५५; १३॥×८॥ ।

यू० पी० होम्योपैथिक जर्नल : नागरी छापा मंदिर, कानपुर ।

योगवेदान्त : शिवानन्दनगर, ऋषिकेष; सं० स्वामी सत्यानन्द सरस्वती; प्र० योग वेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय: १०×७॥, ३६; ३।।।), ।―) ।

योगेन्द्र : प्रयाग; सं० योगी मोहननाथ शर्मा; वसंतलाल शर्मा; प्र० अ०भा० योगी महामंडल; १९४५; १०×७॥, ८; २=), ≡) ।

यादव : कृष्ण प्रेस, दारानगर, काशी; सं० रणजीतसिंह; १९२५, ११×८॥।; २॥), ।) ।

योजना : अरुण प्रेस, मुरादाबाद ।

रंगभूमि : १५०१, दरीबा, दिल्ली―६; सं०वीरेन्द्र त्रिपाठी; प्र०धर्मपाल गुप्त; १९४०; १०×७॥; ५), ॥) ।

रंगमहल : लाहोरी गेट, दिल्ली; सं० ओमप्रकाश गुप्त; ४) ।

रंगीला भेदिया : आर्ट प्रिंटर्स, प्रयाग ।

रंगीला मुसाफिर : जगाधरी (पंजाब); १९५०; १०×७॥, ३२; २), ।); हि० उ० ।

रंगीली कहानियाँ : ओरिअण्टल प्रेस, ५, ओल्ड मिशन स्कूल रोड, लुधियाना; सं० नरेन्द्रधीर, जसवन्तराय; १९५२; ४॥), ।=) ।

रंजना : १७/५, महात्मा गाँधी रोड, कानपुर; सं० विश्वमित्र पांडेय; १९५२; १०×७॥, ४४; ६), ॥), राज० सं० १०), १) ।

रक्त महल : प्रयाग ।

रजतपट : मह, म० भा० ।

रजनी : देहरादून ।

रजनी : जनप्रकाश मंदिर, ३०, अतर सुइया, प्रयाग; सं० इकबालबहादुरसिंह; ४) ।

रश्मि : घर४, रोड६, गर्दनीबाग, पटना; सं० गोपालकृष्ण शर्मा 'रिंदा'; ।) ।

रसभरी : नई सड़क, रोशनपुरा, दिल्ली―६; सं० गौतम प्रभाकर, कैलाश प्रभाकर; १९४१; १०×७॥, ६४; १०), ॥) ।

रसायन : पो० बा० ११२५, दिल्ली; सं० डा० गणपतिसिंह वर्मा; प्र० रसायन फार्मेसी; १९४८; १०×७॥, १६; ६), ॥=) ।

राका : ―प्रकाशन, मुजफ्फ़रपुर, बिहार; सं० सव्यसाची, जयकिशोरनारायण, राजेन्द्रप्रसादसिंह; १९५१; १॥) ।

राकेश : बारालोकपुर (इटावा); सं०द्विवेदी रूपेन्द्रनाथ; १०×७॥; ३), =) ।

राजपूत : ―प्रेस, आगरा; सं० ब्रजेन्द्रसिंह; प्र० अ० भा० क्षत्रिय महासभा,

१८९९; १०×७॥, ३२. ३), ।) ।

राजपूत संदेश : जोधपुर; सं० वीरेन्द्र-कुमार परिहार; १९५४; १०×७॥, १६; ४), ।=) ।

राजस्थान : दिल्ली ।

राजस्थान शिक्षक : जोधपुर ।

राजस्थान साहित्य : उदयपुर; सं० जनार्दनराय नागर; प्र० राजस्थान विश्वविद्यापीठ; १९४४; १०×७॥, ६), ॥) ।

राजस्थानी : आलोक मुद्रणालय, काटन मार्केट, नागपुर; सं० विश्वम्भरप्रसाद शर्मा, गोविन्द व्यास; १९५१; १०×७॥, २६; ५), ॥) ।

राजहंस : मेरठ ।

राजीव : पो० बा० १६०२, बम्बई-१; सं० कमलिनी दीदी; प्र० लोटस पब्लिकेशन्स; १९५१; ११×८॥।, ३२; ६), ॥) ।

रानी : कश्मीरी गेट, दिल्ली-६; सं० दीनानाथ; प्र० रानी प्रकाशन, १९३९; १०×७॥, १००; ४), ।=) ।

राम सन्देश : राजपुर, देहरादून; सं० सत्यनारायण मिश्र; प्र० रामतीर्थ मिशन; १९५२; १०×७॥, २४; ४), ।=) ।

रावत बंधु : संसार प्रेस, कानपुर ।

राष्ट्रदूत : दूध विनायक काशी-१; सं० श्रीराम पाठक, श्रीनाथ मिश्र, कृष्णराम नागर; प्र० नेताजी सेवा समिति; १०×७॥, ३२; ४), ।-) ।

राष्ट्रभारती : हिन्दीनगर, वर्धा; सं० मोहनलाल भट्ट, हृषिकेश शर्मा; प्र० राष्ट्रभाषा प्रचार समिति; १९५१; १०×७॥, ७२; ६), ॥=) ।

राष्ट्रभाषा : हिन्दीनगर, वर्धा; सं० मोहनलाल भट्ट; प्र० राष्ट्रभाषा प्रचार समिति; १९४१; १०×७॥, ४८; ३), ।) ।

राष्ट्रभाषा पत्र : चाँदनी चौक, कटक (उड़ीसा); सं० पं० लिंगराज मिश्र, राजकृष्ण बोस, अनसूयाप्रसाद पाठक; प्र० उत्कल राष्ट्रभाषा प्रचार सभा; १९४५; १०×७॥, ३२; ४), ।=); हि० उत्कल ।

राष्ट्रवाणी : काशी ।

राष्ट्रवाणी : २९९, सदाशिव पेठ पूना-२; सं० गोपाल परशुराम नेने; प्र० महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा; १९४७; ८॥।×५॥, ६४; ३), ।=) ।

राष्ट्रीय चिकित्सक : काशी ।

रूपरानी : ९२, दरियागंज, दिल्ली; सं० लज्जारानी; १९४७; ॥) ।

रूपसी : -प्रेस, प्रयाग ।

रूपा : अलमोड़ा; सं० जीवन, कैलाश चिरंजीत; प्र० हमराही प्रकाशन; १९४५; १०×७॥, ६४; ६), ॥) ।

रेडियो समाचार : पो० बा० ७०८,

नई दिल्ली—१ ।

रेव्हेन्यू निर्णय : सराफ़ा बाज़ार, लश्कर, ग्वालियर ।

लता : संगम प्रेस, प्रयाग ।

लल्ला : –प्रेस, प्रयाग; ४॥) ।

लहर : ५६, बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता—१; सं० यादवेन्द्रनाथ शर्मा, 'चन्द्र'; प्र० राजश्री कलामंदिर लि०; १९५४; ५), ॥) ।

लहर : ९९, गाड़ीवान टोला, प्रयाग ।

लक्ष्मी : ४२६, गाँधीनगर, इटारसी; सं० हरनामसिंह; १९५१, १३×८॥, ६; २॥), ।) ।

लालिमा : भरतपुर; सं० जगमोहनलाल माथुर, देशराज कालरा; १०×७॥, ३४; ४), ।=) ।

लोकचित्र : कमल प्रकाशन, वकीलपुरा, दिल्ली; सं० चन्द्रशेखर शर्मा; १०) ।

लोकजीवन : भीलवाडा ।

लोकमत : बुलन्दशहर ।

वर्तमान कानून : प्रयाग ।

वर्तिका : अवध प्रि० वर्क्स, लखनऊ ।

वस्त्र समाचार : चांदनी चौक, दिल्ली—६; सं० वी० डी० शर्मा; १९५२; ।) ।

वातायन : प्रयाग ।

वाणिज्य : जयपुर ।

वॉलन्टियर : प्रेमकुटीर, लश्कर, ग्वालियर; सं० सुखदेवी चौधरी, सुरेन्द्रबाबू सक्सेना; १९४७; १०×७॥, ३४; ३॥), ।=) ।

वासन्ती : श्री साधु बेला आश्रम, २५९, भदैनी, काशी; सं० आचार्य सीताराम चतुर्वेदी; १९५५; १०), १) ।

वासन्ती : औरंगाबाद, गया; सं० अयोध्याप्रसाद 'अचल' ।

वार्ष्णेय : शान्ति प्रेस, अलीगढ़ ।

विकास : टी ७१, अकबर कालोनी, थाना (बम्बई); हि० गु० म० अं० ।

विकास : एल० बी० प्रेस, सीतापुर ।

विकास किरण : कोटा; सं० मदनलाल श्रीवास्तव, डा० अनन्तबिहारीलाल, केदारनाथ नाग, मोहनसिंह गोधरा; प्र० प्रसार शिक्षण केन्द्र, छत्रपुरा ।

विकास किरण : जागरण प्रेस, झाँसी ।

विकास मार्ग : काँकरोली; राज०; सं० पुष्पादत्त ।

विक्रम : उज्जैन; सं० सूर्यनारायण व्यास; १९४२; १०×७॥, ५४; ६), ॥=) ।

विजय : काशी ।

विजयवर्गीय संदेश : कोटा, राज०; सं० श्रीकृष्णगोपाल विजय, शिवकुमार विजय, प्र० विजयवर्गीय नवयुवक मंडल; १९५३; १३×८॥, ४; १) ।

विजय संदेश : कृष्णपुरी, म० भा०; सं० कृष्णवल्लभ मित्तल; ८×६; ३) ।

विजेता : १५९, नवीपेठ, पूना—२;

सं० एस० डी० पाटील; १९५१; १०×७॥, ६; ३), ≡) ।

विदुषी : –पुस्तकालय, त्रिलोचन, काशी; सं० रत्नेश्वरी अग्रवाल, लल्लीबाई पाण्डेय, कुसुमलता; १०×७॥, ३२; १) ।

विद्यार्थी : हिन्दी प्रेस, प्रयाग; सं० गिरीजादत्त शुक्ल; १९१४; ।–) ।

विद्यार्थी : वर्मा प्रेस, पटना, ४; सं० रामप्रसाद वर्मा; ५।।), ॥) ।

विद्यार्थी शिक्षक : लोकमान्य प्रेस, मथुरा; सं० आर० सी० दास अग्रवाल 'आत्मा'; ६), ॥=) ।

विंध्य शिक्षा : शिक्षा विभाग, रीवा; सं० अंबाप्रसाद श्रीवास्तव; विन्ध्य प्रदेश सरकार; १९५४; १०×६।; ४॥), ।=) ।

विनोद : हिन्दी प्रेस, प्रयाग; सं० शिवनन्दन शर्मा; ८×६॥, ४०; २।), ।) ।

विवृति : हैदराबाद प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा, सुलतान बाजार, हैदराबाद–१; सं० विनयकुमार; १९५४; १२॥×१०; ३), ।) ।

विवेक : जालप मोहल्ला, जोधपुर; सं० रामचन्द्र बोडा; १९५३; १०×७॥, ८; १॥), =) ।

विशाल भारत : १२०/२, अपर सर्कुलर रोड, कलकत्ता–९; सं० श्रीराम शर्मा; प्र० प्रवासी प्रेस; १९२८; १०×७॥, ७२; ९), ।॥) ।

विश्वज्योति : साधु आश्रम, होश्यारपुर; सं० विश्वबंधु शास्त्री, सन्तराम बी० ए०; प्र० विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान; १९५२; १०×७॥, ५६; ८), ।॥); वि० १६ शि० ।

विश्वमजदूर : राजभवन, ३१४, वल्लभभाई पटेल रोड, बम्बई–४; सं० जी० वी० चिटणीस; प्र० विश्व मजदूर संघ; १९५३; ११×८॥, २८; ३), ।) ।

विश्ववाणी : –प्रेस, २ आजाद स्क्वायर, प्रयाग; सं० विश्वम्भरनाथ; १९४१; १०×७॥, ५५; ८), ।॥) ।

विश्वव्यापी सनातनधर्म : अम्बाला ।

विश्वशान्ति : कन्हैयासागर, पो० लहेरियासराय, (बिहार); सं० रघुत्तमदास; १९५०; ५) ।

विश्व हितैषी : दिल्ली ।

विश्वज्ञान : नकोदर, पंजाब; सं० श्यामजी पाराशर; प्र० विश्वज्ञान मंदिर; १९५२; १०×७॥, ४४; ६), ।) ।

विज्ञान : म्योर सेन्ट्रल कालेज भवन, प्रयाग; सं० डा० हीरालाल निगम, जगपति चतुर्वेदी; प्र० विज्ञान परिषद्; १९१४; १०×७॥, ३२; ४), ।=) ।

विज्ञान कला : –मंदिरदिल्ली शहादरा ।

गुरुकुल वार्षिक पत्रिका : जैन गुरुकुल विद्यामंदिर, ब्यावर ।
ग्राम्यलोक : राष्ट्रीय प्रेस, मथुरा ।
चन्द्रिका : राजाबहादुर सर बंसीलाल बालिका विद्यालय बेगमबाजार, हैदराबाद–१; सं० कु० प्रतिभा मिश्र; १०×७॥, ५२; हि० अं० ।
जनता हायर सेकेन्डरी स्कूल पत्रिका : मुजफ्फरनगर, उ० प्र० ।
ज्योति : १२५, गिरगांव रोड, बंबई–४; सं० हरिशंकर, प्र० सं० बालकृष्ण भोंसले, सीने सं० गिरीश माथुर; प्र० प्रभातसिंह, ज्योति प्रकाशन, १९५३; १०×८॥, ११८; १॥) ।
ज्योति : अर्थशास्त्र परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग; सं० लक्ष्मीमल सिंघवी; २), ८०; हि० अं० ।
ज्योत्सना : युनिवर्सल प्रेस, प्रयाग ।
झा हॉस्टल मैगजीन : प्रयाग ।
देवनागरी कालेज पत्रिका : मेरठ ।
नवजीवन : ड्यूक छात्रावास, लंगटसिंह कालेज, मुजफ्फरपुर (बिहार); सं० रामेश्वरदत्त पाण्डेय ।
नीराजन : नागरी प्रेस, प्रयाग ।
पटना मेडिकल कालेज मेगजीन : पटना; सं० परमानन्दसिंह; २); हि० अं० ।
पुनर्जागरण : सुदर्शन प्रिं० वर्क्स, खुर्जा ।
प्रतिभा : हैदराबाद इवनिंग कालेज, फतेहमैदान, हैदराबाद–१; सं० गोविन्दलाल भूतडा; प्र० हिन्दी संघ; १९५४; १०×७॥, ४० ।
प्रभात : सुदर्शन प्रिं० वर्क्स, खुर्जा ।
प्रसून : सुदर्शन प्रिं० वर्क्स, खुर्जा ।
ब्राह्मण इन्टर कालेज मेगजीन : मुजफ्फरनगर, उ० प्र० ।
महिला आश्रम पत्रिका : वर्धा ।
मानसी : गुड़िया प्रिं० प्रेस, काशीपुर, नैनीताल ।
रश्मि : भास्कर प्रेस, देहरादून ।
राजकरण वैदिक पाठशाला उ० मा० वि० पत्रिका : फैजाबाद ।
राजपूत रेजिमेन्ट : चिन्तामणि प्रेस, फर्रुखाबाद ।
राधारमण इन्टर कालेज पत्रिका : प्रयाग ।
राष्ट्रधन : वाणिज्य महाविद्यालय, नागपुर; हि० म० अं० ।
वाणिज्य महाविद्यालय पत्रिका : गोविन्दराम सेकसरिया वाणिज्य महाविद्यालय, वर्धा; १९५१; हि० म० ।
विकास की ओर : मिर्जापुर ।
विद्या : सुदर्शन प्रेस, एटा ।
विद्यालय पत्रिका : युनाइटेड प्रेस लि० भागलपुर सीटी; सं० प्रिं० जगदम्बाशरणराय; प्र० माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय ।
विभूति : उच्चांगल विद्यालय, पटोरी,

(बिहार); सं० ब्रह्मदेव झा।

विभूति : भास्कर प्रेस, देहरादून।

शिक्षक मित्र : अलीगढ़।

शिक्षण : प्रेम प्रिं० प्रेस आगरा।

श्रमण संस्कृति : महावीर जयंती उत्सव समिति, इन्दौर; सं० नेमीचन्द जैन, स्वरूपकुमार गांगेय; ८२; ≡)।

श्री फतेहचन्द्र हायर सेकेन्डरी स्कूल पत्रिका : आगरा।

संदेश : निजाम कालेज, हैदराबाद–१; सं० हरीरामशर्मा, कुमारी क्रांति मिश्र, बालकृष्ण विजयवर्गीय; १०×७॥।

सुरश्मि : कंसल प्रिं० प्रेस, खुर्जा।

सूचना पंचांग : सूचना विभाग, विधान सभा भवन, लखनऊ; सं० चंद्रशेखर शास्त्री; प्र० उत्तर प्रदेश सरकार; १९४८; १०॥×७।, १४४; ।=)।

हर्ष : रामकुमार प्रेस, लखनऊ।

हिन्दी बिजनेस डायरेक्टरी : केट्टी कम्पनी, २१, दूसरा भोईवाडा, बम्बई–२; सं० कान्तिलाल एन० शाह; १९५३; १०×७॥, ७००; १२॥)।

ज्ञानज्योति : जनता प्रेस, लखनऊ।

विदेशों में हिन्दी पत्र

आर्यवीर-जागृति सा. : २२, फारक्यूहर स्ट्रीट, पोर्ट लुइस, मोरिशस; सं० पं० लक्ष्मणदास; प्र० आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य परोपकारिणी सभा; १८×११, २; ५० सेंट; हिं० अं०।

जागृति सा० : संगप शारदा प्रेस, नांदी, फीजी; १९४०।

फीजी समाचार सा० : पो० बा० १५१, सूवा, फीजी; सं० रामखेलावन शर्मा; प्र० इंडियन प्रिं० एण्ड पब्लिशिंग कं० लि०, १९२७; १०×७॥, २८;।

शान्तिदूत सा० : फीजी टाइम्स प्रेस, सूवा फीजी; प्र० एलफर्ड बार्कट।

इंडियन टाइम्स सा० : पो० बा० ३४१, सूवा, फीजी; सं० रामसिंह।

जनचेतना : काठमांडू (नैपाल)।

झंकार : तारा प्रेस, नसीनूं, सूवा, फीजी।

तारा मा० : सूवा, फीजी; सं० ज्ञानीदास; ८॥×७॥, २० ६ शि०।

राईसिगसन् मा० : नेटाल, दक्षिण आफ्रिका।

ज्ञान त्रै० मा० : सूवा, फीजी; सं० ज्ञानीदास, ८॥×७॥, १२; १। शि०।

परिशिष्ट–१

दैनिक

आज : काशी–१; ४५), =); (विवरण पृ० ११८)।

नवभारत टाइम्स : दिल्ली; सं० अक्षयकुमार जैन; (वि० पृ० १२०)।

मेरठ समाचार : मेरठ; सं० राजेन्द्रपाल गोयल।

सावधान : चन्द्रगुप्त मुद्रणालय, पटना–१; सं० प्रभाकर शर्मा।

साप्ताहिक

अपना देश : भिवानी, पं० ।

अमर : दिल्ली ।

आवाज : सन्त प्रकाशन, पटना–३; सं० दिनेशप्रसादसिंह ।

उत्तर प्रदेश गजट : लखनऊ; प्र० उत्तर प्रदेश सरकार ।

काँग्रेस बुलेटिन : रिवाडी, पं० ।

काँग्रेस सन्देश : दिल्ली ।

किराना : दिल्ली ।

कुमाऊ कुमुद : अल्मोडा; सं० प्रेमवल्लभ जोशी; १८७१; ११×९, ६; २॥), –) ।

कृष्ण संदेश : रिवाडी, पं० ।

गोपालन : दिल्ली ।

चित्रकार : बल्लिमारान, दिल्ली; सं० वीर अशोक ।

जनता : –प्रेस, पटना–४; सं० वी० पी० सिन्हा ।

जननाद : शामली, उ० प्र०; सं० रघुवीरसहाय मित्तल; १९५५; १५×१०, ४; ७), =) ।

जनमन : हाथीभाटा, अजमेर; सं० यज्ञदत्त उपाध्याय; १९५४; १५×१०, १२; ३), –) ।

मजदूर : १००, स्नेहलतागंज, इन्दौर; सं० इन्द्रमणि मिश्र, कु० संध्या ।

राष्ट्रदीप : रीवाँ, विं० प्र०; १९५५ ।

व्यापार : पोस्ट ३५, आगरा ।

संकेत : नीमच, म० भा०; सं० रमेशचन्द्र मुक्त ।

साप्ताहिक शाहाबाद : आरा, (शाहाबाद) विहार ।

पाक्षिक

आयुर्वेद सन्देश : अशरफाबाद, लखनऊ; सं० श्रीकान्त शास्त्री, सुरेन्द्रनाथ दीक्षित; प्र० अ० भा० आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रचारक संघ; १९५५; १५×१०, ६; ३), =) ।

कामगार : श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली; प्र० भारत सरकार; १९५५ ।

ज्योति : संगरूर, पेप्सू ।

सिद्धान्त : मदन कुटीर, सुभाष मार्ग, लखनऊ; १९५५; ४) ।

मासिक

इन्द्रधनुष : १५०१, कूचा सेठ, दरीबा दिल्ली–६; सं० वीरेन्द्र; प्र० धर्मपाल; १९५५; ७॥×५॥, १४४; ८), ॥।) ।

गुरुदेव : विनोद कुटीर, पटना सीटी; सं० सूर्यदत्त शास्त्री ।

चाणक्य : –चैत्य, बारी रोड, नया-टोला, पटना–४; सं० शिवनन्दन सांकृत्यायन, सुरेन्द्र कौण्डिल्य; १९५३; ८॥×५॥, १२; ६), ।) ।

चेतावनी : जमालपुर, मुंगेर ।

जेबी जासूस : साधना प्रकाशन मंदिर, प्रयाग; सं० कमलनयन; ७॥×५॥, ११२; ४॥), ।≡) ।

नागरिकता : नगरपालिका, विदिशा, म० भा०; सं० तेजबहादुर सिन्हा; १।), ~)।। ।

नाई ब्राह्मण : रेवतीप्रसाद, नसीमाबाद, कानपुर ।

मकरन्द : सम्राट कार्यालय, ५-बी० कोर्ट लेन, दिल्ली; सं० कपीन्द्र; १९५५; ६), ।।) ।

मानसपीयूष : ऋणमोचन घाट, अयोध्या; सं० अंजनीनन्दनशरण; १९५४; १०×७।। ।

मासिक महाभारत : गीता प्रेस, गोरखपुर; प्र० गोविंद भवन ट्रस्ट; १९५५; १०×७।।, २००; २०), २) ।

मेरी आशा : रंगशाला प्रकाशन, कानपुर; सं० महेन्द्र बाकलीवाल ।

लहर : पो० बा० २७, काशी; सं० दुर्गाप्रसाद खत्री; १०×७।।, १८; २।।), =) ।

रूप अज्ञात

उद्योग वाणिज्य : भारतीभूषण प्रेस, राजेन्द्र पथ, पटना; सं० ऋषिकेशनारायण, जानकीनन्दन सिंह; १९५३; ।) ।

कृष्ण : बक्सर, शाहाबाद बिहार; १९३७ ।

गाँधी पुस्तकालय पत्रिका : दतिया, विं० प्र० ।

गोधूली : के ६१/४०, बुलानाला । काशी; सं० ठाकुरप्रसादसिंह, रामप्रवेश चौबे; प्र० गोधूलि मंडल ।

ग्राम प्रदर्शन पत्रिका : प्र० विमका हरबेरियम, परमट, कानपुर ।

जनतंत्र : राजनांदगाँव, म० प्र० ।

दीपावली : सेन्ट्रल ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, देहरादून; (अंधों के लिए ब्रेल पद्धति के उभरे हुए अक्षरों पर छपी)।

नगरसेविका : बरहानपुर, म० प्र० ।

नया भोपाल : भोपाल ।

नये पत्ते : सरयू कुटीर, मघवापुर, प्रयाग; सं० लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रजनीकान्त वर्मा; १९५२; ८।।।×५।।, ९६; ।।) ।

नेपाल सन्देश : पटना—१ ।

पथिक : ५६, तिलक रोड, देहरादून; सं० विजयकुमार शर्मा ।

प्रकाश : भारत प्रेस, अंधेरदेव, जबलपुर।

प्रकाश : समाज शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, नागपुर ।

भारतीय हिन्दी परिषद् पत्रिका : प्रयाग; १९५३; १०×७।।, १०; १), ।) ।

माहेश्वरी सेवक : १२/२, शोभाराम वैशाख स्ट्रीट, कलकत्ता—७; सं० वैद्य मोहनलाल कोठारी; १) ।

राजभाषा : लोकसभा हिन्दी परिषद्, लोकसभा भवन, नई दिल्ली; सं० मन्नूलाल द्विवेदी; १९५४; १५×

१०, ८–१२ ।

राजहंस : जबलपुर; सं० द्वारकाप्रसाद अवस्थी ।

लोकमंच : गया; सं० अर्जुन चौबे काश्यप; १९५३; ≡) ।

लोकराज : प्रकाशन विभाग, बम्बई सरकार, वम्बई–१ ।

लोध-लोधी-वृतांत : जलेसर, उ० प्र० ।

विंध्यभारती : विं० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन; रीवाँ, विं० प्र०; सं० महावीरप्रसाद अग्रवाल; १९५५ ।

शान्तिसन्देश : सर्वहितकारी प्रेस, रायबरेली; सं० वीरभानुसिंह 'प्रताप'।

शान्ति समाचार : विहार शान्ति कौंसिल, खजांची रोड, पटना–४ ।

सहकारी मध्यभारत : प्र० मध्यभारत केन्द्रीय सहकारी संस्था महारानी रोड, इन्दौर; १९५४; १०×७॥ ।

सैनिक समाचार : ३०९, एफ० ब्लाक, नई दिल्ली ।

सौभाग्य : महावीरगंज, अलीगढ़, सं० महेशचन्द्र बंसल ।

परिशिष्ट–२

अ० भा० समाचारपत्र संपादक सम्मेलन : अध्यक्ष श्री सत्येन सेन ।

अ० भा० हिन्दी पत्रकार संघ : ९९, नार्थ एवन्यू, नई दिल्ली ।

भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र समाज : अध्यक्ष श्री निर्मलचन्द्र घोष; मंत्री श्री डी० के० ठक्कणी ।

भारतीय विज्ञापक समाज : आर्मी एण्ड नेवी बिल्डिंग, तीसरा माला, महात्मा गाँधी रोड, वम्बई–१ ।

भारतीय समाचारपत्र छायाकार संघ (Press Photographers' Association of India) : १, वरमन स्ट्रीट, कलकत्ता–७; अध्यक्ष श्री विश्वनाथ-राय, एम० एल० ए०; मंत्री श्री तारकदास; स्थापना १९४६ ।

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ : अध्यक्ष श्री बनारसीदास चतुर्वेदी; महामंत्री श्री सी० राघवन ।

पत्र प्रसार परिगणना प्रतिष्ठान : विक-फिल्ड हाउस, चौथा माला, बेलार्ड इस्टेट, बम्बई–१ ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया : अध्यक्ष श्री देवदास गाँधी ।

परिशिष्ट–३

पहेली पुरस्कार प्रतियोगिता (नियंत्रण) अधिनियम १९५५

(The prize puzzle Competitions (Control Act.) 1955)

भारतीय संसद में स्वीकृत इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण समूचे भारत की पहेली पुरस्कार प्रतियोगिताओं पर हो गया है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं :-

(१) १०००) से अधिक पुरस्कार देने पर नियंत्रण लगा दिया गया है।

(२) किसी एक पहेली में २००० से अधिक पूर्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

(३) भारतीय पहेली प्रवर्तक अन्य देशों में जा कर पहेली प्रचलित नहीं कर सकेगा।

(४) आज्ञापत्र (लाइसेन्स) प्राप्त करने के लिए दिये जाने वाले आवेदनपत्र पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

(५) गलत हिसाब प्रस्तुत करने वाले प्रवर्तक को कारावास दंड मिलेगा।

(६) बिना आज्ञापत्र के पहेली प्रचलित करने वाले प्रवर्तक, उसके विज्ञापन प्रकाशित करने वाले, कूपन आदि छापने वाले, बेचने वाले, वितरण करने वाले, इस कार्य के लिए मकान देने वाले, या उसमें अन्य प्रकार से सहयोग देने वाले को तीन मास का कारावास दंड, या अर्थ दंड या दोनों ही दंड दिये जा सकेंगे।

(७) बिना आज्ञापत्र के पहेली प्रकाशित करने वाले पत्र की प्रतियाँ राज्य सरकार जब्त कर सकेगी।

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालयार्थ) अधिनियम १९५५ : के अन्तर्गत प्रकाशक को, पुस्तक प्रकाशित होते ही उसकी एक-एक प्रति निम्न पुस्तकालयों को भेजनी चाहिए :—

१. राष्ट्रीय पुस्तककालय, कलकत्ता (National Library, Calcutta);

२. कोनमेरा लाइब्रेरी, मद्रास (Connemara Library, Madras)।

नसीराबाद, (अजमेर); सं० डा० बलदेव शर्मा, देवेन्द्रनाथ चक्रवर्ती; प्र० ठा० नाथूसिंह, कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय; १९५३; १०×७॥, २८; ३), ।=) ।

स्वास्थ्य संदेश : विक्रम (जि० पटना); सं० कपिलदेव त्रिपाठी; प्र० आयुर्वेद कार्यालय; १९४१; १०×७॥, २२; ५), ॥) ।

स्वास्थ्य सुधा : प्रयाग ।

स्वास्थ्य सुधा : १४, लेडी हार्डिंग रोड, नई दिल्ली; सं० जयरानी सहगल; प्र० प्रिं० हरिश्चन्द्र; १९४८; १०×७॥; ५), ॥) ।

स्त्री चिकित्सक : पो० बा० ४, प्रयाग; सं० यशोदा देवी ।

हंसादेश : २४, फायर ब्रिगेड लेन, नई दिल्ली; सं० महात्मा सत्यानन्द; १९५२; १०×७॥, २४; ३), ।) ।

हमारा आदर्श : बरेली ।

हमारा गांव : गुप्ता प्रिं० प्रेस, देवरिया, उ० प्र० ।

हरिजन वार्ता : जयपुर; सं० गोपीनाथ गुप्त; प्र० राजस्थान हरिजन सेवक संघ ।

हरिजन सहायक : हिन्दी भवन मुद्रणालय, कालपी (जालौन) ।

हरिश्चन्द्र : दिल्ली ।

हितैषी : ४६/४२, राजगद्दी, कानपुर; सं० देवेन्द्रकुमार गुप्त; १०×७॥, ५८; १)–२)–५)–११) ।

हिन्द : श्रीगंगानगर राज०; सं० सुरेन्द्रमोहन बंसल, रमेशचन्द्र; १९५३; १०×७॥; ४॥), ।=) ।

हिन्द मार्तण्ड : तोपखाना, प्रयाग; सं० रामगोपाल पाण्डेय 'शरद', मैनादेवी जैन 'मैना', गुणमाला देवी जैन, चिंतामणीदेवी जैन, दयाचन्द्र जैन 'दुखिया'; ३।), ।=) ।

हिन्दी परीक्षा प्रदीप : १३२, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई–२; प्र० सी० जमनादास एण्ड कं०; १९५५; ६), ॥) ।

हिन्दी प्रचारक : डी० १५/२५, मानमंदिर, काशी; सं० सुधाकर पाण्डेय; प्र० ओमप्रकाश बेरी; १९५४; १०×७॥, ४४; २), ≡) ।

हिन्दी प्रचार समाचार : त्यागरायनगर, मद्रास–१७; सं० मो० सत्यनारायण; प्र० दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा; १९३९; ८॥×५॥, ५६; ३), ।=) ।

हिन्दी वाङ्मय : नखास चौक, गोरखपुर; सं० रामचन्द्र तिवारी, पुरुषोत्तम मोदी; प्र० विश्वविद्यालय प्रकाशन; १९५५; ११×८॥, १२; १॥), =) ।

हिन्दी विश्वभारती : चारबाग, लखनऊ; सं० कृष्णवल्लभ द्विवेदी; प्र० एजूकेशनल पब्लिशिंग कं० लि०; १९४० ।

हिन्दी शब्द प्रतियोगिता मित्र : मध्यभारत प्रिन्टर्स, कम्पूरोड, लश्कर-ग्वालियर; सं० गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव; १९५१; १०×७॥, ८; ३), ।) ।

हिन्दी शिक्षक : ४ था माला, महाराज बिल्डिंग, १२५, गिरगांव, बम्बई–४; ३), ।–) ।

हिन्दी संदेश : निकलसन रोड, अम्बाला छावनी; सं० भीमसेन विद्यालंकार, रामपाल विद्यालंकार; प्र० आर्य प्रेस, लि०; १९५०; १०×७॥, ५०, ८), ।॥) ।

हिन्दुस्तानी पत्रिका : तेन्नूर, तिरुच्चीरापल्ली, द० भा०; सं० अवधनन्दन, अ० रामअय्यर; प्र० तमिलनाड हिन्दी प्रचार सभा; १९४९; ८॥×५॥, ३), ।–); हि० त० ।

हिन्दू गृहस्थ : मधुर मंदिर, हाथरस; सं० चुन्नीलाल गर्ग, देवकीनन्दन बंसल; १९४१; १०×७॥, ५६; ३), ।) ।

हिमप्रस्थ : संचालक, लोकसम्पर्क व पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–४ ।

हिमानी : भास्कर प्रेस, देहरादून ।

हिमालय : अशोक आश्रम, कालसी, देहरादून; ३) ।

हैहय क्षत्रिय मित्र : १२७, बासमंडी, प्रयाग; सं० बैजनाथसिंह, श्यामसुन्दर जैसवाल; प्र० हैहय क्षत्रिय महासभा; १९०३; १०×७॥, १८; २॥), ।) ।

होमियो-दिग्दर्शन : जवाहर रोड, रायपुर म० प्र०; सं० डा० रविकिशोर नशीने, डा० लक्ष्मीदेवी नशीने; प्र० कीर्ति प्रकाशन; ५), ॥) ।

होमियोपैथिक अग्रदूत : बुलानाला, काशी; सं० डा० कैलाशभूषण त्रिपाठी, डा० कमलाप्रसाद मिश्र 'विप्र', डा० जगतनारायण झा; प्र० प्रिंस होमियोपैथिक कालेज; १९४९; १०×७॥, ३२; ३), ।=) ।

होमियोपैथिक जर्नल : कानपुर ।

होम्योपैथिक दर्पण : सब्जीमंडी, आगरा; सं० डा० जगदीशचन्द्र शर्मा; प्र० आगरा होमियोपैथिक स्टोर; १०×७॥, ४), ≡) ।

होम्योपैथिक दर्शन : ६७/४७, भूसाटोली, कानपुर; सं० डा० एस० नाथ; १९४९; १०×७॥, ८; ४), ।=) ।

होम्योपैथिक विज्ञान : छाया प्रेस, कानपुर ।

होमियोपैथिक सन्देश : कूचा ब्रजनाथ, चांदनी चौक, दिल्ली; सं० डा० युद्धवीरसिंह, डा० छैलबिहारीलाल; १९४९; १०×६।, ३४; ५), ॥) ।

क्षत्रिय बंधु : निल्ही बाग, बनारस; सं० पी० चौधरी; १९३९; ≡) ।

क्षत्रिय मित्र : भोजूवीर, काशी छावनी, सं० शंभूनाथसिंह; १९०९; १०×

७॥, २४; २), ≡) ।

क्षत्रिय हितैषी : सीतामऊ, म० भा०; सं० सुल्तानसिंह; १९३८; १०×७॥, २४; २॥), ।) ।

त्रिपथगा : पब्लिकेशन्स ब्यूरो, सूचना विभाग, विधान भवन, लखनऊ; सं० काशीनाथ उपाध्याय 'भ्रमर'; प्र० उत्तर प्रदेश सरकार; १९५५; ८), ।॥) ।

त्रिवेणी : ८० सी, माधवपुर, प्रयाग; सं० राजकुमार शर्मा, जयकुमार 'जलज', सरला 'दीदी'; प्र० शरद साहित्य सदन, सहारनपुर; १९५३; ७॥×५, ४६; २), ≡) ।

ज्ञान : ३५, दरियागंज, दिल्ली; सं० सागरचन्द जैन; प्र० जम्बूकुमार संघ; १९४७; ११।×८।॥, १०; १) ।-)।

ज्ञानधारा : १९४, गायकवाड़ी, बम्बई —४; सं० मुकुन्द वीरकर; १९५४; ८।॥)×५॥, २८; ।) ।

ज्ञानोदय : ११, क्लाइव रोड, कलकत्ता—१; सं० कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', जगदीश एम० ए०; प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुंड रोड, काशी; १९४९; ७।×५॥, ७२; ८), ।॥), वि० ११)।

द्विमासिक

अमर कहानी : प्रयाग ।

जन-साहित्य : जन-साहित्य प्रकाशन, हाथरस; सं० भगवानसिंह 'विमल', कन्हैयालाल 'चंचरीक'; ३।), ।=) ।

नई चेतना : —प्रकाशन गृह, खजांची भवन, के० ई० एम० रोड, बीकानेर; सं० लक्ष्मीकांत, गजाननप्रसाद; १९५०; ८।॥×५॥, ८; ६), १) ।

दिव्यादर्श : गो० विट्ठलनाथ जी महाराज, कांकरोली राज; सं० कंठमणी शास्त्री; १९४१; १०×७॥, २४; २), ।=) ।

शिक्षा और मनोविज्ञान : नागरी भंडार, बीकानेर; सं० उदय पारीक, प्रयाग मेहता ।

समाजशास्त्र : वनस्थली राज०; सं० प्रेमनारायण माथुर, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, डा० पी० टी० राजू, शंकरसहाय सक्सेना, मुकुटबिहारी माथुर, शान्तिप्रसाद वर्मा, मि० ला० माथुर, रामेश्वर गुप्त; प्र० वनस्थली विद्यापीठ समाज-शास्त्र परिषद् तथा राजपूताना विश्वविद्यालय; १९५२; १०×६।, ८४; ८), २॥) ।

त्रैमासिक

अदिति सह भारतमाता : श्री अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी; सं० डा० इन्द्रसेन, केशवदेव पोद्दार, श्यामसुन्दर झुनझुनवाला, चन्द्रदीप; १९४३; १०×७॥, ६४; ६), १।॥); वि० १२॥ शि० ।

आनन्द घर : रतन पूअर हास्पिटल,

पुराने थाने के पास, दिल्ली–शहादरा; सं० डा० विद्यारत्न; १९५०, ७।।×५; १) ।

आर्य परिवार : अजमेर ।

आलोचना : १, फैज बाज़ार, दिल्ली–७; सं० डा० धर्मवीर भारती, डा० रघुवंश, डा० व्रजेश्वर वर्मा, विजयदेवनारायण साही, क्षेमचन्द्र 'सुमन'; प्र० राजकमल प्रकाशन लि०; १९५१; १०×६।, १३६; १२), ३) ।

उजाला : रामपुर, उ० प्र० १०×७।।; ४), १) ।

आलोक : हंसडिहा बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, दुमका (विहार); सं० प्रि० भगवानप्रसाद, उमाशंकर वर्मा; १०×७।।, ५२; ३), ।।।) ।

कलानिधि : भारत कलाभवन, हिंदू विश्वविद्यालय, काशी; सं० गोपालकृष्ण; १०×७।।, ८०; १६) ५) ।

कस्तूरबा-दर्शन : कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर; सं० माणकचन्द कटारिया; प्र० कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट; १९४९; १०×७।।, ४४; २।।), ।।।) ।

किसान : बिहार कृषि-परिषद्, खगोल रोड, पटना; १९३३; १०×७।।; २), ।।) ।

चतुरसेन : ज्ञानधाम प्रतिष्ठान, दिल्ली–शाहदरा; सं० कमलकिशोरी; १९५५; १२), ३) ।

चांसचंद्रिका : खोरी (गुडगाँव), पंजाब; सं० पं० धमोराम शर्मा; ६)

जनपद : कुलपति निवास, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी; सं० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० उदयनारायण तिवारी बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, कार्य-निर्वाहक सं० वैजनाथसिंह 'विनोद'; प्र० हिन्दी जनपद परिषद्; १९५२; ६), १।।) ।

जयभारती : बंगीय हिन्दी परिषद्, १५, बंकिमचन्द्र चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता; सं० ललिताप्रसाद सुकुल, डा० विपिनबिहारी त्रिवेदी; ४), १) ।

जनसेवक : गृह विभाग, १४, ओडरम रोड, लखनऊ; सं० भगवानदास जैन; प्र० उत्तर प्रदेश सरकार; १९४८; १) ।

जाति सन्देश : रामा प्रेस, लखनऊ ।

जिज्ञासा : रीवां, वि० प्र०; सं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, नामवरसिंह, प्रभाकर माचवे, शिवमंगलसिंह 'सुमन', विद्यानिवास मिश्र; १९५५ ।

ज्योतिष-विज्ञान : १८, गोविंद बनर्जी लेन, सलकिया–हावडा; सं० ताराचन्द्र शास्त्री; १०×७।।, २२; २), ।।) ।

त्यागी : मेरठ ।

दार्शनिक : फरीदकोट (पेप्सू); सं० यशदेव शल्य, आर० एन० कौल, संगमलाल पाण्डेय, अर्जुन चौबे कश्यप;

प्र० अ० भा० दर्शन परिषद्; १९५५; १०×६I, ७२; ६) ।

दिव्यालोक : ६२१, दारागंज प्रयाग; सं० डा० रघुनन्दनप्रसाद शर्मा; प्र० ज्योतिष आलोक गृह; १९५३; १०×७II, ३२; ४), १) ।

दृष्टिकोण : आर० के० भट्टाचार्य रोड, पटना–१; सं० शिवचन्द्र शर्मा; प्र० अ० भा० हिन्दी शोध मंडल; १९५२; १०) ।

देवनागर : आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली–६; सं० डा० नगेन्द्र, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन; प्र० संसदीय हिन्दी परिषद्; ६), १II) ।

नई दिशा : विलासपुर म. प्र.; सं. श्रीराम वर्मा, रामकृष्ण श्रीवास्तव; ४), १) ।

नवज्योति : ४, पद्मपुकुर रोड, भवानीपुर, कलकत्ता–२०; सं० डी० एन० पाण्डेय; प्र० आदर्श हिन्दी हाईस्कूल; १९५०; १०×७II, ६४; ४), १) ।

नवनिर्माण : सराय केला, (सिंहभूम) बिहार; सं० देवकीनन्दनप्रसाद; ३), II=) ।

नवनिर्माण : जोधपुर–५; सं० नेमिचन्द्र जैन 'भावुक'; प्र० कुमार साहित्य परिषद्; १९५३; ४), १) ।

नवीन शिक्षक : पटना–६; २), II=) ।

नागरी प्रचारिणी पत्रिका : काशी–१; सं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, करुणापति त्रिपाठी, कृष्णानन्द; प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी; १८९६, १०×६I ९२; १०), २II) ।

परिषद् प्रसून : विश्वकर्मा प्रिं० प्रेस, बिहार शरीफ (पटना); सं० छेदीलाल झा 'सेवक'; १९५१ ।

पूना कृषि कालेज पत्रिका : कालेज आफ़ अग्रिकल्चर, पूना–५; सं० प्रो० ए० ए० वसावडा; १९०९; १I); हि० म० अं० ।

प्रसारिका : पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली–८; प्र० भारतीय आकाशवाणी, भारत सरकार; १९५३; २), II) ।

प्राणिशास्त्र : २, हुसैनगंज, लखनऊ; सं० अमर; प्र० भारतीय प्राणिशास्त्र परिषद्; १९४९; १०×७II, १००; १०), ३) ।

प्रेम : प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन; सं० कमलेश भारतीय; १९११; ८III×५II; २), II) ।

बालमित्र : १०, कम्यूनिकेशन थियेटर बिल्डिंग, नई दिल्ली–१; प्र० दिल्ली प्रदेश बालकनजी बारी; १II), I) ।

बिहार शिक्षक : महेन्द्रू पटना–६; प्र० बिहार एजूकेशनिस्ट; हि० अं० ५), ११), हि० ३), १) ।

ब्रजभारती : ब्रजसाहित्य मंडल, मथुरा;

सं० वियोगी हरि; १९४१; ९॥।×६।, ४४; २), ॥) ।
ब्रह्मचारी : दिल्ली ।
ब्रह्मविद्या : अड्यार, मद्रास; सं० प्रो० सी० कुन्हनराजा; प्र० थियोसोफिकल सोसाइटी; ६), २॥) ।
भक्तलोक : प्रयाग ।
भारती : आर्य कन्या गुरुकुल, पोरबन्दर (सौराष्ट्र); प्र० सरस्वती सभा; १९५४; हि० गु० अं० ।
भारतीय कला : प्रयाग ।
भेषजी पत्रिका : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ।
मध्यभारत की आर्थिक समीक्षा : अर्थ तथा आँकड़ा विभाग, मध्यभारत सरकार, ग्वालियर; सं० डा० एल० सी० जैन ।
मध्यभारत ला रिपोर्टर : छत्रीबाजार, लश्कर ग्वालियर; सं० रामचन्द्र मोरेश्वर करकरे; १९४९; ९॥×६।, १४८; १३), ३।); हि० अं० ।
मध्यभारत समाचार : सूचना विभाग, ग्वालियर; प्र० मध्यभारत सरकार १) ।
मरुभारती : पिलानी राज०; सं० झावरमल्ल शर्मा, अगरचन्द नाहटा, कन्हैयालाल सहल, श्रीकृष्ण पोरवाल; प्र० बिडला एज्यूकेशन ट्रस्ट, राजस्थानी शोध विभाग; १९५२; १०×७॥, ,१४; ६), २) ।
मागधी : नया टोला, पटना–४; सं० श्रीकान्त शास्त्री, रामवृक्षसिंह 'दिव्य'; प्र० बिहार राज्य मगही परिषद्; ११), ।=) ।
यादवेश : मास्टर प्रिंटिंग वर्क्स, ६१/७८, बुलानाला, काशी; सं० मन्नालाल अभिमन्यु; प्र० भारतीय यादव युवक संघ; १९३६; १०×७॥; ३) ।
युगसन्देश : उत्तर बुनियादी विद्यालय, श्रीनगर, पूर्णिया (बिहार); सं० देवसुन्दर झा; ५) ।
राजस्थान भारती : श्री सादूल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीटयूट, बीकानेर, राज०; सं० दशरथ शर्मा, अगरचन्द नाहटा, अक्षयचन्द्र शर्मा, नरोत्तमदास स्वामी, बदरीप्रसाद साकरिया; १९४७; १०×६।, १४२; ९), २॥), छात्र, संस्थाएँ, अध्यापक ६) ।
राष्ट्रवाणी : खजूरीपोल, कालुपुर, अहमदाबाद; सं० जेठालाल जोशी; प्र० गुजरात राष्ट्रभाषा प्रचार समिति; १९५१; १०×७॥, ६८; ४॥), १=) ।
राष्ट्रसेवक : गुवाहाटी, असम; सं० रजनीकान्त चक्रवर्ती; प्र० असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति; १९५१; ८॥।×५॥, ७४; ३), ॥।); हि० असमीया ।
लक्ष्य संगीत : १६५ डी, कमलानगर, सब्जीमंडी, दिल्ली; सं० श्रीकृष्ण

नारायण रातनजनकर; प्र० श्रीपद वंद्योपाध्याय; १९५४; १०×७॥, ४२; ५), १॥); हि० अं० ।

लोककला : भारतीय लोककला मंडल, उदयपुर; सं० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, बलवंतसिंह मेहता, देवीलाल सामर, पुरुषोत्तमदास मेनारिया; १९५३; ८॥×५॥, ७२; ६), १॥) ।

विद्यापीठ पत्रिका : हिन्दी विद्यापीठ वैद्यनाथ, देवघर, बिहार; सं० ठाकुरप्रसादसिंह; १९५१; ३) ।

विन्ध्यभूमि : सूचना एवं प्रचार विभाग, रींवा, विं० प्र०; सं० विद्यानिवास मिश्र; प्र० विन्ध्यप्रदेश सरकार; २) ।

विवेचना : हिन्दी परिषद्, गया कालेज, गया; सं० प्रो० वासुदेव; १॥), ।=) ।

विश्वभारती पत्रिका : हिन्दी भवन शांतिनिकेतन, बंगाल; १९४२; १०× ६।, ८०; ६), १॥) ।

विश्वसाहित्य : विष्णुपुरी, अलीगढ़; सं० हरीश रायजादा; १९५३; ८॥× ५॥, १०५; ५), १) ।

वैष्णव सन्देश : जोधपुर ।

शिक्षा : संचालक शिक्षा विभाग, प्रयाग; सं० एम० एल० श्रीवास्तव; प्र० उत्तर प्रदेश सरकार; १९४८; २) ।

शोध पत्रिका : राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर; सं० डा० रघुवीरसिंह, अगरचन्द नाहटा, कन्हैयालाल सहल, देवीलाल सामर, गिरधारीलाल शर्मा; प्र० महाराणा भूपाल प्राचीन साहित्य शोध संस्थान; १९४७; १०× ६।, ६८; ६), १॥) ।

श्रीस्वाध्याय : सोलन, शिमला; सं० हरदेव शर्मा त्रिवेदी; प्र० श्रीस्वाध्याय सदन; १९४२; १०×७॥, ६०; ३), १) ।

सम्मेलन पत्रिका : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग; सं० श्रीरामनाथ 'सुमन'; १९१४; १०×६।, १३०; ८), २); छा० ६) ।

सहकारी : मध्यप्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन, नागपुर; १९५१; १०× ७॥; ३), ॥) ।

साहित्यकार : ३३, कैनिंग लेन, नई दिल्ली—१; सं० नरेश मेहता; १९५४; ४), १) ।

हलवाई : प्रयाग ।

हिन्दी अनुशीलन : भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग; सं० डा० धीरेन्द्र वर्मा, लक्ष्मीनारायण वार्ष्णेय; ९॥×६॥, १०८; ३), १) ।

हिन्दुस्तानी : हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग; सं० रामचन्द्र टंडन; १९३१; १०×६।, ११४; ५), १।) ।

ज्ञानशिखा : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ; २) ।

अर्ध-वार्षिक

आयकर प्रकाश : जयपुर; सं० राधेश्याम अग्रवाल ।

इंडस्ट्रियल कालेज विजय : लखनऊ ।

काव्यधारा : आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली–६; सं० शिवदानसिंह चौहान, गोपालकृष्ण कौल; १९५५; १०×६।, २१२; ६) ।

जैन-सिद्धान्त-भास्कर : –भवन, आरा, (बिहार); सं० प्रो० हीरालाल, डा० ए० एन० उपाध्ये, कामताप्रसाद जैन, भुजबली शास्त्री; १९१२; १०×६।, ४); हि० अं०।

नयी कविता : राजकमल प्रकाशन लि०, १, फैजबाज़ार, दिल्ली–७; सं० डा० जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी; प्र० कविता प्रकाशन समिति, मोतीमहल, दारागंज, प्रयाग; १९५४; ४), २) ।

निकष : साहित्य भवन लि०, प्रयाग; सं० धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा; १९५५; ८।।।×५।।, २२४; ५), ३) ।

मधुकण : काशी ।

रेलवे टाइमटेबल : –आफिस, चौक, काशी–१; मुकुन्ददास गुप्त 'प्रभाकर'; १०×६।, २।।) ।

विजयभारती : दिल्ली प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दिल्ली; सं० राजलक्ष्मी राघवन ।

विहान : फ्रांटियरमेल प्रेस, देहरादून ।

वार्षिक

अंगना : –पब्लिकेशन्स, रिलिफ़ रोड, अहमदाबाद; सं० सौदामिनी व्यास, हि० गु० अं० ।

अभिज्ञान : रीवा, विं० प्र०; प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन ।

अमर वीणा : प्रयाग ।

अर्यमा : ३, एलिगन रोड, प्रयाग; प्र० आलोक कार्यालय ।

आयुर्वेद सुधा : राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, हैदराबाद–२; सं० सुधाकर कुलकर्णी, जगन्नाथराव, ओंकारनाथ रेड्डी, भारतशाह; प्र० छात्र संघ; १९५४; १०×७।, ७२ ।

आर्टस् कालेज मुख्य पत्रिका : उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद–७; सं० आर्यव्रत शास्त्री छगनलाल जैन; १९५३; १०×६।, १२६: हि० अं० ।

आलोक : विद्यालोक, भोरबाज़ार, लश्कर, ग्वालियर ।

इलाहाबाद युनिवर्सिटी मेगजीन : प्रयाग ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पत्रिका : बलिया, उ० प्र० ।

उषा : सुदर्शन प्रि० वर्क्स, खुर्जा ।

उषा : बलिया; नागरी प्रेस, प्रयाग ।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पत्रिका : सुदर्शन प्रेस इटावा ।

वज्ञान ज्योति : नवपुरा, खूर्जा; सं० विशुद्धानन्द गौड, ज्योतिषाचार्य; १९४८: १०×७॥, १६; ५।=); ॥)।

विज्ञान पत्रिका : नेपियर टाऊन एक्टेंशन, जबलपुर; सं० मु० वि० कानडे; प्र० विज्ञान प्रसार मंदिर; १९५३; ७×५॥, १८; २), ≡) ।

विज्ञान प्रगति : ओल्ड मिल रोड, नई दिल्ली—२; प्र० पब्लिकेशन्स डिवीजन, कौंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रीयल रिसर्च; १९५२; १०×७॥, २४; ५), ॥) ।

वीणा : तुकोगंज, इन्दौर; सं० कमलाशंकर मिश्र, रामचन्द्र श्रीवास्तव 'चन्द्र'; प्र० मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति; १९२६; १०×७॥, ५६; ५), ॥) ।

वीर गुर्जर : लंढौरा हाऊस, मेरठ; सं० कु० यतीन्द्रकुमार वर्मा; प्र० गूजर क्षत्रिय समाज; १९२८; १०×७॥, २२; ४), ।=) ।

वीरबंधु : अजमेर ।

वीरपुत्र :—प्रेस, कडक्का चौक, अजमेर; सं० मानमल जैन 'मार्तण्ड'; ७॥×५, ४६; ३), ।) ।

वीर बालक : नवजीवन प्रेस, जमालपुर; सं० धवनजी; ३) ।

वीर लोधी : आज़ादी प्रेस, बरेली ।

वीर संदेश : देहरादून ।

वेदप्रकाश : आर्य साहित्य भवन, नई सडक, दिल्ली—६; सं० गोविन्दराम हासानन्द; १९५२; १०×७॥, १६; २), ≡) ।

वेदवाणी : जंगमवाडी, काशी; सं० महेशप्रसाद मौलवी आलिम फ़ाज़िल भानुचरण आर्षेय; प्र० आदर्श साहित्य मंडल, १९४८; १०×७॥, २४; ४॥), ।=), वि० ६) ।

वैदिक धर्म : पारडी (जि० सूरत); सं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, महेशचन्द्र शास्त्री विद्याभास्कर; प्र० स्वाध्याय मंडल; १९२०; १०×७॥, ५२; ५); वि० ६॥) ।

वैद्य : मुरादाबाद; सं० विष्णुकान्त जैन; १०×७॥, ३५; ३), ।) ।

वैद्य बंधु : न्यू इतवारी रोड, नागपुर; सं० चिनूभाई शाह, बालूभाई शाह; १) ।

वैद्यवाणी : पंसारी बाजार, सहारनपुर; सं० वैद्य शरद्कुमार मिश्र; प्र० आरोग्य भवन रसशाला लि०; ४≡) ।

वैश्य समाचार : नया बाज़ार, दिल्ली; सं० ए० पी० जैन; प्र० डा० नन्दकिशोर जैन; १९३७; १०×७॥; ५), ॥) ।

वैश्य हितकारी : गोपाल प्रि० प्रेस, सदर, मेरठ; सं० मदनगोपाल सिंहल; १०×७॥; २), ≡) ।

वैष्णव ब्राह्मण मार्तण्ड : रघुनाथजी

का मंदिर, कायस्थ मोहल्ला, अजमेर; सं० गंगादास दिवाकर, ब्रह्मदत्त 'शिशिर'; प्र० अ० भा० वैष्णव ब्राह्मण महासभा; १९५०; १०×७॥, १६; २), ।) ।

व्यवसाय : इन्टरनेशनल इंडस्ट्रीज लि०; पन्नागंज, अलीगढ़; सं० पुष्पलता सिहगल; १९४७; ८॥।×५॥; ४), ।=) ।

व्यापार गजट : दिल्ली ।

व्यापार ज्योतिष : अतीत महल-हाथरस; ३॥।), ।-) ।

व्यापार पत्रिका : कानपुर ।

व्यापार भविष्य : गोपाल प्रेस, हाथरस ।

व्यापार-रुख : २४७, बनी पार्क, जयपुर; सं० प्रो० गणेशशंकर शर्मा 'दैवज्ञ'; प्र० श्री भृगु-ज्योतिष कार्यालय; १९३७; १०×७॥, १२; २१), ५॥) ।

व्यायाम : रावपुरा, बड़ौदा; सं० धों० ना० विद्वांस, १०×६।, १६; २॥), ।) ।

व्योम विहार : ४, रामनगर, नई दिल्ली; सं० विष्णुदत्त मिश्र 'तरंगी'; १९५५; १२), १) ।

व्योपारिक आकाशवाणी : रमण प्रेस, मथुरा ।

शबनम : नया हिन्दुस्तान प्रेस, चाँदनी चौक दिल्ली–६; सं० शबनम; १९४७; ११×८॥, ४०; ९), ॥।) ।

शरद् : पटना–१; सं० नलिनीसहाय ।

शाकद्वीपीय ब्राह्मण बंधु : ४४, बाबूलनाथ चाल, चौपाटी, बम्बई–७; सं० निरंजन शर्मा अजित, ३॥) ॥) ।

शाक्यप्रभा : हैदलपुर, पो० परौरा, (शाहजहाँपुर); सं० हुक्मसिंह शाक्य; प्र० अ० भा० शाक्य क्षत्रिय महासभा; १९३८; १०×७॥, १६; ३), ।) ।

शान्ति : अजमेर ।

शान्ति : बूँदी, राज०; सं० प्रभुदयाल वर्मा, कुमुदकुमारी सक्सेना; प्र० विश्वकल्याण कार्यालय; १९५२; १०×७॥, २०; ३), ।) ।

शान्ति सन्देश : पो० खगड़िया (मुंगेर) बिहार; सं० प्रो० विश्वानन्द; प्र० अ० भा० संतमत-सत्संग; १९४९; १०×७॥, ३२; ४), ।=) ।

शारदा : –सदन हाथरस; सं० देवीदास शर्मा, रघुवीरशरण विद्यार्थी; १९५२; १०×७॥; ४॥), ।=) ।

शाश्वत धर्म : निम्बाहेड़ा, राजस्थान; सं० शिवनारायण गौड, कुन्दनमल डांगी; प्र० यतीन्द्र जैन युवक मंडल; १९५३; ५), ॥) ।

शिकारी : प्रयाग ।

शिव साहित्य : श्री सिद्धेश्वर पुस्तकालय, कोमखान, (रायपुर); १९५५ ।

शिशु : प्रयाग–२; सं० सत्यवान शर्मा; १९१४; ७॥×५, ३८; ३) ।); वि० ४) ।

शिशु भारती : प्रयाग ।
शिक्षक : अलीगढ़; सं० रमाशंकर; ३), ।=) ।
शिक्षक : बंकिघमपेट, विजयवाड़ा—२; सं० दोनेपुडि राजाराव; १९५०; ८॥×६॥, ४); हि० ते० ।
शिक्षण पत्रिका : ११८, हिन्दू कालनी, दादर, बम्बई—१४; सं० ताराबहन मोडक; प्र० नूतन बाल शिक्षण संघ; १९३३; १०×७॥, ३२; ४), ।=) ।
शिक्षक बंधु : —प्रेस, कटरा, अलीगढ़; सं० जगनसिंह सेंगर, रामचन्द्र गुप्त; प्र० महा० रामचन्द्र गुप्त; १९३२; १०×७॥, ३२; २॥), ।) ।
शिक्षा सुधा : मंडी धनौरा, (मुरादाबाद); सं० वीरेन्द्रकुमार; प्र० गुप्ता ब्रदर्स; १९३७; १०×७॥, २०; १), =) ।
शेरबच्चा : पो० बा० १, प्रयाग; प्र० सजनी प्रेस; ३) ।
शोषित समाज : दीक्षित प्रेस, इटावा ।
शौण्डिक : टाइमटेबल प्रेस, काशी ।
श्रमण : श्रीपार्श्वनाथ विद्याश्रम, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी—५; सं० कृष्णचन्द्राचार्य; १९४९; ८॥×५॥, ४०; ४), ।=) ।
श्री गुरुदेव : अमरावती, म० प्र०; सं० श्याम लोहबरे, सुदाम सावरकर; प्र० राष्ट्रसंत तुकडोजी; १९४३; १०×७॥, ५०; हि० म० ५), हि० ३) ।
श्रीनृसिंहप्रिया : आचार्य प्रेस, बरेली; १९४२; १०×६।, २४; २) ।
श्रीब्रह्मभट्ट हितैषी : दिल्ली ।
श्रीबालमुकुंद संदेश : उत्तराहोबिल, झालरिया मठ, डीडवाणा (राज०); सं० राघवाचार्य; प्र० अ० भा० रामानुजीय वैदिक श्रीवैष्णव संघ; १९५४; १०×७॥, १६; ३), ।) ।
श्रीभारती : —प्रेस, मैनीपुरी; सं० शिवशंकरप्रसाद; १९५४; १०×७॥, २८; २), ≡) ।
श्रीमाली अभ्युदय : महुवा, सौराष्ट्र; सं० रतिलाल जटाशंकर त्रिवेदी; १९११; १०×६।, २४; ३), =), आफ्रिका ४); हि० गु० ।
श्रीविश्वेश्वर : —प्रेस, बुलानाला, काशी; सं० श्रीकृष्ण वर्मा, रामकृष्ण शर्मा; १०×७॥; ३), ।) ।
श्री वैष्णव सम्मेलन : वैष्णव प्रेस, प्रयाग ।
श्रीसरयूपारीण : सिविल लाइन्स, फ़ैज़ाबाद, उ० प्र०; सं० श्रीनिवास उपाध्याय, रामरक्षा त्रिपाठी, रामशरण मिश्र; १९५३; १०×७॥; २४; ३), ।–) ।
श्री सर्वेश्वर : विद्यालय प्रेस, वृन्दावन ।
श्रीहर्ष : ६, रामनाथ मजूमदार स्ट्रीट, कलकत्ता ।

श्रेय : वृन्दावन; सं० इन्द्र ब्रह्मचारी गोकुलानन्द तैलंग; १०×७॥, ४०; ३), ।) ।

संकीर्तन : मानस संघ, पो० रामबन, सतना म० प्र०; सं० सुदर्शनसिंह 'चक्र'; १०×७॥; ५) ।

संगठन : विनोद प्रेस, कालपी (जालौन)।

संगम : सत्याश्रम, बोरगाँव वर्धा; सं० स्वामी सत्यभक्त; १९४२; १०×७॥, २४; ३), ।) ।

संगीत : हाथरस; सं० महेशनारायण सक्सेना, लक्ष्मीनारायण गर्ग; प्र० लक्ष्मीनारायण गर्ग, गर्ग एण्ड कं०; १९३४; ९॥×६॥, ६२; ५॥=) ।

संघपत्रिका : पुरुषार्थ संघ, बरेली; सं० त्रिलोचनसिंह; ४) ।

संघर्ष : बाडमेर राज०; सं० सोभाग्यसिंह ।

संजय : २४, क्लाइव स्क्वेयर, नई दिल्ली; सं. भद्रसेन गुप्त; प्र. संजय प्रेस; १९३३; १०×७॥, ३४; ६), ॥) ।

संत : ६३३, कटरा, प्रयाग; सं० हरिचरणलाल वर्मा; प्र० महात्मा प्रचार मंडल; १९४९, ७॥×५, ६४; ४), ।=) ।

संत : गंगा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ।

संतवाणी : लाखनकोटडी, अजमेर; सं० बसंत जैन; प्र० धर्मपाल मेहता; १९५४; ८॥॥×५॥, २४; ५), ॥) ।

संतवाणी : मंगल प्रेस, जयपुर; सं० केशवदास स्वामी; प्र० मंगलदास जी महाराज; १९४८; ८॥×६॥, ५०; ५), ।=)॥ ।

संतसंदेश : विनोद प्रेस, कानपुर ।

संदेशवाहक : माणिक चौक, झाँसी; सं० भगवतीप्रसाद शर्मा, प्रभुदयाल शर्मा; प्र० पोस्टमेन युनियन; १९४९; १०×७॥, १२; २), ≡) ।

संस्कृति : नयाटोला, पटना–४; सं० डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी; १९५३; ६) ।

सचित्र आयुर्वेद : पो० बा० ६८३५, कलकत्ता–६; सं० रामनारायण शर्मा, वैद्य सदाकान्त झा; प्र० वैद्यनाथ आयुर्वेद-भवन लि०; १९४८; १०×७॥, ८४; ४), ।=) ।

सजनी : पो० बा० १, प्रयाग; सं० नरसिंहराम शुक्ल; प्र० मनोरंजन पुस्तकालय; १०×७॥, ४८; ४॥), ।–) ।

सतयुग : –आश्रम, बहादुरगंज, प्रयाग; सं० सत्यभक्त; १९४९; ७॥×५, ८०; ५), ।=) ।

सतरंगी : २५।१ बी०, रतन सरकार गार्डन स्ट्रीट, कलकत्ता–७; सं० सूर्यप्रतापसिंह; १९५२; ५।), ॥) ।

सनाढ्य जीवन : शर्मन प्रेस, इटावा; सं० प्रभुदयाल शर्मा; १९३४; १०×७॥, २), ।) ।

सनातन जैन : बुलन्दशहर; सं० मनोरथनाथ जैन, सिंघजई ईश्वरचन्द्र जैन 'निडर'; प्र० सनातन जैन समाज; १९२८; १०×७॥, १६; २), ≡) ।

सन्मार्ग : गंगातरंग, नगवा, काशी; सं० विजयानन्द त्रिपाठी; प्र० धर्म संघ, १९५०; १०×७॥, ४८; २), ।) ।

सफल जीवन : पो० बा० ३१९, नई दिल्ली–१; सं० दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, कमला गोयल, अरविन्द मालवीय; १९५४; १०×७॥, ८०; ७), ॥।) ।

सबेरा : मुजफ्फरपुर, बिहार ।

समाचार पत्रिका : अमेरिकन मेनोनाइट मिशन, धमतरी, म० प्र०; सं० पादरी डी० ए० सोनवानी; १९४९; ७॥×५, १६; ।) से १) ।

समाज : ए–६, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–१; सं० रामावतार 'त्यागी'; प्र० दुर्गाप्रसाद प्रिंजा; १९५४; ११×८॥।, ४२; ६), ॥) ।

समाज कल्याण : पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओल्ड सेक्रेटरियट, दिल्ली–८; सं. महावीर अधिकारी; प्र. भारत सरकार; १९५५; ११×८॥।; ४), ।=) ।

समाज शिक्षण : उदयपुर; सं० भैरवलाल गौड, देवीलाल पालीवाल; प्र० लोक-शिक्षण विभाग, राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर; १९५०; १०×७॥, २२; ४), ।=) ।

सम्पदा : रोशनारा रोड, दिल्ली–६; सं० कृष्णचन्द्र विद्यालंकार; प्र० अशोक प्रकाशन मंदिर; १९५२; १०×७॥,

४८; ८), ।।।) ।

सम्यगदर्शन : सैलाना, म० भा०; सं० रतनलाल जोशी; ६), ।।) ।

सरकारी हिन्दी : काशी ।

सरस्वती : इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स) लि०, प्रयाग; सं० पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, देवीदयाल चतुर्वेदी; १९००; १०×७।।, ६४; ७।।), ।।=) ।

सरस्वती संवाद : मोतीकटरा, आगरा; सं० डा० राजेश्वर चतुर्वेदी; प्र० फूलचन्द्र गुप्त; १९५२; १०×७।।, ४८; ४), ।=) ।

सरिता : पो० बा० १७, नई दिल्ली—१; सं० विश्वनाथ; प्र० दिल्ली प्रेस; १९४५; ९×५।।, १०), १), दो वर्ष १७), आजीवन १२५) ।

सरिता : बनारस—१; सं० बलदेवराज शर्मा 'उपवन', शिवदत्त मिश्र शास्त्री; प्र० सरिता साहित्य सदन; १९३९; ७।।×५, ८०; ६), ।।) ।

सरिता : प्रयाग ।

सर्वहितकारी : –प्रेस, देहरादून ।

सर्वहितकारी : रायबरेली ।

सर्वोदय : अ० भा० सर्वसेवा संघ वर्धा; सं० विनोबा, दादा धर्माधिकारी; १९४९; १०×६।, ६६; ८), ।।।), वि० ९), छा० ६), (सूत में ६४० तार की नं० १६ के ऊपर के सूत की ३६ इकहरी गुंडियाँ) ।

सविता : केसरगंज अजमेर; सं० आचार्य विदेह; प्र० वेदसंस्थान; १९४८; १०×७।।, १२; ३), ।) ।

सविता : सुधा प्रेस, जनरलगंज, कानपुर; सं० देवीप्रसाद धवन विकल, सीतादेवी; प्र० सुशीला भार्गव, सीता प्रकाशन; १०×७।।, ४८; ६), ।।); रा० सं० १५), १।) ।

सहकारी : काशी ।

सहकारी : सहकारी विभाग, जयपुर ।

सहकारिता : भार्गव प्रिं० वर्क्स, लखनऊ ।

सहयोग : स्किपटन विला, शिमला; सं० घनश्याम; प्र० हिमाचल प्रदेश सहकारी विकास संघ; १९५२; १०×७।।; १।) ।

सहयोगी : –प्रेस, बुलन्दशहर ।

सहीरास्ता : पाली, राज०; सं० बी० एल० रामगुरा ।

साकेत : फैजाबाद ।

साजन : पो० बा० १, प्रयाग; सं० नरसिंहराम शुक्ल; प्र० सजनी प्रेस; ७।।×५, ९६; ५), ।।) ।

सात्विक जीवन : जनरल प्रिं० वर्क्स लि०, हौज कटौरा, काशी; सं० मनोहर मालवीय; १९४१, १०×७।।, २२; ३), ।) ।

साथी : प्रयाग ।

साधन : –प्रेस, डैम्पियरनगर, मथुरा;

सं० डा० चतुर्भुजसहाय, मिहीलाल शर्मा; प्र० १०×६।, ३४; ४॥), ।=) ।

साधना : –प्रकाशन, पहाड़गंज, नई दिल्ली–१; सं० राधेश्याम; प्र० हकीम जे० पी० कथूरिया; १९४९; ८॥×५, ५०; ४॥), ।=) ।

साधना : पीलीभीत, उ० प्र० ।

साधु : बारहटोंटी, सदरबाजार, दिल्ली; सं० श्रीदत्त शर्मा; प्र० बाबा काली कमलीवाला क्षेत्र, स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश (हरिद्वार); १९४८; ४), ।=) ।

सार्वदेशिक : बलिदान भवन, दिल्ली–६; सं० कविराज हरनामदास, रघुनाथप्रसाद पाठक; प्र० सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा; १९२६; १०×७॥, ६४; ५), ॥), वि० १० शि० ।

साहित्य : देहरादून; सं० सत्येन्द्र शर्मा. कार्तिकदत्त, बभ्रुवाहन नैपाली; प्र० साहित्य प्रकाशन; १९५४; ८॥×५॥, ४८; ॥) ।

साहित्य : सम्मेलन भवन, कदमकुआँ, पटना–३; सं० शिवपूजनसहाय, नलिन विलोचन शर्मा, श्री रंजन सूरिदेव; प्र० बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्; १९५१; १०×६।, ९६; ७), ।॥=) ।

साहित्य प्रचारक-पुस्तक विक्रेता : पो० बा० ४६, बडौदा; सं० आनन्दप्रिय; प्र० जयदेव ब्रदर्स; १९५१; ८॥×५॥, ८; १) ।

साहित्य सन्देश : ४, गाँधी मार्ग, आगरा; सं० गुलाबराय, डा० सत्येन्द्र, महेन्द्र; प्र० साहित्य-रत्न-भंडार; १९३७: १०×७॥, ४), ।=) ।

साहित्य सरिता : साहित्य प्रेस, सहारनपुर ।

साहू मित्र : काशी ।

साहू सूर्य : प्रयाग ।

सिखवाल हितैषी : ४२५, लाखन कोटड़ी, अजमेर; सं० बद्रीनारायण शास्त्री; प्र० बंकटलाल व्यास, सिकन्दराबाद; १९५१; १०×७॥, १६; ३), ।) ।

सिनेदेशदूत : मेकेसलाइट प्रिं० वर्क्स, प्रयाग ।

सिनेमा : प्रयाग ।

सिनेमा-सौगात : १९८/१, कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता–६; सं० एन० के० सिंह; १९५०; ७॥×५, ९८; ॥) ।

सी० आई० डी० : प्रयाग ।

सुकवि : –प्रेस, लाठीमोहाल, कानपुर; सं० मोहनप्यारे शुक्ल; १९२७; १०×७॥; ५), ॥) ।

सुखी बालक : काशी ।

सुखी बालक : प्रयाग ।

सुदर्शन : –प्रेस, मेरठ ।

सुधा : पो० बा० २, ७०१५, दि माल, शिमला; सं० महेन्द्र जोशी; १९५०; १०×७॥, ७६; ६), ॥) ।

सुधारक : गुरुकुल झज्जर, (जि० रोहतक) पंजाब; १९५३; १०×७॥, २), ।) ।

सुप्रभात : १७६, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता–७; सं० विश्वनाथसिंह शर्मा, उमाकान्त उपाध्याय, नीलरतन खेतान, लालजी मेहरोत्रा, चन्द्रकुमार अगरवाल; ८॥×५॥, ११२; १९५५; ८), ।॥) ।

सुमति : चान्दपुर, (बैरिया) बलिया उ० प्र०; सं० श्यामसुन्दर द्विवेदी; १९५४; १०×७॥, ५४; ६), ॥=) ।

सुशिक्षक : काशी; ३) ।

सुषमा : देहरादून ।

सुषमा : प्रयाग ।

सुमित्रा : पो० बा० १, कानपुर; सं० देवीप्रसाद धवन 'विकल', विट्ठल शर्मा चतुर्वेदी; प्र० कैलाशनाथ भार्गव स्टार प्रेस; १९४९; १०×७॥, ६), ॥-) ।

सेवा : ४०, महात्मा गाँधी रोड, प्रयाग; प्र० सेवा समिति बालचर मंडल; १९२०; १०×७॥, ३), ।-) ।

सेवा : ३६८, सदाशिव पूना–२; सं० ज० रा० हसबनीस; १९४८; ८॥×५॥, ४), ।=) ।

सेवाकुंज : राष्ट्रीय प्रेस, हरिद्वार ।

सेविका : काँग्रेस हाउस, विट्ठलभाई पटेल रोड, बम्बई–४; सं० सुशीला देसाई; प्र० काँग्रेस सेविका दल; १९५१; १०×७॥, ॥); हिं० अं० ।

सैनीमित्र : अलवर राज०; सं० हरिनारायण सैनी; प्र० सैनी क्षत्रिय समाज; १९४६; १०×७॥, १८; ४), ।=) ।

सैनी समाचार : खरार (अम्बाला) ।

सोमूदादा : २९ ई/२४, ईस्ट पटेलनगर नई दिल्ली; १९५५; ३), ।) ।

सोवियत यूनियन : पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लि०, इरविन अस्पताल के सामने, नई दिल्ली–१; १६×१२, ४०; ६।॥), ।॥-); हिं० अं० ।

स्वदेश निर्माण : मुजफ्फरनगर, उ० प्र० ।

स्वयंसेवक : संडीला हाउस, लखनऊ; सं० मंगलदेव शर्मा; प्र० डा० हार्डीकर; ६।) ।

स्वसंवेद : सीयाबाग, बडौदा; सं० मोतीदास 'चैतन्य'; प्र० महन्त बालकदास; १९३५; १०×६।, ३), ।) ।

स्वस्थ जीवन : स्वास्थ्य मंदिर, दानापुर छावनी (बिहार); सं० प्रो० गोकुलप्रसाद गुप्त, डा० केदारनाथ मुरारी; १९५३; १०×७॥, २८; ३॥), ।-) ।

स्वास्थ्य : कालेडा कृष्णगोपाल, वाया